त्रयोदश माला, खंड 36, अंक 18

FOR REFERENCE ONLY.

सोमवार, 18 अगस्त, 2003
27 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 56
Date 22/3/04

(खण्ड 36 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

लोक सभा वाद – विवाद
(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 18 अगस्त, 2003/27 श्रावण, 1925 (शक)

का

शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
मुख पृष्ठ		अंक 19	अंक 18
विषय सूची		अंक 19	अंक 18

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 36, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 19, सोमवार, 18 अगस्त, 2003/27 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव .	1
्श्निन उत्तर	
प्रश्न संख्या 361 से 380.	2-40
ांकित प्रश्न संख्या 3319 से 3486 .	40-229
सभा पटल पर रखे गए पत्र	231-238
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन.	239
रक्षा संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन के बारे में	239
कार्य-मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	239
सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) संविधान (100वां संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	241
(दो) संविधान (101वां संशोधन) विधेयक (नौवीं अनुसूची का संशोधन).	241
(तीन) दिल्ली राज्य विधेयक	242
(चार) संविधान (102वां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 54 का संशोधन, अनुच्छेद 239कक और 239 कख का लोप तथा नए अनुच्छेद 371ञ का अंत:स्थापन) .	243
(पांच) प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक	243
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ए पर मोतिहारी के निकट सिंधिया रेलवे क्रासिंग पर स्थित उपरिपुल तक पहुंच मार्ग का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
डा० मदन प्रसाद जायसवाल	244
(दो) हावड़ा और बडबिल के बीच पड़ने वाले चाईबासा, नवामुण्डी और बड़ाजामदा रेलवे स्टेशनों पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण गिलुवा	244

विषय		कॉलम
(तीन)	झारखंड में भुइयां, घटवाल और घटवार जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रदीप यादव .	245
(चार)	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में वनापार्थी में एक नए प्रधान डाकघर भवन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी.	245
(पांच)	उड़ीसा के कोरापुट जिले में एंथ्रेक्स फैलने के कारणों का अध्ययन करने के लिए केन्द्र का दल भेजे जाने तथा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री परसुराम माझी .	246
(छह)	उत्तर प्रदेश में मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अवतार सिंह भडाना	246
(सात)	राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी .	246
(आठ)	गुजरात के साबरकांठा और बनासकांठा जिलों में सिंचाई के लिए ऊचें तट वाली नहर के निर्माण के लिए प्रर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मधुसूदन मिस्त्री . .	247
(नौ)	बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री सुबोध राय .	248
(दस)	सिकन्दाबाद-पुट्टापार्थी-तिरुपति-गुन्टुर-राजामुन्दरी-विशाखापत्तनम को शामिल करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में पर्यटन केन्द्रों को रेल-गाड़ियों द्वारा आपस में जोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	डा० मन्दा जगन्नाथ.	248
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी द्वारा किए जा रहे भूमि के कटाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री धर्मराज सिंह पटेल. . .	249
(बारह)	उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल .	249

विषय		कॉलम
(तेरह)	बिहार में छपरा और मुहम्मदपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 के समुचित रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	250
(चौदह)	विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों पर चर्चा कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. वी सरोजा	250
(पंद्रह)	कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी के स्वशासी जिलों में रह रहे बड़ो और बड़ो कछारियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसोमुथियारी .	250
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004		252
अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2003-2004 .		260
सरकारी विधेयक—पारित		
(एक)	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2003	
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री जसवंत सिंह .	255
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह .	256
	खंड 2, 3 और 1 .	260
	पारित करने के लिए प्रस्ताव .	260
(दो)	विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2003	
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री नीतीश कुमार	262
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह .	262
	श्री कांतिलाल भूरिया	264
	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव .	264
	सरदार बूटा सिंह .	265
	खंड 2, 3 और 1 .	265
	पारित करने के लिए प्रस्ताव .	265
(तीन)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक	
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री जसवंत सिंह . . .	265

विषय		कॉलम
	श्री एन. जनार्दन रेड्डी .	266
	श्री वरकला राधाकृष्णन.	266
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह .	266
	खंड 2, 3 और 1 .	268
	पारित करने के लिए प्रस्ताव .	268
(चार)	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह .	269
	श्री पी.सी. थामस	274
	खंड 2 से 5 और 1 .	276
	पारित करने के लिए प्रस्ताव .	276
(पांच)	केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक	
	राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन	
	श्री हरिन पाठक .	277
(छह)	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक	
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री चिन्मयानन्द स्वामी .	279
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसोमुथियारी .	279
	डा. जयन्त रंगपी .	280
	खंड 2 और 1 .	282
	पारित करने के लिए प्रस्ताव .	283
मंत्रिपरिषद में अविश्वासप्रस्ताव		
श्रीमती सोनिया गांधी		283
श्री लाल कृष्ण आडवाणी .		306
श्री सोमनाथ चटर्जी		324
कुमारी ममता बनर्जी		344
श्री मुलायम सिंह यादव.		359
श्री चन्द्रशेखर		374
श्री जार्ज फर्नान्डीज . .		380
श्री एस. जयपाल रेड्डी		411
डा. विजय कुमार मल्होत्रा .		431-462

लोक सभा

सोमवार, 18 अगस्त, 2003/27 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में लोकतंत्र का हनन किया गया। वहां बहुत बुरी तरह किसानों को पीटा गया। *(व्यवधान)* देश में हरेक को आन्दोलन करने का अधिकार है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

सभा की कार्यवाही शुरू की जाए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

प्रश्न काल के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब, संसदीय कार्य मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूं :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जहां तक इसमें यह उपबंध है कि बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, का निलम्बन करती है ताकि आज 18 अगस्त, 2003 के लिए सूचीबद्ध सरकारी कार्य पर विचार किया जा सके'' *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने जब इस प्रकार बहस करने का फैसला कर लिया है लेकिन सरकार अभी विश्वास मत हासिल नहीं कर पायी है, इसलिए उसके पहले नैतिकता के नाते सदन में कोई सरकारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। *(व्यवधान)* लेकिन हम जानते हैं कि यह एक अनैतिक सरकार है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं माननीय मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जहां तक इसमें यह उपबंध है कि बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, का निलंबन करती है ताकि आज 18 अगस्त, 2003 के लिए सूचीबद्ध सरकारी कार्य पर विचार किया जा सके।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसलिए आज प्रश्न काल नहीं होगा।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सुरक्षा प्रबंध

*361. **डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने संभावित आतंकवादी हमलों के संदर्भ में देश में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन एवं अन्य विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के आस-पास किये गये सुरक्षा प्रबंध किसी आतंकवादी हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) चालू प्रक्रिया के भाग के रूप में, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारियों ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे समेत सभी हवाईअड्डों पर सुरक्षा प्रबंध व्यवस्था का निरीक्षण किया। देश के सभी हवाईअड्डों पर, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे सहित, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओं) के अनुबंध-17 के दिशा-निर्देशों और भारत के राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध-व्यवस्था लागू है।

कोई बड़ी खामियां देखने में नहीं आई। फिर भी, सभी संबंधित एजेंसियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति

जागरूक कर दिया गया है। प्रवेश-नियंत्रण, पैरामीटर सुरक्षा, क्विक रिएक्शन टीम, प्री-एम्बार्केशन सुरक्षा जांच, रजिस्टर्ड बैगेज की जांच, कार्गो की हैंडलिंग के बारे में मौजूदा हिदायतों की पुनरावृत्ति कर दी गई है। एक क्विक रिएक्शन टीम (क्यू०आर०टी०) की भी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर तैनाती कर दी गई है।

[हिन्दी]

बीजों के मिनी-किट उपलब्ध कराना

*362. **श्री रामदास आठवले :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को मटर, मसूर, मूंग, उड़द इत्यादि की विभिन्न किस्मों के बीजों के मिनी-किट दस वर्ष के भीतर उपलब्ध कराने का है;

(ख) क्या सरकार बीजों के मिनीकिट उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित दस वर्ष की समय-सीमा को हटाने पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत सरकार विभिन्न राज्यों को मटर, मसूर, मूंग, उड़द आदि के विगत दस वर्षों की अवधि में निर्गत (रिलीज) बीजों की किस्मों के मिनीकिट उपलब्ध करा रही है। दस वर्ष पुरानी किस्मों पर प्रतिबंध को हटाये जाने पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, विशेष पारिस्थितियों में अलग-अलग मामले के आधार पर इस प्रतिबंध में ढील दी जाती है।

[अनुवाद]

वनों की कटाई

*363. **डा० चरणदास महंत :**
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वनों को कटाई से बचाने हेतु गैर-वन लकड़ी उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से गैर-वन लकड़ी उत्पादों की पहचान करने को कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार का वनों को कटाई से बचाने हेतु आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) वनों के संरक्षण, सुरक्षा और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इमारती लकड़ी के लिए वनों की मांग को कम करने के लिए गैर-काष्ठ वन उत्पादों को प्रोत्साहित करना ऐसा ही एक उपाय है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा किए गए विभिन्न अन्य उपाय निम्नलिखित हैं :–

(i) भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव सुरक्षा, अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा उनसे संबंधित नियम, दिशानिर्देश जैसे कानूनी उपाय।

(ii) अनुमोदित कार्य योजनाओं, वन विकास अभिकरणों और संयुक्त वन प्रबंधन के अनुसार वनों की कार्यप्रणाली जैसे प्रबंधन उपाय।

(iii) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सहायता देने जैसे वित्तीय उपाय।

(iv) सुरक्षित क्षेत्रों का सृजन, काष्ठ प्रतिस्थापन आदि जैसे अन्य उपाय।

(ग) राज्य/संघ शासित सरकारों से कहा गया है कि वे बांस और औषधीय पादपों सहित गैर-काष्ठ वन उत्पादों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना – "राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम" के अंतर्गत कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र कवर करें।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बांस रोपण का लक्ष्य 50,000 हेक्टेयर है। अब तक 37,602 हेक्टेयर पर रोपण की परियोजना स्वीकृत की गई है।

(ङ) सरकार ने एकीकृत वन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कार्य योजनाओं और अवसंरचना विकास के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय किया है।

जैव-कीटनाशी का उत्पादन

*364. **डा० एन० वेंकटस्वामी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव कृषि में जैव-कीटनाशी की बढ़ती मांग को देखते हुए देश में "जैव-कीटनाशी" के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुणावत्तापरक जैव-कीटनाशी की सीमित उपलब्धता किसानों को जैव कृषि अपनाने को हतोत्साहित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या जागरूकता की कमी के कारण 0.1 प्रतिशत से भी कम किसान जैव-कीटनाशी का प्रयोग करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों में जैव-कीटनाशी के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करने और इसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) से (ग) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति (आर०सी०), लक्षित (टारगेट) कीटों के प्रति उत्पाद की प्रभावकारिता तथा मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में आत्म-संतुष्टि के बाद ही जैव-कीटनाशियों को पंजीकृत करती है। जैव-कीटनाशियों के शीघ्र पंजीकरण को सुकर बनाने के लिए, पंजीकरण समिति ने आंकड़ों की मांग को सरल बना दिया है और अनन्तिम पंजीकरण की अवधि के दौरान भी जैव-कीटनाशियों के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति है।

संबंधित राज्यों के कृषि निदेशक, पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद, अपने राज्यों में जैव-कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित 26 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों (सी०आई०पी०एम०सी०एस०), राज्य के कृषि एवं बागवानी विभाग तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस०ए० यू०एम०) के नेटवर्क के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा समेकित कीट प्रबंध (आई०पी०एम०) तथा जैविक कृषि के क्षेत्र में जैव-कीटनाशियों के प्रयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार भी जैव-कीटनाशियों सहित जैव नियंत्रण एजेन्टों का उत्पादन करने के लिए जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान-सहायता दे रही है।

देश में जैविक कृषि में किसानों के स्तर पर तथा विभिन्न फसलों पर समेकित कीट प्रबंध (आई०पी०एम०) कार्यक्रमों के अंतर्गत उपयोग हेतु गुणवत्ता वाले जैव-कीटनाशियों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) कुल मिलाकर किसानों द्वारा अपेक्षाकृत सरलता से तत्काल उपलब्ध होने वाले रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग करके कीट नियंत्रण में सफलता प्राप्त की जा रही है। हालांकि, रासायनिक कीटनाशियों के विभिन्न कुप्रभावों के मद्देनजर ध्यान समेकित कीट प्रबंध (आई०पी०एम०) तथा जैविक कृषि के क्षेत्र में जैव-कीटनाशियों का प्रयोग बढ़ रहा है। इस संबंध में, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा समेकित कीट प्रबंध (आई०पी०एम०) तथा जैविक कृषि के संबंधन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न फसलों में भिन्न-भिन्न प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए पद्धतियों के पैकेज के हिस्से के रूप में जैव-कीटनाशियों के प्रयोग की सिफारिश की गई है। विभिन्न फसलों के संबंध में कृषक फील्ड स्कूलों (एफ०एफ०एस०) का आयोजन करके किसानों को आई०पी०एम० प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग घट रहा है जबकि जैव-कीटनाशियों के प्रयोग में वृद्धि हो रही है।

राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना की नई स्कीम के तहत, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, फील्ड प्रदर्शनों/किसान मेलों और किसानों के प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है ताकि जैव-कीटनाशियों सहित विभिन्न जैविक आदानों के प्रयोग के लिए किसानों में जागरूकता पैदा की जा सके।

[हिन्दी]

भूमि की उत्पादन क्षमता में गिरावट

*365. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि भूमि की गुणवत्ता में धीरे-धीरे कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसी कुल अनुमानित भूमि कितनी है और यह भूमि कुल मौजूदा भूमि का कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या उक्त भूमि पर कृषि उत्पादन में कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कम उत्पादन क्षमता वाली उक्त भूमि का विकास करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। मृदा संघटन तथा अनाच्छादन (डेन्यूडेशन) एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो भू-पारिस्थितिकी प्रणाली में संन्तुलन बनाए रखने के लिए साथ-साथ, एक ही समय पर चलती रहती है। अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक संसाधनों के गैर-वैज्ञानिक प्रयोग और अन्य कारणों से भूमि आच्छादन प्राकृतिक संघटन से कुछ अधिक है। उपलब्ध आकलन के अनुसार, 5300 मिलियन मी० टन मिट्टी प्रत्येक वर्ष जल कटाव से नष्ट हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक तौर पर 8 मिलियन मी० टन पौध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। देश में 328.73 मिलियन हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 173.64 मिलियन हैक्टेयर (52.8%) भूमि

के अवक्रमण (डीग्रेडेशन) के विभिन्न स्तरों (डिग्री) के अधीन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) सामान्य भूमि की औसत उपज की तुलना में भूमि अवक्रमण के कारण इसकी गहनता के आधार पर औसत उत्पादकता में 5 से लेकर 50% से अधिक तक कमी आती है।

(ङ) और (च) योजना आयोग द्वारा गठित दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पनधारा विकास, वर्षा सिंचित खेती तथा प्राकृतिक संसाधन संबंधी कार्य दल ने पनधारा विकास कार्यक्रमों के लिए 20 वर्षों में 88.5 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के विकास के लिए एक संदर्शी योजना का सुझाव दिया है।

सरकार देश में विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अवक्रमित भूमि के उपचार विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जैसे (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०), (ii) नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदियों (आर०वी०पी० व एफ०पी०आर०) के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण, (iii) क्षारीय मृदा का सुधार (आर०ए०एस०), (iv) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए०), (v) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०), (vi) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०), (vii) समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०), (viii) जलाभराव (वाटरलॉग्ड) क्षेत्र का सुधार (आर०डब्ल्यू०एल०ए०), (ix) समेकित वनरोपण एवं भू-पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम (आई०ए०ई०पी०एस०), (x) राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास एवं प्रयोग परियोजना (एन०पी०डी० एण्ड यू०बी०), (xi) राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना (एन०पी०ओ०एफ०) आदि।

[अनुवाद]

जल प्रदूषण

*366. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्दनाथ सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल प्रदूषण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसे रोकने में विभिन्न एजेन्सियां विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में जल प्रदूषण को रोकने के लिए तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर योजनावार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् कितनी सफलता मिली है; और

(च) जल प्रदूषण रोकने और अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जल की गुणवत्ता के संबंध में की गई मॉनीटरिंग से पता चलता कि कुछ पैरामीटरों के मामले में देश में नदीतट लम्बाई का लगभग 33% मध्यम से उच्च प्रदूषण की रेंज में आता है। जल प्रदूषण के उपशमन हेतु सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का प्रवर्तन;
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 का प्रवर्तन;
3. नदियों, झीलों और भू-जल की जल गुणवत्ता के मूल्यांकन के उद्देश्य से जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग नेटवर्क की स्थापना;
4. अपशिष्ट जल को नदियों और झीलों में छोड़ने वाले उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित किया जाना सुनिश्चित करना;
5. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत नदियों और झीलों के जल की गुणवत्ता की बहाली के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना;
6. प्रदूषित क्षेत्रों (24 समस्या क्षेत्रों) में पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना और लागू करना;
7. जल प्रदूषण निवारण सहित पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों के स्थल निर्धारण के लिए जोनिंग एटलस तैयार करना।
8. पर्यावरणीय सुरक्षा के संबंध में सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी चार्टर लागू करना।

(घ) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार द्वारा जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त कुल धन राशि निम्नलिखित हैं :–

(करोड़ रुपए में)

योजना	2001-2002	2002-2003
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	282.52	276.89
राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	9.98	12.19
राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम	0.645	0.90

(ङ) और (च) विभिन्न कदम उठाने के कारण, जल प्रदूषण में कमी आई है। प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई लेने के परिणामस्वरूप, देश में नदियों और झीलों में बायो केमिकल ऑक्सीजन डीमान्ड (बी०ओ०डी०) स्रावों का भार, अगस्त, 1997 में 2100 टन प्रति दिन से जून 2003 में 50 टन प्रति दिन तक कम हो गया है।

लद्दाख में पारिस्थितिकीय सन्तुलन

*367. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के छंगथंग प्रदेश में अधिक ऊंचाई पर स्थित वर्षा भूमि (वेट लैंड) को पर्यटन हेतु खोले जाने से क्षेत्र का अति संवेदनशील पारिस्थितिकीय सन्तुलन बिगड़ रहा है, जैसा कि "वर्ल्ड वाइल्डलाईफ फंड फॉर नेचर-इंडिया" द्वारा बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पारिस्थितिकीय सन्तुलन को और बिगड़ने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) अत्यधिक ऊंचाई वाली नमभूमियों को पर्यटन के लिए खोलने से नमभूमियों के आसपास वाहनों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। इससे क्षेत्र की भंगुर पारि-प्रणाली प्रभावी हुई प्रतीत हो रही है और जिससे बड़े जानवरों को विघ्नबाधा से दूर नए स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। चांगथांग क्षेत्र के प्राकृतिक वासस्थल के परिरक्षण के लिए जम्मू एवं कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1978 के अंतर्गत 4000 वर्ग किमी० के क्षेत्र को चांगथांग कोल्ड डेजर्ट अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी तीन नमभूमियों अर्थात् पंगोंग सार, सो मोरारी और तिसगुल सो सोकर को अभिनिर्धारित किया है। कंटीले तार लगाने, वाटरशेड प्रबंध, शिक्षा जागरूकता, संरक्षण, वास स्थल सुधार आदि जैसे कार्यों के लिए सो मोरारी को 26 लाख रुपए, सो-सोकर को 18.56 लाख रुपए, पंगोंग-सो को 20 लाख रुपए दिए गए हैं। सो-मोरारी को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है।

बंधुआ मजदूर

*368. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के सहायतार्थ उनके मामले में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकट निराशा को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 जुलाई, 2002 को ग्यारह राज्यों को आयोग के समक्ष चार सप्ताह के भीतर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन राज्यों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं० 3922/85, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबरटीज बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य के मामले में दिनांक 15 जुलाई, 2003 के अपने आदेश में 11 राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरांचल और केरल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुरोध पर 01 जनवरी, 2002 से नियमित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि ऐसी स्थिति रिपोर्ट चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के पश्चात् श्रम मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों से उक्त आदेश का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। इसी रिट याचिका में दिनांक 13 मई, 1994 के आदेश के माध्यम से भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को तुरंत अनुपालन करने हेतु इसी प्रकार के निदेश जारी किए थे। श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इन निदेशों का अनुपालन करने और स्थिति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया था।

राज्य सरकारें सूचित करती रही हैं कि बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में समाविष्ट, जिला स्तर और उप-संभागीय स्तरों पर

सतर्कता समितियों के गठन और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अधिकार प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

(ङ) ऊपर उल्लिखित ग्यारह राज्यों में केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है :

क्रमांक	राज्य	पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	29552
2.	हरियाणा	49
3.	राजस्थान	6321
4.	कर्नाटक	57121
5.	बिहार (झारखंड सहित)	12521
6.	तमिलनाडु	65573
7.	छत्तीसगढ़	124
8.	मध्य प्रदेश	11897
9.	गुजरात	64
10.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	27797
11.	केरल	710

अपशिष्टों को जलाने पर प्रतिबंध

*369. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू०एन० ई०पी०) की रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि विश्व के डायोक्सिन उत्सर्जन में अकेले भस्मक की मात्रा 69 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपशिष्टों के जलाने पर प्रतिबंध लगाने का है क्योंकि इनसे कतिपय दुष्प्रभावी रासायनिक प्रदूषक निकलते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंध एवं हथालन) नियमावली 2000 के अंतर्गत नगरीय ठोस उपशिष्टों के जलाने पर प्रतिबंध है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध एवं हथालन) नियम 1998 के अनुसार क्लोरीनेटड प्लास्टिकों के भस्मीकरण/जलाने की अनुमति नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई पर्यटन नीति

*370. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई पर्यटन नीति राज्यों के विभिन्न स्थलों मे अतिक्रमण हटाए जाने में कारगर साबित नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नीति का कुछ राज्य सरकारों द्वारा अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों पर राज्य वार कितने क्षेत्रफल में अतिक्रमण किया गया है;

(ङ) अतिक्रमण हटाने के लिए इस संबंध में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(च) अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पर्यटन नीति, स्मारकों एवं हैरिटेज स्थलों, जो देश के सांस्कृतिक पर्यटन की संपदा हैं, के आसपास के क्षेत्र के संरक्षण, अनुरक्षण तथा एकीकृत विकास पर विचार करती है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002, नागरिक सभ्यता मुद्दे, लोक प्रशासन तथा सुशासन पर बल देती है। सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों तथा पर्यटक गंतव्य के नजदीक अवैध कब्जे हैं। ये अवैध कब्जे नागरिक कानूनों के उल्लंघन के कारण हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने विगत दो वर्षों से बेहतर प्रशासन एवं सृजनात्मक तत्वों तथा रचनात्मक कार्यों की शुरूआत को कार्यान्वित कर दिया है। अजंता-एलौरा, लालकिला, कुरूक्षेत्र तथा हुमायूं का मकबरा परिसर इत्यादि इस प्रतिभास के कुछेक उदाहरण हैं।

(घ) से (च) विभिन्न राज्यों में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर, अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है। तथापि, पर्यटन रूचि के विभिन्न स्थलों पर यात्रा/निरीक्षण के दौरान अवैध कब्जे नोटिस में आए हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अवैध कब्जों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने, नागरिक कानूनों तथा पुरातत्व स्थलों से संबंधि कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने की स्पष्ट सलाह दी गई है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की मदद एवं सहयोग से अजंता-एलौरा, लालकिले, कुरूक्षेत्र तथा हुमायूं मकबरा परिसर के आसपास से अवैध कब्जे हटा दिए गए हैं।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

*371. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान देश के प्रत्येक जिले को कृषि विज्ञान केन्द्रों (के०वी०के०) से जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या कितनी है और प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया;

(घ) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्यकरण कृषकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और अधिक के०वी०के० की स्थापना करेगी और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता जारी करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) इस समय देश में 578 ग्रामीण जिले हैं। देश के प्रत्येक जिले को कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ जोड़ने के एक प्रयास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 288 जिलों को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त 53 जिलों में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को कृषि विज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए सुदृढ़ किया गया है। बाकी 237 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने के लिए दसवीं योजना हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्यवार कृषि विज्ञान केन्द्रों वाले जिलों की संख्या तथा कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने वाले प्रस्तावित जिलों को संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान इस समय चल रहे 288 कृषि विज्ञान केन्द्रों को 96.97 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए किए गए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) शेष जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने पर विचार किया जाना है। अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने तथा आवश्यक वित्तीय सहायता जारी (रिलीज) करने का निर्णय पर्याप्त भूमि की उपलब्धता और इस उद्देश्य के लिए अन्य बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं के आधार पर लिया जाता है।

विवरण-I

राज्यों के विभिन्न जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्थिति

क्र० सं०	राज्य	कृषि विज्ञान केन्द्र वाले जिले	जैड ए०आर०एस० और के०वी०के० वाले जिले	बिना के०वी०के० वाले जिले	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	–	1	2
2.	आंध्र प्रदेश	17	3	2	22
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	–	13	14
4.	असम	5	6	12	23
5.	बिहार	17	2	18	37
6.	छत्तीसगढ़	4	–	12	16

1	2	3	4	5	6
7.	दादर एवं नागर हवेली	—	—	1	1
8.	दमन एवं डीयू	—	—	2	2
9.	दिल्ली	1	—	—	1
10.	गोवा	1	—	1	2
11.	गुजरात	10	3	12	25
12.	हरियाणा	15	—	4	19
13.	हिमाचल प्रदेश	9	3	—	12
14.	जम्मू व कश्मीर	8	—	5	14
15.	झारखण्ड	6	1	11	18
16.	कर्नाटक	11	8	7	26
17.	केरल	9	2	3	14
18.	लक्षद्वीप	1	—	—	1
19.	मध्य प्रदेश	21	4	20	45
20.	महाराष्ट्र	26	4	3	33
21.	मणिपुर	2	—	7	9
22.	मेघालय	2	—	5	7
23.	मिजोरम	2	—	6	8
24.	नागालैंड	3	—	5	8
25.	उड़ीसा	13	2	15	30
26.	पांडिचेरी	2	—	2	4
17.	पंजाब	9	1	7	17
28.	राजस्थान	30	1	1	32
29.	सिक्किम	1	—	3	4
30.	तमिलनाडु	17	3	9	29
31.	त्रिपुरा	2	—	2	4
32.	उत्तरांचल	2	1	10	13
33.	उत्तर प्रदेश	32	7	30	69
34.	पश्चिम बंगाल	8	1	8	17
	कुल	288	53	237	578

विवरण-II

वर्ष 2003-2004 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए आबंटित वित्त

क्र० सं०	राज्य/जिला	रु० लाख में
1	2	3
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		
1.	अंडमान	29.60
	कुल	29.60
आन्ध्र प्रदेश		
1.	अनंतपुर	40.60
2.	चित्तूर	27.40
3.	पूर्वी गोदावरी	45.10
4.	गंटूर	30.50
5.	करीमनगर	28.60
6.	कृष्णा	34.60
7.	कुद्दापाह	28.60
8.	कुरनूल	29.50
9.	महबूबनगर	29.10
10.	मेदक	28.75
11.	नालगोंडा	36.10
12.	रंगा रेड्डी	39.10
13.	श्रीकाकुलम	41.60
14.	विशाखापटनम	32.50
15.	विजियानगरम	29.10
16.	वारंगल	30.10
17.	दक्षिण गोदावरी	44.00
	कुल	575.25
अरूणाचल प्रदेश		
1.	पश्चिम सियांग	27.00
	कुल	27.00
असम		
1.	कोचर	32.70
2.	गोलाघाट	41.70
3.	कोकराझार	39.70
4.	सिबसागर	18.10
5.	सोनितपुर	44.70
	कुल	176.9
बिहार		
1.	बंका	25.85
2.	बर्र, पटना	25.20
3.	बेगुसराय	28.65
4.	भाबुआ	30.10
5.	भौजपुर	29.60
6.	दरभंगा	35.00
7.	जमुई	28.10
8.	माधेपुरा	37.60
9.	मधुबनी	29.70
10.	मुंगेर	25.90
11.	मुज्जफरपुर	31.50
12.	नालंदा	21.60
13.	नवादा	39.10
14.	सहर्षा	33.45
15.	शेखपुरा	24.50
16.	वैशाली	29.00
	कुल	474.85
छतीसगढ़		
1.	बस्तर	16.60
2.	बिलासपुर	32.60

1	2	3
3.	दुर्ग	34.10
4.	सरगुजा	30.60
	कुल	113.90
दिल्ली		
1.	उजवा	30.10
	कुल	30.10
गोवा		
1.	गोवा	35.10
	कुल	35.10
गुजरात		
1.	बनासकांठा	28.70
2.	बड़ौदा	19.10
3.	बहरौंच	30.10
4.	डंगस	32.10
5.	गांधीनगर	32.10
6.	खेड़ा	28.70
7.	कच्छ	26.10
8.	मेहसाना	21.35
9.	पंचमहल	26.60
10.	वलसाड़	22.10
	कुल	266.95
हरियाणा		
1.	अम्बाला	30.85
2.	फरीदाबाद	51.85
3.	गुड़गांव	34.75
4.	हिसार	33.0
5.	जिंद	52.35
6.	कैथल	50.75
7.	करनाल	32.60
8.	कुरूक्षेत्र	53.25
9.	महेन्द्रगढ़	16.10
10.	पानीपत	51.75
11.	रेवाड़ी	32.35
12.	रोहतक	19.10
13.	सिरसा	16.10
14.	सोनीपत	54.60
15.	यमुनानगर	52.10
	कुल	581.50
हिमाचल प्रदेश		
1.	चम्बा	46.75
2.	सिरमौर	46.35
3.	हमीरपुर	40.35
4.	कांगड़ा	47.35
5.	किन्नौर	54.35
6.	कुल्लू	37.60
7.	मंडी	60.35
8.	शिमला	58.35
9.	ऊना	55.35
	कुल	446.80
जम्मू कश्मीर		
1.	जम्मू	45.60
2.	कठुआ	25.10
3.	लेह	37.25
4.	फूलवामा	36.60
5.	शूहामा	46.10
6.	करोलपोरा बुधगांव	46.10
7.	राजौरी	45.10
8.	डोडा	45.10
	कुल	326.95

1	2	3
झारखण्ड		
1.	देवोघर	27.45
2.	धनबाद	29.40
3.	हजारीबाद	27.35
4.	पलामू	37.60
5.	रांची	15.60
6.	पश्चिम सिंहभूम	23.45
	कुल	160.85
कर्नाटक		
1.	बेलगांव	33.50
2.	बेल्लारी	31.60
3.	बीदर	32.60
4.	चिकमगलूर	33.60
5.	गदग	36.10
6.	हसन	36.20
7.	हवेरी	43.10
8.	कोदागू	27.50
9.	मैसूर	37.00
10.	रायचूर	36.60
	कुल	347.80
केरल		
1.	कालीकट	36.10
2.	एरणाकुलम	30.60
3.	इदुक्की	38.60
4.	कासरगोड	37.00
5.	कोल्लम	39.60
6.	पालघाट	31.50
7.	पथनामथिता	35.60
8.	त्रिवेन्द्रम	30.50
9.	वायनंद	30.00
	कुल	309.50

1	2	3
लक्ष्यद्वीप		
1.	लक्ष्यद्वीप	23.60
	कुल	23.60
मध्य प्रदेश		
1.	बालाघाट	18.10
2.	छिंदवाड़ा	32.20
3.	धाड़	34.60
4.	दिनोरी	23.00
5.	गुना	28.60
6.	ग्वालियर	41.60
7.	झबुआ	25.10
8.	खंडवाड़ा	25.10
9.	राजगढ़	22.10
10.	शाहडोल	29.60
11.	सिधी	31.10
12.	सिओनी	30.10
13.	टिकमगढ़	34.00
14.	भोपाल	31.60
15.	इंदौर	29.00
16.	रतलाम	24.10
17.	सतना	33.10
18.	सहोरे	30.60
19.	विदिशा	32.60
20.	बेतुल	29.50
21.	पन्ना	33.10
	कुल	618.80
महाराष्ट्र		
1.	अहमदनगर	39.70
2.	अमरावती (डी)	31.10
3.	अमरावती (जी)	35.10
4.	औरंगाबाद	35.60

1	2	3
5.	बीड़	28.60
6.	भण्डारा	31.60
7.	बुलदाना	39.00
8.	धुले	26.60
9.	हिंगोली	33.10
10.	जलगांव	29.10
11.	जलना	22.60
12.	कोल्हापुर	43.10
13.	नागपुर	37.60
14.	नांदेड	36.63
15.	नंदुरबार	41.10
16.	नासिक	34.10
17.	परभनी	40.70
18.	पुणे	24.10
19.	रत्नागिरी	31.10
20.	संगली	34.60
21.	सिंधुदुर्ग	39.10
22.	शोलापुर	24.10
23.	थाणे	31.10
24.	वर्धा	32.60
25.	वसिम	28.10
26.	सतारा	17.60
	कुल	847.73
मणिपुर		
1.	सेनापति	52.10
2.	इम्फाल	43.60
	कुल	95.70
मेघालय		
1.	राई-भोई	52.10
2.	पश्चिम गारो पहाड़ियां	41.60
	कुल	93.70

1	2	3
मिजोरम		
1.	कोलासिब	38.05
2.	लंगलेई	41.60
	कुल	79.65
नागालैण्ड		
1.	दिमापुर	26.30
2.	मोकोकचुंग	52.60
3.	फेक	77.60
	कुल	156.50
उड़ीसा		
1.	अंगुल	34.60
2.	बालासुर	39.60
3.	बरगढ़	41.10
4.	कटक	28.60
5.	धेनकनाल	28.60
6.	गंजम	34.00
7.	जजपुर	38.60
8.	कालाहांडी	35.00
9.	कंधामल	30.60
10.	केन्द्रपाडा	37.50
11.	केयोंगझार	34.00
12.	खुर्दा	45.10
13.	कोरापुट	33.60
	कुल	460.9
पाण्डिचेरी		
1.	केरियाकल	48.00
2.	पाण्डिचेरी	29.10
	कुल	77.10

1	2	3
पंजाब		
1.	भटिण्डा	45.10
2.	फरीदकोट	54.60
3.	फिरोजपुर	38.00
4.	फिरोजपुर (अबोहर)	26.60
5.	गुरदासपुर	36.50
6.	होशियारपुर	38.85
7.	कपूरथाला	44.75
8.	नवाशहर	49.45
9.	पटियाला	34.85
10.	संगरूर	48.10
	कुल	416.80
राजस्थान		
1.	अजमेर	33.10
2.	अलवर	24.60
3.	बड़गांव	29.60
4.	बनामथली	31.50
5.	बंसवाड़ा	29.70
6.	बरेन	26.50
7.	बाड़मेड़	28.10
8.	भरतपुर	29.10
9.	भीलवाड़ा	31.60
10.	बीकानेर	37.10
11.	बूंदी	26.70
12.	चित्तौड़गढ़	37.00
13.	चोमू	27.70
14.	चुरू	30.60
15.	दौसा	29.50
16.	धौलपुर	15.60
17.	डुंगरपुर	27.60
18.	जैसलमेर	25.50
19.	जालौर	27.60
20.	झालावाड़	26.10
21.	झुनझुनु	32.10
22.	जोधपुर	39.0
23.	कोटा	33.60
24.	कोटपुतली	30.10
25.	नागौर	23.10
26.	पाली	30.10
27.	राजसमंद	35.50
28.	स्वाई माधोपुर	32.0
29.	संगरिया	30.10
30.	सीकर	29.60
31.	सिरोही	32.60
	कुल	922.6
सिक्किम		
1.	पूर्वी सिक्किम	45.75
	कुल	45.75
तमिलनाडु		
1.	कोयम्बटूर	31.10
2.	कुड्डलौर	31.00
3.	धर्मापुरी	27.10
4.	डिंडीगुल	34.10
5.	इरोड	22.10
6.	कांचीपुरम	31.10
7.	नीलगिरी	29.10
8.	पेराम्बलूर	31.50
9.	सलेम	53.10
10.	शिवागंगई	40.10
11.	तंजावुर	32.60

1	2	3
12	थेनी	19.20
13.	त्रिरूवन्नामलाई	21.10
14.	त्रिरूनलवेल्ली	34.60
15.	त्रिची	42.00
16.	टूटीकोरिन	30.20
	कुल	510.00
त्रिपुरा		
1.	पश्चिम त्रिपुरा	23.60
2.	दक्षिण त्रिपुरा	36.55
	कुल	60.15
उत्तरांचल		
1.	चम्पावत	37.10
2.	टिहरी गढ़वाल	29.65
	कुल	66.75
पश्चिम बंगाल		
1.	बंकुरा	37.85
2.	बीरभूम	28.55
3.	बुर्दवान	30.35
4.	दार्जिलिंग	37.80
5.	जलपाईगुड़ी	23.10
6.	मिदनापुर	37.45
7.	पुरूलिया	33.55
8.	दक्षिण 24 परगना, (काकद्वीप)	38.35
9.	दक्षिण 24 परगना, (नीमपीठ)	31.55
	कुल	298.55
उत्तर प्रदेश		
1.	अलीगढ़	42.50
2.	बदायूं	35.00
3.	बलिया	36.10
4.	बस्ती	42.20
5.	बेहराईच	33.10
6.	बीचपुरी	34.10
7.	बिजनौर	23.35
8.	चित्रकूट	37.50
9.	एटा	45.65
10.	फतेहपुर	34.35
11.	गाजियाबाद	30.50
12.	गौंडा	41.80
13.	झांसी	34.90
14.	मथुरा	27.80
15.	मऊ	36.95
16.	मेरठ	33.60
17.	मिर्जापुर	37.50
18.	मुज्जफरनगर	43.80
19.	पीलीभीत	28.60
20.	रायबरेली	32.10
21.	रामपुर	33.60
22.	सहारनपुर	39.70
23.	शाहजहांपुर	30.50
24.	सुल्तानपुर	42.80
25.	वाराणसी	32.70
26.	सिद्धार्थ नगर	34.90
27.	इलाहाबाद	49.30
28.	प्रतापगढ़	34.30
29.	उन्नाव	34.60
30.	बरेली	30.60
31.	लखनऊ	17.60
32.	गाजीपुर	31.80
	कुल	1123.8
	कुल योग	9697.03

[अनुवाद]

विमानपत्तन आधुनिकीकरण प्रकोष्ठ

*372. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विमानपत्तनों की योजना उनके विकास और उन्नयन पर निगरानी रखने हेतु विमानपत्तनों पर नए प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए आमूल-चूल परिवर्तन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जहां इन प्रकोष्ठों की स्थापना किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिसम्बर, 2002 में अपने मुख्यालय में अद्यतन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संबंधी जानकारी के बुनियादी उद्देश्य सहित गैर-मेट्रो हवाईअड्डों के विकास हेतु एक हवाईअड्डा विकास सेल का गठन किया।

इंडियन एयरलाइंस के बाजार हिस्से में गिरावट

*373. **श्रीमती रीना चौधरी :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के बाजार हिस्से में गिरावट आ रही है जैसाकि केलकर समिति की रिपोर्ट में दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस अपनी क्षमता बढ़ाने में असफल रही है और भारी घाटे के बावजूद भी गौण मार्गों पर उसने अपनी उड़ानें जारी रखी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या निजी विमान कंपनियों द्वारा अपनी उड़ान क्षमता में की गई भारी वृद्धि के कारण वे इंडियन एयरलाइंस के बाजार हिस्से से सेंध लगा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइंस को घाटे से उबारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस के बाजार हिस्से में गिरावट मुख्य रूप से कड़ी प्रतियोगिता तथा निजी एयरलाइन्सों द्वारा अपनी क्षमता में वृद्धि के कारण हुई है। केलकर समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि इंडियन एयरलाइंस में अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए बेड़े में विस्तार की नीति अपनानी होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षो में जेट एयरवेज तथा सहारा एयरवेज द्वारा अपनी क्षमता में वृद्धि के प्रतिशत का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	क्षमता में वृद्धि	
	जेट एयरवेज	सहारा एयरलाइंस
1	2	3
2000-01	12.5	48.0
2001-02	13.8	1.55
2002-03	7.6	38.55

(च) केलकर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में भारत सरकार ने विमानों की खरीद के लिए मार्जिन मनी के रूप में इंडियन एयरलाइंस में 325 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने का सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया है। जब कभी इंडियन एयरलाइंस द्वारा नए विमानों की खरीद को अन्तिम रूप दिया जाएगा, तब इस पर विचार किया जाएगा।

रोजगार के अवसरों का सृजन

*374. **श्री खारबेल स्वाई :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियां कार्मिकों की संख्या कम करके अपने आकार को छोटा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्ष के दौरान ऐसे कितने कार्मिक कम किए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (ग) 31 मार्च, 2000, 2001 तथा 2002 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों जिनमें मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां शामिल हैं, में अनुमानित रोजगार निम्नानुसार था।

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार (केंद्र तथा राज्य दोनों (लाख में)	पिछले वर्ष में आई कमी (लाख में
2000	63.25	–
2001	61.92	1.33
2002	60.19	1.73

कार्यबल को उपयुक्त आकार दिया जाना और इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की सीमित संभावना, कमी के कारण हो सकते हैं।

राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान

*375. **श्री जी०एम० बनातवाला : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जैविक कृषि को अधिक बढ़ावा और सहायता देने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केरल में प्रस्तावित राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान (एन०आई०ओ०एफ०) को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने समस्त आवश्यक सुविधाओं सहित प्रस्तावित राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान के लिए 200 हेक्टेयर भूमि की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/निर्णय लिया है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) "राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना" नामक एक नई स्कीम संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रक्रियाधीन है जिसमें राष्ट्रीय जैव कृषि संस्थान (एन०आई०ओ०एफ०) की स्थापना शामिल है, जिसका कार्य देश में जैव कृषि के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देना तथा उसे मुकर बनाना होगा। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परिकल्पित है :–

- जैव कृषि के राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण सहित जैव उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रणाली की स्थापना
- जैव कृषि हेतु क्षमता निर्माण
- फलों और सब्जियों के अवशिष्ट पदार्थों की कम्पोस्ट यूनिटों जैव उर्वरक उत्पादन एककों और वर्मीकल्चर हेतु हैचरियों जैसे जैविक आदानों के वाणिज्यिक उत्पादन एककों हेतु सहायता
- जैव कृषि का संवर्धन और विस्तार

(ग) और (घ) केरल सरकार ने केरल कृषि विश्वविद्यालय थिरूविजामकुन्नू, जिला पालक्कड में राष्ट्रीय जैव कृषि संस्थान (एन०आई०ओ०एफ०) की स्थापना हेतु आवश्यक सहायता और सुविधाओं सहित 200 हैक्टेयर भूमि की पेशकश की है।

(ङ) राष्ट्रीय जैव कृषि संस्थान की स्थापना, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, गाजियाबाद को मिलाकर (सब्यूम करके) गाजियाबाद में की जाएगी। केरल सहित सभी दक्षिणी राज्यों में जैव कृषि का प्रवर्धन करने के लिए वर्तमान क्षेत्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र, बंगलौर को क्षेत्रीय जैव कृषि केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा।

मत्स्य क्षेत्र

*376. **श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में मत्स्य क्षेत्र द्वारा राज्यवार कितनी आय और रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया; और

(ख) मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) देश में राज्यवार आय तथा मात्स्यिकी क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) सरकार मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के जरिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना है। मात्स्यिकी क्षेत्र में सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं – पारंपरिक नौकाओं का मोटरीकरण; ताजाजल तथा खाराजल जलकृषि का विकास, बड़े तथा छोटे पत्तनों और मछली उतारने के केन्द्रों पर मत्स्यन बंदरगाह की सुविधाएं स्थापित करना, मात्स्यिकी प्रशिक्षण तथा विस्तार, मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम तथा अंतरदेशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी।

विवरण-I

चालू मूल्यों पर मात्स्यिकी से जी०एस०डी०पी० का राज्यवार आकलन

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	1999-200	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	318855	422417	520303

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	14569	1525	1717
3.	असम*	56115	56607	58455
4.	बिहार	69415	82251	92628
5.	झारखंड	32425	उ०न०	उ०न०
6.	गोवा	13061	19645	17632
7.	गुजरात	147207	132622	उ०न०
8.	हरियाणा	6750	7434	7778
9.	हिमाचल प्रदेश	3052	3057	उ०न०
10.	जम्मू और कश्मीर	11665	11343	उ०न०
11.	कर्नाटक	59648	63596	उ०न०
12.	केरल	153325	169792	186364
13.	मध्य प्रदेश*	16551	18014	18355
14.	छत्तीसगढ़	28683	35326	38605
15.	महाराष्ट्र	91488	89919	97948
16.	मणिपुर	6889	7365	7841
17.	मेघालय	2234	3087	2473
18.	मिजोरम	1628	1781	उ०न०
19.	नागालैंड	2278	उ०न०	उ०न०
20.	उड़ीसा	67720	86551	96068
21.	पंजाब	16587	18271	उ०न०
22.	राजस्थान	5515	5458	6711
23.	सिक्किम	72	72	72
24.	तमिलनाडु	176318	190943	198586
25.	त्रिपुरा	16623	18151	उ०न०
26.	उत्तर प्रदेश*	60147	67445	उ०न०
27.	उत्तरांचल	उ०न०	उ०न०	उ०न०
28.	पश्चिम बंगाल	451839	525396	541342
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7318	उ०न०	उ०न०
30.	चण्डीगढ़	2	2	उ०न०
31.	दिल्ली	1910	2040	उ०न०
32.	पाण्डिचेरी	7425	7616	7779
	योग	1834184	2047726	1900657

*बंटे हुए राज्य

उ०न० – उपलब्ध नहीं

विवरण-II

मात्स्यिकी (समुद्री उत्पाद संग्रहण सहित) में लगे राज्यवार कार्मिकों की संख्या (मुख्य एवं सीमांत)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	मुख्य मत्स्य कार्मिक	सीमांत मत्स्य कार्मिक	समस्त मत्स्य कार्मिक (मुख्य+सीमांत)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,32,320	2,422	1,34,742
2.	अरूणाचल प्रदेश	178	0	178
3.	असम	16,265	234	16,499
4.	बिहार	21,469	313	21,782
5.	गोआ	5,934	155	6,089
6.	गुजरात	52,686	3,178	55,864
7.	हरियाणा	519	1	520
8.	हिमाचल प्रदेश	1,003	6	1,009
9.	कर्नाटक	39,032	720	39,752
10.	केरल	1,86,205	8,511	1,94,716
11.	मध्य प्रदेश	24,456	553	25,009
12.	महाराष्ट्र	88,100	4,383	92,483
13.	मणिपुर	5,050	110	5,160
14.	मेघालय	298	5	303
15.	मिजोरम	73	4	77
16.	नागालैंड	228	0	228

1	2	3	4	5
17.	उड़ीसा	65,449	1,811	67,260
18.	पंजाब	584	1	585
19.	राजस्थान	2,397	39	2436
20.	सिक्किम	53	1	54
21.	तमिलनाडु	1,11,440	1,231	1,12,671
22.	त्रिपुरा	1,269	29	1,298
23.	उत्तर प्रदेश	14,671	176	14,847
24.	पश्चिम बंगाल	1,19,337	9,328	1,28,665
केन्द्र शासित प्रदेश				
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,502	26	1,528
26.	चण्डीगढ़	57	1	58
27.	दादरा और नागर हवेली	53	2	55
28.	दमन और दीव	6,927	103	7,030
29.	दिल्ली	313	1	314
30.	लक्षद्वीप	1,244	209	1,453
31.	पाण्डिचेरी	5,289	104	5,393
	अखिल भारत (जम्मू एवं कश्मीर के अलावा)	9,04,401	33,657	9,38,058

स्रोत : आर्थिक तालिका, बी-सीरिज, जनसंख्या गणना, 1991, महा-पंजीयक का कार्यालय

टिप्पणी : 1. आंकड़े राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (प्रमाण 06) के अनुसार मत्स्य में वास्तविक रूप में लगे व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हैं तथा इसमें प्रसंस्करण, विपणन, नौका चालन, आदि जैसे संबंधित कार्यों में लगे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है।

2. जनसंख्या गणना, 2001 के अनुसार मत्स्यन कार्य में लगे कार्मिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

बाल श्रम न्यायालय

*377. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु अतिरिक्त बाल श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों और लोक अदालतों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जून, 2003 की स्थिति के अनुसार न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों तथा लम्बित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) लम्बित मामलों के त्वरित निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 17 द्वारा अधिनियम के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य समुचित एजेंसियों को अधिकृत किया गया है। इस अधिनियम की अनुसूची क और ख में उल्लिखित व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 साल से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है।

(ग) इससे संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की कारगर ढंग से पैरवी करें।

विवरण

*राज्य-वार आंकड़े (अस्थाई)**
बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
वर्ष : 2002 के लिए

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अभियोजनों की संख्या	सिद्धदोषों की संख्या	दोष मुक्त किए गए
1	2	3	4
असम	0	0	0
बिहार	307	0	0
चंडीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ़	17	0	2
दमन और दीव	0	0	0
दिल्ली	22	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0
गोवा	0	0	0
गुजरात	2	5	0
हरियाणा	0	0	0

1	2	3	4
लक्षद्वीप	0	0	0
मेघालय	0	0	0
पंजाब	0	0	0
तमिलनाडु	60	9	12
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तरांचल	0	0	7
उत्तर प्रदेश	70	12	25
कुल	478	26	46

*राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित
0 = राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित शून्य रिपोर्ट
+अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

*राज्य-वार आंकड़े (अस्थाई)**
बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
वर्ष : 2003 के लिए
(31.5.2003 तक)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अभियोजनों की संख्या	सिद्धदोषों की संख्या	दोष मुक्त किए गए
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
बिहार	354	0	0
चंडीगढ़	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0
गोवा	0	4	3
गुजरात	7	3	5
हरियाणा	11	23	0
हिमाचल प्रदेश	3	3	0
कर्नाटक	300	56	0
केरल	1	1	0
महाराष्ट्र	0	0	0
मेघालय	0	0	0
मिजोरम	0	0	0

1	2	3	4
उड़ीसा	1	0	20
पांडिचेरी	0	0	0
राजस्थान	55	57	92
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	808	127	48
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तरांचल	3	4	13
कुल	1543	278	181

*राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित
0 = राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित शून्य रिपोर्ट
+अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

वन्य जीव अभयारण्यों का संरक्षण

***378. श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वन्य जीव संरक्षण विभाग के पास छापा मारने अथवा विभिन्न जीव अभयारण्यों के संरक्षण हेतु पर्याप्त साधन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विभाग को छापा मारने अथवा वन्यजीव सम्पदाओं के संरक्षण के लिए हथियारों आदि से लैस करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) वन्य जीवों का चोरी छिपे शिकार और अवैध व्यापार अत्यधिक संगठित रूप में हो गया है और वन्य जीव अपराधी आधुनिकतम हथियारों और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इसकी तुलना में राज्यों में वन्य जीव सुरक्षा स्टाफ आधुनिक हथियारों और अन्य उपकरणों की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र के भीतर और बाहर छापे मारने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से लैस नहीं है।

(ग) और (घ) वन्य जीव अपराधों को नियंत्रित करने हेतु छापे मारने सहित, वन्यजीव सुरक्षा, मुख्यता राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है तथापि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसमें

अन्य बातों के साथ-साथ हथियारों और अन्य उपकरणों की खरीद शामिल है। गत तीन वर्षों के दौरान, इस संबंध में राज्य सरकारों को विविध केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :–

लाख रुपये में

योजना	2000-01	2001-02	2002-03
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता	2479.98	2342.07	3694.0
बाघ परियोजना	1910.88	1834.83	2879.90
हाथी परियोजना	636.85	775.04	939.00

वन्य जीव अपराध आसूचना प्रकोष्ठ की स्थापना

*379. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य जीव संबंधी अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है और केन्द्र और राज्य सरकारें इन्हें रोकने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो वन्य जीवों के प्रति अपराधों को रोकने में चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में एक वन्य जीव अपराध आसूचना प्रकोष्ठ स्थापित करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली क्या होगी; और

(ङ) इससे वन्य जीव अपराधों को रोकने में कहां तक सफलता मिलने की आशा है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 2003 में प्रमुख वन्य जीवों के सम्बन्ध में सूचित अवैध शिकार के मामलों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिससे यह पता चलता है कि वन्य जीवों के अवैध शिकार में कमी आ रही है।

वर्ष	बाघ	तेंदुआ	शेर	हाथी*	गैंडा
2000	39	213	1	61	18
2001	47	86	0	43	11
2002	4	10	0	38	2
2003	1	0	0	4	उपलब्ध नहीं

*आंकड़े वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय स्तर पर एक वन्य जीव अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इसे, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और भारत सरकार के आसूचना संगठनों के माध्यम से वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के बारे में आसूचना एकत्र करने और उस पर कार्रवाई करने के बाद उसे राज्य वन विभागों वन्य जीव संरक्षण निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालयों आदि को आगे भेजने का काम सौंपा गया है। इससे वन्यजीव अपराधों के मामले प्रभावशाली ढंग से निपटाने हेतु वन्यजीव आंकड़ा आधार और आसूचना नेटवर्क का विकास करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

प्रसंस्कृत उत्पादों को सुरक्षित रखना

*380. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुसंख्य प्रसंस्कृत उत्पादों को सुरक्षित नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिस्किट, वनस्पति तेल, रोटी, शिशु दुग्ध आहार आदि जैसे उत्पादों को सुरक्षित रखने का प्रावधान आवश्यक बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रसंस्कृत उत्पादों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बारे में निर्माताओं को शिक्षित करने हेतु और अधिक कार्यशालाएं, सम्मेलन आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है। यह एक गैर लाइसेंस क्षेत्र भी है। इसलिए पुष्टिवर्धक खाद्य निर्माण यूनिटों के तुलनात्मक आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल, शिशु दुग्ध आहार/शिशु को दूध छुड़ाने के खाद्य फार्मूले, पुष्टिवर्धक आटे, पुष्टिवर्धक मैदे में विटामिनों का उपयोग अनिवार्य है।

(घ) और (ङ) यह मंत्रालय पुष्टिवर्धक खाद्यों की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए सम्बद्ध संगठनों के साथ कार्यशालाएं, सम्मेलन आयोजित करता है और साथ ही खाद्य उद्योग को अपनी उत्पादन योजना के एक भाग के रूप में पुष्टिकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मंत्रालय ने कार्यशालाएं आयोजित करने सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रसंस्कृत खाद्य में पुष्टिकरण के संवर्धन के लिए कार्य योजना भी तैयार की है।

कोचीन विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

3319. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (सी०आई०ए०एल०); नेदुमबास्सेरी को विमानपत्तन के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सी०आई०ए०एल० नेदुमबास्सेरी ने सरकार को सी०आई०ए०एल० के विकास हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल सरकार ने यह अनुरोध किया है कि ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए दिए वित्तीय छूट पैकेज जिनकी बजट 2002-03 में घोषणा की गई थी कि लाभों को कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों को दें। राज्य सरकार को सूचित किया गया : कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सी०आई०ए०एल०) की इक्विटी में 50 करोड़ रुपये का निवेश करेगी बशर्ते कि वह सी०आई०ए०एल० के प्रबंधन में कुछ विशिष्ट बदलाव करे, सी०आई०ए०एल० में केन्द्र तथा राज्य सरकार के सम्मिलित शेयरों को घटाकर 26% तक करे तथा ए०टी०एफ० पर बिक्री कर दर में कमी करे।

इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट

3320. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में आई०सी०ए०आर० के इंडियन ग्रासलैंड एवं फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट (आई०जी०एफ०आर०आई०) किन-किन स्थानों पर स्थित है और उनके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान इन आई०जी०एफ०आर०आई० पर कितनी राशि व्यय हुई;

(ग) क्या इन संस्थानों का योगदान किये गये निवेश के अनुरूप नहीं है; और

(घ) आई०जी०एफ०आर०आई० के कार्यकरण की समीक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, पाहुज डैम के पास, ग्वालियर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। संस्थान चरागाह सहित चार उत्पादन एवं उपयोग के समस्त पहलुओं पर मौलिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। संस्थान के देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए अविकानगर (राजस्थान), धारवाड़ (कर्नाटक) और पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में तीन क्षेत्रीय केन्द्र स्थित है।

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान आई०जी०एफ०आर०आई० द्वारा किया गया व्यय निम्नवत है :

योजना — 200.0 लाख रुपए

गैर-योजना — 1000.00 लाख रुपए

(ग) जी, नहीं। संस्थान द्वारा दिया गया योगदान किए गए व्यय के अनुरूप है।

(घ) संस्थान की गतिविधियों को पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यू०आर०टी०) द्वारा सावधिक रूप से समीक्षा की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा०कृ०अ०प०) ने पहले ही 1996-2002 की अवधि के लिए संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा के लिए क्यू०आर०टी० टीम का गठन कर दिया है। अनुसंधान सलाहकार समिति, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद और साथ ही संस्थान प्रबन्धन समिति भी संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करती है।

[हिन्दी]

भू-जल स्तर में गिरावट

3321. **श्री रामदास रुपला गावीत :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूजल-स्तर में गिरावट रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने योजना के कार्यान्वयन हेतु कुछ राशि जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां भू-जल पुनर्भरण हेतु राशि व्यय की जानी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, भू-जल स्तर में गिरावट को रोकने संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, देश में गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के वास्ते 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्ष जल संचयन" संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। इस स्कीम

पर परामर्श चल रहा है। स्कीम के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इस संबंध में निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं :–

(i) देश में भू-जल पुनर्भरण अध्ययन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का क्रियान्वयन करना।

(ii) राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल दिशानिर्देश परिचालित करना ताकि वे भू-जल स्तर में गिरावट को प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iii) जन जागरूकता कार्यक्रमों और वर्षा जल संचयन तथा भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(iv) वर्ष 1970 में एक माडल बिल परिचालन जिसे सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992 और तत्पश्चात 1996 में पुन: परिचालित किया गया था ताकि वे भू-जल के विकास और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(v) भू-जल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी०जी०डब्ल्यू०ए०) का गठन करना।

(vi) वर्षा जल संचयन और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण की विभिन्न तकनीकों के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन संबंधी एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यू०सीजीडब्ल्यूबीइन्डिया०काम) प्रारंभ करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

''भू जल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन'' संबंधी स्कीम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली पुनर्भरण संरचनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुनर्भरण संरचनाओं की संख्या	लागत (रुपये लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	185	1350
2.	बिहार एवं झारखण्ड	205	750
3.	छत्तीसगढ़	104	500
4.	दिल्ली	235	300
5.	गोवा	30	150
6.	गुजरात	240	1350
7.	हरियाणा	260	350
8.	हिमाचल प्रदेश	64	350
9.	जम्मू व कश्मीर	40	350
10.	कर्नाटक	373	1350
11.	केरल	95	350
12.	मध्य प्रदेश	232	1100
13.	महाराष्ट्र	212	1100
14.	पूर्वोत्तर राज्य	165	600
15.	उड़ीसा	100	800
16.	पंजाब	425	500
17.	राजस्थान	196	1350
18.	सिक्किम	170	150
19.	तमिलनाडु	184	1350
20.	उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल	770	1500
21.	पश्चिम बंगाल	236	900
22.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	77	100
23.	चण्डीगढ़	100	100
24.	लक्षद्वीप	100	100
25.	दादर व नगर हवेली	140	100
26.	दमन व दीव	110	100
27.	पाण्डिचेरी	38	100
28.	पूर्वी तटीय राज्य	1	200
29.	पश्चिमी तटीय राज्य	1	200
	कुल	5088	17500

[अनुवाद]

एपेक्स किराया योजना

3322. **डा० डी०वी०जी० शंकरराव :**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा एपेक्स किराया लागू करने हेतु वायुमार्गों का चयन करने के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली श्रीनगर, दिल्ली-विशाखापट्टनम और हैदराबाद विशाखापट्टनम खंडों में एपेक्स किराया लागू करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निजी एयरलाइनों ने भी इसी प्रकार की योजना लागू की है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस ने चुनिंदा क्षेत्रों पर बाजार आकार, उनकी कार्यक्षमता, क्षमता तैनाती, प्रतियोगी कम्पनियों द्वारा पेश किए गए किराया दरों, मौसम आदि जैसे बाजार तथ्यों के आधार पर एपेक्स किराए की योजना आरम्भ की है।

हालांकि हैदराबाद-विशाखापत्तनम सेक्टर पर एपेक्स किराए उपलब्ध हैं परन्तु उपर्युक्त मानदण्ड के दृष्टिगत दिल्ली-श्रीनगर और दिल्ली विशाखापत्तनम सेक्टर पर इन्हें आरम्भ नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) निजी एयरलाइनें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रखती हैं।

भारत-नार्वे पर्यावरण कार्यक्रम

3323. **श्री कोल्लूर बसवनागौड :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में भारत-नार्वे पर्यावरण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना लागत क्या है;

(ग) परियोजना पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है और इसके अंतर्गत किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ङ) क्या के०एस०सी०एस०टी० द्वारा राशि का उचित प्रबंध किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) कर्नाटक में भारत-नार्वे पर्यावरण कार्यक्रम 1997 से क्रियान्वयन किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परियोजना की कुल लागत 34.25 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार के अनुसार, परियोजना दिसंबर, 2004 में समाप्त होनी है। जुलाई, 2003 तक 28.05 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। व्यय का घटकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, हां। परियोजना की गतिविधियों की निगरानी भारत-नार्वे पर्यावरण कार्यक्रम सचिवालय द्वारा की जाती है, जिसने दाता अभिकरणों, विभिन्न राज्य सरकार के विभागों, आर्थिक मामले विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी गठित की है। नार्वे शासन की सरकार और भारत सरकार के मध्य समझौते में, सहमति के अनुसार, अर्द्ध-वार्षिक बैठकों में, वास्तविक और वित्तीय (लेखा-परीक्षित), प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

विवरण

आईएनआर करोड़ रुपयों में

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	व्यय
1	2	3	4
1.	मैसूर शहरी चामुन्डी हिल्स के लिए एकीकृत परिस्थितिकीय पर्यावरणीय विकासात्मक परियोजना	4.59	4.56
2.	एकीकृत शहरी पर्यावरण सुधार परियोजना – बी०डी०ए०	3.79	3.79

1	2	3	4
3.	एकीकृत विकास-मालद्वीव और हब्बल झीलें	9.01	6.73
	डोडाबोम्मासान्द्रा – झील	3.12	0.00
4.	पीको – हाईडिल परियोजना-टाईड	0.47	0.61
5.	फ्लाई ऐश उपयोगिता परियोजना – के०पी०सी०एल०	5.80	5.22
6.	एक एक्वोरेटम की स्थापना – पिलीकुला निसारगा धामा सोसायटी	3.02	3.15
7.	आयरन और वेस्ट टिलिंग आधारित भवन उत्पाद, आर एण्ड डी सेंटर, के०आर०ई०सी०, मूरथकल	1.09	0.78
8.	क्लीन कॉफी उत्सर्जना हेतु बायोरिएक्टर – अस्त्रा-II एस०सी०	0.60	0.62
9.	गुलबर्गा शहर – सी०ई०ई० के लिए जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन	1.99	0.52
10.	पुराकार्मिकों का सशक्तिकरण – ई०एस०जी० बंगलौर	0.06	0.06
11.	स्वच्छ उत्पादन के जरिए स्वच्छ और निरन्तर औद्योगिक विकास	0.26	0.18
12.	शहरी वानिकी के माध्यम से पारि-विकास ईको वाच-बंगलौर	0.46	0.34
	उप योग	34.25	26.56
13.	के०एम०सी०एम०टी० एवं सचिवालय आई०एन०ई०पी०		1.48
	जोड़	34.25	28.05

[हिन्दी]

एयर इंडिया द्वारा सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

3324. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु पुन: 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परिवर्तन से रोजगार के अवसरों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) वर्ष 1996 से एअर इंडिया में भर्ती पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, जनशक्ति में कमी आने के फलस्वरूप, एअर इंडिया प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु को फिर से 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष करने का सुझाव दिया है तथापि, सरकार की एअर इंडिया में अधिवर्षिता आयु को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने आपरेशनल एरिया में भर्ती पर प्रतिबंध में छूट दे दी है।

(ग) उक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जैन मूर्तियों की चोरी

3325. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुरूलिया से ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के जैन मंदिरों से जैन मूर्तियों को चोरी हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चोरी की गई मूर्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) मूर्तियों को चोरी होने से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में पुरूलिया स्थित केन्द्रीय संरक्षित मंदिर से जैन प्रतिमाओं की चोरी की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्य जीवों का अवैध व्यापार

3326. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेईमान व्यापारी भैंसों के सींग, बांस की टहनियों से गैंडे के नकली सींग, ऊंट की हड्डियों से नकली हाथी दांत और पशुओं की खाल में इत्र और लकड़ी का कोयला भर कर मृग की नकली कस्तूरी तैयार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वन्यजीव और अन्य पशुओं को बचाने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) बेईमान व्यापारियों द्वारा गैंडों के दांतों, हाथी दांत और कस्तूरी इत्यादि की नकल तैयार करने व इस्तेमाल करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) सरकार द्वारा वन्यजीव और अन्य पशुओं को बचाने हुए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :–

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन्य पशुओं को शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरूद्ध वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

(iii) राज्य वन्यजीव प्राधिकरण, बन्दी पशुओं का व्यापार कर रहे व्यापारियों के स्टॉक की नियमित जांच करते हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों से बनी वस्तुओं के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) वन्यजीवों के सीमापारीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए महामहिम नेपाल सरकार तथा चीन गणतंत्र के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

स्मारक के पास प्रतिमा लगाना

3327. श्री सुनील खां : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नियमानुसार किसी राष्ट्रीय धरोहर स्थल के 300 मीटर के अंदर कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानन्द रॉक के सामने तमिल कवि की प्रतिमा का निर्माण करने की अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 में, जो 1992 में संशोधित किए गए थे, यह अनुबंध है कि 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार के निर्माण/खनन की अनुमति नहीं है जो कि संरक्षित स्मारक का निषिद्ध क्षेत्र होता है। निषिद्ध क्षेत्र के बाद 200 मीटर के भीतर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है जिस पर निर्माण कार्य-कलापों के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले उत्पादों का प्रयोग और उनका विनिर्माण

3328. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मांट्रियाल प्रोटोकॉल को लागू करने में विफल रही है और उन सात उद्योगों को सीमा शुल्क में रियायत देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है जिन्होंने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और प्रोटोकॉल के अनुसार ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले उत्पादों के प्रयोग और उनके विनिर्माण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सालार जंग संग्रहालय

3329. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित सालारजंग संग्रहालय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संग्रहालय हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) आवंटित राशि में से संग्रहालय द्वारा कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या उक्त संग्रहालय को इसके रख-रखाव हेतु और अधिक राशि आवंटित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद को और राशि जारी करने हेतु क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है;

(च) क्या इस संग्रहालय में ऐतिहासिक महत्व की कुछ दुर्लभ वस्तुएं खराब स्थिति में हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा संग्रहालय के बेहतर प्रबंधन और वस्तुओं के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रत्येक वर्ष, सालारजंग संग्रहालय को, इसके बजट प्रस्तावों, इसकी वार्षिक कार्य योजना में शामिल की गई परियोजनाओं, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति तथा संग्रहालय द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से अर्जित आय के आधार पर इसकी निधियों की आवश्यकताओं का भलीभांति मूल्यांकन करके निधियां आबंटित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संग्रहालय को आबंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं :

(लाख रु० में)

वर्ष	योजना अनुदान	गैर-योजना अनुदान
2000-01	385.00	250.00
2001-02	400.00	340.00
2002-03	470.00	385.00

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना और गैर-योजना के अंतर्गत कुल व्यय इस प्रकार है :

(लाख रु० में)

वर्ष	योजना अनुदान	गैर-योजना अनुदान
2000-01	318.56	378.86
2001-02	569.57	454.00
2002-03	470.00	487.54

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन क्षेत्र में निवेश

3330. **श्री टी० गोविन्दन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश करने हेतु केरल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, 2003 की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। केरल सरकार ने, केरल में विभिन्न क्षेत्रों के अधीन निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिए, जनवरी, 2003 में एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। पर्यटन क्षेत्र के लिए भी प्रचंड रूचि थी।

(ख) केरल राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जी०आई० एम० के दौरान, निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु, सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे :–

(1) बेकल पर्यटक रिजॉर्ट

(2) कन्नूर हवाई अड्डा

(3) वाग्मान हिल रिजॉर्ट

(4) केरल के विभिन्न बंदरगाहों में केटामारान सर्विस लिंकिंग

(5) केरल के विभिन्न पर्यटक स्थलों का एअर टैक्सी सर्विस लिंकिंग

(6) वैली मनोरंजन पार्क

(7) कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में होटल एवं एअर केटरिंग सर्विस।

[हिन्दी]

बिहार में मत्स्यन का विकास

3331. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में मत्स्यन के विकास हेतु कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान जिलेवार क्या-क्या काम किये गये है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी राशि व्यय हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्देशीय मात्स्यिकी के विकास के लिए बिहार में ताजा जल जलकृषि विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना 33 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। विकासीय गतिविधियों पर व्यय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 आधार पर वहन किया जाता है। 2001-02 के दौरान बिहार राज्य सरकार के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से दो पायलट परियोजनाएं अर्थात् अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी संसाधनों का विकास (जलाशय मात्स्यिकी) तथा जलकृषि एस्टेट में जलभराव वाले क्षेत्रों का विकास भी स्वीकृत की गई थीं। जैसा कि बिहार राज्य सरकार ने बताया है, विगत दो वर्षों के दौरान रोहतास जिले में 13 हैक्टेयर जलभराव वाले क्षेत्र तथा बांका जिले में मध्यगिरि तथा बिलासी जलाशयों तथा मुंगेर जिले में खरगपुर जलाशय में मात्स्यिकी विकास की गति-विधियां शुरू की गई हैं।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार को उक्त योजनाओं के तहत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 56.10 लाख रुपए प्रदान किए गए थे।

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु योजना

3332. **श्री वाई०जी० महाजन :**
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी और घरेलू पर्यटकों को देश के पर्यटक स्थलों की ओर आकर्षित करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को लागू करने हेतु राज्य सरकारों को आवंटित/जारी की गई राशि, यदि कोई हो, का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) भारत के पर्यटन उत्पादों का संवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को विभिन्न मार्केटिंग उपकरणों, जिनमें प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देना, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित करना, आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया से जुड़ी हस्तियों, टूर ऑपरेटरों तथा राय निर्माताओं को आमंत्रित करना, ब्रोशरों, सीडी रोमों इत्यादि के जरिए सूचना का प्रचार-प्रसार करना शामिल है, के माध्यम से किया जाता है।

उपर्युक्त कार्यकलाप पर्यटन विभाग द्वारा सीधे ही किए जाते हैं, तथा इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकारों को कोई निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।

[अनुवाद]

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के साथ सुरंगों का निर्माण

3333. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम सरकार की दलील पर ध्यान देते हुए संकटापन्न गैंडों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के साथ भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों तरह की सुरंगों के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना तथा व्यवहार्यता अध्ययन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की वर्तमान संख्या क्या है और गैंडों की संख्या को बढ़ाने की क्या योजना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि केन्द्रीय सरकार, वन्य पशुओं द्वारा गलियारों के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे स्थलों पर सुरंग/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में, असम सरकार की दलील पर सहमत हो गई है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 1550 गैंडें हैं। राज्य सरकार को काजीरंगा में गैंडों की संख्या के प्रबंधन हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सूरजमुखी की खेती

3334. **श्री परसुराम माझी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सूरजमुखी की खेती आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इसकी खेती के अंतर्गत कुल कितने हेक्टेयर भूमि लाई गई है;

(ग) क्या के०बी०के० जिलों में उक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001-02 के दौरान उड़ीसा राज्य में सूरजमुखी की खेती के अधीन कुल क्षेत्र 8.3 हजार हेक्टेयर है।

(ग) और (घ) जी, हां। सूरजमुखी की खेती सहित तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उड़ीसा राज्य में एक केन्द्रीय प्रायोजित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ०पी०पी०) प्रचालन में है। यह स्कीम अन्य तिलहनी फसलों सहित सूरजमुखी की खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए कालाहाण्डी, बोलनगीर और कोरापुट (के०बी०के०) सहित 13 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत बीजों के उत्पादन व वितरण, मोज मिनिकिटों के वितरण, उन्नत कृषि उपकरणों, स्प्रिंकलर सेटों, रिजोबियम कल्चर और सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के वितरण जैसे विभिन्न आदानों पर सहायता मुहैया कराई जाती है। किसानों में उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं तथा राज्य कृषि विभागों द्वारा ब्लाक प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

राजस्व का भुगतान करने वाले यात्री

3335. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **नागर विमानन मंत्री** 16.12.2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के विमानों की विमान-वार क्षमता क्या है;

(ख) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने प्रत्येक विमान में कितने राजस्व भुगतान करने वाले यात्रियों को सीटें दीं;

(ग) कितनी सीटों को गैर-राजस्व प्राप्ति वाली सीट माना गया;

(घ) क्या एयरलाइंस राजस्व का भुगतान करने वाले यात्रियों को ऐसी गैर-राजस्व प्राप्ति वाली सीटें नहीं देती है और ऐसी सीटों को खाली रखने को प्राथमिकता देती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित विमानों के भिन्न-भिन्न प्रकारों की क्षमता इस प्रकार है :–

विमान का प्रकार	विमानों की संख्या	क्षमता प्रथम/एकजीक्यूटिव/इकोनोमी क्लास/राजस्व अदा करने वाले यात्री
ए 310	8	201
ए 310 (लॉग्ड)	9	200
बी 747 200	4	410
बी 747 (कॉम्बी)	2	293
बी 747-400	6	423
बी 747-40 (लॉग्ड)	1	420
ए 300	4	247-255
ए 320	38	145
बी 737	11	119
डोर्नियर डीओ 228	2	18
एटीआर-42	4	44

(ग) से (ङ) दोनों एयरलाइनों के पास अपने विमानों में विशिष्ट नॉन-रेवेन्यू पेइंग सीटें नहीं हैं। तथापि, कुछ सीटें उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कर्मीदल के विश्राम व भोजन के लिए किया जाता है। ये सीटें किराया अदा करने वाले यात्रियों को नहीं दी जा सकती क्योंकि इनमें पर्याप्त आराम तथा वे सुविधाएं नहीं हैं जो कि राजस्व अदा करने वाले यात्रियों को दी जानी अपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में स्मारकों की क्षति

3336. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्थित अनेक विश्व प्रसिद्ध स्मारकों को क्षति पहुंचाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्मारकों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्य टूट-फूट पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, विश्वदाय स्थलों के पुनरूद्धार तथा संरक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है और कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

द्विपक्षीय समझौते

3337. **श्री रामसिंह राठवा : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान किसी भी पक्ष के लिए लाभ और पारस्परिकता के संतुलन के आधार पर हुए द्विपक्षीय विमान सेवा समझौतों/वार्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) द्विपक्षीय वार्ताओं में तय हुई उड़ानों/आकृतियों का देशवार/एयरलाइन्सवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस अपने व्यावसायिक/संगठनों के लिए हानिकारक कई क्षेत्रों के लिए अपनी निर्धारित उड़ान आवृत्तियों का पूरा उपयोग नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) द्विपक्षीय विमान सेवा करारों की संवीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है जिसे संभावित मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न मार्गों पर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है सहमत अतिरिक्त क्षमता सहित पिछले एक वर्ष के दौरान दिए गए द्विपक्षीय विमान सेवा करारों/समझौतों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

देश	अतिरिक्त क्षमता
1	2
	दोनों पक्षों के लिए
कीनिया	2120 सीटें
श्रीलंका	600 सीटें
सऊदी अरेबिया	3 सेवाएं (900 सीटें लगभग)

1	2
दक्षिण कोरिया	2 सेवाएं (800 सीटें लगभग)
मलेशिया	चरणबद्ध तरीके से 3100 सीटें
टर्की	900 सीटें
इटली	7 सेवाएं
खाड़ी देश	607 सीटें
दुबई	500 सीटें
थाइलैंड	चरणबद्ध तरीके से 5795 सीटें
यूक्रेन	250 सीटें
स्लोवाकिया	750 सीटें

(ग) और (घ) यद्यपि एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस अपनी विमान बेड़े की उपलब्धता के संबंध में बाध्य है, वे अपनी विमान बेड़ा विस्तार योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस दौरान एअर इंडिया ने ड्राइलीज पर 9ए 310-300 विमान तथा 1 बी747-400 विमान लिए हैं तथा वह बढ़े हुए द्विपक्षीय का पूरा उपयोग करने का प्रयास कर रही है। जब कभी भी प्रचालनों में असंतुलन आता है तब विदेशी एयरलाइनों के लिए पारस्परिकता तथा भारतीय पक्ष को लाभ का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के साथ वाणिज्यिक प्रबंधन करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

विदेशों में कार्यरत श्रमिक

3338. **श्री आदि शंकर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 01 जनवरी, 2003 से आज तक तमिलनाडु से कितने श्रमिक रोजगार पाने के लिए विदेश गए;

(ख) क्या सरकार को कुछ श्रमिकों और कर्मचारियों से अन्याय और शोषण संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1 जनवरी, 2003 से 12 अगस्त, 2003 तक विदेश में रोजगार हेतु उत्प्रवास संरक्षी का कार्यालय, चेन्नई से उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करने वाले तमिलनाडु के कामगारों की कुल संख्या 46,262 है।

(ख) से (घ) अन्याय और शोषण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। जब कभी भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, भारतीय मिशनों/स्थानीय एजेंटों को संबंधित सरकारों/प्रायोजकों की सहायता से मामले का निपटान करने का अनुरोध किया/निदेश दिया जाता है। यदि भर्ती एजेंट सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसका पंजीकरण निलम्बित/निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है। नियोजन की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नियोक्ताओं को "पूर्व अनुमोदन श्रेणी"/कालीसूची में रेखा जाता है।

[अनुवाद]

मदर डेयरी के फल एवं सब्जी संयंत्र द्वारा निजी ट्रकों/मैटाडोरों को किराए पर लेना

3339. **श्री रनेन बर्मन** : क्या **कृषि मंत्री** 4.4.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4293 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी (फल एवं सब्जी) संयंत्र द्वारा निजी ट्रकों/मैटाडोरों को किराए पर लेने के लिए जारी निविदा में केवल तीन वर्ष पुराने वाहन को किराए पर लेना निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो निविदा के मानदंडों में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वाहन मालिक संयंत्र के अधिकारियों पर तीन वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को किराए पर लेने के लिए दबाव डाल रहे है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। चूंकि अधिप्राप्ति वाहन दूर स्थानों से नष्ट होने योग्य फल एवं सब्जी लाते हैं, अत: आपूर्ति श्रृंखला क्रम को सुदृढ़ करने तथा ब्रेकडाउन को कम करने के लिए तीन वर्षों से कम पुराने वाहनों को ही किराए पर लेना निर्धारित किया गया था। तथापि, खुदरा दुकानों को स्थानीय वितरण/आपूर्ति वाहनों के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास लंबित प्रस्ताव

3340. **श्रीमती निवेदिता माने :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विशेषकर महाराष्ट्र में सहकारी मिलों में सुधार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ख) उपर्युक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को महाराष्ट्र सहित देश में सहकारी चीनी मिलों में सुधार संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्मारकों पर तड़ित चालक

3341. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी 140 स्मारकों को नवीनतम उपकरण प्रदान करके बिजली/तूफान से सुरक्षित किया गया है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले रिकार्ड किए गए जहां स्मारकों पर बिजली गिरी; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) दिल्ली में, अब तक कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग मकबरा तथा पुराना किला स्थित किला-ए-कुहना मस्जिद में तड़ित चालकों की व्यवस्था की गई है। तथापि, तड़ित चालकों को लगाने और स्मारकों पर पहले ही लगाए गए उन तड़ित चालकों का रखरखाव करने का कार्य पहले ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है जो ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में कोई संरक्षित स्मारक बिजली गिरने से प्रभावित नहीं हुआ है।

कोका कोला द्वारा पर्यावरण प्रदूषण

3342. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के पलक्कड जिले में कोका कोला की फैक्ट्री के उस कचरे से होने वाले गंभीर पर्यावरण प्रदूषण की ओर आकर्षित कराया गया है जिसमें खतरनाक रसायन हैं और जो जल आपूर्ति भूमि तथा खाद्य श्रृंखला को प्रदूषित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ मीडिया रिपोर्टें आई है कि पलाचीमड़ा जिला पलक्कड, केरल में स्थित मैसर्स हिन्दुस्तान कोका-कोला ब्रीवरेजिज लि० की बोटलिंग यूनिट द्वारा खाद के रूप में उपयोग करने हेतु किसानों को दी गई स्लज में "केडमियम एवं सीसे की मात्रा खतरनाक स्तर" पर है।

(ग) हिन्दुस्तान कोका-कोला ब्रीवरेजिज लि०, पलक्कड द्वारा अवशिष्ट स्लज और बहिस्त्राव का केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में विश्लेषण किया था। विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार बहिस्त्राव में केडमियम और सीसे की मात्रा अनुमत्य स्तर के अन्दर ही है जबकि स्लज में केडमियम की मात्रा अनुमत्य स्तर से अधिक पाई गई है। इसलिए केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस यूनिट द्वारा अवशिष्ट स्लज को परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया है और यूनिट को स्लज को अपने परिसर से बाहर न जाने देने और इसका उपयोग अपनी फैक्टरी परिसर के अंदर भी खाद के रूप में न करने के निर्देश दिए हैं। यूनिट ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन किया है।

सांस्कृतिक विरासत पर फिल्में

3343. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात की सांस्कृतिक विरासत पर फिल्में बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर कितनी फिल्में बनाई गई हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) जी, नहीं। विभाग अलग से किसी विशिष्ट राज्य पर फिल्में तैयार नहीं करता है।

[हिन्दी]

तस्करों से प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी

3344. **श्री राधा मोहन सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में राजस्थान के कोटा क्षेत्र में झालावाड़ के निकट करोड़ों रुपये की चोरी की तस्करी की गई मूर्तियां बरामद की गई हैं और कुछ तस्कर चोरी की इन मूर्तियों के साथ पकड़े गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में मूल्यवान मूर्तियों की तस्करी और चोरी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान पुलिस ने झालावाड़-कोटा क्षेत्र सहित राजस्थान के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में पुरावशेषों की बरामदगी की सूचना दी है और मामले की छानबीन की जा रही है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा-शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय तथा राज्य सरकार पुलिस जैसी विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के परामर्श से सीमा-शुल्क निकासी चैनलों पर सतर्कता बढ़ाकर और गहन छानबीन करके तथा साथ ही पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को लागू करके पुरावशेषों की चोरी तथा उनकी तस्करी रोकने के कदम उठाए गए हैं।

चुनिंदा स्मारकों संग्रहालयों में सुरक्षा एजेन्सियों के साथ-साथ सशस्त्र गार्ड भी नियुक्त किए गए हैं।

[अनुवाद]

हेलीकाप्टर दुर्घटना

3345. **श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरनाथ तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकाप्टर जम्मू-कश्मीर में गंधरबल के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में मारे गए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्घटना के कारण का पता लगाने हेतु कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार की निजी हेलीकाप्टरों और छोटे विमानों की अनुमति देने संबंधी नीति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा संचालित बैल 407 हैलीकाप्टर वीटी-एफजेके दिनांक 5 अगस्त, 2003 को भारतीय मानक समय के अनुसार लगभग 0730 बजे श्रीनगर कि गुन्देरबल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुर्घटना में पायलट समेत पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा एक यात्री गम्भीर रूप से घायल हुआ।

(ग) और (घ) जी, हां। इस दुर्घटना की जांच विमान नियम, 1937 के नियम 71 के अंतर्गत की जा रही है।

(ङ) जहां तक निजी स्वामित्व के अंतर्गत विमान/हैलीकाप्टर के प्रचालन का संबंध है, विमान/हैलीकाप्टर के अधिग्रहण के स्तर पर ही उसके स्वामी को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह इसका उपयोग निजी उद्देश्य या किराए पर चलाने और रिवार्ड उद्देश्य से करेगा। एक निजी विमान/हैलीकाप्टर देश के भीतर प्रचालित किया जा सकता है बशर्ते उसके पास उड़नयोग्यता का वैध प्रमाणपत्र हो तथा प्रमाणीकरण और प्रचालन की अन्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता हो। विमान/हैलीकाप्टर को किराए या रिवार्ड के उद्देश्य से प्रयोग करने के लिए उसके स्वामी के पास उड़नयोग्यता के वैध प्रमाणपत्र होने के साथ-साथ नागर विमानन की आवश्यकताओं के अनुरूप गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिट होना चाहिए और वह स्वीकृत प्रचालन मैनुअल में बताई गई सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

रोजगार संबंधी प्रावधान

3346. **श्रीमती मिनाती सेन : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधारभूत संरचना और उद्योग के क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार का प्रावधान करने में सरकार की सफलता को वित्त मंत्रालय की वित्तीय समीक्षा और योजना आयोग के योजना दस्तावेज में स्थान नहीं मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) रोजगार परिपेक्ष्य को 10 वीं योजना दस्तावेज में शामिल किया गया है तथा विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के निष्पादन को वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण में स्थान मिला है।

केरल के मछुआरों के लिए आवास योजना

3347. **श्री सुरेश कुरूप :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के मछुआरों के लिए आवास योजना का अपना शेयर अभी तक जारी नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारत सरकार ने मछुआरों के कल्याण के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए केरल सरकार को 2002-2003 में केन्द्रीय हिस्से के रूप में 200 लाख रुपये जारी किए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के लिए विशेष पैकेज

3348. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पशु चारण, मुर्गी पालन और मत्स्यन तथा बीजों के विकास के लिए कर्नाटक को विशेष पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सरकार के पास पशुधन, कुक्कुट, मात्स्यिकी तथा बीजों के विकास के लिए कर्नाटक को विशेष पैकेज देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार पशुधन विकास, कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी तथा बीजों से संबंधित चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर्नाटक सहित सभी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। कर्नाटक राज्य को विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

कर्नाटक को योजनावार जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	योजना का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	0.00	0.00	0.00	465.00
2.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	0.00	5.00	0.00	
3.	एकीकृत सूअर विकास के लिए राज्यों के सहायता	0.00	0.00	0.00	
4.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	93.00	0.00	38.55	
5.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	54.83	76.50	160.90	74.00
6.	व्यावसायिक दक्षता विकास	18.50	10.35	15.00	4.00
7.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	39.50	30.00	24.43	25.00
8.	पशुधन गणना	15.00	10.00	15.62	
9.	विलुप्त प्राय नस्लों का संरक्षण	0.00	0.00	63.80	
10.	पशुधन उत्पादन के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	22.65	15.00	26.00	
11.	सहकारिताओं को सहायता	500.54	200.00	90.00	

1	2	3	4	5	6
12.	ताजा जल जलकृषि का विकास	0.00	0.00	40.00	
13.	बड़े तथा छोटे पतनों पर मत्स्यन बंदरगाह	30.0	0.00	55.59	33.52
14.	समुद्री मात्स्यिकी का विकास	90.36	133.00	0.00	
15.	एकीकृत तटवर्ती जलकृषि	8.15	7.84	0.00	
16.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण	60.25	259.01	211.77	
17.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	17.42	12.50	12.00	
18.	बीज बैंक की स्थापना एवं उसका रखरखाव	37.84	56.00	101.15	
19.	बीज के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था	5.00			

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

3349. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को मध्य प्रदेश से राज्य के मुख्य प्रवण क्षेत्रों के लाभार्थ तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु महान राजघाट नहर, अपर नर्मदा प्रोजेक्ट और पुनासा सिंचाई योजना नामक सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं किस तिथि को प्राप्त हुई थीं; और

(ग) यह मूल्यांकन कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। महान, राजघाट नहर, ऊपरी नर्मदा परियोजना और पुनासा लिफ्ट सिंचाई के परियोजना प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए क्रमशः 17.05.02, 08.02.90 16.09.96 और 12.03.03 को केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन परियोजनाओं में से महान और राजघाट नहर नामक दो परियोजनाएं जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकार्य पाई गई हैं। ऊपरी नर्मदा और पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं नामक शेष दो परियोजनाएं मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अधिकरणों की टिप्पणियों की त्वरित अनुपालना पर निर्भर करता है।

औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिक

3350. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों में से 50 प्रतिशत से अधिक अधिकतम 50 श्रमिकों वाली औद्योगिक इकाइयों में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का मूल्यांकन क्या है और उपर्युक्त श्रेणी के उद्योगों में कितने प्रतिशत श्रमिक कार्य कर रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (1999-2000) के अनुसार, लगभग 23 प्रतिशत कामगार 50 अथवा कम कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों (कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2ड(i) और 2ड(ii) के अन्तर्गत पंजीकृत) में नियोजित थे।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल की स्वर्ण रेखा बैराज परियोजना

3351. **श्री प्रबोध पण्डा :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल की स्वर्ण रेखा बैराज परियोजना के लिए आवंटित निधियों का उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत कितनी है और इसके लिए कुल आवंटित निधियां तथा वास्तव में उपयोग में लाई गई निधियां क्या हैं;

(ग) क्या यह परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने नौवीं योजना में सुबर्णरेखा बैराज परियोजना के लिए आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया है। नौवीं योजना के दौरान 100.00 करोड़ रुपये के परिव्यय में से केवल 16.48 करोड़ रुपये का ही व्यय किया गया। दसवीं योजना के लिए 375.00 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया, जिसमें से 33.894 करोड़ रुपये का व्यय मार्च, 2002 तक कर लिया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत मार्च, 2003 तक संचयी व्यय 36.35 करोड़ रुपये है। वर्ष 2002-2003 के मूल्य स्तर पर इस परियोजना की नवीनतम लागत 902.53 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय है, ऐसी परियोजनाओं को आयोजना, क्रियान्वयन और विनपोषण राज्य सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा

3352. **श्री खगेन दास :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश के असंगठित कामगारों के हितों की सुरक्षा करने तथा सामाजिक सुरक्षा देने के लिए योजना शुरू करने हेतु निधियां उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना आयोग सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से एक विधान अधिनियमिति करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन में विविधीकरण

3353. **श्री राजो सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित विभिन्न राज्यों ने कृषि उत्पादों के विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों ने अपने राज्य में कृषि उत्पादन के विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता मांगी है। बिहार सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :–

पंजाब : पंजाब सरकार ने दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। एक स्कीम के अंतर्गत उन्होंने चावल और गेहूं प्रणाली के अंतर्गत एक मिलियन हैक्टेयर भूमि को तिलहन और दलहन आदि प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए फसल विविधीकरण के अंतर्गत 1280 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। दूसरे प्रस्ताव में पंजाब सरकार ने फसल समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विविधीकरण हेतु ठेके पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए 25% मार्जिन मनी के साथ 773.61 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है।

हरियाणा : हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत 3 वर्षों हेतु क्षतिपूर्ति पैकेज के रूप में 960 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने बाहरी सहायता की मांग करने के लिए 1792.50 करोड़ रु० की धनराशि हेतु कृषि गहनीकरण और विविधीकरण परियोजना पर एक अवधारणा लेख प्रस्तुत किया है। यह परियोजना 2.5 मि० है० क्षेत्र के सुधार के लिए 5 वर्षों के लिए अभिकल्पित है।

उत्तर प्रदेश : राज्य सरकार ने "उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि समर्थन परियोजना" के अधीन कृषि के विविधीकरण हेतु वित्तीय सहायता मांगी थी। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से नौवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की गई। राज्य सरकार ने दसवीं योजना के दौरान द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के लिए इसकी अवधि बढ़ाने की मांग की है। राज्य सरकार ने वर्ष 2004-05

मे 2008-09 की अवधि हेतु 145.58 करोड़ रुपये की धनराशि का फसल विविधीकरण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) दसवीं योजना के प्रलेख में योजना आयोग द्वारा खासकर अनाज मे अधिक मूल्यों वाली फसलों में कृषि विविधीकरण पर जोर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा विविधीकरण के लिए उठाए जा रहे कदम में सहायता दे रही है।

[अनुवाद]

निजी एयरलाइनों पर बकाया

3354. **श्री मान सिंह पटेल :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी निजी एयरलाइनों से अभी भी बकाया धनराशि प्राप्त करनी है जिन्होंने खुले आकाश की नीति (ओपन स्काई पॉलिसी) के कारण भारत में अपनी उड़ानों को बंद कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कम्पनियां समय पर भुगतान कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का समय पर भुगतान न करने वाले ऐसी निजी एयरलाइनों पर क्या शास्तियां आरोपित करने का विचार है; और

(ङ) सरकार को निजी एयरलाइनों से गत तीन वर्षों के दौरान शास्ति के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी निजी एयरलाइंस ने खुली आकाश नीति के परिणाम-स्वरूप अपनी एयरलाइंस को बंद कर दिया है। बहरहाल कुछ निजी एयरलाइंसों ने अपना प्रचालन बन्द कर दिया है तथा 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार इन एयरलाइंसों पर भारतीय विमानपत्तन को बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए में)

ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस	18.31
एन०ई०पी०सी० एयरलाइंस	2.96
स्काईलाइंस एन०ई०पी०सी०	1.91
एलायंस एयरलाइंस	0.92
मैम्को एयरलाइंस	1.27
कॉनटिनेंटल एविएशन	1.26
वी०आई०एफ० एयरवेज	0.61
अन्य (50.00 लाख से कम)	1.08

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भुगतान में चूक करने वाली इन एयरलाइंस पर दण्डात्मक ब्याज लगाया है और देश की विभिन्न अदालतों में इनके विरूद्ध अदालती मामले/मध्यस्थता और सार्वजनिक क्षेत्र (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को इन निजी एयरलाइंसों से दण्ड की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

खान सुरक्षा

3355. **प्रो० रीता वर्मा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी०जी०एम०एस०) के स्तर पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी०सी०सी०एल०) की बागडिग्गी खान आपदा जैसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या डी०जी०एम०एस० ने मानसून और भूमिगत खदानों में संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए बी०सी०सी०एल० के प्रबंधन को कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बागडिगी जैसी खान दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय में निम्नांकित कदम उठाए हैं :–

(i) बागडिगी जांच अदालत की सिफारिशें अनुपालनार्थ समस्त खान प्रबंधनों को परिचालित की गईं।

(ii) खान प्रबंधन को जांच सर्वेक्षण करने और सभी भूमिगत कोयला खानों के अयतनीकरण के अनुदेश दिए गए हैं।

अनुपालन के सुनिश्चियन हेतु डी०जी०एम०एस० सभी भूमिगत कोयला खानों का निरीक्षण अभियान भी चला रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। डी०जी०एम०एस० ने मानसून शुरू होने से पहले ही सी०सी०एल० के सभी कोयला खान प्रबंधनों को दिशानिर्देश जारी कर कहा है कि वे खानों में सतही जल के प्रवेश को रोकने के लिए मानसून अवधि के दौरान अपनी-अपनी खानों में सतर्कतायुक्त उपाय करें।

(घ) जी, हां।

(ङ) डी०जी०एम०एम० द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। सी०सी०एल० खानों में अनुपालन के इस मामलों में, 15 जून, से 31 अक्तूबर की अवधि के दौरान भूमिगत क्रियाकलाप में नियोजन को विशिष्ट प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की गई।

[अनुवाद]

गोवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्फ मैदान बनाना

3356. **श्री राजैया मल्याला :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यू०के० स्थित गोल्फ संघ ने गोवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ मैदान बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी गई हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, गोवा सरकार ने गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के गोल्फ कोर्स के विकास हेतु व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए मैसर्स प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोशिएशन, डिजाइन कंसल्टिंग, यू०के० को नियुक्त किया है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने अध्ययन पूरा करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ग) और (घ) गोवा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, व्यवहार्यता अध्ययन अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। गोल्फ कोर्स को पूरा किए जाने तथा सरकार द्वारा मुहैया की जा रही सुविधाओं का इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य

3357. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2003-2004 के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) बढ़ाया है तथा एफ०-414/एच०-777/जे०-34 किस्म तथा एच0-4 किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 1725 रु० और 1925 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जो पिछले वर्ष में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 50/- रुपये प्रत्येक की वृद्धि दर्शाता है।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री शॉप

3358. **श्री भास्करराव पाटील :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान प्राधिकरण को हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री शॉप चलाने का ठेका देने से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादन में कमी

3359. **श्री सईदुज्जमा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरसों और बिनौले के तेल जैसे वनस्पतिक तेलों सहित अनेक जिंसों के उत्पादन में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन तथा सरसों एवं कपास सहित तिलहन जैसी अन्य वाणिज्यिक फसलों सहित खाद्यान्न उत्पादन, वर्ष-दर-वर्ष घटता बढ़ता रहा, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :–

(उत्पादन मिलियन मी० टन में)

फसल	2000-01	2001-02	2002-03*
चावल	84.98	93.08	75.72
गेहूं	69.68	71.81	69.32
मोटे अनाज	31.08	33.94	26.22
कुल दलहन	11.07	13.19	11.31
कपास@	9.52	10.09	9.31
कुल तिलहन जिसमें से	18.44	20.80	15.75
सरसों एवं तोरिया	4.19	5.04	3.97

*1.7.2003 को जारी चौथा अग्रिम अनुमान

@170 कि०ग्रा० प्रत्येक की मिलियन गांठें।

[हिन्दी]

राजस्थान क्षेत्र में यात्रियों की संख्या

3360. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों का प्रतिशत कितना है; और

(ख) इस मार्ग पर अन्य मार्गों की तुलना में कितने प्रतिशत विमान उड़ रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूढी) : (क) और (ख) एलाइंस एयर दिल्ली/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/मुम्बई तथा वापसी मार्ग पर एक दैनिक उड़ान सीडी 7471/7472 प्रचालित करती है। वर्ष 2002-2003 के दौरान इस सेक्टर का हिस्सा एलाइंस एयर के कुल नेटवर्क पैसेन्जर कैरिज का 8.3% था।

क्षमता के हिसाब से उड़ान सीडी-7471/7472 का हिस्सा कुल नेटवर्क क्षमता का 6.57% था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

3361. श्री अनिल बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ''एसोचैम'' की वर्ष 2003 की जैव प्रौद्योगिकी की घोषणा की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने पहले से ही जैव-प्रौद्योगिकी के विशेषीकृत क्षेत्रों में सात संस्थाएं सृजित की हैं।

(ग) जी, हां। घोषणाओं में से एक ''उसी प्रतिमान पर नई राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थाएं, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई० बी०टी०) शुरू करना है जिस पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०आई०टी०) अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई०टी०) शुरू किया गया था। वैकल्पिक तौर पर पुन: निर्मित चयनित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के स्तर तक उठना है जहां औद्योगिकी अनुसंधान और शैक्षिक कार्य साथ-साथ चलें''।

(घ) सरकार ने पहले ही ऐसी विभिन्न संस्थाएं स्थापित की हैं जहां औद्योगिक अनुसंधान और शैक्षिक कार्य साथ-साथ चलाए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान उद्योगोन्मुख जैव प्रौद्योगिकी हेतु विशेषीकृत सुविधाएं स्थापित करने के लिए बहुत हद तक वर्तमान अवसंरचनाओं का उपयोग कर रहा है।

पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना नयी औद्योगिक इकाइयां

3362. श्री जे०एस० बराड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कई औद्योगिक इकाइयां बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के स्थापित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसी औद्योगिकी इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के उपबन्धों के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लिए बिना पिछले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में 24 यूनिट स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 यूनिट छत्तीसगढ़ में, एक कर्नाटक में, एक केरल में, दो पंजाब में, 3 राजस्थान में और 7 तमिलनाडु में हैं।

(ग) इन सभी दोषी यूनिटों को 31 मार्च 2003 तक पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन देने के लिए कहा गया है और ऐसा न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत उन्हें बन्द करने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। उन यूनिटों के संबंध में जिन्होंने इस समय सीमा के अन्दर आवेदन नहीं दिया था, संबंधित राज्य सरकारों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत उन्हें बन्द करने के निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।

ईस्ट वेस्ट कारिडोर परियोजना से खतरा

3363. श्री अजित कुमार पांजा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने गुजरात से असम के मध्य पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रसिद्ध महानन्दा वन्यजीव अभयारण्य, कालींगपोंग मंडल, बैकुंठपुर मंडल, गरुमारा उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर बंगाल की बक्सा टाइगर परियोजना को होने वाली व्यापक क्षति पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राणि जगत और वनस्पतिजगत और पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों और विशेषकर उत्तरी बंगाल से होकर जाने वाले प्रस्तावित सुपर राजमार्ग का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का वन विभाग इस मामले को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्यान में लाया है और इस पर राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड में चर्चा करने का अनुरोध किया है।

(घ) ऐसी आयात स्थिति से निपटने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

यमुना में पानी के बहाव संबंधी समिति

3364. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी में न्यूनतम बहाव के रखरखाव संबंधी कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल-मल व्ययन प्रणाली की पुनःस्थापना और जल-मल शोधन संयंत्रों (एस०टी०पी०) के विस्तार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) जी, हां। सदस्य (पर्यावरण), योजना आयोग की अध्यक्षता में जनवरी, 1998 को एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी। नदी तटीय राज्य यथा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव इसके सदस्य हैं। समिति की अब तक 10 बैठकें हो चुकी हैं और इसकी कार्यवाहियों के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया है। समिति ने अपेक्षित न्यूनतम बहाव को पूरा करने के लिए कतिपय अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपायों की रूपरेखा तैयार की है। दिल्ली की ट्रंक सीवर प्रणाली का पुनरुद्धार और अपेक्षित संख्या में सीवेज शोधन संयंत्रों को स्थापित करना और अपेक्षित मानकों को पूरा करने के लिए उनका संतोषजनक ढंग से प्रचालन आदि कुछ सुझाए गए उपाय हैं।

(ग) दिल्ली में 91 किलोमीटर ट्रंक सीवरेज गाद जमने के कारण कार्य नहीं कर रहा है। इस ट्रंक सीवर के 30 किलोमीटर भाग का यमुना कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत पुनरुद्धार किए जाने का प्रस्ताव है। सीवरेज प्रणाली के शेष भाग का दिल्ली सरकार द्वारा अपने निजी संसाधनों से नवीकरण किया जा रहा है।

दिल्ली में प्रतिदिन होने वाले 3300 मिलीयन लीटर सीवेज में से इस समय प्रतिदिन 2350 मिलीयन लीटर सीवेज शोधन क्षमता है। यमुना कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत प्रतिदिन 135 मिलीयन लीटर की अतिरिक्त सीवेज शोधन क्षमता के साथ प्रतिदिन 624 मिलीयन लीटर वर्तमान क्षमता के पुनरुद्धार का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

विरासतों का रख-रखाव

3365. श्री रामशकल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व के विभिन्न देशों की पुरानी विरासतों के पुन: स्थापन और संरक्षण में यूनेस्कों की सहायता करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यूनेस्कों के जरिए अथवा द्विपक्षीय रूप में, जब भी कोई सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त होता है, ऐसी सहायता देता है। यूनेस्को से प्राप्त एक अनुरोध के प्रत्युत्तर में, भारत ने आश्वन उच्च बांध के जल से आप्लावन के खतरे से पुरातत्वीय अवशेषों के बचाव में सहायता के लिए 1961-62 में मिश्र में नूबियन घाटी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से एक अभियान दल भेजा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अन्य देशों जैसे अंगोला, बहरीन, नेपाल, मालदीव, भूटान अफगानिस्तान और कम्बोडिया को भी द्विपक्षीय रूप से सहायता दी है।

गौशालाओं के लिए धनराशि

3366. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् केन्द्र सरकार के अलावा किसी केन्द्रीय संस्थान ने गौशालाओं के लिए धनराशि प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार और गौशालावार कितनी धनराशि प्रदान की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड सहायता अनुदान प्राप्त करता है।

[अनुवाद]

तिलहन/दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

3367. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन और दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की तिलहन उत्पादन की वृद्धि में प्रमुख भूमिका रही है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की अलग-अलग कितनी खपत, कुल कितना उत्पादन और आयात दर्ज किया गया;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या तिलहन और दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं की सूची में बहुत नीचे हो गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान खपत हेतु खाद्य तेलों की कुल उपलब्धता और देशी खाद्य तेल का कुल उत्पादन तथा खाद्य तेल के आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सीमा शुल्क की लागू दरों के अलावा खाद्य तेल के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। खाद्य तेलों की घरेलू मांग व घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर के आयात के जरिए पूरा किया जाता है जो घरेलू मांग, घरेलू उत्पादन तथा खाद्य तेलों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर करता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1996-97 से 2002-2003 तक खपत के लिए खाद्य तेलों की कुल उपलब्धता तथा खाद्य तेलों के कुल देशी उत्पादन और खाद्य तेलों का निर्यात

(मात्रा लाख मी० टन में)

वित्तीय वर्ष	देशी खाद्य तेल का उत्पादन	खाद्य तेलों का आयात	खपत के लिए खाद्य तेलों की कुल उपलब्धता
1996-97	70.89	14.16	85.05
1997-98	60.32	12.66	72.98
1998-99	69.61	26.22	95.83
1999-2000	60.14	41.96	102.10
2000-2001	55.04	41.77	96.81
2001-2002	61.22	43.22	104.44
2002-2003	–	42.66	–

कुनूर में विमानपत्तन

3368. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित की गयी समिति ने केरल के कुनूर में विमानपत्तन के निर्माण का मूल्यांकन करने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

सुरक्षा जोन में उत्खनन पर प्रतिबंध

3369. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1977-78 में 338.85 हैक्टेयर वन भूमि आबंटित करके वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू०सी०एल०) की दुर्गापुर ओपन कास्ट माइन्स की परियोजना को मंजूरी दी है और आबंटित भूमि में से 125.5 हैक्टेयर भूमि को सुरक्षा जोन के रूप में छोड़ देने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डब्ल्यू०सी०एल० ने 125.5 हैक्टेयर की प्रतिबंधित भूमि पर उत्खनन कार्य आरंभ कर दिया है और सुरक्षा जोन के रूप में केवल 7.5 हैक्टेयर भूमि शेष रह गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डब्ल्यू०सी०एल० ने वर्ष 1999-2000 के दौरान वन संरक्षक को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार डब्ल्यू०सी०एल० के संशोधित प्रस्ताव से सहमत हो गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सुरक्षा जोन के प्रतिबंधित क्षेत्रों पर उत्खनन गतिविधियां जारी रखने के लिए डब्ल्यू०सी०एल० के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा 1979 में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत लगभग 1177.34 हैक्टेयर निजी, राजस्व एवं वनभूमि का अर्जन किया गया था। लगभग 338.85 हैक्टेयर वनभूमि इस क्षेत्र का भाग थी। 338.85 हैक्टेयर वनभूमि में से 40.47 हैक्टेयर वनभूमि वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड को 23.05.1980 अर्थात् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू होने के पूर्व सौंप दी गई थी। इसके पश्चात् महाराष्ट्र सरकार ने 1981 में शेष 298.38 हैक्टेयर वनभूमि वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड को सौंप दी थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1989 में कोयला मंत्रालय को सूचित किया और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसके अन्तर्गत इस मामले में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991 में यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा जोन के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र को वनेतर उपयोग के प्रयोजन से प्रस्तावित क्षेत्र का भाग नहीं होना चाहिए।

(घ) से (च) तदनुसार, दुर्गापुर विवृत खनन परियोजना से कोयले के उत्खनन के लिए वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के पक्ष में 172.54 हैक्टेयर वनभूमि के वनेतर उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा 2001 में एक प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया था। इस मामले पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रस्ताव में शामिल जन उपयोगिता की पृष्ठभूमि और स्वरूप पर होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे 2002 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में दंड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त के साथ अनुमोदित कर दिया था।

विश्व विरासत वाले स्थल

3370. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विश्व विरासत केन्द्रों/स्मारकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्मारकों का संरक्षण करने और इनकी सुरक्षा करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी स्मारक को प्रदूषण के कारण खतरा हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो पर्यावरणीय प्रदूषण से इनकी रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) राज्य-वार विश्व दाय स्थलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) विश्वदाय स्थलों का परिरक्षण, संरक्षण, बचाव तथा पर्यावरणीय विकास एक सतत् प्रक्रिया

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

(क) स्मारकों के नाम, राज्यवार जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्वदाय का दर्जा दिया गया है :

क्रम संख्या	विश्वदाय स्थल का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	महाबोधि मंदिर – बोधगया	बिहार
2.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	दिल्ली
3.	कुतुब मीनार तथा उसके स्मारक, दिल्ली	दिल्ली
4.	पुराना गोवा के चर्च तथा कान्वेंट	गोवा
5.	स्मारक समूह, हम्पी	कर्नाटक
6.	स्मारक समूह, पट्टाडकल	कर्नाटक
7.	चित्रित शैलाश्रय, भीमवेटका	मध्य प्रदेश
8.	बौद्ध स्मारक, सांची	मध्य प्रदेश
9.	खजुराहो स्मारक समूह	मध्य प्रदेश
10.	अजंता गुफाएं	महाराष्ट्र
11.	एलौरा गुफाएं	महाराष्ट्र
12.	एलीफैंटा गुफाएं	महाराष्ट्र
13.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	उड़ीसा
14.	वृहदीश्वर मंदिर, तंजावूर	तमिलनाडु
15.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम्	तमिलनाडु
16.	आगरा किला	उत्तर प्रदेश
17.	ताज महल, आगरा	उत्तर प्रदेश
18.	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश
	विश्वदाय सूची में शामिल भारत में प्राकृतिक स्थल	
19.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम
20.	मानस वन्य जीवन अभ्यारण्य	असम
21.	सुन्दरबन राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिम बंगाल
22.	नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश
23.	कियोलादेव राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान
	विश्वदाय सूची में शामिल भारत में औद्योगिक दाय स्थल	
24.	दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

मत्स्यन बंदरगाह

3371. **श्री शिवराजसिंह चौहान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत और निर्माणाधीन मत्स्यन बंदरगाहों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण के कतिपय प्रस्ताव लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) कार्य कर रहे और निर्माणाधीन मत्स्य बंदरगाहों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण के प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ये प्रस्ताव अभी तैयारी के चरण में हैं जिसके लिए भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय स्वीकृति और बजट प्रावधान तथा जहां आवश्यक हो, तकनीकी-आर्थिक जांच/आकलन के संबंध में केन्द्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न एजेंसियों से पुष्टि की जरूरत है। इसलिए इन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए इस समय समय सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य का नाम	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	
		चलने वाले	निर्माणाधीन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	मछलीपटनम
		काकिनाडा	
		निजामपटनम	

1	2	3	4
2.	गुजरात	वेरावल	जखाऊ
		मेंगरोल चरण-1 और 2	
		पोरबंदर	
3.	केरल	कोचीन	कयामकुलम
		विझिजम चरण-1	विझिजम चरण-2 और 3
		पुथियाप्पा	मुथालापोझी
		मुनामबम	पोन्नानी
		नीनडकारा	
		चोम्बल	
		मोपला बे	
		थेंगासरी	
4.	कर्नाटक	करवार चरण-1	माल्पे चरण-2
		होन्नावर	मंगलौर चरण-3
		तदारी	करवार चरण-2
		मंगलौर चरण-1	गंगोली
		माल्पे चरण-1	
5.	महाराष्ट्र	सेसून डॉक	अग्रावो
		मिरकारवडा (रत्नागिरी)	
6.	उडीसा	पारादीप	धामरा चरण-2
		गोपालपुर	
		धामरा चरण-1	
		नौगढ़ (अस्ट्रंग)	
7.	तमिलनाडु	चेन्नई	
		तुतीकोरिन	
		मल्लीपटनम	
		पाझयार	
		चिन्नामुटन	
8.	पश्चिम बंगाल	फ्रेजर गंज	सुल्तानपुर (डायमंड हारबर)
		दीघ चरण-1 और 2	हरवूड प्वाइंट
9.	पांडिचेरी	—	पांडिचेरी
10.	अंडमान व निकोबार	फीनिक्स बे	—

विवरण-II

मत्स्यन बंदरगाहों के बारे में श्री शिवराज सिंह चौहान के लोक सभा के 18.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3371 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	गुजरात	ओखा	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह (1) मत्स्य बंदरगाह के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता (2) पर्यावरणीय स्वीकृति और (3) परियोजना की पूंजीगत लागत की हिस्सेदारी के लिए राज्य बजट में आवश्यक बजट प्रावधान की पुष्टि करे।

1	2	3	4
		धोलाई	सी०आई०सी०ई०एफ०, बंगलौर को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्य रिपोर्ट को अद्यतन बनाने का अनुरोध किया गया है।
		वेरावल	परियोजना रिपोर्ट तकनीकी दृष्टिकोण से विस्तृत जांच के लिए सी०आई० सी०ई०एफ० को भेजी गई है।
		उमरगाम	राज्य सरकार ने स्थान के चयन के अपने निर्णय की हाल ही में सूचना दी है और सी०आई०सी०ई०एफ० को टी०ई०एफ०आर० को अभी तैयार करना है।
		भदेली जगगलाला	जांच के चरण में है।
2.	उड़ीसा	चांदीपुर	राज्य सरकार के अनुरोध पर सी०आई०सी०ई०एफ० से अनुरोध किया गया है कि वह विस्तृत जांच करे और टी०ई०एफ०आर० तैयार करे।
		बहाबलपुर	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह (1) मत्स्य बंदरगाह के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता (2) पर्यावरणीय स्वीकृति और (3) परियोजना की पूंजीगत लागत की हिस्सेदारी के लिए राज्य बजट में आवश्यक बजट प्रावधान को पुष्टि करे।
3.	कर्नाटक	अलवेकोडि	राज्य सरकार को परियोजना के आकार पर अभी अंतिम निर्णय लेना है।
4.	तमिलनाडु	रामेश्वर	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह (1) मत्स्य बंदरगाह के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता (2) पर्यावरणीय स्वीकृति और (3) परियोजना की पूंजीगत लागत की हिस्सेदारी के लिए राज्य बजट में आवश्यक बजट प्रावधान की पुष्टि करे।
		पूमपुहार	राज्य सरकार को विस्तृत हाईड्रोलिक मॉडल अध्ययन करने हैं।
		पाझयार	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह (1) मत्स्य बंदरगाह के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता (2) पर्यावरणीय स्वीकृति और (3) परियोजना की पूंजीगत लागत की हिस्सेदारी के लिए राज्य बजट में आवश्यक बजट प्रावधान की पुष्टि करे।
		मल्लपट्टिनम चरण-2	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय स्वीकृति और राज्य बजट में पर्याप्त बजट प्रावधान की पुष्टि करे।
5.	आंध्र प्रदेश	निजामापटनम	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय स्वीकृति और राज्य बजट में पर्याप्त बजट प्रावधान की पुष्टि करे।
		बियापुथिपा/अंथरवेदीपलम	जांच के चरण में है

1	2	3	4
6.	गोवा	वास्को बे (मोरमुगुआ पोर्ट ट्रस्ट का प्रस्ताव)	जांच के चरण में है।
7.	दमन और दीव	वनकबारा	संघ शासित प्रशासन को मॉडल अध्ययन पूरे करने हैं।
		नानीदमन	इंजीनियरी और आर्थिक जांच के चरण में।
8.	केरल	थलाई	चम्बोल में मत्स्य बंदरगाह की उपलब्धता को देखते हुए, जो प्रस्तावित मत्स्यन बंदरगाह के बहुत निकट है, प्रस्ताव प्राथमिकता में नहीं है।
		कोईलांडे	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह (1) मत्स्य बंदरगाह के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता (2) पर्यावरणीय स्वीकृति और (3) परियोजना की पूंजीगत लागत की हिस्सेदारी के लिए राज्य बजट में आवश्यक बजट प्रावधान की पुष्टि के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजे।
		थोटापल्ली	राज्य सरकार से आवश्यक भूमि और राज्य बजट में पर्याप्त बजट प्रावधान की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए कहा गया है।
		बेपोर चरण-2	जांच चरण में।
9.	पांडिचेरी	कराईकल	संघ शासित सरकार को भूमि की उपलब्धता और पर्यावरणीय स्वीकृति की पुष्टि करनी है।
		माहे	पांडिचेरी सरकार को विस्तृत हाइड्रॉलिक अध्ययन करने हैं।
		यमन	विस्तृत जांच और टी०ई०एफ०आर० तैयार करने के चरण में।
10.	महाराष्ट्र	अगरडांडा	राज्य सरकार को मॉडल अध्ययन पूरे करने हैं।
		देवगढ़	टी०ई०एफ०आर० तैयारी के चरण में।
		जीवनबंदर	इंजीनियरी जांच/तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन/मॉडल अध्ययन चरण में।
		करंजा	-वही-
		दभोल	-वही-
		जयगढ़	-वही-
		बोरिया	-वही-
		अरनाला	-वही-
		विजयदुर्ग	-वही-
		हरनाई	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण में।
		सखरीनाते	-वही-

मोतीपुर बिहार में गन्ना अनुसंधान केन्द्र

3372. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मोतीपुर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुसंधान केन्द्र में अभी तक अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की गयी है;

(ग) क्या इसके द्वारा किसानों को प्रदत्त सहायता की समीक्षा की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं और इसकी क्या उपलब्धियां हैं; और

(च) सरकार द्वारा वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाएं निम्न प्रकार से हैं :

- गन्ने के जननद्रव्य का मूल्यांकन करना।
- गन्ने के इन्टर-स्पेसीफिक और इन्टर-जेनेरिक संकरों का मूल्यांकन करना।
- अगेते, मध्यम पछेते और पछेते समूहों के आशाजनक क्लोनों की पहचान करना।
- प्रजनक बीज का उत्पादन करना।

(ग) जी, हां।

(घ) गुणवत्ता बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बीज प्रगुणन के लिए तीन किस्मों और एक क्लोन का चयन किया गया था। तदनुसार, फाउन्डेशन बीज उत्पादन और अन्ततः इसे किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चीनी कारखानों को बीज की आपूर्ति की गई।

(ङ) केन्द्र की स्थापना करने के उद्देश्य इस प्रकार से है : गन्ने के जननद्रव्य, किस्मगत संकरणों और गन्ने के रिलीज पूर्ण क्लोनों का बिहार सहित उत्तर-मध्य क्षेत्र में इनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करना तथा जारी करने से पूर्व जीनप्ररूपों का बहुगुणन और आदान-प्रदान करना। इस केन्द्र के प्रयासों के परिणामस्वरूप (i) व्यापारिक खेती के लिए गन्ने की तीन किस्मों नामतः ''सरयू'', ''मोती'' और ''गंडक'' को जारी किया गया, (ii) अगेते और मध्यम पछेते क्लोनों की पहचान की गई तथा चीनी कारखानों को आपूर्ति करने के लिए प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया।

(च) किस्मगत विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में उपलब्ध जंगली आनुवंशिक सामग्रियों का उपयोग करने, क्वालिटी के बीज के उत्पादन को बढ़ाने तथा जैव-उर्वरक उत्पादन के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं देने हेतु प्रजनन कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बाजार हस्तक्षेप योजना का विस्तार

3373. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से पाम ऑयल के गिरते हुए मूल्यों के मद्देनजर बाजार हस्तक्षेप योजना को कुछ और अवधि के लिए बढ़ाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

कृषि क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र का निवेश

3374. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र का निवेश कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र को अन्य श्रेणियों के लिए उपलब्ध मूल ऋण दर की पद्धति पर एक पृथक ऋण दर की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 हेतु

सकल पूंजी निर्माण (जी०सी०एफ०) के संदर्भ में वर्ष 1993-84 के मूल्यों पर निजी क्षेत्र का निवेश क्रमश: 13,083 करोड़ रुपये, 12,768 करोड़ रु० और 13,263 करोड़ रु० हैं। इस प्रकार हाल के वर्षों में कृषि में सकल पूंजी निर्माण के रूख में घटती हुई प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हाल ही में सलाह दी गई है कि वे 50000 रु० की सीमा तक के साख ऋण पर अपनी ऋण दर को घटाकर प्रति वर्ष 9% या इससे कम करें। इस दर से अधिकतर फसल ऋण खाताधारकों को लाभ मिलेगा तथा इसमें करीब-करीब सभी छोटे और सीमांत किसान कवर हो जाएंगे। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि ब्याज दरों में कमी के कारण कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की मात्रा में कमी न आए।

मत्स्य प्रजातियों के मत्स्यन से प्रतिबंध हटाना

3375. **श्री के० मलयसामी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में कुछ अन्य प्रजातियों के अलावा ''शार्क'' और ''रे'' के मत्स्यन पर मनमाने तरीके से प्रतिबंध लगाने के कारण पारिस्थितकी संतुलन पर प्रभाव के अलावा लाखों मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान (सी०एम०एफ०आर०आई०) शार्क के सांवधिक और नियमित मत्स्यन के पक्ष में है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रभावित राज्यों और विशेषज्ञों की राय के अनुरूप अपने प्रतिबंध की समीक्षा करने और प्रतिबंध में ढील देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) शार्क और रेज सहित दुर्लभ और परिसंकटमय समुद्री जीवों के मारने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान (सी०एम०एफ०आर०आई०) सहित अनेक संगठनों के विशेषज्ञों से ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद लिया गया है। सी०एम० एफ०आर०आई० अन्य दुर्लभ और परिसंकटमय प्रजातियों को छोड़कर शार्क प्रजातियों का निरंतर उपयोग करने के पक्ष में है।

(ग) और (घ) सरकार दुर्लभ और परिसंकटमय फ्लोरा और फाउना के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। प्रतिबंध को शिथिल करने का अंतिम निर्णय केवल विशेषज्ञ संस्थाओं से प्राप्त वैज्ञानिक डाटा प्राप्त करने के आधार पर ही लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

सोयाबीन उद्योग

3376. **श्री पदमसेन चौधरी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोयाबीन उद्योग को प्राथमिकता वाले क्षेत्र का उद्योग घोषित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) सोयाबीन प्रोसेसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दिनांक 03 अप्रैल, 2003 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सोयाबीन उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र उद्योग के रूप में घोषित करने, तिलहन विकास उपकर लगाने, खाद्य तेलों में वर्तमान में लगने वाले सीमा शुल्क को अगले 3 वर्षों तक लगाए रखने आदि का सुझाव दिया गया है। समग्र आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों पर अंतरमंत्रालय विचार-विमर्श करना आवश्यक होता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय

3377. **डा० बलिराम :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चल रहे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक कार्यालय में समूह ''क'', ''ख'', ''ग'' और ''घ'' के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और 30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के पदासीन कर्मचारियों/अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक कार्यालय में ''क'', ''ख'', ''ग'' तथा ''घ'' श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या तथा 30.06.2003 की स्थिति के अनुसार तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क०रा०वी०नि० कार्यालय का नाम	अवस्थिति
1	2
1. क्षेत्रीय कार्यालय	पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर
2. कैम्प कार्यालय	एच-3, सैक्ट-22, नोएडा
3. स्थानीय कार्यालय, आगरा	33/2, राधा नगर, बालकेश्वर रोड, आगरा
4. स्थानीय कार्यालय, इलाहाबाद	51, तिलक रोड, बलुआ घाट, इलाहाबाद
5. स्थानीय कार्यालय, अमौसी	9-ई, सरोजिनी नगर, लखनऊ
6. स्थानीय कार्यालय, अलीगढ़	मालवीय मार्केट, आवास विकास योजना नं० 3, प्रथम तल, भवन संख्या-2, अलीगढ़
7. स्थानीय कार्यालय, बरेली	क्लटर बक गंज, रामपुर रोड, बरेली
8. स्थानीय कार्यालय, बाराबंकी	मालती भवन, प्लाट नं० 17, 2168-एम, नियर बलेरा हाउस, देवा रोड, बाराबंकी
9. स्थानीय कार्यालय, डौड नगर	स्वदेशी कॉटन मिल, 391, छक रघुनाथ, मिर्जापुर रोड, यूका बैंक के सामने, नैनी, इलाहाबाद
10. स्थानीय कार्यालय, इटावा	प्रथम तल, पालीवार धर्मशाला, स्टेशन रोड, इटावा
11. स्थानीय कार्यालय, फिरोजाबाद	छिदामी लाल जैन मंदिर, ट्रस्ट भवन, जैन नगर, फिरोजाबाद
12. स्थानीय कार्यालय, गुमटी नं० 5/लाजपत नगर	123/46 शरेश बाग, कानपुर
13. स्थानीय कार्यालय, गाजियाबाद	नवयुग मार्किट, जवाहर लाल मार्ग, गाजियाबाद
14. स्थानीय कार्यालय, गोरखपुर	आर्य समाज मन्दिर वाली गली, मकान नं० 292, बख्शी पुर, गोरखपुर
15. स्थानीय कार्यालय, हाथरस	25/77, किला वाड, गोपाल भवन, मन्दु गेट, हाथरस
16. स्थानीय कार्यालय, झांसी	22, छरलीगंज, सिपरी बाजार, झांसी
17. स्थानीय कार्यालय, लखनऊ	278/19, नाकाहिन्डोला क्रासिंग, लखनऊ
18. स्थानीय कार्यालय, मुरादाद	कुंवर सिनेमा के सामने, यूनियन बैंक के पीछे, मुरादाबाद
19. स्थानीय कार्यालय, मोदी नगर	मोदीपैन फैक्ट्री के सामने, हापुर रोड, मोदी नगर
20. स्थानीय कार्यालय, मऊनाथ भंजन	प्रतिभा कुटीर, 155, मुन्शीपुरा, माऊ नाथ भंजन
21. स्थानीय कार्यालय, मेरठ	256, साबुन गोदाम बागपत रोड, मेरठ
22. स्थानीय कार्यालय, मीरपुर	सी-11 (2), खोपरा मोहाल, शशि नगर, कानपुर
23. स्थानीय कार्यालय, नवीन मार्केट/आर्य नगर	8/171, आर्य नगर, कानपुर

1		2
24.	स्थानीय कार्यालय, नैनी	यूको बैंक के सामने, 391, छक रघुनाथ, नैनी, इलाहाबाद
25.	स्थानीय कार्यालय, नोएडा-1	एच-3, सैक्टर-22, नोएडा
26.	स्थानीय कार्यालय, नोएडा-2	सी-50, सैक्टर-9, नोएडा
27.	स्थानीय कार्यालय, नोएडा (फेज-II)	सलारपुर गेट, भंगलटाउन, नोएडा फेज-2, नोएडा
28.	स्थानीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा	गांव देवाला, डाकखाना सूरजपुर, जिला जी बी नगर
29.	स्थानीय कार्यालय, प्रताप गंज	123/419, प्रतापगंज, कानपुर
30.	स्थानीय कार्यालय, रेनूकूट	ई०एस०आई० अस्पताल, प्रानगान, मुरधावाख रेनूकूट, जिला सौनभद्र
31.	स्थानीय कार्यालय, राय बरेली	62, न्यू हाउस, महिपाल नगर, रायबरेली
32.	स्थानीय कार्यालय, सर्वोदय नगर-1	क्षेत्रीय कार्यालय, सर्वोदय नगर, कानपुर-5
33.	स्थानीय कार्यालय, सरोजिनी नगर	मरियमपुर अस्पताल के सामने, कानपुर
34.	स्थानीय कार्यालय, सिकन्दरा	42/98, बिल्लूपुरा, सिकन्दरा, आगरा
35.	स्थानीय कार्यालय, सहारनपुर	प्लॉट नं० 5/2 एवं 7/2 कोऑपरेटिव एश्योरेंस बिल्डिंग, अम्बाला रोड, सहारनपुर
36.	स्थानीय कार्यालय, शिकुहाबाद	557/2 स्टेशन रोड, शिकुआबाद
37.	स्थानीय कार्यालय, सहजनवा	महावीर जूट मिल कम्पलेक्स, गोरखपुर
38.	स्थानीय कार्यालय, मोहन नगर	बी-1, बी-4, प्रथम तल, श्याम पार्क एक्सटेंशन, बी-ब्लॉक मार्केट, साहिबाबाद, गाजियाबाद
39.	स्थानीय कार्यालय, सिकन्दराबाद	हरिसिंह मुखथ्यार की कोठी, रेलवे रोड, सिकंदराबाद
40.	स्थानीय कार्यालय, उन्नाव	42, अतुल बिहारी, उन्नाव
41.	स्थानीय कार्यालय, विनोभा नगर	टी-ब्लॉक, ई०एस०आई० डिस्पेंसरी, जुही-2 कम्पलेक्स, विनोभा नग, कानपुर
42.	स्थानीय कार्यालय, बनारस	एस-8/314, अ-इंद, खजूरिया, बनारस
43.	क०रा०बी० औषधालय, नोएडा	सैक्टर-2, नोएडा
44.	क०रा०बी० औषधालय, नोएडा	सैक्टर-12, नोएडा
45.	क०रा०बी० औषधालय, नोएडा	एन०ई०पी० जैड, फेज-II, नोएडा
46.	क०रा०बी० औषधालय, ग्रेटर नोएडा	ग्रेटर नोएडा
47.	क०रा०बी० मॉडल अस्पताल, साहिबाबाद	राजेन्द नगर, साहिबाबाद
48.	क०रा०बी० औषधालय, नोएडा	सैक्टर-24, नोएडा

विवरण-II

30.6.2003 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के संबंध में ग्रुप क, ख, ग, और घ के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या तथा तैनात अधिकारी/कर्मचारी

क्र० सं०	क०रा०बो० निगम कार्यालय का नाम	30.6.2003 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या				30.6.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में तैनात अधिकारी तथा कर्मचारी			
		क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	20	7	338	85	क्षे०नि० - 1 मेडि०रेफरी - 2 उ०नि० - 8 **जोड़ - 11**	स०नि० - 4 स०नि० (रा०भा०) - 1. **जोड़ 5**	व०वै०सहा०/वै०सहा०/आशु०-6 अधीक्षक - 22 बीमा निरी० - 34 बीमा निरी० (एल०आर०)- 4 बीमा निरी० (वसूली) - 3 प्र०लि०/सहा० - 104 उ०श्रे०लि० - 96 नि०श्रे०लि० - 11 ड्राइवर - 2 **जोड़ - 282**	रिकार्ड सार्टर - 26 चपरासी - 9 सफाईवाला - 7 फराश - 6 माली - 1 गे० ऑपरेटर - 1 **जोड़ - 50**
2.	कैम्प कार्यालय, नोएडा	1	—	5	1	उ०नि० - 1		अधीक्षक - 2 बीमा निरी० (वसूली) - 3 उ०श्रे०लि० - 1 नि०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 7**	रिकार्ड सार्टर - 1
3.	स्थानीय कार्यालय आगरा	—	—	4	2			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 3**	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	स्थानीय कार्यालय, इलाहाबाद	—	—	4	3			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 उ०श्रे०लि० 1 **जोड़ - 4**	रिकार्ड शार्टर - 2
5.	स्थानीय कार्यालय, अमौसी	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड शार्टर 1
6.	स्थानीय कार्यालय, अलीगढ़	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड शार्टर - 1
7.	स्थानीय कार्यालय, बरेली	—	—	4	3			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड शार्टर - 1
8.	स्थानीय कार्यालय, बाराबंकी	—	—	1	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1	रिकार्ड शार्टर - 1
9.	स्थानीय कार्यालय, डौड नगर	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड शार्टर - 1
10.	स्थानीय कार्यालय, इटावा	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड शार्टर - 1
11.	स्थानीय कार्यालय, फिरोजाबाद	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 उ०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 3**	रिकार्ड शार्टर - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
12.	स्थानीय कार्यालय, गुमटी नं० 5/लाजपत नगर	–	–	4	2			प्रबंधक श्रेणी II	1	रिकार्ड शार्टर	1
								प्रधान लिपिक	1	चपरासी	1
								उ०श्रे०लि०-सह खजांची	1	जोड़	2
								उ०श्रे०लि०	2		
								जोड़	**5**		
13.	स्थानीय कार्यालय, गाजियाबाद	–	–	9	4			प्रबंधक श्रेणी-II	1	रिकार्ड शार्टर	1
								प्रधान लिपिक	1	चपरासी	1
								उ०श्रे०लि०-सह-खजांची	1	जोड़	2
								नि०श्रे०लि०	1		
								जोड़	**4**		
14.	स्थानीय कार्यालय, गोरखपुर	–	–	3	1			प्रबंधक श्रेणी-II	1	रिकार्ड शार्टर-1	
								प्रधान लिपिक	1		
								उ०श्रे०लि०-सह-खजांची	1		
								नि०श्रे०लि०	1		
								जोड़	**4**		
15.	स्थानीय कार्यालय, हाथरस	–	–	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II	1	शून्य	
								उ०श्रे०लि०-सह-खजांची	1		
								नि०श्रे०लि०	1		
								जोड़	**3**		
16.	स्थानीय कार्यालय, झांसी	–	–	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II	1	रिकार्ड शार्टर-1	
								उ०श्रे०लि०-सह-खजांची	1		
								जोड़	**2**		
17.	स्थानीय कार्यालय, लखनऊ	–	–	5	1			प्रबंधक श्रेणी-II	1	रिकार्ड शार्टर-1	
								उ०श्रे०लि०-सह-खजांची	2		
								जोड़	**3**		
								(भुगतान कार्यालय हेतु खजांची)	**1**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	स्थानीय कार्यालय, मुरादाबाद	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड शार्टर-1
19.	स्थानीय कार्यालय मोदी नगर	—	—	3	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड शार्टर-1 चपरासी-1
20.	स्थानीय कार्यालय मऊनाथ भंजन	—	—	3	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड शार्टर-1
21.	स्थानीय कार्यालय, मेरठ	—	—	4	2			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 उ०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 3**	चपरासी-1
22.	स्थानीय कार्यालय, मीरपुर	—	—	2	—			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 3**	शून्य
23.	स्थानीय कार्यालय, नवीन मार्केट/आर्य नगर			2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड सार्टर-1
24.	स्थानीय कार्यालय, नैनी	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 नि०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 3**	रिकार्ड सार्टर-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	स्थानीय कार्यालय, नोएडा-1	–	–	6	2			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची 1 उ०श्रे०लि० 1 **जोड़ - 4**	चपरासी-1
26.	स्थानीय कार्यालय, नौएडा-2	–	–	6	2			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 3**	चपरासी-1
27.	स्थानीय कार्यालय, नौएडा (फेज-II)	–	–	6	2			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 उ०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 4**	रिकार्ड सार्टर-1
28.	स्थानीय कार्यालय, ग्रेटर नौएडा	–	–	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड सार्टर-1
29.	स्थानीय कार्यालय, प्रताप गंज	–	–	3	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 उ०श्रे०लि० - 2 **जोड़ - 4**	रिकार्ड सार्टर-1
30.	स्थानीय कार्यालय, रेनूकूट	–	–	4	2			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 नि०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 4**	रिकार्ड सार्टर-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	स्थानीय कार्यालय, राय बरेली	—	—	3	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	चपरासी-1
32.	स्थानीय कार्यालय, सर्वोदय नगर-I	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि० सह खजांची - 1 उ०श्रे०लि० 1 **जोड़ - 3**	चपरासी-1
33.	स्थानीय कार्यालय, सरोजिनी नगर	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 उ०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 3**	रिकार्ड सार्टर-1
34.	स्थानीय कार्यालय, सिकन्दरा	—	—	3	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 नि०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 4**	रिकार्ड सार्टर-1
35.	स्थानीय कार्यालय, सहारनपुर	—	—	4	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 नि०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 3**	चपरासी-1
36.	स्थानीय कार्यालय, शिकुहाबाद	—	—	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड सार्टर-1
37.	स्थानीय कार्यालय, सहजनवा	—	—	3	1			प्रबंधक श्रेणी-II 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड सार्टर-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	स्थानीय कार्यालय, मोहन नगर	–	–	6	3			प्रबंधक श्रेणी II 1 प्रधान लिपिक 1 उ०श्रे०लि० सह खजांची 1 नि०श्रे०लि० 1 **जोड़ - 4**	रिकार्ड सार्टर 1
39.	स्थानीय कार्यालय, सकन्दराबाद	–	–	2	1			प्रबंधक श्रेणी-II 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड सार्टर-1
40.	स्थानीय कार्यालय, उन्नाव	–	–	3	1			प्रबंधक श्रेणी-II 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 **जोड़ - 2**	रिकार्ड सार्टर-1
41.	स्थानीय कार्यालय, विनोभा नगर	–	–	3	1			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 नि०श्रे०लि० - 1 **जोड़ - 3**	रिकार्ड सार्टर-1
42.	स्थानीय कार्यालय, बनारस	–	–	4	2			प्रबंधक श्रेणी-II - 1 प्रधान लिपिक - 2 उ०श्रे०लि०-सह-खजांची - 1 नि०श्रे०लि० - 2 **जोड़ - 6**	रिकार्ड सार्टर-1
43.	क०रा०बी० औषधालय, सैक्टर-2, नोएडा	6	–	15	13	जी०डी०ओ०/आई० एम०ओ० - 5	शून्य	प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि०/उ०श्रे०लि०-खजांची - 2 नि०श्रे०लि० - 1 फार्मेसिस्ट - 5 ए०एन०एम० - 3 **जोड़ - 12**	रिकार्ड सार्टर-2 चपरासी/सफाईवाला/ड्रेसर - 6 जोड़ - 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	क०रा०बी० औषधालय, सैक्टर-12, नोएडा	10	—	24	18	जी०डी०ओ०/आई० एम०ओ० 8 आयु० 1 **जोड़** - **9**	शून्य	प्रधान लिपिक - 1 उ०श्रे०लि०/उ०श्रे०लि०- खजांची - 2 नि०श्रे०लि० - 3 फार्मेसिस्ट - 9 ए०एन०एम० - 5 लैब असि० - 1 **जोड़** - **21**	रिकार्ड सार्टर - 2 चपरासी/ सफाईवाला - 12 ड्रेसर 4 **जोड़** - **18**
45.	क०रा०बी० औषधालय, एन०ई०पी० जेड, नोएडा	3	—	8	10	जी०डी०ओ०/आई० एम०ओ० - 3	शून्य	उ०श्रे०लि०/उ०श्रे०लि०- खजांची - 2 नि०श्रे०लि० - 2 फार्मेसिस्ट - 2 ए०एन०एम० - 2 **जोड़** - **8**	रिकार्ड सार्टर - 1 चपरासी/ सफाईवाला - 4 ड्रेसर - 1 **जोड़** - **6**
46.	क०रा०बी० औषधालय, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा	2	—	10	10	जी०डी०ओ०/आई० एम०ओ० - 2	शून्य	उ०श्रे०लि०/उ०श्रे०लि०- खजांची - 2 नि०श्रे०लि० - 1 फार्मेसिस्ट - 1 ए०एन०एम० - 1 **जोड़** - **5**	रिकार्ड सार्टर - 1 चपरासी/ सफाईवाला - 2 ड्रेसर - 1 **जोड़** - **4**
47.	क०रा०बी० मॉडल अस्पताल, साहिबाबाद	60	5	149	103	चि०अधी० - 1 स०चि०अधी०- 1 विशे० - 3 जी०डी०एम०ओ०- 14 आयु०फिजी० - 1 होम्यो० - 1 उप०नि० (प्रशा०)- 1 **जोड़** - **22**	शून्य	प्रधान लिपिक/सहायक - 2 उ०श्रे०लि० - 2 उ०श्रे०लि०-खजांची - 1 नि०श्रे०लि० - 3 स्टाफ नर्स - 9 नर्सिंग सिस्टर - 5 लैब टेक्नि० - 2 रेडियोग्राफर - 1 ई०सी०जी० टेक्नी० - 1 फिजी०ओ० थेरे० - 1 फार्मोसिस्ट - 3 आयु० फार्मा० - 1 **जोड़** - **31**	लांड्री ऑप० - 2 कुक - 2 स्ट्रेचर बियरर/नर्सिंक आडर्ली - 19 **जोड़** - **23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	क०रा०बी० अस्पताल, नोएडा	72	1	202	148	निदेशक 1 उप०चि०अधी० 1 उप०नि०(प्रशा०) 1 उप०नि० (वित्त) 1 विशे० - 11 जी०डी०एम०ओ० - 28 डेन्टल सर्जन 1 वरि०रेजि० - 6 जोड़ - 50	निजी मन्त्रि 1	कार्यालय अधीक्षक 2 प्रधान लिपिक/सहायक 4 उ०श्रे०लि० 6 उ०श्रे०लि०-खजांची 1 नि०श्रे०लि० 7 स्टेनो/पी०ए० 1 केयरटेकर 1 हिन्दी अनुवादक - 1 ए०एन०एस० - 6 स्टाफ नर्स - 50 नर्सिंग सिस्टर - 16 वरि० लैब टेक्नि० - 1 लैब टेक्नि० - 4 लैब असि० - 5 व० रेडियोग्राफर - 1 रेडियोग्राफर - 3 क० रेडियोग्राफर - 2 व०ई०सी०जी० टेक्नी० - 1 ई०सी०जी० टेक्नी० - 4 व०ओटी० टेक्नी० - 1 ओटी० टेक्नी० - 3 व०सी०एस०एस०डी०टेक्नी०- 1 सी०एस०एस०डी० टेक्नी०- 1 सी०एस०एस०डी० सहा०- 2 पिजियोथैरेफिस्ट - 1 फार्मेसिस्ट - 6 ए०एन०एम० - 4 डेन्टल टेक्नी० - 1 प्लास्टर सहायक - 5 लान्ड्री सुपरवाइजर - 1 बॉयलर अटेन्डेन्ट - 1 व० डाइटीसियन - 1 डाइटीसियन - 1 स्टुअर्ड - 1 वरिष्ठ कुक - 1 एम्बुलेंस/स्टाफ कार ड्राइवर - 8 क०एम०आर०टी० - 1 **जोड़ - 156**	रिकार्ड सार्टर 2 चपरासी - 6 ड्रेसर 3 लांड्री आपरेटर 4 कुक 4 कुक मेट मसालची- 6 स्ट्रेचर बियरर - 6 नर्सिंग ऑर्डली - 30 सफाईवाला - 25 **जोड़ - 86**

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेनदारी के कारण हुआ घाटा

3378. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समान्तर रूप में वर्ष 1995 से अपना निवेश निम्न दर पर और लेनदारी उच्च दर पर करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सरकारी उपक्रम विभाग के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था;

(घ) यदि हां, तो इस गलत प्रक्रिया को अपनाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन

3379. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**
श्रीमती रमा पायलट :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और खाड़ी देशों के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कच्छ के रास्ते करने के बजाय अहमदाबाद और पश्चिम मुम्बई से होकर लम्बे मार्ग से करती है जिसके कारण ईंधन पर अतिरिक्त व्यय होता है और अधिक समय भी लगता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अतिरिक्त ईंधन पर कितनी राशि की वार्षिक हानि होती है; और

(ग) सरकार द्वारा इन उड़ानों का परिचालन भुज के रास्ते करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय रक्षा प्राधिकारियों द्वारा छोटे मार्ग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसलिए हवाई मार्ग सीधा नहीं है और विमानों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। मौजूदा मार्ग पर दूरी में इस दृष्टि के कारण प्रति वर्ष लगभग 14.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ती है।

(ग) भुज के ऊपर से गुजर कर छोटे मार्ग से प्रचालन की अनुमति प्राप्त करने के लिए रक्षा प्राधिकारियों के समक्ष यह मामला रखा गया है।

बाघ परियोजनाओं के लिए धनराशि

3380. **श्री आर०एल० जालप्पा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान कर्नाटक सहित देश में बाघ परियोजनाओं के लिए कितनी राशि जारी की गई;

(ख) क्या कुछ राज्य विशेषकर कर्नाटक ने अपर्याप्त राशि के कारण उक्त परियोजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्नाटक सहित देश में बाघ परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 के दौरान उक्त परियोजना के लिए राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। कुछ राज्यों में उनके अर्थोपाय स्थिति के फलस्वरूप क्षेत्र क्रियान्वयन के लिए धीमी गति से राशियां दी गई है जबकि केन्द्र से वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कर्नाटक सहित राज्यों के लिए बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत आबंटित राशि 28.50 करोड़ रुपए है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्यों को बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

बाघ परियोजना स्कीम 2002-2003 का राज्यवार व्यय

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	32.70	21.10
2.	बिहार	62.91	25.00
3.	झारखण्ड	41.25	18.00
4.	केरल	118.00	63.75
5.	मध्य प्रदेश	944.02	786.44
6.	महाराष्ट्र	708.257	621.79
7.	उड़ीसा	120.41	32.88
8.	उत्तरांचल	249.23	168.00
9.	राजस्थान	496.47	294.92
10.	छत्तीसगढ़	42.33	32.48
11.	उत्तर प्रदेश	87.10	32.75
12.	कर्नाटक	380.75	289.56
13.	पश्चिम बंगाल	254.05	168.33
14.	तमिलनाडु	216.5	125.00
	कुल	3753.977	2680

उत्तर पूर्वी राज्य

क्र०सं०	राज्य	स्वीकृत धनराशि	दी गई राशि
1.	असम	130.60	65.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	39.75	35.875
3.	मिजोरम	128.94	98.32
	कुल	299.29	199-895

विवरण-I

बाघ परियोजना स्कीम 2003-2004 का राज्यवार व्यय

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	64.50	22.89
2.	बिहार	91.38	50.00
3.	झारखंड	52.97	25.00
4.	केरल	112.86	60.00
5.	मध्य प्रदेश	680.59	270.00
6.	महाराष्ट्र	209.65	79.45
7.	उड़ीसा	140.75	60.00
8.	उत्तरांचल	207.35	100.00
9.	राजस्थान	248.45	95.00
10.	छत्तीसगढ़	98.77	55.00
11.	कर्नाटक	336.77	100.00
12.	पश्चिम बंगाल	263.10	125.00
13.	तमिलनाडु	107.75	35.00
	कुल	2614.89	1077.34

उत्तर पूर्वी राज्य

क्र०सं०	राज्य	स्वीकृत की गई राशि	दी गई राशि
14.	असम	166.39	50.00
15.	अरूणाचल प्रदेश	127.05	65.00
16.	मिजोरम	72.61	45.00
	कुल	366.05	160.00

[हिन्दी]

आरक्षित पद

3381. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में और इसके अधीनस्थ विभागों और उपक्रमों में श्रेणी-वार और वर्ग-वार कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और सामान्य श्रेणी के लोगों का श्रेणी-वार पृथक-पृथक आंकड़ा क्या है; और

(ग) उनमें से 31 मार्च, 2004 तक श्रेणी-वार और वर्ग-वार कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पवन हंस की उड़ान अवधि

3382. **श्री अशोक अर्गल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड (पी०एच०एच०एल०) द्वारा वर्ष-वार कितने घंटे की उड़ानों को संचालित किया गया;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड द्वारा अपने हेलीकाप्टरों के लिए खरीदे गए कल-पुर्जों का ब्यौरा क्या है और वे कितने मूल्य के हैं;

(ग) इन कल पुर्जों को किन कंपनियों से खरीदा गया है;

(घ) क्या सरकार को पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड के किसी वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड (पी०एच०एच०एल०) ने वित्त वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान क्रमशः 19206 घंटे, 19246 घंटे तथा 21043 घंटे की उड़ानें भरी।

(ख) और (ग) पी०एच०एच०एल० ने 13,97,39,030/- रुपए की कुल लागत से मै० सोफेमा (फ्रांस), मै० केसलेर (यू०एस०ए०), मै० एस०पी०आर०ओ० (सिंगापुर) तथा मै० मेर्लिन हावक (यू०एस० ए०) से अपने डॉफिन हेलीकाप्टरों के एयरों इंजर पार्ट्स, एयर फ्रेम पार्ट्स, एविओनिक्स स्पेयर्स, रोटॉर पोर्टस और मैन गीयर बाक्स स्पेयर्स के लिए कल-पुर्जे खरीदे जबकि इसने अपने बेल हेलीकाप्टरों के लिए मै० बेल एच/सी एशिया (सिंगापुर) और मै० एविएल (सिंगापुर) से 2,74,78,315/- रुपए की कुल लागत के और अपने रोबिंसन हेलीकाप्टरों के लिए मै० रोबिंसन एच/सी को० (यू०एस०ए०) से 24,17,633/- रुपए की कुल लागत के और अपने एम०आई०-172 हेलीकाप्टरों के लिए मै० एविएनेक्सपर्ट्स (रूस), मै० एविएबाल्टीका (लिथुआनिया), मै० होसोटा (लिथुआनिया), मै० एविएएक्सपोर्ट (रूस) तथा मै० एयराजुर (फ्रांस) से 9,03,25,070/- रुपए की कुल लागत के कल-पुर्जे खरीदे।

(घ) और (ङ) दिनांक 30.5.2001 को, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने (i) जून, 1988 में जामनगर, गुजरात में चक्रवात के दौरान क्षतिग्रस्त हुए बेल वीटो-पी०एच०डी० हेलीकाप्टर की मरम्मत में खर्च हुए 3.00 करोड़ रुपए के मामले के संबंध में आरोपित अनियमितताओं की जांच करने के विषय में पी०एच०एच०एल० के महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) और दूसरे अज्ञात अधिकारियों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। आरोप था कि मै० एयरोस्पेश, सिंगापुर को टैंडर क्रियाविधि का उल्लंघन करके और मूल निर्माता से परामर्श किए बगैर ही अति उच्च दर पर यह मरम्मत कार्य सौंपा गया था; (ii) उक्त क्षतिग्रस्त हेलीकाप्टर के लिए परिवहन ठेके के संबंध में टैंडर आमंत्रित करने में अनियमितताओं और धोखेबाजी का आरोप लगाया गया था। सी०बी०आई० ने प्रारंभिक जांच के बाद, मद सं० (i) में उल्लिखित आरोप में कोई अनियमितताएं नहीं पाई। जहां तक मद सं० (ii) में उल्लिखित आरोप का संबंध है, सी०बी०आई० ने दिनांक 31.10.2002 को आरोपित अनियमितताओं की जांच करने के विषय में पी०एच०एच०एल० के एक वरिष्ठ प्रबंधक (सामग्री), मै० फ्लाई जैक फार्वर्ड्स एवं अन्य के विरूद्ध एक रेगुलर केस दर्ज किया है।

[अनुवाद]

झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण

3383. **श्री शिबु सोरेन :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०) की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र में बेकार पड़ी अतिरिक्त भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिरिक्त भूमि के उपयोग के संबंध में यदि कोई नीति/अनुबंध है तो वह क्या है;

(घ) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र का प्रबंधन संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि को किराए पर/पट्टे पर दे रही है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके वास्तविक मालिकों को अप्रयुक्त भूमि वापस न किए जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहीत भूमि का कुल क्षेत्र 31287.24 एकड़ है जिसमें से 824.85 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा नहीं सौंपी गई है।

(ख) कोई अधिशेष भूमि नहीं है। यद्यपि, भावी उपयोग के लिए निर्धारित 8602.82 एकड़ भूमि इस समय खाली पड़ी हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) चूंकि संपूर्ण भूमि का उपयोग हो रहा है अथवा वह भावी उपयोग के लिए निर्धारित है, इसलिए अनप्रयुक्त भूमि मूल मालिकों को वापिस करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र०सं०	विवरण	प्लाटों की संख्या	क्षेत्र (एकड़)
1	2	3	4
	वर्ष 2000-2001		
(1)	जगन्नाथ मंदिर के लिए उत्कल सेवा समाज	1	00.25
(2)	वाईएमसीए	1	00.25
(3)	सेक्टर xii में आईओसी	1	00.37
(4)	हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी	1	00.37
(5)	धनबाद सेण्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि०	1	00.12
(6)	विहंगम योगा संस्थान	1	00.25
(7)	एलआईसी ब्रांच ऑफिस-II	1	00.3
(8)	उत्कल सेवा समाज सांस्कृतिक केंद्र	1	00.25
(9)	बोकारो इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	1	17.3
(10)	श्रीमती सैइल सिंह, एचबी-8/सीसी	1	00.03
(11)	श्रीमती रीता लाल, एचबी-9/सीसी	1	00.02
(12)	1987 के विज्ञापन के तहत आबंटित प्लाट	184	03.9
	योग	195	23.41
	वर्ष 2001-2002		
(1)	गायत्री परिवार ट्रस्ट	1	00.25
(2)	दि एसेम्बलीज ऑफ गॉड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया	1	00.25

1	2	3	4
(3)	अब्दुल गफ्फार अंसारी, एस-22बी/सीसी	1	00.099
(4)	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० के पैट्रोल पंप के लिए	1	00.344
(5)	भारत सेवा आश्रम संघ	1	00.25
(6)	1987 के विज्ञापन के तहत आबंटित प्लाट	41	00.848
	योग	46	2.041
	वर्ष 2002-2003		
(1)	आईओसी-विद्यमान पैट्रोल पंप का विस्तार	1	00.124
(2)	आईओसी को एलपीजी प्लांट	1	00.617
	योग	2	0.741

बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता

3384. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) से (ग) यह मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास हेतु निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को अपनी योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता देता है। ये स्कीमें परियोजना उन्मुखी है न कि श्रेणी विशेष। वैसे प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास से अन्यों के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलती है।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में व्यंजन सूची

3385. **श्री रामचन्द्र पासवान** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ान सेवाकाल की उपलब्धता के अनुसार इंडियन एयरलाइंस में उड़ान सेवा व्यंजन सूची गैर-पेशेवर प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों द्वारा भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इंडियन एयरलाइंस द्वारा उड़ान सेवा व्यंजन सूची को उन प्रबंधकों द्वारा तैयार करवाए जाने के क्या कारण हैं जो इस कार्य के योग्य नहीं हैं; और

(घ) सरकार द्वारा व्यंजन सूची का निर्णय करने का कार्य पेशेवरों को देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस की व्यंजन सूची को व्यावसायिक दृष्टि से अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कुतुबमीनार को पुन: खोला जाना

3386. **डा० जसवंतसिंह यादव** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता के लिए कुतुबमीनार को पुन: खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) वर्तमान में चल रहे मरम्मत कार्यों के पूरा हो जाने और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के बाद कुतुब मीनार की पहली मंजिल को सितम्बर के अंत तक जनता के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

भर्ती एजेंटों के गिरोह

3387. **श्री अनन्त नायक :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और अन्य राज्यों में श्रम शक्ति गिरोहों के बढ़ने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान और उसके बाद राज्य-वार ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ग) ऐसे गिरोहों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) धोखाधड़ी और शोषण संबंधी छिटपुट शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित भर्ती एजेंटों को उपयुक्त समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निपटान का निर्देश दिया जाता है। ऐसा करने में विफल रहने वाले भर्ती ऐजेंटों के पंजीकरण को निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। रोजगार शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नियोक्ताओं को ''पूर्व अनुमोदन श्रेणी''/काली सूची में डाल दिया जाता है। विदेश में नियोजन के लिए अवैध भर्ती करने में लगे व्यक्तियों/एजेंसियों के विरूद्ध पुलिस शिकायतें दर्ज की जाती हैं।

जैव-मंडल के विकास हेतु सहायता

3388. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद देश के विभिन्न भागों में जैव-मंडल के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जैव-मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे और जैव-मंडलों की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) और (घ) नए जैव मंडल रिजर्वों को राज्य सरकारों की सिफारिशों और क्षेत्र की वनस्पतिजात एवं प्राणिजात जैव-विविधता के आधार पर घोषित किया गया है।

विवरण

देश में परिचालित जैव मंडल रिजर्वों की सूची

क्र० सं०	जैव मंडल रिजर्व का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य
1.	नीलगिरी	01.08.1986	कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल
2.	नंदा देवी	18.01.1988	उत्तरांचल
3.	नोकरेक	01.09.1988	मेघालय
4.	वृहन निकोबार	06.01.1989	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
5.	मन्नार की खाड़ी	18.02.1989	तमिलनाडु
6.	मानस	14.03.1989	असम
7.	सुन्दरबन	19.03.1989	पश्चिम बंगाल
8.	सिमलीपाल	21.06.1994	उड़ीसा
9.	डिबरू सौखोवा	28.07.1997	असम
10.	देहांग देबांग	02.09.1998	अरूणाचल प्रदेश
11.	पचमढ़ी	03.03.1999	मध्य प्रदेश
12.	खांगचेंदजोंगा	07.02.2000	सिक्किम
13.	अगस्थामलाई	12.112001	तमिलनाडु और केरल

जैव मंडल रिजर्वों को वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र० सं०	जैव मंडल रिजर्व का नाम	वित्तीय सहायता			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	नीलगिरी (तमिलनाडु का भाग)	15.00	24.50	50.00	40.46

1	2	3	4	5	6
	नीलगिरी (कर्नाटक का भाग)	49.30	30.00	शून्य	35.86
	नीलगिरी (केरल का भाग)	43.05	28.25	23.79	
2.	नंदा देवी	40.00	63.00	71.70	
3.	नोकरेक	18.50	7.20	25.00	
4.	ब्रुहत निकोबार	14.88	15.00	शून्य	
5.	मन्नार की खाड़ी	12.00	02.91	06.00	
6.	मानस	21.50	शून्य	06.96	
7.	सुन्दरबन	26.00	46.82	50.00	37.83
8.	सिमलीपाल	34.00	14.52	50.00	31.90
9.	डिब्रू सैखोवा	35.00	14.35	15.00	
10.	देहांग देबांग	35.00	शून्य	शून्य	35.00
11.	पचमढ़ी	35.40	35.00	50.00	
12.	ग्वालगेदजोंगा	24.50	37.90	42.23	25.90
13.	अगरथ्यामलाई	शून्य	शून्य	12.00	38.00

ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय

3389. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में स्थापित किये जाने वाले पुस्तकालयों की राज्यवार संख्या क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत "पुस्तकालयों" के राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से पुस्तकों, फर्नीचर की आपूर्ति, उपस्करों का नवीकरण और भवन का विस्तार करके पुस्तकालयों की साज-सज्जा के लिए सहायता प्रदान करती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आरक्षित पदों पर नियुक्ति के मामले में अनियमितताएं

3390. श्री रामविलास पासवान : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति लागू न किए जाने और कई वर्षों से तदर्थ आधार पर आरक्षित पदों पर सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में अनियमितताओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर सामान्य उम्मीदवारों के भरे जाने के मामले का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) एन०एम०एम० पुस्तकालय द्वारा आरक्षित पदों को अ०जा०/अ०ज०जा० द्वारा भरे जाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा एन०एम०एम० पुस्तकालय में अ०जा०/अ०ज०जा० हेतु आरक्षण नीति के क्रियान्वयन में अनियमितताओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कर्मचारी एसोसिएशन के अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष की आर० संगीता राव से लोक सभा सचिवालय के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) उक्त अभ्यावेदन में उठाए गए विभिन्न मुद्दों के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों के रूप में विज्ञापित परन्तु, सामान्य श्रेणी उम्मीदवारों से भरे गए रिक्त पदों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है। आरक्षित रिक्त पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरने का कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होना था।

(घ) 1969 से 1970 के दौरान अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों का चयन किया गया था और उन्हें सहायक अनुसंधान अधिकारी और

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों की पेशकश की गई थी परन्तु दोनों उम्मीदवारों ने पदभार ग्रहण नहीं किया। 1972 के दौरान, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद के रूप में एक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का विज्ञापन दिया गया था परन्तु अनुसूचित जाति का उम्मीदवार न मिलने के कारण उसे भरा नहीं गया। 17.6.1997 को सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा पदोन्नति से भरा गया था। 1997 के दौरान पद-आधारित रोस्टर फिर से तैयार करने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दो पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे गये थे जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1. सहायक अनुसंधान अधिकारी – 23.7.2001 को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा भरा गया (सीधी भर्ती)

2. सहायक कीपर – 11.2.2002 को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा भरा गया (सीधी भर्ती)

इसके अलावा, 2003 के दौरान, अनुसंधान अधिकारी और वरिष्ठ रिप्रोग्राफी अधिकारी के एक-एक पद को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को पूर्णतः रोस्टर प्वाइंटों के अनुरूप भरने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण-I

लोक सभा सचिवालय के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन में उल्लिखित विषयों के ब्यौरे

(i) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया है।

(ii) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय प्राधिकारियों ने 8000- 10,000/-रु० और उससे अधिक के वेतनमान में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक भी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया है।

(iii) वर्ष 1986 से 8000-10000/-रु० और उससे अधिक के वेतनमान वाले पद के लिए कोई भर्ती नहीं की गई।

(iv) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के प्राधिकारियों ने भारत सरकार के अनुमोदन के बिना सेवा उपनियमों को परिवर्तित कर दिया है।

(v) प्रशासनिक अधिकारी के पद को, जो 1994 में रिक्त हो गया था, 1995 के दौरान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के रूप में और बाद में विशेष अभियान के तहत विज्ञापित किया गया लेकिन अब तक यह पद भरा नहीं गया है।

(vi) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी पदों को लागू भर्ती नियमों के अनुसार भरने के लिए 13.8.1999 को निर्णय दिया। जनवरी, 2000 में सहायक अनुसंधान अधिकारी के एक पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के रूप में विज्ञापित किया गया लेकिन कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया।

(vii) उप निदेशक के रिक्त पद को अनुसूचित जाति के बैकलॉग के रूप में आरक्षित होना चाहिए।

(viii) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय प्राधिकारी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके स्थान पर इसे 100 प्रतिशत पदोन्नति बनाने के लिए नियमों को परिवर्तित करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

विवरण-II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रूप में विज्ञापित, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे गए रिक्त पदों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र० सं०	पद का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित	विज्ञापन की तारीख	पद भरे जाने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	अनुसूचित जनजाति	अप्रैल, 1969	25.09.1969
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	अनुसूचित जनजाति	अप्रैल, 1970	13.05.1971
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष	अनुसूचित जाति	फरवरी, 1972	(नहीं भरा गया)

1	2	3	4	5
4.	अनुसंधान अधिकारी	अनुसूचित जनजाति	मार्च, 1972	23.07.1973
5.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	अनुसूचित जाति	अक्तूबर, 1973	10.05.1974
6.	सहायक कीपर	अनुसूचित जाति	अक्तूबर, 1972	17.04.1973
7.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	अनुसूचित जाति	जनवरी, 1974	21.01.1975
8.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	अनुसूचित जाति	सितंबर, 1976 फरवरी, 1977 में पुन: विज्ञापन दिया गया	24.05.1977
9.	अनुसंधान अधिकारी	अनुसूचित जनजाति	मार्च, 1977	04.06.1977
10.	वरिष्ठ रिप्रोग्राफी अधिकारी	अनुसूचित जाति	मई, 1978 अगस्त, 1978 में पुन: विज्ञापन दिया गया	18.11.1978
11.	अनुसंधान अधिकारी	अनुसूचित जाति	नवंबर, 1983 मई, 1984 में पुन: विज्ञान दिया गया।	30.04.1986

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में ठेका प्रणाली

3391. **श्री तूफानी सरोज :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फैक्ट्रियों में ठेका प्रणाली का चलन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह श्रमिकों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस ठेका प्रणाली के चलने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस प्रणाली का चलन भारत में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भी शुरू हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (घ) सरकार भारत में कारखानों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में ठेका श्रम के चलन से अवगत है। ऐसे प्रतिष्ठानों में से अधिकांश राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तथापि, यह पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं कराया गया है कि कारखानों में ठेका श्रम का चलन बढ़ा है।

(ख), (ग) और (ङ) ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में यह प्रथा कामगारों के लिए हानिकार है अथवा नहीं। तथापि, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा ठेका श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाती है। इस अधिनियम में जहां कहीं आवश्यक हो, कतिपय परिस्थितियों में ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन और जहां ठेका श्रम का उन्मूलन नहीं किया गया है वहां ठेका श्रमिकों की कार्य दशाओं को विनियमित करने का प्रावधान है। केन्द्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों ने विभिन्न जॉबों/कार्यों/प्रक्रियाओं से ठेका श्रम को प्रतिषिद्ध करने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी की हैं।

[अनुवाद]

सी०एच०सी० के साथ पवन हंस का समझौता

3392. **श्री रामजी मांझी :**
श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला :
श्री अशोक अर्गल :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने कनैडियन हेलीकॉप्टर कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह डी०जी०सी०ए० के उस आदेश का उल्लंघन था जिसके तहत इसने विदेशी कंपनी के साथ सभी वाणिज्यिक और वित्तीय समझौते करने पर प्रतिबंध लगाया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ये उद्देश्य पूरे हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पी०एच०एच०एल० किस तरीके से लाभान्वित हुआ है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड ने 7 जून, 2002 को कनाडा के मैसर्स सी०एच०सी० हेलीकाप्टर्स इंटरनेशनल इंक (सी०एच०आई०आई०) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ सी०एच०आई० द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड को उनके अनुरक्षण सुविधाओं के उन्नयन और उनकी प्रचालन तथा प्रबंधन प्रणालियों में और अधिक सुधार में सहायता करने पर बल दिया गया है। उपर्युक्त के अनुसरण में पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड तथा सी०एच०आई०आई० ने 7.7.2003 को एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत पी०एच०एच०एल० नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित सभी नियामक आवश्यकताओं के मद्देनजर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ०एन०जी०सी०) द्वारा सी०एच०आई०आई० को यदि ठेका प्रदान किया जाता है तो पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड प्रचालन एवं अनुरक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा।

(ग) जी, नहीं। इस समझौता-ज्ञापन में नागर विमानन महानिदेशालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि यह पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड में सी०एच०आई०आई० की इक्विटी भागीदारी या प्रबंध नियंत्रण शामिल नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समझौता ज्ञापन से अपने हेलीकाप्टर्स विदेश में प्रचालित करने की संभावना तथा उन्नत अनुरक्षण सुविधाओं के कारण राजस्व में वृद्धि द्वारा पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड को व्यवसायिक अवसर उपलब्ध होंगे।

(च) और (छ) उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड के दो इंजीनियर सी०एच०आई०आई० की सुविधाओं के अंतर्गत कनाडा में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

फसल चक्र में परिवर्तन

3393. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को फसल चक्र में परिवर्तन कर अनाजों की बजाय तिलहन और दलहन की खेती करने की सलाह दी गई है ताकि इन मदों के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार को वांछित लक्ष्य हासिल करने हेतु किसानों की किस तरीके से सहायता करने का विचार है; और

(ग) सरकार के इन खाद्य वस्तुओं में कब तक आत्मनिर्भर बनने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। राज्य सरकारों को तिलहन और दलहन पर जोर देते हुए उपयुक्त फसलों से परम्परागत फसलों को प्रति स्थापित करके विविधीकरण कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी जा रही है। तिलहन और दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामतः तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ०पी०पी०) और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन०पी०डी०पी०) देश के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि इन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, उन्नत कृषि औजारों का वितरण, स्प्रिंकलर सैटों, राइजोबियम कल्चर और सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के वितरण जैसे विभिन्न आदानों पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

किसानों के बीच उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शन और राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय (ब्लॉक) प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

इन जिंसों का उत्पादन मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आगामी वर्षों में मौसम की स्थिति अनुकूल रहती है तो आशा है कि इन जिंसों का उत्पादन बढ़कर लक्षित स्तर तक पहुंच जाएगा और देश स्वावलंबी बन जाएगा।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की स्थापना

3394. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु चिकित्सा क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

3395. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों ने धान और कुछ अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की शीघ्र घोषणा किये जाने और सूखा-प्रभावित राज्यों के किसानों को कुछ रियायत दिये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत मूल्यों की तुलना में वर्ष 2003-04 मौसम हेतु धान सहित खरीफ फसलों के उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की मांग की है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के लिए अपनी सहमति दी है और केरल राज्य सरकार ने कोई विशेष सिफारिश नहीं की है।

सरकार ने हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा साथ ही अन्य संगत कारकों, जो सरकार के विचार में समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं, के आधार पर 2003-04 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) हेतु खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एक समान हैं।

कर्नाटक तथा अन्य दक्षिणी राज्यों द्वारा वर्ष 2003-04 मौसम की खरीफ फसलों के लिए मांगे गए और भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2003-04 मौसम की खरीफ फसलों के लिए दक्षिणी राज्यों द्वारा मांगे गए और भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

	जिन्स		सिफारिश किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य				भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य
			आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	
	1		2	3	4	5	6
1.	धान	सामान्य	650	561	–	550	550
		ग्रेड ए	680	–	–	580	580
2.	ज्वार		770	557	–	505	505
3.	बाजारा		700	720	–	505	505
4.	मक्का		520	708	–	505	505
5.	रागी		730	526	–	505	505
6.	तुर (अरहर)		1770	1582	–	1360	1360
7.	मूंग		1590	–	–	1370	1370

1	2	3	4	5	6
8. उड़द	1850	–	–	1370	1370
9. मूंगफली (छिलका)	2050	1987	–	1400	1400
10. सोयाबीन पीला	–	–	–	930	930
काला	–	–	–	840	840
11. सूरजमुखी बीज	1970	1581	–	1250	1250
12. सिसमम	–	–	–	1485	1485
13. रामतिल	–	–	–	1155	1155
14. कपास एफ-414/एच-777/जे-34	2600	–	–	1725	1725
एच-4	3010	2115	–	1925	1925

[हिन्दी]

नदियों में प्रदूषण के कारण मछलियों की मौत

3396. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री रामदास रुपला गावीत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कई नदियों में प्रदूषण के कारण हाल ही में हेर सारी मछलियों की मौतें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सरकार 18 राज्यों की 31 नदियों के प्रदूषित किनारों के आसपास स्थित 157 शहरों में प्रदूषण निवारण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन नदी क्षेत्रों में केवल प्रदूषण के कारण मछलियों के मरने के किसी विशिष्ट मामले की हाल ही में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

तुर बोर्ड द्वारा तुर की खरीद

3397. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर बोर्ड ने 16 जनवरी, 2003 से बाजार में हस्तक्षेप करने और कर्नाटक के गुलबर्गा और बीदर जिलों में 1,650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तुर (लाल चना) की खरीद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे प्रभावित किसानों को किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है;

(घ) क्या यह भी निर्णय किया गया है कि तुर दाल हेतु किसानों को तुरन्त चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान में तुर बोर्ड द्वारा कुल कितनी तुर की खरीद और भंडारण किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। तूर बोर्ड ने गुलबर्गा और बीदर जिलों में 16 जनवरी, 2003 से 28 फरवरी, 2003 तक हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया था। ग्रेड-I हेतु 1650 रु० प्रति क्विंटल की दर से और ग्रेड-II हेतु 1600 रु० प्रति क्विंटल की दर से तूर की खरीद की गई थी। सात अधिप्राप्ति केन्द्र नामत: गुलबर्गा में गुलबर्गा, अफजलपुर, जेवार्गी, चीतापुर, सेदाम और बीदर जिले में बीदर और भाल्की हैं।

(ग) किसानों को प्रति क्विंटल 200 रु० से 250 रु० तक का लाभ हुआ।

(घ) जी, हां। किसानों को तत्काल चैक द्वारा भुगतान किया गया।

(ङ) 16 जनवरी, 2003 से 28 फरवरी, 2003 तक 667.58 क्विंटल तूर की खरीद की गई। वर्तमान धारित स्टॉक 635.58 क्विंटल है।

वन सड़क परियोजनाओं के लिए मंजूरी

3398. **श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल समेत कुछ राज्यों से कुछ वन सड़कों के निर्माण की मंजूरी प्राप्त करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने वाले हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोलकाता-लंदन उड़ान

3399. **श्री सुनील खां :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेशी निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलकाता से लंदन और अन्य देशों के लिए उड़ान शुरू करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ानें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न देशों के साथ भारत के विमान सेवा करारों के अधीन, 35 से अधिक देशों की नामित विमान कंपनियों को कोलकाता के लिए/से इस समय प्रचालन के अधिकार दिए गए हैं। तथापि, वास्तविक रूप से प्रचालन किया जाना संबंधित एयरलाइनों के वाणिज्यिक विवेक का मामला है।

पक्षियों के परों/पंखों को काटना

3400. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैडमिंटन की चिड़ियां बतखों/हंसों के परों/पंखों से बनाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक जरूरत की तुलना में अधिक पक्षियों के पर/पंखे काटे जाते हैं; जिससे पक्षियों को या तो असहनीय दर्द होता है या उनकी मौत हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस कुकृत्य को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) बैडमिंटन की चिड़ियां पशुओं/पक्षियों से न बनाकर और अन्य विकल्प विकसित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी, हां। बैडमिंटन खेलने के लिए उपयोग में लाई गई शटल कॉक (चिड़िया) मुर्गियों के पंखों से बनी होती हैं।

(ख) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सिन्थेटिक सामग्री से बनाई गई शटलें भी बैडमिन्टन खेलने के लिए उपयोग में लाई जाती है।

मुंबई में सी०आर०जेड० में भवन निर्माण

3401. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माहुल-मुंबई इलाके के तटीय विनियमन क्षेत्र में भवन निर्माण की स्थिति पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दया है और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में और क्या कार्य-योजना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) समय-समय पर यथासंशोधित तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 के उपबंधों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं इसे लागू करने के प्रयोजन से सरकार ने केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और महाराष्ट्र और संघ शासित क्षेत्रों सहित प्रत्येक तटीय राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया है।

(ग) राष्ट्रीय और राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत उल्लंघनों पर अंकुश लगाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। सरकार ने विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 के उल्लंघनों को अभिनिर्धारित करने और इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य स्तर के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों को पांच लाख रुपए और प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र स्तर के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों को तीन लाख रुपए भी दिए हैं।

[हिन्दी]

विमान सेवा में वृद्धि

3402. श्री वाई०जी० महाजन :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारत के लिए विमान सेवा में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, मिस्त्र, दक्षिण अफ्रीका, मारीशियस, श्रीलंका, दुबई, कतर, कुवैत, ओमन, किर्गिस्तान, हांग-कांग, सिंगापुर तथा चीन उन बड़े देशों में से हैं जिन्होंने भारत के लिए और सेवाओं के प्रचालन तथा अधिक संख्या में भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंच बनाने की अनुमति का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

सिरी फोर्ट से दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय का हटाया जाना

3403. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को सिरी फोर्ट नई दिल्ली में स्थित अपने अधिकारियों हेतु क्लब और बैंक्वेट हाल को गिराने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हस्तक्षेप के क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ध्यान में ये अवैध निर्माण कब आए;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस सूचना पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने कर्तव्यों की अनदेखी करने के क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के उपबंधों का उल्लंघन करके केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों सीरी फोर्ट तथा बुलबुल की मस्जिद, के निषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा मैसर्स एशियाड टावर इंकार बैंक्विट द्वारा बनाई गई अनाधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली के उच्च न्यायालय में वर्ष 2002 में जैसे ही इस मामले में रिट याचिका दायर की गई, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1958 तथा संशोधित नियम, 1992 के तहत यथा-आवश्यक नोटिस जारी करके आवश्यक कार्रवाई की गई तथा यह कोर्ट केस सफलतापूर्वक लड़ा गया जिसकी पराकाष्ठा ध्वस्त किए जाने संबंधी आदेश जारी करने से हुई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

धावनपट्टी का विकास

3404. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद विमानपत्तन पर विमानों के उड़ान भरने और उतरने की सुविधार्थ धावनपट्टी की लंबाई बढ़ाने से संबंधित कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कुल निर्धारित धनराशि कितनी है और कितनी धनराशि व्यय की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य प्रगति पर है और आज की तारीख तक परियोजना का एक तिहाई कार्य पूरा हो गया है।

(ग) इस परियोजना के लिए 69.69 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है और 31 जुलाई, 2003 तक पहले ही इस पर 13.10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

गुजरात में विमानपत्तन

3405. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने विमानपत्तन हैं;

(ख) इनमें से कितने विमानपत्तन उचित रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास कई शहरों को वायुमार्ग से जोड़ने वाली फीडर विमान सेवाएं आरंभ करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) गुजरात राज्य में रक्षा विमानपत्तनों में दो सिविल एन्क्लेव सहित दस विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हैं।

(ख) इस दस में से नौ विमानपत्तन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। दीसा (पालनपुर) में एक विमानपत्तन पर प्रचालन कार्य नहीं हो रहा है।

(ग) और (घ) एयरलाइनें, प्रचालन तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर अपने प्रचालन की योजना तैयार करती हैं।

प्याज हस्तक्षेप योजना, 2000

3406. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **कृषि मंत्री** प्याज हस्तक्षेप योजना, 2000 हेतु महाराष्ट्र सरकार का दावों के बारे में 22.4.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4388 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष धनराशि से संबंधित और दावों का निपटान कर लिया गया है और धनराशि की प्रतिपूर्ति कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) दिनांक 20.01.2000 से 29.2.2000 तक 65000 मीटरी टन की मात्रा के लिए महाराष्ट्र में प्याज के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी गई थी। 65000 मीटरी टन की अनुमोदित मात्रा हेतु हानि पर भारत सरकार के अंश की पूर्ण एवं अंतिम प्रतिपूर्ति महाराष्ट्र सरकार को पहले ही निर्मुक्त कर दी गई है। मण्डी हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत प्याज की किसी अतिरिक्त मात्रा की मंजूरी नहीं दी गई। अत: और किसी दावे के निपटान का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ठेका श्रमिकों हेतु योजना

3407. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ठेका श्रमिकों को छंटनी होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त श्रमिकों को चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इससे कितने श्रमिकों के लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (च) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में परिवर्तन के लिए सामाजिक भागीदारों से प्राप्त छंटनी मुआवजे का भुगतान और ठेका श्रमिकों को चिकित्सा बीमा प्रदान करने सहित विभिन्न प्रस्तावों के दृष्टिगत सरकार से इस अधिनियम की समीक्षा की है। अधिनियम में किए जा सकने वाले संशोधनों के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श शामिल है अतएव न तो अंतिम निर्णय में लगने वाला निश्चित समय बता पाना संभव है और न ही लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संख्या बता पाना संभव है।

खतरनाक अपशिष्ट का निपटान

3408. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी द्वारा उत्पन्न खतरनाक अपशिष्टों के निपटान हेतु स्थायी समाधान पर्यावरण और वन मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया ने इस संबंध में कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है और सरकार को सौंपी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) जी, हां। परिसंकटमय अपशिष्टों के सामूहिक

शोधन, भण्डारण और निपटान सुविधाओं के लिए पाली जिला, फरीदाबाद में बतौस एकड़ स्थल अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। मैसर्स क्रिसिल इन्फ्रास्टक्चर एडवाइजरी, मुम्बई को हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य के 5 जिलों (गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर, बुलन्दशहर, मथुरा और मेरठ) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पाली, फरीदाबाद में एक सामूहिक शोधन, भण्डारण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने/परिचालन की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन कार्य सौंपा गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए सामूहिक शोधन, भण्डारण और निपटान सुविधाएं प्रौद्योगिकी रूप से किफायती और पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। अत: सामूहिक सुविधाओं के परिचालनात्मक तरीकों को अंतिम रूप देने की कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

ताजमहल की सुरक्षा

3409. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार बरसाती पानी द्वारा लाई गई बालू से ताजमहल को हो रही क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ख) बालू को रोकने हेतु क्या प्रयास किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) सम्पूर्ण मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। आगे कार्यवाही न्यायालय जो निर्देश जारी करेगा, उसके अनुसार की जाएगी।

[अनुवाद]

मेडिकल और सेल्स प्रतिनिधियों की न्यूनतम मजदूरी

3410. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मेडिकल और सेल्स प्रतिनिधियों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों के अनुसूचित नियोजनों में लगे कामगारों पर लागू होता है। मेडिकल और सेल्स प्रतिनिधियों के रोजगार को केन्द्रीय क्षेत्र की अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। तथापि, तमिलनाडु में (मेडिकल और सेल्स प्रतिनिधि) तथा पंजाब में (मेडिकल प्रतिनिधि) अनुसूचित नियोजनों में हैं।

ई०एस०आई० अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना

3411. डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अपने क्षेत्रों में ई०एस०आई० अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्षवार और राज्यवार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित/जारी की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क०रा०बी० अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना के संबंध में राज्य सरकारों में प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I (अस्पताल) और विवरण-II (औषधालय) पर दिए गए हैं।

(ग) पूंजीगत निर्माण के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वित्तीय नीति के अनुसार राज्य सरकार को कोई निधि आबंटित/निर्गत नहीं की जाती। अस्पतालों के संबंध में पूंजीगत निर्माण के लिए कोई आरक्षित निधि नहीं है जिससे पूंजीगत निर्माण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अस्पतालों/औषधालयों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि निम्नवत है :–

वर्ष	रुपए लाख में
2000-2001	771.58 लाख
2001-2002	710.88 लाख
2002-2003	824.01 लाख

नए औषधालयों पर होने वाले खर्च को पहले राज्य सरकार वहन करती है जिसे बाद में लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार पुनर्भुगतान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को भुगतान की गई राशि को संलग्न विवरण-III में पर दर्शाया गया है।

विवरण-I

1. **आंध्र प्रदेश (हैदराबाद) का पुराना शहर) :**

आंध्र प्रदेश सरकार से जनवरी, 1999 में हैदराबाद के पुराने शहर में एक 50 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जनसंख्या, बिस्तरों को उपलब्धि और मौजूदा अस्पतालों की अधिभोग दर को देखते हुए प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया। बाद में आंध्र प्रदेश सरकार के बीमा चिकित्सा सेवा के निदेशक की ओर से उनके 17.6.2000 के पत्र के माध्यम से 50 बिस्तरों के अस्पताल के स्थान पर 20 बिस्तरों वाले एक नैदानिक केन्द्र और आपात देख-रेख केन्द्र के निर्माण के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

पुन: अपने दिनांक 20.1.01 के पत्र के माध्यम से आंध्र प्रदेश के माननीय श्रम मंत्री ने हैदराबाद के पुराने शहर में बाण्डलागुडा में एक 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए अनुरोध किया जिसके संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

अंतत: आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय बोर्ड ने अपनी 48वीं बैठक में अस्पताल के बजाए पुराने शहर में एक नैदानिक केन्द्र के निर्माण की सिफारिश की। आंध्र प्रदेश के बीमा चिकित्सा सेवा के निदेशक ने इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजने के लिए मार्च, 2002 में राज्य सरकार से अनुरोध किया। इस प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

2. **गुजरात** (अंकलेश्वर) : अंकलेश्वर में जो आई०डी०सी० के 8 फ्लैटों में एक 25 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल पहले ही खोला जा चुका है। राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 16.5.2000 को सिद्धान्त रूप में एक 10 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए सहमति दी गई थी और राज्य सरकार से उसके निर्माण के लिए उपर्युक्त भूमि की व्यवस्था के लिए कहा गया था।

राज्य सरकार से अभी तक भूमि संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

3. **हिमाचल प्रदेश** (बद्दी बरोतिवाला) :

बद्दी बरोतिवाला में एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की स्थापना के लिए जुलाई, 2000 में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री की ओर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। जांच के उपरांत यह पाया गया कि अस्पताल की स्थापना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि परवानू स्थित मौजूदा अस्पताल की सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। अतएव राज्य सरकार को एक नैदानिक केन्द्र के निर्माण की सिफारिश भेजी गई जिसे माननीय मुख्य मंत्री ने अपने दिनांक 5.9.2000 के पत्र द्वारा स्वीकार किया था। किन्तु बाद में अपने दिनांक 6.12.2000 के पत्र द्वारा माननीय मुख्य मंत्री ने पुन: एक अस्पताल की स्थापना के लिए अनुरोध किया जिसे राज्य सरकार के दिनांक 22.11.2001 के पत्र में दोहराया गया।

अंतत: जैसा कि पहले ही 8.2.2002 को श्रम मंत्रालय को सूचित किया गया था, इस स्थान पर एक औषधालय-सह-नैदानिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित योजना ओर आंकलन की जांच की जा रही है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के लिए प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत किए जाने संबंधी विवरण

2000-2001

क्रम सं०	राज्य का नाम	क०रा०बी० औषधालय का नाम
1	2	3
1.	हरियाणा	मानेसर
2.	-वही-	संपला
3.	मध्य प्रदेश	मंगालिया (इंदौर)
4.	-वही-	मेक्सी (साजापुर)
5.	-वही-	औद्योगिक क्षेत्र, देवास
6.	-वही-	रीवा
7.	-वही-	पीतमपुर सेक्टर 3 और 4
8.	गोवा	सचल औषधालय, होंडा सर्कल, सतारी तालुका
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	-वही-	आनंद बल्लभ विद्यानगर
11.	तमिलनाडु	चैनीमलाई
12.	-वही-	नांगुनेरी
13.	-वही-	वेनुर

1	2	3
14.	तमिलनाडु	सोलीनगर
15.	-वही-	कराईकुडी और चेटीनाड
16.	-वही-	कलुगुमलाई
17.	-वही-	शंकरालिंगपुरम
18.	-वही-	राशीपुरम
19.	-वही-	करियापट्टी, बलकनानकुंडु
20.	-वही-	नलाटीपलायम
		2001-02
21.	तमिलनाडु	वालाकोइल क्षेत्र जिला इरोडे
22.	छत्तीसगढ़	हाथखोज (भिलाई)
23.	-वही-	चम्पा सेंटर (रायपुर)
		2002-03
24.	तमिलनाडु	परमाडुडी
25.	-वही-	पनरूटी
26.	-वही-	टिंडीवनम्
27.	-वही-	रामनाथपुरम
28.	-वही-	शिवगंगा और कलयारकोइल
29.	-वही-	शेषनोहबाड़ी
30.	-वही-	वेदुगुनाथंगल और पॉलीकुंडा
31.	-वही-	श्रीपेरम्बदुर क्षेत्र

विवरण-III

चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को भुगतान की गई राशि

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भुगतान की गई राशि (लाखों में)		
		2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2469.34	2640.15	2596.87
2.	असम	181.90	180.04	161.02
3.	बिहार	543.00	404.73	168.53
4.	चंडीगढ़	113.88	139.27	138.69
5.	छत्तीसगढ़	70.60	141.45	156.06
6.	गुजरात	2817.05	2591.28	2415.29
7.	गोवा	176.94	310.01	254.87
8.	हरियाणा	2195.19	1435.60	1520.85
9.	जम्मू और कश्मीर	52.78	61.97	59.00
10.	झारखंड	130.70	174.58	73.77
11.	कर्नाटक	4245.40	3789.22	4290.34
12.	केरल	1999.07	1796.87	1697.61
13.	हिमाचल प्रदेश	154.72	104.46	159.50
14.	मध्य प्रदेश	1171.05	946.33	1606.82
15.	महाराष्ट्र	7390.20	7161.16	5548.55
16.	मेघालय	10.82	8.97	6.46
17.	उड़ीसा	801.35	595.14	658.64
18.	पांडिचेरी	303.00	217.48	224.55
19.	पंजाब	1456.42	1740.65	1764.78
20.	राजस्थान	1192.40	1543.79	1610.10
21.	तमिलनाडु	5118.02	4597.41	6375.37
22.	उत्तर प्रदेश	2645.63	2264.34	1978.97
23.	उत्तरांचल	26.68	48.50	78.64
24.	पश्चिम बंगाल	3174.08	2702.93	2683.15
	कुल	38440.02	35596.36	36228.43

किसानों की आर्थिक स्थिति

3412. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति का चरणों में अध्ययन करा रही है;

(ख) यदि हां, तो "स्टेट ऑफ इंडियन फार्मर्सन्ए मिलेयिम स्टडी" शीर्षक वाले प्रथम चरण के अध्ययन के क्या परिणाम निकलें; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा "भारतीय किसानों की दशा- एक सहस्त्राब्दि अध्ययन" नामक एक अध्ययन प्रायोजित किया गया है। अध्ययन के प्रथम चरण के दौरान कृषि के विस्तृत क्षेत्र के अधीन विभिन्न विषयों पर विश्लेषणात्मक लेख लिखने के लिए तीन अग्रणी संस्थाओं द्वारा 26 दलों को लगाया गया है। इन लेखों में पिछले 50 वर्षों के दौरान अनुसरण की गई नीतियों और कार्यक्रमों तथा किसानों के कल्याण पर उनके प्रभाव को प्रल्लेखित किया जाएगा। सरकार को इन लेखों का अन्तिम विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अध्ययन के चरण-II के भाग के रूप में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किसानों की व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति पर स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस अखिल भारतीय सर्वेक्षण हेतु क्षेत्रीय कार्य जनवरी 2000 में शुरू हुआ तथा दिसम्बर 2003 तक चलेगा।

(ग) आशा की जाती है कि चरण-I में लिखे गए लेखों और सर्वेक्षण के निष्कर्षों से प्राप्त पिछले अनुभवों से सार्थक निष्कर्ष निकालने में नियोजकों तथा नीति निर्माताओं को मदद मिलेगी। लेखों और सर्वेक्षण के परिणामों को व्यापक प्रचार हेतु प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम

3413. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और कर्नाटक सरकार का विचार राज्य में प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो मैसूर में प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम सुविधा की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) इसके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य के मैसूर में वर्ष 2001-02 के दौरान प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम की स्थापना हेतु 40.00 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी।

(ग) कर्नाटक राज्य सरकार को परियोजना के कार्यान्वयन पर अब तक 36.00 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

(घ) परियोजनाओं का निष्पादन एवं कार्यान्वियन करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, कर्नाटक सरकार को वर्ष के अन्त तक परियोजना को समाप्त करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन

3414. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रभावी जल प्रबंधन हेतु राज्यों में योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु धनराशियों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा इस आवंटन में से कितनी धनराशि विभिन्न योजनाओं पर अलग-अलग व्यय की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण प्रभावी जल प्रबंधन संबंधी स्कीमों सहित जल संसाधनों, के विकास से संबंधित सभी क्रियाकलापों की संकल्पना, आयोजना और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने राज्य योजना आबंटनों से किया जाता है। जल प्रबंधन संबंधी विशिष्ट स्कीमों के लिए अलग से आबंटन नहीं किए जाते हैं। तथापि मुख्य रूप से बेहतर जल प्रबंधन के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत क्रियाकलाप शुरू किए जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण के लिए अनुमोदित राज्यवार राज्य योजना आबंटन संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष (2002-03) के दौरान राज्यों द्वारा कमान क्षेत्र विकास पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उनको जारी निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

दसवीं योजना (2002-07) के दौरान सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण के लिए परिव्यय

राज्य	परिव्यय करोड़ रुपये में				
	वृहद और मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई	कमान क्षेत्र विकास	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	9153.84	1607.19	66.22	17.73	10844.98
2. अरूणाचल प्रदेश	1.66	160.71	17.00	5.00	184.37
3. असम	273.60	305.09	47.64	19.00	645.83
4. बिहार	3273.19	681.78	150.05	1911.85	6016.87
5. छत्तीसगढ़	1721.37	776.64	6.76	1.88	2506.65
6. गोवा	175.40	27.00	12.50	8.00	222.90
7. गुजरात	7660.91	1098.49	34.05	16.60	8810.05
8. हरियाणा	1129.64	154.28	102.85	154.28	1541.05
9. हिमाचल प्रदेश	55.00	333.02	9.50	55.66	453.18
10. झारखंड	1720.86	325.84	0.00	30.0	2076.70
11. जम्मू एवं कश्मीर	237.43	333.06	42.19	193.10	805.78
12. कर्नाटक	13277.33	719.35	137.07	42.83	14176.58
13. केरल	600.00	205.00	75.00	50.00	930.00
14. मध्य प्रदेश	3819.03	1047.46	37.40	12.00	4915.89
15. महाराष्ट्र	12150.10	2043.16	1056.75	5.00	15255.01
16. मणिपुर	221.60	101.20	21.89	23.85	368.54
17. मेघालय	24.75	60.00	1.65	11.00	97.40
18. मिजोरम	0.05	26.83	1.40	0.00	28.28
19. नागालैंड	0.50	35.60	3.00	2.00	41.10
20. उड़ीसा	2329.02	1604.43	35.75	130.0	4099.20
21. पंजाब	1592.51	275.05	150.00	593.95	2611.51
22. राजस्थान	2269.61	285.42	193.51	19.35	2767.89
23. सिक्किम	0.00	15.00	15.00	1.00	31.00

1	2	3	4	5	6/
24. तमिलनाडु	1700.00	500.00	175.00	0.00	2375.00
25. त्रिपुरा	44.17	219.25	0.00	96.57	359.99
26. उत्तर प्रदेश	6424.58	535.27	400.00	247.50	7607.35
27. उत्तरांचल	103.28	59.86	0.00	15.39	178.53
28. पश्चिम बंगाल	895.85	238.49	52.05	712.27	1898.66
कुल-राज्य	70855.28	13774.47	2844.23	4375.81	91849.79
कुल-संघ राज्य क्षेत्र	6.50	98.39	2.40	186.44	293.73
कुल-राज्य-संघ राज्य क्षेत्र	70861.78	13872.86	2846.63	4562.25	92143.52

विवरण-II

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत, केन्द्र द्वारा जारी राज्य वार राशियां

(रुपये लाख में)

स्कीम का नाम	राज्य का नाम	वर्ष 2002-03
1	2	3
कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	0.00
	अरूणाचल प्रदेश	125.13
	असम	0.00
	बिहार	0.00
	छत्तीसगढ़	148.45
	गोवा	0.00
	गुजरात	0.00
	हरियाणा	620.92
	हिमाचल प्रदेश	182.22
	जम्मू एवं कश्मीर	344.00
	झारखंड	0.00
	कर्नाटक	2652.61
	केरल	0.00
	मध्य प्रदेश	615.05
	महाराष्ट्र	331.33
	मणिपुर	211.03
	मेघालय	11.34
	मिजोरम	9.14
	नागालैंड	0.00
	उड़ीसा	264.90
	पंजाब	1622.00
	राजस्थान	2939.27
	सिक्किम	1.25
	तमिलनाडु	2305.80
	त्रिपुरा	0.0
	उत्तर प्रदेश	2279.40
	उत्तरांचल	75.00
	पश्चिम बंगाल	284.00
	दादरा व नगर हवेली	0.00
	दमन व द्वीव	0.00
	कुल	15022.84

[अनुवाद]

बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु सहायता

3415. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में आचार्य एन०जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि हैदराबाद में औद्योगिक परिसरों के बहिस्रावों के अविवेकपूर्ण निपटान से भू-जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वहां बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) आचार्य एन०जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय, आन्ध्र प्रदेश द्वारा किए गए जांच-परिणामों से यह पता चला है कि कट्टेडन औद्योगिक विकास क्षेत्र में स्थित उद्योगों से प्रवाहित बहिस्रावों के कारण इस क्षेत्र का जल संदूषित है। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस क्षेत्र में स्थित दोषी उद्योगों के विरूद्ध कार्रवाई की है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का समुन्नयन किया है और स्वच्छतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अंगीकार किया है।

पोत भंजक यार्ड पर कार्य करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी खतरा

3416. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात तट पर अलग पोत भंजक यार्ड में कार्यरत श्रमिकों के सामने आ रहे स्वास्थ्य संबंधी खतरे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विस्फोटों/दुर्घटनाओं के कारण यार्ड में कितने कामगारों की मौत हुई और कितने घायल हुए; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विस्फोटों/दुर्घटनाओं के कारण यार्ड में मारे गए और घायल हुए कामगारों की संख्या नीचे दी गई :–

	2000-2001	2001-2002	2002-2003
मृत	16	12	23
घायल	08	18	08

(ग) स्वास्थ्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकार ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और श्रम विभाग के जरिए अनेक निवारक और संरक्षणात्मक कदम उठाए हैं। इनमें कामगारों में जोखिम जागरूकता अभियान, कामगारों और सुरक्षा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना, विशेषज्ञों द्वारा प्लाटों की सुरक्षा लेखा परीक्षा, घातक दुर्घटना मामलों की जांच और दण्डात्मक कार्रवाई करना, विभिन्न नियमों/विनियमों को कार्यान्वित करना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा यार्ड में अवसंरचना का विकास आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई के अंतर्गत भूमि

3417. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में विभिन्न योजनाओं विशेषकर फास्ट ट्रैक कार्यक्रम और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि की सिंचाई हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्यवार कुल कितना सिंचित/असिंचित भू-क्षेत्र है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। तदनुसार, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए लक्ष्य सलंग्न विवरण-I में दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक कार्यक्रम और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के संबंध में अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 (नवीनतम) के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य का नाम	दसवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए लक्ष्य (000 हेक्टेयर में)		
		वृहद एवं मध्यम	लघु	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	739.88	195.40	935.28
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.00	20.00	24
3.	असम	116.10	116.10	232.2
4.	बिहार	948.42	264.60	1213.02
5.	छत्तीसगढ़	305.00	55.00	360
6.	गोवा	26.66	4.54	31.2
7.	गुजरात	1904.00	66.00	1970
8.	हरियाणा	119.00	42.50	161.5
9.	हिमाचल प्रदेश	8.00	10.00	18
10.	झारखंड	315.00	एन एफ	315
11.	जम्मू एवं कश्मीर	25.00	एन एफ	25
12.	कर्नाटक	999.89	221.29	1221.18
13.	केरल	90.00	50.00	140
14.	मध्य प्रदेश	265.30	125.00	390.3
15.	महाराष्ट्र	1276.43	158.00	1434.43
16.	मणिपुर	28.15	14.45	42.6
17.	मेघालय	—	12.50	12.5
18.	मिजोरम	—	1.66	1.66
19.	नागालैंड	—	9.43	9.43
20.	उड़ीसा	465.07	132.37	597.44
21.	पंजाब	160.30	एन एफ	160.3
22.	राजस्थान	413.80	50.00	463.8
23.	सिक्किम	0.00	5.00	5
24.	तमिलनाडु	9.38	9.02	18.4
25.	त्रिपुरा	—	32.40	32.4
26.	उत्तर प्रदेश	1000.76	3616.80	4617.56
27.	उत्तरांचल	6.20	11.88	18.08
28.	पश्चिम बंगाल	700.00	एनएफ	700
	सभी राज्यों का योग	9926.34	5223.94	15150.28
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	4.43	4.43
	अखिल भारतीय कुल जोड़	9926.34	5228.37	15154.71

एन०एफ० = राज्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

विवरण-II

शुद्ध सिंचित क्षेत्र (एनआईए), शुद्ध बुआई क्षेत्र (एनएसए) और असिंचित क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे

(हजार हेक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शुद्ध बुआई क्षेत्र (एनएसए)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (एनआईए)	एनआईए से एनएसए का प्रतिशत	असिंचित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10610.00	4384.00	41.32	6226.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	166.00	35.00	21.08	131.00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	2701.00	572.00	21.18	2129.00
4.	बिहार	7437.00	3625.00	48.74	3812.00
5.	गोवा	142.00	22.00	15.49	120.00
6.	गुजरात	9667.00	3082.00	31.88	6585.00
7.	हरियाणा	3552.00	2888.00	81.31	664.00
8.	हिमाचल प्रदेश	551.00	102.00	18.51	449.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	733.00	303.00	41.34	430.00
10.	कर्नाटक	10259.00	2548.00	24.84	7711.00
11.	केरल	2239.00	380.00	16.97	1859.00
12.	मध्य प्रदेश	19898.00	6740.00	33.87	13158.00
13.	महाराष्ट्र	17691.00	2972.00	16.80	14719.00
14.	मणिपुर	140.00	65.00	46.43	75.00
15.	मेघालय	240.00	48.00	20.00	192.00
16.	मिजोरम	91.00	8.00	8.79	83.00
17.	नागालैंड	261.00	63.00	24.14	198.00
18.	उड़ीसा	6075.00	2090.00	34.40	3985.00
19.	पंजाब	4238.00	4004.00	94.48	234.00
20.	राजस्थान	15509.00	5612.00	36.19	9897.00
21.	सिक्किम	95.00	16.00	16.84	79.00
22.	तमिलनाडु	5464.00	2972.00	54.39	2492.00
23.	त्रिपुरा	277.00	35.00	12.64	242.00
24.	उत्तर प्रदेश	17585.00	12691.00	72.17	4894.00
25.	पश्चिम बंगाल	5472.00	1911.00	34.92	3561.00
	सभी राज्यों का योग	141093.00	57168.00	40.52	83925.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	135.00	71.00	52.59	64.00
	अखिल भारतीय कुल जोड़	141228.00	57239.00	40.53	83989.00

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसान

3418. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने किसान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) किसानों के लिए लागू की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान जारी की गई निधियों का योजना-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसमे कितने किसानों को लाभ हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कार्य स्थलों पर भेदभाव संबंधी समिति

3419. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्य स्थलों पर भेदभाव विशेषकर महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों पर उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु एक पांच सदस्यीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा समिति द्वारा दिए गए सुझावों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। सरकार ने "टाईम फार इक्वैलिटी ऐट वर्क" पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैश्विक रिपोर्ट की जांच करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

(ख) जी, नहीं। समिति भेदभाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच कर रही है। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इस मामले पर अपने विचार देने हेतु लिखा गया है क्योंकि इस रिपोर्ट में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विषयों को अलग रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

3420. श्री भास्करराव पाटील :
श्रीमती रयामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री कमलनाथ :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन०डी०डी०बी०) का विचार देश भर में डेयरी सहकारिताओं को परामर्शों तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप एन०डी०डी०बी० को कितना लाभ हुआ;

(ग) क्या निजी क्षेत्र में डेयरी सहकारिताओं ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद हेतु एन०डी०डी०बी० से आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन०डी०डी०बी० द्वारा दी जा रही मदद से देश में सहकारिता को कितना बढ़ावा मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सहकारी संस्थागत भवन, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन, पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण, नस्ल विकास, पशु आहार, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार तथा संयंत्र प्रबंधन तथा सूचना नेटवर्क संबंधी क्षेत्रों में डेयरी सहकारिताओं को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह डेयरी विकास के लिए अंत: संरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से परामर्श भी देता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक विकासात्मक संगठन है तथा इन क्रियाकलापों के कारण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) आणंद पद्धति पर कार्यरत डेयरी सहकारिताओं को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दी गई सहायता के साथ, मार्च, 2003 तक 1.03 लाख ग्रामीण सहकारी समितियों का गठन किया गया है जो बदले में 170 जिला सहकारी दुग्ध संघों तथा 15 राज्य सहकारी दुग्ध संघों को संबद्ध किया है।

जी०एम० फूड्स संबंधी कार्यशाला

3421. **श्री सईदुज्जमा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मई, 2003 को जीन अभियान द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में जी०एम० फूड्स के संबंध में एक इंटरेक्टिव वर्कशाप आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और चर्चा के प्रमुख मुद्दे कौन-कौन से थे;

(ग) क्या सरकार ने उनका समर्थन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) सरकार को जीन अभियान द्वारा आई०आई०टी०, नई दिल्ली में 13 मई, 2003 को आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों पर आयोजित किसी अंत: क्रियात्मक कार्यशाला की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन परियोजनाएं

3422. **श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना में स्वीकृत अनेकों पर्यटन परियोजनाएं अभी तक अधूरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई; और

(ग) सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान उन्हें पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु, सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्वीकृत की गई 2871 परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाएं निम्नलिखित कारणों से पूरी नहीं हो पाई हैं :–

- राज्य सरकारों के पर्यटन विभागों को, राजस्व विभागों द्वारा, भूमि के आवंटन एवं हस्तांतरण में विलंब।
- राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां उपलब्ध करने में विलंब।
- वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में स्थित परियोजनाएं क्लियर करने में विलंब।
- परियोजनाओं हेतु चयनित भूमि से संबंधित मुकदमा।
- देर से कार्य शुरू करने के कारण लागत में वृद्धि।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करें। परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग नियमित रूप से की जा रही है। उन परियोजनाओं का कार्यान्वयन, शीघ्रतापूर्वक करने के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुनरीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

सरकारी एयरलाइंस के पास बोइंग विमान

3423. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एयरलाइंस के पास कितने बोइंग यात्री विमान तथा अन्य छोटे यात्री विमान हैं;

(ख) क्या अप्रचलित और पुराने विमान अभी भी उपयोग में लाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नए बोइंग विमान खरीदने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूढी) : (क) एअर इंडिया के पास पट्टे पर लिए गए एक विमान (बी-747-400) और एक और विमान (बी-747-200) जिसको अनुसूचित प्रचालन-सेवा से हटा दिया गया है और जिसके निपटान की इंतजार है सहित 13 बोइंग यात्री विमान उपलब्ध हैं। एलाइंस एयर (जो इंडियन एयरलाइंस की एक सहायक कंपनी है) के पास 11 बोइंग 737 का एक विमान-बेड़ा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइंस के पास 2 डोर्नियर डीओ-228 तथा 4 एटीआर-42 छोटे यात्री विमान उपलब्ध हैं।

(ख) विमानों के संबंध में कोई जीवनकाल विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। किसी विमान का आपरेशन नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणित किए जा रहे इसके उड़नयोग्यता के मुताबिक जारी रह सकता है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस के निदेशक-मंडल ने दिनांक 27 मार्च, 2002 को हुई अपनी 61वीं बैठक में 10,089 करोड़ रुपए की शुद्ध लागत से वर्ष 2003-04 से 2007-08 की समयावधि के दौरान मै० एयरबस इंडस्ट्रीज से ए-319, ए-320 और ए-321 किस्म के विमानों सहित 43 विमान खरीदने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था। इंडियन एयरलाइंस द्वारा सरकार को प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इस विषय पर 25 अप्रैल और 12 जून, 2003 को प्री-पी०आई०बी० मीटिंग हुई, जिनमें यह संस्तुति की गई कि इस प्रस्ताव को पी०आई०बी० के विचारार्थ भेज दिया जाए। इस समय, विमान खरीदने संबंधी प्रक्रिया के पूरा हो जाने संबंधी कोई नियत तारीख नहीं बताई जा सकती, चूंकि पब्लिक निवेश प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मौजूदा क्रियाविधि का अनुसरण करना होगा।

एअर इंडिया की भी अधिक पुराने विमानों को बेड़े से निकालने, अपने विमान-बेड़े को युक्तियुक्त बनाने और क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से नए विमान खरीदे जाने की योजना है। एअर इंडिया की ओर से सरकार के अनुमोदनार्थ कोई अंतिम प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्रों संबंधी कृतिक बल

3424. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में फैले कृषि विज्ञान केन्द्रों (के०वी०के०) के पुनर्गठन के संबंध में एक कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है और कृतिक बल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कितना समय दिया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि विज्ञान केन्द्रों को और प्रभावी बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। एक दस सदस्यीय कार्यबल का गठन किया गया था जिसमें अध्यक्ष के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग के विशेष सचिव; सदस्यों के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से तीन, कृषि एवं सहकारिता विभाग से दो, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विभाग तथा गैर-सरकारी संगठनों से प्रत्येक के एक-एक अधिकारी; तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के अपर आयुक्त, सदस्य सचिव के रूप में शामिल थे। कार्य बल के विचारार्थ विषयों में कृषि विज्ञान केन्द्रों के सम्पर्कों को सुदृढ़ करना शामिल है। अधिसूचना (3.5.2002) से एक माह के अन्दर कार्य बल द्वारा रिपोर्ट देनी थी तथा उसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.5.2002 को प्रस्तुत कर दी थी।

(घ) और (ङ) कृषि विज्ञान केन्द्रों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्तर पर प्रौद्योगिकी सूचना की उपलब्धता के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों और प्रौद्योगिकी विकसित करने वाले संस्थानों के बीच इलेक्ट्रोनिक सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

पर्यावरणीय प्रदूषण तथा स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली संबंधी रिपोर्ट

3425. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण की खतरनाक तस्वीर और स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के संबंध में कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और इसे लागू करने हेतु कोई कदम नहीं उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित पर्यावरण एवं स्वास्थ्य समिति ने पर्यावरणीय प्रदूषण और सम्बद्ध स्वास्थ्य विषयों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ग) से (ङ) सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित संगत मुद्दों को हल करने हेतु केन्द्रक बिंदु के रूप में काम करने के लिए पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य प्रकोष्ठ (ई०एच०एच०सी०) की स्थापना की। इसके अतिरिक्त कई पर्यावरणीय स्वास्थ्य अध्ययन प्रारम्भ किए गए तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। हाल ही में पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर एक ''विजय स्टेटमैंट'' का प्रकाशन भी किया गया है जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विकिरण,

ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, भीतरी वायु प्रदूषण, संकटापन्न और जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के प्रति मानव स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस ''विजन स्टेटमैंट'' में विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए संस्थानिक सुदृढ़िकरण, लोक सहभागिता, कार्यान्वयन और समन्वय मेकेनिज्म की आवश्यकता का खुलासा भी किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकलापों के कार्यान्वयन की मानीटरी और निरीक्षण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर एक अंतर मंत्रालय समन्वय समिति और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर एक कार्यबल गठित किया गया है।

[हिन्दी]

धान और खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

3426. श्री अधीर चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहली बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) को स्थिर बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों और किसानों को कितना लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में खरीफ फसलों के एम०एस०पी० को स्थिर रखने हेतु एक योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) जी नहीं, सरकार ने हाल ही में सी०ए०सी०पी० द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 2003-04 मौसम (अक्टूबर-सितम्बर) के लिए धान सहित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम०एस०पी०) की घोषणा की है, इसमें राज्यों सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को दृष्टिकोण तथा अन्य प्रासंगिक कारक जो सरकार के विचार में समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है को ध्यान में रखा है। गत वर्ष (2002-03) की तुलना में धान सामान्य और धान ग्रेड ''क'' का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2003-04 के लिए क्रमशः 550 रु० प्रति क्विंटल और 580 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो प्रत्येक में 20 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शाता है।

[अनुवाद]

बाढ़ के पानी का संरक्षण

3427. श्री बीर सिंह महतो :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बाढ़ के पानी का सूखा प्रभावित राज्यों में उपयोग करने हेतु कोई अल्पावधि अथवा दीर्घावधि उपाय किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह कष्टों और विनाश को नियंत्रित करने में कितने प्रभावी सिद्ध हुए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जल राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ के जल के संरक्षण सहित सभी जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मानूसन के दौरान नदी प्रवाह को संरक्षित करने तथा गैर-मानसूनी अवधि के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग करने के उद्देश्य से देश में अनेक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। बाढ़ प्रबंधन तथा अन्य प्रयोगों के प्रयोजन से बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की भी आयोजना और कार्यान्वयन किया गया है। वाटरशेड विकास संबंधी स्कीमों से भी किसी सीमा तक बाढ़ की तीव्रता कम करने और जल के संरक्षण में सहायता मिलती है। भारत सरकार ने एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है जोकि अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ों को कम करेगी और सूखे से निपटने में सहायता देगी।

(ख) बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य वाली बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं कष्टों और विनाश को नियंत्रित करने में अत्यंत प्रभावी पाई गई हैं।

प्रवासी श्रमिक

3428. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने के मद्देनजर सरकार ने उत्प्रवासी श्रमिकों, बीमा इत्यादि के पंजीकरण के संबंध में अपनाए जाने वाले मार्गनिर्देश/प्रक्रिया बनाई है ताकि उनके परिवारों को मुआवजा मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 4 के अंतर्गत इस अधिनियम के लागू होने वाले प्रतिष्ठानों के प्रत्येक प्रधान नियोजन को समुचित सरकार के पंजीयक अधिकारी के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित है। प्रवासी श्रमिक की मजदूरी, कल्याण और अन्य शर्तें अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत निर्धारित उपबंधों द्वारा शामिल होती है।

क्षतिपूरक वनरोपण योजना

3429. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में भूमिहीन जनजातीय लोगों को भूमि देने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण योजना हेतु छूट मांगने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) जी नहीं। परन्तु राज्य सरकार ने राज्य में जनजातियों के बीच वितरण हेतु 12,196 हैक्टेयर वनभूमि के वनेतर प्रयोग के लिए जनवरी, 2002 में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय निरीक्षण दल ने जून, 2003 में प्रस्तावित क्षेत्र का दौरा कर सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया। राज्य सरकार ने संशोधित प्रस्ताव केवल जुलाई, 2003 के अंतिम सप्ताह में ही भेजा है। इसलिए प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान करने/अस्वीकृत किए जाने के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

गुजरात में साइंस सिटी

3430. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में साइंस सिटी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के लिए अभी तक कितनी निधियां जारी की गई और खर्च की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) लगभग 30 हेक्टेयर भूमि के कुल क्षेत्र पर चरण-I के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है।

इमैक्स थियेटर 23 अक्तूबर, 2002 से जनता के लिए खोल दिया गया है तथा आज की तारीख में 50 विद्यालयों से 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 81,000 दर्शक इमैक्स थिएटर के शिक्षा-मनोरंजन के अनुभव का लाभ उठा चुके हैं। 15 जून, 2003 से 30 सीटों वाला एक 'सिमुलेटर राइड' भी जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। इनर्जी पार्क में डायनासोरों तथा प्रदर्शों की स्थापना, अंतरिक्ष और संचार पण्डाल, जीव विज्ञान पार्क, संगीत फौवारा के कार्य के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं और उपयोगी सेवाओं का कार्य जोर-शोर से चल रहा है।

(ख) परियोजना के पहले चरण का निर्माण कार्य मार्च, 2004 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(ग) भारत सरकार, संस्कृति विभाग ने गुजरात में 'विज्ञान शहर' के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तथा अभी तक, एक करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की केलोन सिंचाई परियोजना

3431. **श्री शिवराजसिंह चौहान** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की केलोन सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार के पास गत कई वर्षों से लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब अनुमति दिए जाने की संभावना है और इस पर कब तक काम शुरू होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु जनवरी, 2000 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त 193.017 करोड़ रुपये की लागत वाली मध्य प्रदेश की हेलोन सिंचाई परियोजना की बात कर रहे हैं। इस परियोजना प्रस्ताव की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई है और वित्तीय, जल वैज्ञानिक, अन्तर्राज्यीय, सिंचाई आयोजना, पर्यावरण एवं वन पहलुओं से संबंधित टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थीं। इस परियोजना को स्वीकृत किया जाना राज्य सरकार

द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अधिकरणों की टिप्पणियों की शीघ्र अनुपालना पर निर्भर करता है।

बिहार में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

3432. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री** 5 मई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6079 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। बिहार सरकार को स्मरण कराया गया है कि वे सभी मांगी गई सूचना को समाविष्ट करे तथा उसके अनुसार परियोजना प्रस्ताव को संशोधित करे और राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए उप-नियमों तथा अधिदेश के साथ राज्य क्रियान्वयन एजेंसी भी गठित करें।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सलेम इस्पात संयंत्र

3433. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने सलेम इस्पात संयंत्र (एम०एम०पी०) की बिक्री के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विनिवेश प्रक्रिया की जांच के लिए एक बोर्ड स्तरीय उपसमिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सलेम इस्पात संयंत्र में 74 प्रतिशत भागीदारी के लिए जिन्दल स्टील्स द्वारा प्रस्तुत बोली को सेल द्वारा अभी खोला जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सलेम इस्पात संयंत्र की बिक्री के लिए पहले ही आरक्षित मूल्य तय कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) सेलम इस्पात संयंत्र (एम०एस०पी०) के स्वत्वहरण की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने एक समिति जिसमें निदेशक मंडल के सदस्य शामिल हैं, बनाई है।

(ख) और (ग) एस०एस०पी० के लिए वित्तीय बिड प्राप्त हुई है और यह संयंत्र के स्वत्वहरण की प्रक्रिया में उपयुक्त चरण पर खोली जाएगी।

(घ) और (ङ) सेल ने बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य की गणना नहीं की है। तथापि इस तरह के मूल्य की गणना मर्चेंट बैंकर जो प्रक्रिया का परामर्शदाता है, द्वारा की गई है और यह लिफाफे में सील बंद है।

पशु बीमा योजना

3434. **श्री सुरेश कुरूप : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के लिए कामधेनु बीमा योजना के अन्तर्गत ''पशु स्वास्थ्य बीमा योजना'' नामक योजना का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीमा कंपनी बाद में इस प्रस्ताव से पीछे हट गयी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की इस संबंध में अपने 30 जुलाई 2002 के निर्णय के कार्यान्वयन की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की है। तथापि केरल सरकार ने राज्य के किसानों के लिए ऐसी पेशकश की है।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने बताया है कि बीमा कम्पनी बाद में इस आधार पर अपनी पेशकश से मुकर गई कि नई योजना कम्पनी के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगी।

बीमा कम्पनी ने यह भी बताया है कि मौजूदा कामधेनु योजना में किसी परिवर्तन के लिए बीमांकन और कानूनी समर्थन के साथ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई०आर०डी०ए०) की स्वीकृति लेनी होगी जिसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) नई योजना को रद्द करने के लिए केरल सरकार और बीमा कंपनी के बीच विचार विमर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

मत्स्यन का विकास

3435. **डा० बलिराम :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों की सहभागिता से मत्स्यन का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहां इस उद्योग के विकास की संभावनाएं है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सरकार अन्तर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी के विकास एवं मछुआरों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करती है। इन योजनाओं में शामिल हैं : परंपरागत जलयानों का मोटरीकरण, ताजा एवं खारा जल जलकृषि का विकास, मत्स्यन बन्दरगाहों तथा मछली उतारने वाले केन्द्रों की स्थापना, मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास सहित मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार तथा मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण। इन योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद दी जाती है। नौवीं योजना तथा 2002-03 के दौरान, मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास तथा मछुआरा कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 1858.57 लाख रुपए तथा 134.26 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों में उत्पादन

3436. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों द्वारा किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन तीनों इस्पात संयंत्रों के वर्तमान उत्पादन अनुपात ने कार्यानिष्पादन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दिखायी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संयंत्रों के विस्तार हेतु इनमें और अधिक निवेश करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जुलाई, 2003 तक) के दौरान दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :–

संयंत्र	विक्रेय इस्पात का उत्पादन (हजार टन)			
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 जुलाई, 03 तक
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1496	1527	1585	494
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1294	1354	1527	532
भिलाई इस्पात संयंत्र	3307	3383	3616	1325

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार विस्तार के लिए सेल में कोई निवेश करने के संबंध में विचार नहीं कर रही है। तथापि, सेल ने विद्यमान सुविधाओं के उन्नयन के साथ-साथ नई सुविधाओं की स्थापना जैसे बोकारो इस्पात संयंत्र में लंबी रेल सुविधाएं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में ब्लूम कास्टर तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र में पाइप संयंत्र का उन्नयन के लिए योजना बनाई है।

[हिन्दी]

बागवानी और कृषि परियोजनाओं के लिए धनराशि

3437. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात में बागवानी और कृषि संबंधी पद्धियोजनाओं के विकास के लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई केन्द्रीय धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन राज्यों के लिए इन परियोजनाओं हेतु धनराशि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार बागवानी एवं कृषि के विकास के लिए गुजरात तथा महाराष्ट्र सहित देश में केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम "कृषि का वृहत् प्रबंध – कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण" कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में राज्यों को अपनी अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्यक्रमों को अग्रताक्रम देने की सुविधा प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस

स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र तथा गुजरात में बागवानी तथा कृषि के विकास के लिए निर्गत एवं प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

धनराशि राज्यों की आवश्यकता तथा कार्यक्रमों के अनुसार, जो कार्य योजनाओं में दर्शाए जाते हैं, निर्गत की जाती है।

विवरण

महाराष्ट्र

(लाख रुपये)

क्र० सं०	वर्ष	निर्गत राशि	प्रयुक्त राशि
1.	2000-01	10633.31	8352.73
2.	2001-02	10598.78	10884.66
3.	2002-03	8812.44	11253.46*

गुजरात

(लाख रुपये)

क्र० सं०	वर्ष	निर्गत राशि	प्रयुक्त राशि
1.	2000-01	4713.47	3692.61
2.	2001-02	3108.33	1079.16
3.	2002-03	2544.74	1750.51

* दिनांक 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के पास अव्ययित बकाया राशि होने के कारण वर्ष 2002-03 के दौरान अधिक राशि प्रयुक्त हुई है।

[अनुवाद]

रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन

3438. श्री शिबु सोरेन :
श्री अरूण कुमार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर झारखंड और बिहार से बड़ी संख्या में लोग/ग्रामीण श्रमिक रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक पलायन किए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का कृषि पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार के पास इस प्रकार बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन को रोकने के लिए कोई नीति या कार्यक्रम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न राज्यों के साथ-साथ बिहार एवं झारखंड राज्यों के मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के तेजी से हो रहे पलायन का सबसे प्रमुख कारण बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश है। क्योंकि देश में पलायन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने वाले व्यक्तियों के आंकड़ों का केन्द्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता।

(ग) पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर कोई भी दुष्प्रभाव देखने में नहीं आया है।

(घ) से (च) पलायन के मामलों को कम करने तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना आदि के अंतर्गत अनेक योजनाएं शुरू की हैं।

कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण

3439. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न कारणों से बेकार पड़ी कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त भूमि पर किसान किन कारणों से कृषि नहीं कर रहे हैं; और

(घ) इस भूमि पर कृषि करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) खेती योग्य बंजर भूमि से संबंधित आंकड़े राज्यों

द्वारा भूमि उपयोग सांख्यिकी (एल०यू०एस०) के अंतर्गत वार्षिक तौर पर एकत्रित किए जाते हैं भूमि उपयोग सांख्यिकी के नवीनतम संकलन के अनुसार वर्ष 1999-2000 में खेती योग्य बंजर भूमि का वर्गीकृत राज्य-वार क्षेत्र संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) खेती में आने वाली अधिक लागत और कम उत्पादकता के कारण खेती योग्य बंजर भूमि में खेती नहीं की जाती। भारत सरकार अवक्रमित भूमि के विकास के लिए नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, ह्यारीय मृदा का सुधार और झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 में खेती योग्य राज्य-वार भूमि

(क्षेत्र 000' है०)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खेती योग्य बंजर भूमि
1	2	
1.	आंध्र प्रदेश	781
2.	अरूणाचल प्रदेश	33
3.	असम	80
4.	बिहार	321
5.	गोवा	55
6.	गुजरात	1973
7.	हरियाणा	23
8.	हिमाचल प्रदेश	119
9.	जम्मू एवं कश्मीर	140
10.	कर्नाटक	433
11.	केरल	58
12.	मध्य प्रदेश	1501
13.	महाराष्ट्र	889
14.	मणिपुर	*
15.	मेघालय	449
16.	मिजोरम	121
17.	नागालैण्ड	65
18.	उड़ीसा	445
19.	पंजाब	37
20.	राजस्थान	4987
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	349
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	896
25.	पश्चिम बंगाल	42
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	12
27.	चण्डीगढ़	**
28.	दादर एवं नागर हवेली	
29.	दमन एवं दीव	2
30.	दिल्ली	10
31.	लक्ष्यद्वीप	**
32.	पाण्डिचेरी	3
	अखिल भारत	13828

*''विविध वृक्ष फसलों एवं बगीचों के तहत भूमि'' के अंतर्गत वर्गीकृत

**500 हेक्टेयर से कम

[हिन्दी]

विमानपत्तन का नामकरण

3440. श्री रामदास रूपला गावीत :
श्री वाई०जी० महाजन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विमानपत्तनों का नामकरण राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) सरकार की यह सामान्य नीति है कि वह एयरपोर्टों का नाम उसी शहर के नाम पर रखती है चूंकि यह नीति आमतौर पर यात्रियों को जबकि विशेष तौर पर विदेशी पर्यटकों को उस नगर की पहचान होने की वजह से सुविधाजनक पाई गई है।

(ग) और (घ) समय-समय पर, राजकोट, पोरबन्दर, जबलपुर, वाराणसी, नागपुर, विशाखापट्टनम, अगरतला, मदुरै, जोधपुर, डिब्रूगढ़, लेंगपुई और लीलाबाड़ी हवाई अड्डों के नामों को बदले जाने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सामान्य नीति के अपवाद-स्वरूप घरेलू हवाई अड्डों के नामों को बदले जाने संबंधी निर्णय लोगों की निरंतर मांग के आधार पर तथा संबंधित राज्य सरकारों जबकि रक्षा विभाग के हवाई अड्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय से परामर्श करने के बाद ही लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

पटना विमानपत्तन का विकास

3441. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना विमानपत्तन पर विमान उतारने हेतु वन विभाग और अन्य संबद्ध विभागों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अन्य ऐसे विमानपत्तन भी हैं जहां विमान उतारने या उड़ान भरने की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एल्युमिनियम संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण

3442. श्री परसुराम माझी :
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में लांजीगढ़ एल्युमिनियम संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गयी/दिए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पदोन्नति में अनियमितताएं

3443. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पदोन्नति नियमों का उल्लंघन और वरिष्ठ कर्मचारियों के दावों की अनदेखी करते हुए कुछ फ्लाइट पर्सर और विमान परिचारिकाओं को सहायक प्रबंधक के पदों पर पदोन्नति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें नियमों का उल्लंघन और योग्य वरिष्ठ कर्मचारियों के दावों की अनदेखी करके पदोन्नति दी गयी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पदोन्नति में की गयी अनियमितताओं को ठीक करने के लिए किन कदमों पर विचार किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भद्रावती इस्पात संयंत्र में विस्फोट

3444. श्री नरेश पुगलिया :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''सेल'' के भद्रावती इस्पात संयंत्र, कर्नाटक में हुए विस्फोट में कई जानें गई हैं और भारी मात्रा में सम्पत्ति का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या संयंत्र में पर्याप्त सुरक्षोपाय नहीं अपनाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कब तक एक पूर्ण जांच कराए जाने की संभावना है;

(च) इस विस्फोट में मारे गए लोगों या घायलों के परिवारजनों को कितनी क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) 31 जुलाई, 2003 को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वी०आई०एम०पी०) भद्रावती में एल०डी० कन्वर्टर नं० 2 के मोहाड़े में स्लैग और धातु का विस्फोट हुआ था। इससे उस स्थान पर उपस्थित कर्मचारी मारे गए/घायल हुए। ठेके के एक कर्मचारी सहित अस्पताल में लाए गए 7 कर्मचारियों के मृत होने का पता चला है, जबकि 9 और कर्मचारी जो घायल हुए थे, उपचार के लिए दाखिल कराए गए। दो कर्मचारी, जो अत्यधिक घायल थे, 01 व 08 अगस्त, 2003 को मर गए।

(ग) और (घ) जी, नहीं। संयंत्र में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे।

(ङ) दुर्घटना की जांच करने के लिए सेल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(च) प्रभावित कर्मचारियों को न्यूनतम 8.02 लाख रुपए और अधिकतम 25.33 लाख रुपए का आर्थिक भुगतान किया जाएगा। घायल कर्मचारियों के संबंध में मुआवजा, यदि कोई हुआ तो कंपनी के नियमानुसार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लिए प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की पेशकश की गई है।

(छ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल)/वी०आई०एस०पी० द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

- संरचना सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
- वी०आई०एस०पी० के सभी विभागों में प्रत्येक पाली की शुरूआत में पाली प्रभारी द्वारा संबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा के संबंध में बताया जा रहा है।
- जटिल उपस्करों को लंबे समय तक चलने वाले अनुरक्षण कार्यों के दौरान सुरक्षा कार्मिकों को सम्बद्ध किया जा रहा है।
- इस्पात गलनशाला में लगाने के लिए ''करें और न करें'' दर्शाने वाले बोर्ड तैयार किए।

कृषि श्रमिकों का पलायन

3445. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में काफी संख्या में कृषि श्रमिक गांवों में शहरों से पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके पलायन के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके लिए रोजागर सुनिश्चित करने तथा उनका और पलायन रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में कृषि कार्यकर्ताओं के गांवों से शहरों में पलायन के मुख्य कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध न होना, अपेक्षाकृत अधिक आय तथा बेहतर जीवन स्तर की आशा करना है।

(ग) सरकार, अन्य बुनिदयादी ढांचे तथा सामाजिक विकास के क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि, कृषि आधारित उद्योगों, छोटे और ग्रामीण उद्योगों, सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार का सृजन करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी विकासात्मक कार्यकलापों की गति को तेज किया जा सके

और विभिन्न राज्यों में गांवों से शहरों में पलायन को काफी हद तक हतोत्साहित किया जा सके। अभी हाल ही में, जुलाई, 2000 में घोषित की गई प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य 4% प्रतिवर्ष से अधिक इक्विटी के साथ सतत एवं मांग आधारित वृद्धि को प्राप्त करना है। इनमें कृषि क्षेत्र की विशाल अप्रयुक्त विकास क्षमता का प्रयोग करने, कृषि की सततता को बढ़ाने, घरेलू खाद्य एवं पौषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, मूल ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ बनाने, मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने, कृषकों, कृषि कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के लिए रहन-सहन का बढ़िया उच्च स्तर सुनिश्चित करने तथा कृषि मजदूरों का शहरी क्षेत्रों में पलायन को हतोत्साहित करने का पता लगाया गया है।

कर्नाटक में प्रति हेक्टेयर उत्पादन

3446. श्री जी०एस० वसवराज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार कर्नाटक में चावल, तिलहनों, कपास, बाजरा और दलहनों का प्रति हेक्टयर उत्पादन कितना है;

(ख) क्या राज्य में उन्नत किस्म के बीच विकसित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कर्नाटक में वर्ष 2002-03 के लिए विभिन्न फसलों के संबंध में प्रति हैक्टे० उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। चूंकि वर्ष 2002-03 के आंकड़ों में वर्ष 2002 मे कर्नाटक सहित देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखे का प्रभाव प्रतिबिम्बित होता है, कर्नाटक के संबंध में सामान्य उत्पादन आंकड़े (3 वर्षों, 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के लिए औसत) भी निम्नलिखित है :

पैदावार (कि०ग्रा०/हैक्ट० में)

फसल	2002-03*	सामान्य
चावल	2034	2467
कुल तिलहन	439	674
कपास	194	223
बाजरा	475	638
कुल दलहन	300	437

*चौथे अग्रिम अनुमान 1 जुलाई, 2003 को जारी किए गए।

(ख) और (ग) वर्ष 2002 से 2003 तक कर्नाटक राज्य के लिए विकसित किए गए उन्नत बीजों (किस्में/संकर) की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कर्नाटक के लिए वर्ष 2002 से 2003 तक विकसित उन्नत बीज

धान (चावल)

1. कर्नाटक हिल पैडी-5 (केएचपी-5)
2. हेमावती (डीडब्ल्यूआर-4107)
3. मुगड सुगंधा-1
4. 6201 (पीए-1003) संकर
5. संकर-6444 (एचआरआई-120)
6. आरएच-204 (इएक्सपीएच-204)

तिलहन

1. तिल
   1. प्रगति (एमटी-75)
   2. जेटीएस-8
2. **अरंड**
   1. दीपक (डीसीएच-177) संकर)
3. **रामतिल**
   1. जेएनसी-6
4. **कुसुम**
   1. एनएआरआई-6 (नॉन-स्पाइनी)
   2. एनएआरआई-एनएच-1 (नॉन स्पाइनी)
5. **सूर्यमुखी**
   1. एमएलएसएफएच-47 (एएच-11-34) संकर)
   2. केबीएसएच-44
6. **सोयाबीन**
   1. प्रतिकार (एमएयूएस-61)

कपास

1. सहाना (जेके-276-8-2)
2. आरएएमपीबीएस-155
3. सुमंगला (सीडब्ल्यूआरओके-165)
4. प्रतिमा (सीएनएच-120 एमबी)
5. एनसीएस-145 – बनी (एनसीएचएच-145)
6. एनसीएम-207 – मल्लिका (एनसीएचएच-207)

बाजरा

1. प्रोएग्रो-9443 (एमएच-846)
2. नंदी-34 (एमएच-889)
3. जीएचबी-558 (एमएच-946)
4. जीएचबी-526 (एमएसएच-105)

दलहन

1. **चना**
   1. बिहार फुले (जी-95311)
2. **लोबिया**
   1. केबीसी-2
3. **कुल्थी**
   1. पीएचजी-9
4. **मसूर**
   1. टीएम-3
   2. सिलेक्शन-31
5. **राइसबीन**
   1. आरबीएल-6

कर्नाटक में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना

3447. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में 52 तालुकाओं का भूमिगत जल स्तर ऊपर लाने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कोई परियोजना तैयार हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कर्नाटक राज्य के 52 तालुकाओं में भूमिगत जल स्तर ऊपर लाने हेतु "कर्नाटक जल संसाधन समेकन परियोजना" के घटक के रूप में इस स्कीम की योजना है जो कि राज्य सरकार में प्रतिपादन की अवस्था में है। इसे विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय को राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किराया में कमी

3448. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में अनेक विदेशी एअरलाइनों ने अपने किरायों में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स खाड़ी देशों से केरल का विमान किराया घटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) एयरलाइनों मौसम, मांग तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर अपने किरायों में फेर-बदल करती रहती है। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स भी प्रतियोगी परिदृश्य में इन परिवर्तकों के अनुसार प्रतिक्रिया करती है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स ने जुलाई, 2003 में केरल और खाड़ी के बीच के कतिपय सेक्टरों पर 5% से 29% तक किराये में कमी की है। इस समय भारत-खाड़ी सेक्टर पर मांग अधिकतम है क्योंकि छुट्टियां खत्म हो रही हैं। इसलिए, निकट भविष्य में किरायों को कम करने का एअर इंडिया का कोई विचार नहीं है।

क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्लिन डेवलपमेंट मेकेनिज्म

3449. श्रीमती जयावहन बी० ठक्कर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक नीति बनाने और "क्लिन डेवलपमेंट मेकेनिज्म" को कार्यान्वित करने हेतु एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पैनल की स्थापना करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कार्बन व्यापार पर नियंत्रण रखने हेतु उक्त पैनल की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र (सी०डी०एम०) के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया है।

(ख) सी०डी०एम० प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक सभी देशों को सी०डी०एम० के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण नामोदिष्ट करना होता है।

(ग) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् राष्ट्रीय सी०डी०एम० प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान

3450. श्री किरीट सोमैया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन्नयन, वन रोपण और ऐसे अन्य वृक्षारोपण अभियानों हेतु संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुम्बई का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्यान हेतु कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं तथा उसमें से कितनी निधियों का उपयोग किया गया है और कितनी निधियां अप्रयुक्त पड़ी रह गयी हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव संयज गांधी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर दीवार का निर्माण करने से संबंधित है।

(ग) जारी की गई निधियां, उनके उपयोग एवं अप्रयुक्त का विवरण निम्न हैं :–

(लाख रु० में)

वर्ष	जारी की गयी राशि	उपयोग की गई राशि	शेष
2000-01	70.00	70.00	–
2001-02	94.90	83.12	–
2002-03	130.77	121.50	–
कुल	295.67	274.62	21.05

विमानपत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों के परिरक्षण हेतु कार्गो सुविधा

3451. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विमानपत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों के परिरक्षण हेतु कार्गो की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अत्याधुनिक केन्द्र के निर्माण और प्रचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (पी०एफ०पी०इ० डी०ए०) के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं अथवा कार्यान्वयनाधीन हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) चार परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है तथा एक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) परियोजना के 2006 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र की पोशीर बांध परियोजना

3452. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में प्रस्तावित पोशीर बांध परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी जा चुकी है और सभी अपेक्षित बातें तथा स्पष्टीकरण दिए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) जी, नहीं। परियोजना प्राधिकारियों ने संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(घ) पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में लिए गए अंतिम निर्णय की सूचना पूरी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 120 दिनों के अन्दर दे दी जाएगी।

टाइगर स्पाइडर की तस्करी

3453. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक जहरीले रोएंदार टाइगर स्पाइडरों की पश्चिमी देशों को तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) टाइगर स्पाइडरों के गुप्त व्यापार से संबंधित जानकारी सरकार के ध्यान में आई है। पता चला है कि बाहर के कई देशों में टाइगर स्पाइडरों को पालतू पशुओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में दक्षिण भारत से की जा रही इन जानवरों की तस्करी के बारे में समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट छपी थी। राज्य वन्यजीव अधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि वे वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का भ्रमण करने वाले पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों की आवा जाही पर कड़ी निगरानी रखें। वन्यजीव सुरक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशकों से कहा गया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय पारगमन स्थानों (पाइन्टस) पर चौकस रहें।

जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी का विकास

3454. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी को समेकित विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं लागू नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कर्नाटक में अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना तथा जनजातीयों हेतु जनजातीय उप-योजना के तहत कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं;

(घ) कृषि फसलों के उत्पादन और उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्य में कार्यान्वित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ''जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्र में बागवानी का विकास'' पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों के चुनिन्दा जिलों में किया जा रहा है। इस स्कीम की शुरूआत नौवीं योजना के दौरान छः जिलों में प्रायोगिक (पायलट) आधार पर की गई थी, जो देश के बीस जिलों में कार्यान्वयन के लिये 10वीं योजना तक बढ़ा दी गई।

(ख) इस स्कीम का कार्यान्वयन ''अनुसूचित क्षेत्रों'' (शिड्यूल्ड एरिया) में किया जा रहा है, जो कर्नाटक में नहीं है।

(ग) कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजातियों के लिए जनजातीय उप योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(लाख रुपये में)

वर्ष	अनुसूचित जाति योजना घटक (एस०सी०पी० कंपोनेंट)	जनजातीय उप योजना घटक (टी०एस०पी० कंपोनेंट)
2000-01	151.43	77.56
2001-02	166.84	46.42
2002-03	133.186	58.81
2003-04	121.25	32.03

(घ) कृषि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु कर्नाटक में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय स्कीमें निम्नलिखित हैं :–

- कृषि का वृहद प्रबंध (कार्य योजना)
- बागवानी में मानव संसाधन विकास
- नारियल विकास से संबंधित कार्यक्रम
- त्वरित मक्का विकास परियोजना
- राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
- तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
- कपास मिनी मिशन-II
- जैव उर्वरकों के विकास एवं उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम

(ङ) कर्नाटक राज्य को वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान आवंटित राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कर्नाटक राज्य को विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटित धनराशि का विवरण

(लाख रुपये)

क्र० सं०	स्कीम	वर्ष			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	कृषि का वृहद प्रबंध (कार्य योजना)	6500.00	6500.00	5800.00	5500.00
2.	बागवानी में मानव संसाधन विकास	शून्य	14.00	18.00	शून्य
3.	नारियल विकास से संबंधित कार्यक्रम	95.05	205.50	144.00	211.18
4.	त्वरित मक्का विकास परियोजना	69.51	51.60	58.42	30.8
5.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	149.30	116.00	241.30	357.3
6.	बिलहन उत्पादन कार्यक्रम	713.30	713.30	773.46	1486.76
7.	कपास मिनी मिशन-II	290.12	210.00	150.30	360.2
8.	जैव उर्वरकों के विकास एवं उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम	37.50	27.85	7.00	34.85

निजी कम्पनियों द्वारा जल खींचा जाना

3455. **श्री सुनील खां :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोका कोला केरल में पालघाट जिले के पाल्चिम्दा नामक स्थान पर यादृच्छिक रूप से भूमि जल निकाल रही है तथा पूनम बेवरेजेज तमिलनाडु में तथा आन्ध्र प्रदेश के खम्मा जिले में भवनी नदी से पानी निकाल रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) संयोजित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोका कोला कंपनी केरल के पालघाट जिले के पाल्चिम्दा नामक स्थान में 6 बोर कूओं और 2 ओपन कूओं से पानी निकाल रही है। तमिलनाडु में न तो कोका कोला कंपनी को भवनी नदी से जल निकालने की अनुमति दी गई है और न ही इस कम्पनी ने भवनी नदी से जल निकालने की अनुमति के लिए आवेदन ही किया है। आन्ध्र प्रदेश के खम्माम जिले में किनले मिनरल वाटर (कोका कोला कंपनी का एक उत्पाद) गर्मी के मौसम के दौरान 1,25,000 ली प्रति दिन और अन्य मौसमों में 70,000 से 80,000 लीटर तक प्रतिदिन की दर से भूजल निकाल रही है।

(ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि सामान्य जलाभाव की अवधियों के दौरान जल को पम्प के माध्यम से जल निकालने का केरल सरकार का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ वर्षा जल संचयन और वर्षा जल संचयन के माध्यम से वर्तमान स्रोतों के पुनर्भरण की सिफारिश की गई है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सामान्य वर्षा वाले वर्षों के दौरान कोका कोला संयंत्र के कुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०) द्वारा स्क्रैप की बिक्री

3456. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2003 के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०) द्वारा कुल कितनी मात्रा में स्क्रैप की बिक्री की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रकार का स्क्रैप्स बेचा गया है;

(ग) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में भण्डारण से पहले स्क्रैप्स की श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ऊंची कीमत वाले स्क्रैप्स को अपेक्षाकृत कम दरों पर बेचा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र (बो०एस०एल०) लोहा और इस्पात स्क्रैप बेचता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2003 तक बेचा गया कुल स्क्रैप नीचे दिया गया है :–

वित्तीय वर्ष	मात्रा (एम०टी०)	
	इस्पात स्क्रैप	लोहा स्क्रैप
2000-2001	250192.33	34282
2001-2002	149207.07	18228
2002-2003	217509.225	14271
2003-2004 (30 जून, 2003 तक)	23397.61	1954

(ग) जी, हां।

(घ) बो०एस०एल० में स्क्रैप को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है :–

(i) **लोहा श्रेणी**

उप श्रेणी

– धमन भट्टी उद्भूत

– फाउंड्री उद्भूत

– अस्वीकृत इंगट मोल्ड और बॉटम प्लेट

(ii) **इस्पात श्रेणी**

उप श्रेणी

– अस्वीकृत इंगट बट्स तथा शार्टस

– स्टील स्कल तथा स्पीलेज

– मिल अस्वीकृत

– क्रोप एन्डस

– अनुरक्षण स्क्रैप

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन०पी० उर्वरकों की खपत

3457. श्री बी० वैत्रिसेलवन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षों से एन०पी०के० उर्वरकों की खपत धीरे-धीरे अनवरत रूप से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एन०पी०के० उर्वरकों की खपत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में एन०पी०के० उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन०पी०के० उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) 8वीं और 9वीं योजना के दौरान उर्वरकों की खपत में वार्षिक वृद्धि की औसत प्रतिशतता क्रमश: 2.47 प्रतिशत तथा 4.17 प्रतिशत थी।

(ख) वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक कुल एन०पी०के० पोषक तत्वों की अखिल भारत खपत निम्नलिखित है :–

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	खपत
2000-2001	167.02
2001-2002	173.60
2002-2003 (अनुमानित)	166.66

(ग) मांग को पूरा करने के लिए देश में एन०पी०के० उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली-हैदराबाद उड़ान में विलम्ब

3458. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की हैदराबाद-दिल्ली के बीच की सांयकालीन उड़ानें नियमित रूप से विलम्बित रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस ने 1 अप्रैल, 2003 से लेकर 30 जून, 2003 तक, विशेषकर इस क्षेत्र में होने वाले विलम्बों की निगरानी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) अप्रैल 2003 से जून, 2003 की अवधि के दौरान, हैदराबाद-दिल्ली सेक्टर पर प्रचालित आई०सी० 840 की कुल 91 उड़ानों में से 21 उड़ानों में 30 मिनट से अधिक की देरी हुई इनमें से एक उड़ान में देरी इस कारण से हुई जो इंडियन एयरलाइन्स के अधिकार क्षेत्र में आती थी।

(घ) कारणों का सूक्ष्म रूप से पता लगाने के लिए सभी देरियों की जांच की जाती है तथा उपचारी कार्यवाई की जाती है। देरियों को कम करने की दृष्टि से, पिछले 24 घंटों की प्रचालनों की संवीक्षा करने के लिए प्रतिदिन क्षेत्रीय स्तर पर, प्रचालन विभागों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक की जाती है इसके अतिरिक्त दिनांक 14.7.2003 से हैदराबाद-दिल्ली (सायंकालीन सेवा) का प्रचालन करने वाले विमान मार्ग में परिवर्तन किया गया है जिससे बेहतर समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

बेंगलूर से लुफ्थांसा की उड़ान

3459. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में बेंगलूर विमानपत्तन पर लुफ्थांसा के और अधिक विमानों को आने हेतु अनुमति देने के लिए बेंगलूर के प्रमुख नागरिकों और उद्यमियों से अभ्यावेदन और सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) इंफोसिस टेक्नालाजीस लि० के अध्यक्ष एवं चीफ मेंटर, श्री एन०आर० नारायण मूर्ति ने सरकार से बंगलौर के लिए/वहां से सप्ताह में छह उड़ानें प्रचालित करने के संबंध में लुफ्थांसा को अनुमति देने का अनुरोध किया है। मौजूदा करार के अनुसार, लुफ्थांसा बंगलौर के लिए/वहां से सप्ताह में 3 उड़ानें प्रचालित कर सकती है। पीक शीतकालीन पर्यटक समयावधि के दौरान सीमित मुक्त आकाश नीति के अन्तर्गत, लुफ्थांसा ने अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित की थी। तथापि, दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय विमान सेवा बातचीत के दौरान, नियमित आधार पर अतिरिक्त उड़ानों के प्रचालन पर विचार किया जाता है और बातचीत की जाती है।

वैकल्पिक ईंधन के रूप में जैव डीजल का उपयोग

3460. श्री राम सिंह राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव डीजल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने हेतु एक कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आयल पाम की खेती का विकास करने हेतु ठेका कृषि के क्षेत्रों का पता लगा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन विशेषज्ञों से परामर्श करने का निर्णय किया है जो तकनीकी और व्यावसायिक सम्पर्कों, जैव डीजल के उत्पादन की लागत समेत विभिन्न विवरण तैयार करेंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रायोगिक परियोजना पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय और राज्य विभागों की बैठक बुलाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) सरकार बायो-डीजल को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में पायलट परियोजना शुरू करने हेतु एक कार्य योजना पर विचार कर रही है।

(ख) आयल पाम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संविदा कृषि की अवधारणा शुरूआती चरणों में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल के मूल्य में गिरावट

3461. श्री सुरेश कुरूप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि खाद्य तेलों, विशेषकर पाम आयल समूहों के तेलों को अनुमत्य ड्यूटी में कटौती और अन्य

रियायतों के कारण हाल ही में नारियल के मूल्य में अभूतपूर्व गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित दरों के तहत खाद्य तेलों का आयात शुल्क और प्रशुल्क मूल्य उचित स्तर तक बढ़ाने के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी नहीं, केरल में अच्छी औसत गुणवत्ता (एफ०ए०क्यू०) के मिलिंग खोपरे के महीने के अंत के थोक मूल्य, 2003 मौसम के लिए निर्धारित 3320 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक थे। इसके अलावा खोपरे के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का रूख देखा गया है और यह जुलाई, 2003 में पिछले वर्ष इसी माह की तुलना में 11.7% अधिक था।

(ग) और (घ) नारियल तेल (क्रूड) पर टैरिफ की वर्तमान लागू दर 75% है जबकि परिष्कृत (रिफाइंड) नारियल तेल की टैरिफ दर 92.4% है (जिसमें 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क शामिल है)। क्रूड और रिफाइंड दोनों प्रकार के नारियल तेलों के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित टैरिफ दर 300 प्रतिशत है। इस प्रकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए बद्ध स्तरों के अंतर्गत खाद्य तेलों पर उपयुक्त टैरिफ लगाने के लिए सरकार के पास काफी सुविधा (फ्लैक्सीबिलीटी) है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पर्यटन विकास

3462. **डा० बलिराम** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली में पर्यटन के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार के इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटक केन्द्रों का एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना का विकास तथा गंतव्य विकास और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता हेतु योजनाएं तैयार की हैं।

(ख) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने लालकिला, हुमयूं का मकबरा, सलीमगढ़, किला राय पिथौरा, कुतुबमीनार तथा निजामुद्दीन में व्यापक कार्य हाथ में लिया है।

[अनुवाद]

आलू उत्पादन

3463. **श्री परसुराम माझी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आलू के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों में आलू के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में आलू की खेती बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000, 2000-01 और वर्ष 2001-02 के दौरान देश में आलू का उत्पादन क्रमशः 247.13, 224.88 और 240.82 लाख टन रहा। राज्यवार उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत सरकार कृषि के वृहद प्रबंधन कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों के सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। स्कीम के अंतर्गत राज्य अपनी इच्छानुसार आलू के पैदावार के तहत और अधिक क्षेत्र कवर कर सकता है। वर्ष 2003-04 के दौरान उड़ीसा सरकार इस स्कीम के अंतर्गत आलू का उत्पादन कर रही है।

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान आलू का राज्यवार उत्पादन

राज्य	उत्पादन (हजार टन)		
	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	11.3	14.0	14.7
अरूणाचल प्रदेश	32.4	36.7	32.6
असम	699.7	664.5	620.6

1	2	3	4
बिहार	1717.9	1400.4	1432.3
छत्तीसगढ़		66.0	71.3
गुजरात	688.7	716.1	802.0
हरियाणा	260.0	257.5	305.0
हिमाचल प्रदेश	140.9	191.6	145.3
जम्मू व कश्मीर	25.7	17.2	20.1
कर्नाटक	460.0	452.5	489.4
मध्य प्रदेश	870.0	429.7	471.9
महाराष्ट्र	71.4	72.9	77.1
मणिपुर	12.9	13.6	15.9
मेघालय	143.2	144.3	144.0
मिजोरम	4.0	3.4	4.5
नागालैण्ड	46.8	47.9	57.4
उड़ीसा	84.8	85.9	78.4
पंजाब	1563.4	1187.2	1413.9
राजस्थान	47.2	28.1	27.8
सिक्किम	16.6	16.5	25.8
तमिलनाडु	72.2	103.3	89.2
त्रिपुरा	100.0	105.9	106.3
उत्तर प्रदेश	10109.1	8398.2	9570.0
उत्तसंचल		361.9	243.7
पश्चिम बंगाल	7482.3	7673.1	7822.3
दिल्ली	52.7	0.0	0.5
अखिल भारत	24713.2	22488.4	24082.0

रानी की वाव को विरासत स्थल' बनाना

3464. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर गुजरात में पाटन के निकट रानी की वाव और मोढेरा के निकट सूर्य मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें इस सूची में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को वर्षा और वायु द्वारा इन स्मारकों को हो रहे खतरे की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इन स्मारकों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) उत्तर गुजरात में पाटन के निकट रानी की वाव और मोढेरा में सूर्य मन्दिर राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक हैं।

(घ) और (ङ) प्रकृति की मार से स्मारकों के बचाव के लिए पत्थर की बाहरी सतह का रासायनिक उपचार करके उन्हें परिरक्षित किया जाता है तथा पुरातत्वीय सिद्धांतों के अनुसार उनकी विशेष प्रकार की अपेक्षित संरचनात्मक मरम्मतें की जाती हैं।

आपरेशन फ्लड

3465. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपरेशन फ्लड शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डेयरी विकास के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने की विशाल संभावना है;

(घ) यदि हां, तो देश में विशेषकर महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा देश में डेयरी विकास कार्यक्रमों के प्रोत्साहन और विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जुलाई, 1970 में शुरू हुआ था और यह अप्रैल, 1996 में समाप्त हो गया।

(ग) और (घ) जी, हां। मार्च, 2003 तक 1.03 लाख ग्राम सहकारिता समितियां संगठित की गई थीं जिनमें 114.44 लाख कृषक सदस्यों को कवर किया गया था। महाराष्ट्र में मार्च, 2003 तक, 17,534 ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारिता समितियां संगठित की गई थीं जिनमें 16.06 लाख कृषक सदस्यों को शामिल किया गया था।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग देश में डेयरी विकास के विस्तार के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है :–

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
2. आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता
3. पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता
4. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना
5. सहकारिताओं को सहायता
5. एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम (आई०डी०डी०पी०)
7. गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

अल्प अवधि वाली उड़ानों में भोजन

3466. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दिल्ली - लखनऊ जैसी अपनी अल्प अवधि वाली घरेलू उड़ानों में भोजन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विदेशों में विशेषकर अमेरिका में ऐसी पद्धति का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा अपव्यय करने के क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपव्यय से बचने के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इसकी अल्प अवधि वाली उड़ानों में हल्का नाश्ता देने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में किन कदमों पर विचार किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) इंडियन एयरलाइन्स निम्नलिखित कारणों से दिल्ली – लखनऊ जैसे छोटे सैक्टरों पर भोजन की व्यवस्था करती है :– (I) अधिकांशत: वे स्थान जिनमें दूरी तथा यातायात शामिल होता है तथा यात्रियों को हवाई अड्डों तक पहुंचने में काफी समय लगता है। इसके अतिरिक्त चैक-इन तथा सुरक्षा औपचारिकताएं पूरी करने में समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप, यात्रियों के विमान में सवार होने के बाद वे भोजन दिया जाना पसंद करते हैं। (II) इंडियन एयरलाइन्स को अन्तरदेशीय मार्केट में अपने प्रतिस्पर्द्धी द्वारा पेश की जा रही सुविधाओं के समान ही आचरण करना होता है।

केरल में मत्स्य पत्तनों पर अतिरिक्त सुविधाएं

3467. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में मौजूदा मत्स्य पत्तनों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत शत-प्रतिशत सहायता मंजूर करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि मत्स्यन क्रियाकलापों पर प्रभाव डाले बिना उनका उपयोग लघु पत्तनों के रूप में किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा मरकरी अपशिष्ट का बहाया जाना

3468. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिन्दुस्तान लीवर द्वारा कोडैकनाल में प्रतिवर्ष लगभग 75 किग्रा० मरकरी अपशिष्ट का निपटान किया जाता/बहाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर प्रदूषण के स्तर की माप करता रहा है और उपयुक्त समय पर सुधारात्मक कदम उठाता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की पारा थर्मामीटर बनाने वाली

एक फैक्टरी 1983 से मार्च, 2001 तक कोडयकनाल, तमिलनाडु में चल रही थी। कार्य प्रचालन की अवधि के दौरान इस यूनिट ने लगभग 290 टन पारा संदूषित अपशिष्टों का उत्पादन किया। बाद में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यूनिट को बंद किए जाने के आदेश दिए जाने पर फैक्टरी मार्च 2001 में बन्द कर दी गई।

(ख) और (ग) जिस दौरान यह यूनिट कार्य कर रहा था उस दौरान इसके वातिस्राव शोधन संयंत्र के निष्पादन की तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नमूनों के आवधिक संग्रहण और विश्लेषण के माध्यम से नियमित निगरानी की जाती थी। इस मामले की जांच करने के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित कार्यकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा 1983-2001 में उत्पादित पारा संदूषित अपशिष्ट का निर्यात भारत सरकार और यूएसए सरकार की अनुमति से मई 2003 में पारे की प्राप्ति और अवशिष्ट अपशिष्टों के अंतिम निपटान के लिए संयुक्त राज्य अमरीका को किया गया था। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संदूषित स्थल के सुधार सहित स्थिति की कड़ाई से मानीटरिंग कर रहा है।

नागपुर में मल्टी मोडल केन्द्र

3469. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नागपुर में मल्टी मोडल केन्द्र विमानपत्तन के बारे में प्रस्ताव की जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के माध्यम से प्रारंभिक अध्ययन किया है। नागपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाये जाने के साथ, गैर मैट्रो हवाई अड्डा की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ विकल्पों की संभाव्यता की जांच की जा रही है जिसमें निजी सेक्टर भागीदारी सहित संयुक्त उद्यम में शहरी ओर की सुविधाओं का वाणिज्यिक विकास किया जाना सम्मिलित है।

चीन मे एअर इंडिया की उड़ानें

3470. **श्री राममोहन गाड्डे :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया भारत और चीन के मध्य की उड़ानें शुरू करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कार्यविधियों को अन्तिम रूप देने के लिए कोई बैठक की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) एअर इंडिया की दिसम्बर, 2003 से चीन के लिए सप्ताह में दो सेवाएं प्रचालित करने की योजनाएं हैं। इस संबंध में रीतियां तैयार करने के लिए कार्रवाई चल रही है।

पोत भंजक उद्योग का विस्तार

3471. **श्री किरीट सोमैया :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पोत भंजक उद्योग के विस्तार की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वास्तविक और वित्त रूप में अलांग और अन्य पोत भंजक यार्डों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा;

(ङ) क्या पैसेंजर लक्जरी क्रूज लाइनर को भी अलांग में लाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अलांग/सोसिया पोत भंजन यार्ड में और अधिक प्लाट विकसित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त, पोत भंजन उद्योग इस समय अपनी पूरी क्षमता पर प्रचालनरत नहीं है।

(ग) शून्य।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, हां।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान अलांग तट पर लगे पैसेंजर जलपोतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	जलपोत	उतराई की तारीख	एलडीटी (एमटी)
1.	पैसेंजर/आरओ-आरओ/फैरी	31 जुलाई, 2000	5693
2.	पैसेंजर/आरओ आरओ/फैरी	29 जुलाई, 2000	3060
3.	पैसेंजर	27 दिसंबर, 2000	3781
4.	पैसेंजर/आरओ-आरओ/फैरी	11 अप्रैल, 2001	5021
5.	पैसेंजर	4 जून, 2001	14694
6.	पैसेंजर/आरओ-आरओ/फैरी	2 जून, 2001	9649
7.	पैसेंजर/कार बोट	25 जून, 2001	3282
8.	पैसेंजर/आरओ आरओ/फैरी	7 जुलाई, 2001	12580
9.	कार/पैसेंजर फैरी	23 नवंबर, 2001	3813
10.	पैसेंजर/आरओ आरओ/फैरी	3 जनवरी, 2002	2703
11.	पैसेंजर फैरी बोट	6 मार्च, 2002	18509
12.	पैसेंजर फैरी बोट	28 मार्च, 2002	4581
13.	पैसेंजर/आरओ-आरओ/फैरी	24 दिसंबर, 2002	3763
14.	पैसेंजर/आरओ-आरओ/फैरी	12 अप्रैल, 2003	9835

आन्ध्र प्रदेश की गोदावरी उद्वह सिंचाई परियोजना

3472. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की गोदावरी उद्वह सिंचाई परियोजना मंजूरी हेतु केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और राज्य सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम (एल०आई०एस०) वारंगल जिले के देव दूला गांव के निकट एक स्थल पर गोदावरी नदी से 50 हजार मिलियन घन फीट (टी०एम०सी०) जल लिए जाने की योजना है जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस स्कीम की सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुरोध सहित मई, 2001 में एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें गोदावरी नदी से 50 टी०एम०सी० जल लेकर आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल नालगोंडा और मेडक जिलों में फैले पांच लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचाई मुहैया कराने की योजना थी। प्रथम दृष्टया, इस प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी बशर्ते कि गोदावरी जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार जल उपलब्ध कराया जाता। अन्तर्राज्यीय नदी पर एक वृहद परियोजना होने के कारण इस संबंध में योजना आयोग से निवेश स्वीकृति की आवश्यकता है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 2002 में गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम संबंधी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें गोदावरी नदी से (i) देव दूला गांव, (ii) गंगाराम गांव, और (iii) लंकाला गांव स्थित अन्तर्वाहों में से किसी एक से 50 टी०एम०सी० जल लेकर तेलंगाना क्षेत्र में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की योजना है। प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच के पश्चात केन्द्रीय जल आयोग ने दिसम्बर, 2002 और मार्च 2003 के दौरान इस रिपोर्ट पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजीं। परियोजना प्राधिकारियों ने फरवरी और अप्रैल, 2003 में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जिनमें पूर्व प्रस्तावों में कुछ संशोधन भी किए गए थे। आंध्र प्रदेश के मेडक, करीमनगर, वारंगल और नालगोंडा जिलों के तहत आने वाले लगभग 2.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई मुहैया कराने के लिए अब प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में गंगाराम गांव के निकट एक स्थान से गोदावरी नदी से 38.2 टी०एम०सी० जल सीधे लिए जाने की योजना है। इस प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात केन्द्रीय जल आयोग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों को शामिल किए जाने के अधीन मई, 2003 के दौरान उपरोक्त परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की है। इन टिप्पणियों में जल विज्ञान, अन्तर्राज्यीय मामले, मूल आयोजना और पर्यावरणीय पहलू शामिल हैं। राज्य सरकार से प्रत्येक सह-बेसिन राज्य को इस विस्तृत परियोजना की एक-एक प्रति सूचनार्थ तथा उनके विचार जानने के लिए भेजने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

तकनीकी खामियों की घटनाएं

3473. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में तकनीकी खामियां आ जाने से इसके कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गए;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट सं० आई०सी०-809 में हाल ही में तकनीकी खामियां आ जाने से दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमानों में तकनीकी खराबियां आ जाने के बाद इंडियन एयरलाइन्स का ऐसा कोई विमान नहीं है जो कि दुर्घटना होने से बचा हो।

(ख) से (घ) 12.07.2003 को इंडियन एयरलाइन्स की ए-320 विमान वी०टी०-इ०पी०जे० से रांची-पटना सैक्टर पर उड़ान सं० 809 पटना पर अवतरण करते समय नोज लैंडिंग गियर से एक पक्षी टकरा गया। विमान सुरक्षित ढंग से उतर गया तथा विमान में सवार किसी भी यात्री अथवा कर्मीदल सदस्य को कोई चोट नहीं आई।

(ङ) आपरेटरों द्वारा विमान के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए डी०जी०सी०ए० द्वारा लगातार आधार पर कदम उठाए जाते हैं। इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में मौजूद विमानों का रख-रखाव निर्माताओं द्वारा निर्धारित कार्यविधि द्वारा किया जाता है तथा जिसे नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। केवल उन्हीं विमानों को प्रचालन में लगाया जाता है जिन्हें नागर विमानन महानिदेशक द्वारा उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र दे दिया जाता है।

[अनुवाद]

कृषि विपणन संबंधी टास्क फोर्स

3474. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विपणन को सुदृढ़ करने और इसे विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित अंतर मंत्रालयीय टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

कृषि विपणन सुधार से संबंधित अंतर्मंत्रालयी कार्यदल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 28.6.2002 को प्रस्तुत की थी। कार्यदल द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नवत हैं :–

(i) राज्य कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम में संशोधन करके निजी तथा सहकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी कृषि-मंडियों, प्रत्यक्ष विपणन तथा संविदा कृषि को बढ़ावा देना तथा ऐसे डिरेग्यूलेशन तथा सुधार होने पर विपणन के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करना;

(ii) सभी कृषि जिन्सों के उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, आवाजाही तथा व्यापार एवं वाणिज्य से सभी प्रतिबंध हटाने के लिए अनिवार्य जिन्स अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण तथा विनियमन क्रमशः समाप्त करना;

(iii) किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनकी धारण क्षमता में वृद्धि हेतु फसलों के विपणन के लिए उन्हें संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने (बंधित वित्त पोषण) में उल्लेखनीय वृद्धि करना;

(iv) कृषि जिन्सों हेतु पारक्रम्य भण्डारगृह रसीद प्रणाली लागू करके ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारगृह सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार करना;

(v) फारवर्ड कॉन्ट्रैक्टस (रेग्युलेशन) एक्ट, 1952 में संशोधन करके मूल्य जोखिम प्रबंध में सुधार करने तथा प्राइस डिस्कवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी कृषि जिन्सों के वायदा कारोबार (फ्यूचर्स ट्रेडिंग) की अनुमति देना;

(vi) किसानों तथा अन्य मण्डी कर्मचारियों को मण्डी उन्मुखी विस्तार सेवा प्रदान करने के लिए कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन देना तथा उत्पादकों को दूर स्थित क्रेताओं से सीधे कारोबार की सुविधा दिलाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सुविधा का सृजन करना; और

(vii) कृषि विपणन के क्षेत्र में पेश आने वाले चुनौतियों का सामना करने में कृषक समुदाय की सहायता करने तथा देश में एक अच्छी मण्डी कार्य प्रणाली हेतु स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिए प्रशिक्षण एवं विस्तार प्रणाली में आवश्यक सुधार करना।

(ग) कृषि विपणन सुधार से संबंधित अंतर्मंत्रालयी कार्यदल की सिफारिशों पर माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.9.2002 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रशासनों के कृषि

विपणन से संबंधित मंत्रियों एवं केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों/ एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सभी राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रशासन कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता से सहमत थे। चूंकि ''कृषि विपणन'' का विषय राज्य सरकारों के दायरे में आता है, अत: उन्हें सुधारात्मक उपायों पर उपयुक्त कार्रवाई, जैसी वे जरूरी समझें, की शुरूआत करने की सलाह दी गई।

जैव कृषि करने वाले फार्म

3475. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें फार्मों को कतिपय मानदंडों को पूरा करने पर उन्हें 'जैव कृषि करने वाले फार्मों' के रूप में प्रमाणित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) फार्मों को इस तरह प्रमाणित किए जाने से क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) इस तरह का प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए कौन से संगठन उत्तरदायी होंगे;

(ङ) क्या सरकार ने इस मानदंड को अंतिम रूप देने के लिए एफ०ए०ओ० से चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(च) क्या जैव कृषि के लिए कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु जैविक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना (एन०पी०ओ०एफ०) का प्रतिपादन किया है जिसमें राष्ट्रीय मानकों के प्रतिपादन, जैविक फार्मों के प्रमाणीकरण हेतु प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली के सृजन तथा देश में जैविक कृषि के संवर्धन की परिकल्पना की गई है।

सरकार ने, निर्यात प्रयोजनों के लिए मानक निर्धारित करके जैविक उत्पादन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन०पी०ओ०पी०) भी विकसित किया है, जो वाणिज्य मंत्रालय के तहत गठित संचालन समिति द्वारा मानीटर किया जाता है। इसने 7 प्रमाणीकरण एजेन्सियों को अधिसूचित किया है जिनका मुख्य कार्य राष्ट्रीय मानकों के आधार पर जैविक फार्मों को प्रमाणित करना है।

(ग) और (घ) प्रमाणीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि इस उत्पाद को जैविक रूप से उगाया गया है और मण्डी में इसके अधिक मूल्य मिलते हैं। इस समय एन०पी०ओ०पी०, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रत्यायित निम्नलिखित 7 निरीक्षण सह-प्रमाणीकरण एजेन्सियां हैं :–

(i) इन्स्टीच्यूट ऑफ मार्केटोलोजी, बंगलौर

(ii) एस०के०ए०एल० इंटरनेशनल, बंगलौर

(iii) ई०सी०ओ०सी०इ०आर०टी०, इंटरनेशनल, औरंगाबाद

(iv) एल०ए०सी०ओ०एन०जी०एम०बी०एच०, जर्मनी

(v) एस०जी०एस० इंडिया प्रा०लि०, गुड़गांव

(vi) एसोसिएशन फार प्रोमोशन ऑफ आर्गेनिक फार्मिंग, बंगलौर

(vii) इंडियन आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी (आई०एन०डी० ओ०सी०ई०आर०टी०), कोचिन

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) एन०पी०ओ०एफ० की स्कीम में, प्रशिक्षण के अलावा जैव उर्वरकों की उत्पादन इकाईयों, वर्मीकम्पोस्ट और फल एवं सब्जी कम्पोस्ट के लिए हैचरियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

बंगलौर आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

3476. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया की ऐसी कितनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं जो बंगलौर से और बंगलौर तक उड़ान भर रही है;

(ख) क्या बंगलौर से और बंगलौर तक एअर इंडिया की उड़ानों को बढ़ाने की मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उड़ान भरने हेतु एअर इंडिया के लिए यात्रियों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) एअर इंडिया बंगलौर और दुबई के बीच सप्ताह में तीन बार तथा चार हब और स्पोक उड़ानें प्रचालित करती है जिससे मुंबई से खाड़ी और यूरोप क्षेत्रों को सुविधाजनक विमान सम्पर्क उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया बंगलौर और कुआलालम्पुर (मलेशियन एयरलाइन सहित) सप्ताह में दो बार कोड शेयर उड़ानें भी प्रचालित करती है।

(ख) से (घ) जी, हां। बंगलौर सहित बहुत से स्थानों से गल्फ, यूरोप और यू०एस०ए० में विभिन्न स्थानों के लिए एअर इंडिया की सेवाओं में वृद्धि किए जाने की मांग होती है तथापि किसी विशेष मार्ग पर प्रचालन आरंभ किया जाना, संभावित यातायात मुनाफा विमान बेड़े में उपयुक्त विमान की उपलब्धता तथा आय संसाधनों जैसे विभिन्न पैरामीटरों के मूल्यांकन के बाद, प्रतिस्पर्द्धी मार्गों की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित होता है। दिसम्बर, 2003 से एअर इंडिया की मुंबई/ फ्रैंकफर्ट/शिकागो तथा इसके विपरीत सेवाएं आरंभ करके, फ्रैंकफर्ट होकर शिकागो के लिए क्षमता में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। दो उड़ानों को बंगलौर तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है जिससे इसे यू०एस०ए०/बंगलौर सीधी उड़ान बनाया जा सके।

कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं

3477. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 585 जिलों में से 238 जिलों को अभी भी कृषि विज्ञान केन्द्रों के दायरे में लाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जहां कार्यालय भवन, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाना है; और

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) इस समय देश में 578 ग्रामीण जिले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 341 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्वीकृति दी है। इसमें 53 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए सुदृढ़ किया गया है। शेष 237 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का एक प्रस्ताव भी दसवीं योजना के लिए तैयार किया गया है।

(ग) 43 कृषि विज्ञान केन्द्रों में पूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास पूरा नहीं हुआ है।

(घ) दसवीं योजना के अंतर्गत आवश्यक निधियों का प्रावधान रखने का प्रस्ताव किया गया है।

सिंचाई सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को सहायता

3478. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को सुधारने के लिए परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों को कोई निधियां जारी की हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य सरकारों को कुल कितनी निधियां जारी की गईं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी०एल०ए०) के रूप में जारी की गई निधियों और केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी०ए०डी०) के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(रुपय करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता
1.	2000-2001	1856.200	144.9525
2.	2001-2002	2601.981	148.1258
3.	2002-2003	3061.7026	152.1488
	कुल	7519.8836	445.2271

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डेयरी की स्थापना

3479. **डा० बलिराम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई डेयरी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि कोई हो तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई डेयरी स्थापित करने की उनकी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

के०बी०के० जिलों में स्मारक

3480. श्री परसुराम माझी : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के के०बी०के० जिलों में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक कितने हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के रखरखाव पर कितनी राशि खर्च की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) उड़ीसा के कालाहांडी जिला में असुरगढ़ स्थित असुरगढ़ दुर्ग और बोलंगीर जिला में रानीपुर झरियाल स्थित चौंसठ योगिनी मंदिर केन्द्रीय संरक्षित हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान, इन स्मारकों पर दिन-प्रति-दिन के रखरखाव के लिए रु० 19,048/- का व्यय किया गया है।

मजदूर संघ नेताओं के साथ बैठक

3481. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मजदूर संघ नेताओं की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार मजदूर संघ नेताओं को किस हद तक यह विश्वास दिला पाई है कि नये श्रम कानून श्रमिकों के लिए लाभकारी होंगे;

(घ) क्या मजदूर संघ नेता सरकार के प्रस्ताव से सहमत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सरकार श्रम संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं पर श्रमिक संघ नेताओं सहित पणधारियों के साथ विचार-विमर्श के लिए सतत् सम्पर्क रखे हुए हैं। वर्तमान में, सरकार द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे कानूनों की समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल श्रम, कौशल विकास, मजदूरी, श्रम प्रशासन, असंगठित श्रम आदि से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक व्यवहार्य मतैक्य बनाने के लिए त्रिपक्षीय परामर्श आयोजित कर रही है। आयोग की रिपोर्ट पर 28-29 सितम्बर, 2002 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र, 7-8 नवम्बर, 2002 को आयोजित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार और 18-19 फरवरी, 2003 को आयोजित त्रिपक्षीय समिति की बैठक में भी चर्चा की गई थी जिनमें प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संघ नेताओं सहित सभी सामाजिक भागीदारों ने हिस्सा लिया था। यह भी निर्णय लिया गया है कि श्रम कानूनों के यौक्तिकीकरण सहित राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर भारतीय श्रम सम्मेलन के आगामी 39वें सत्र में आगे चर्चा की जाएगी। ऐसे कदम श्रम से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर मतैक्य बनाने और आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की राय को स्पष्ट करने के लिए जरूरी हैं। तथापि, इनमें अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाओं को देखते हुए इसके लिए कोई समय सीमा बता पाना कठिन है।

शहतूश के व्यापार पर से प्रतिबंध हटाया जाना

3482. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहतूश के व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहतूश पर प्रतिबंध लगने से घाटी के 30,000 से भी अधिक कामगारों की रोजी-रोटी चली गई है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या कथित प्रतिबंध को हटाने या उसमें कुछ ढील देने की मांग हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) जी, हां। तिब्बती हरिण, जिसे आमतौर पर चिरू के नाम से जाना जाता है, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I और जम्मू और कश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1978 में सूचीबद्ध किया गया है, अतः शहतूश के व्यापार, जो कि एक वन्य जीव उत्पाद है, जो चिरू से प्राप्त ऊन से विनिर्मित है, पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त शहतूश कारीगरों की जीविका छिन जाने के बारे में जम्मू और कश्मीर सरकार ने यह सूचित किया है कि कश्मीरी शहतूश कारगीरों का शहतूश आधारित व्यापार छुड़ाने के लिए उनके पुनर्वास हेतु व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

''सेल'' का निर्यात लक्ष्य

3483. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने वर्ष 2003-04 के दौरान निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''सैल' से केवल कम कीमत वाले उत्पादों का निर्यात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो भविष्य में अधिक कीमत वाले इस्पात उत्पादों के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या भिलाई को विशेष रूप से निर्यातोन्मुखी इस्पात संयंत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। 2003-2004 के दौरान निर्यात के लिए सेल का लक्ष्य चार सौ पचास हजार (450,000) टन लोहा और इस्पात सामग्री है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सेल ने विभिन्न उत्पादों जैसे जी०पी० क्वायल्स, सी०आर० क्वायल्स/शीटें, एच०आर० क्वायल्स/शीटें, सी०आर०एन०ओ०, स्ट्रक्चरल्स, डब्ल्यू०आर० क्वायल्स, टी०एम०टी० बार, स्लैब, बिलेटों आदि का निर्यात किया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना

3484. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के दिसम्बर, 2003 में समाप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में इस कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विश्व बैंक से इस परियोजना को आगे एक या दो वर्षों तक विस्तार करने की चर्चा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी हां, वर्तमान में यही स्थिति है।

(ख) इसकी मूल योजना के अनुसार परियोजना का 31 दिसम्बर, 2003 को पूर्ण होना तय है।

(ग) जी, हां।

(घ) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन०ए०टी०पी०) की अवधि दिनांक 1.1.2004 से 31.12.2004 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के माध्यम से विश्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की प्रमुख उपलब्धियां

अनुसंधान के चार प्रकारों अर्थात् उत्पादन प्रणाली अनुसंधान, मिशन मोड अनुसंधान, उत्कृष्टता दल एवं प्रतियोगी अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी तथा समेकित नाशीजीव प्रबंध पर बल देते हुए कई अपनाने योग्य प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। खेत पर परीक्षण तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में नया दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नवत हैं :–

प्राकृतिक संसाधन प्रबंध

- चावल-गेहूं प्रणाली में कम तथा शून्य जुताई में पैदावार बढ़ी तथा निवेश का उपयोग कारगर ढंग से किया जा सका। शून्य जुताई एवं उर्वरक ड्रिल से किसान चावल की फसल कटाई के तुरंत बाद गेहूं की फसल बो सकते हैं। इस वर्ष लगभग 0.3 मिलियन हैक्टयर क्षेत्र में शून्य जुताई ड्रिल से गेहूं की बुआई की गई जिससे किसानों को 75 करोड़ रु० की बचत हुई।

- सुधरी *बियासी* प्रणाली को अपनाने से उच्च पैदावार हुई (4.1 टन/हैक्टर), शुद्ध आय (रु० 12097) तथा बी०सी०

अनुपात (2.6) था जो कि किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली की तुलना में (क्रमश: 3.2 टन/हैक्टर, रु० 5787 तथा 1.6) अधिक था।

– छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा झारखण्ड के खेतों में बनाए गए जलाशयों पर वर्षा जल प्रबंध की परियोजना से यह प्रदर्शित किया गया कि फालतू बहे हुए पानी की 40 से 60 प्रतिशत मात्रा को सूखे के दौरान अथवा अगली रबी की फसल के लिए पुन: उपयोग में लाया जा सकता है। खरीफ 2002 के दौरान लंबे सूखे के बावजूद मध्यम तथा निम्न भूमि क्षेत्रों में औसत प्रति हैक्टर 1,000 एम 3 जल एकत्रित किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में फसल सघनता में 100 से 176 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

– शुष्क तथा बिना जुताई किए खेत में सिंचाई के बाद गेहूं की फसल कटाई के तत्काल बाद गन्ने की खेती के लिए स्लिट प्रकार के कूंड (फरो) तैयार करने वाले यंत्र विकसित किए गए हैं। गेहूं के साथ-साथ गन्ने के रोपण के लिए सीडर कटर प्लांटर भी विकसित किया गया है।

– घरेलू खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत जनजातीय, पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 15 राज्यों के 47 स्थानों के 6000 से अधिक कृषक परिवारों को मिशन मोड परियोजना के तहत लाया गया है ताकि उन्हें जीवनदायी फसलों की सुधरी किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज, फलों तथा सब्जी फसलों की पादप सामग्री, मुर्गियों (जननक्षम अण्डों), सुअरों (सुअर के बच्चे), भेड़ की नस्लें तथा मछलियों की सुधरी प्रजातियां उपलब्ध कराई गई ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई (15-50 प्रतिशत), लोगों के रहन-सहन के स्तर तथा रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। इन कार्यकलापों के परिणामस्वरूप अन्य किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिली है।

– वैज्ञानिक तथा मितव्ययी श्रिम्प स्वास्थ्य प्रबंध पैकेज विकसित किया गया है।

– समुद्री सजावटी मछलियों, क्लाउनफिश *एम्फीप्राइओन सेबी* तथा डेम्सेलफिश *नियोपो मैसेन्ट्स साइनोमोल*, एन० नेमुरस *पोमासेन्ट्रस सैरूलियम*, पी० *पावो तथा क्राइसिप्टैरा यूनिमैकुलाटा* के लिए व्यावसायिक स्तर पर हैचरी उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है तथा इसे पेटेंट भी कराया जा रहा है जिससे भारत में हैचरी द्वारा उत्पादित समुद्री सजावटी मछली के विकास को बढ़ावा मिलेगा जिसकी पर्याप्त निर्यात संभावनाएं हैं।

कृषि जैव-प्रौद्योगिकी

– कुक्कट में भयानक रानीखेत रोग विषाणु (आर०डी०एफ०) के विरूद्ध वैक्सीन में शामिल करने के लिए आसान तथा कम लागत वाले बायोडिग्रेडेबल पोली-लैक्टाईड-को-ग्लाईकोलाईड कैपसूल विकसित किया गया।

– एंटी-रैबीज इडिबल वैक्सीन उत्पादित करने में सक्षम तम्बाकू, खरबूजा तथा मूंगफली के पराजीनी पादपों को विकसित कर लिया गया है। इन वैक्सीनों की कम लागत होने के साथ-साथ इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है और कमरे के तापमान में भंडारित किया जा सकता है।

– छोटे-जुगाली करने वाले पशुओं के पी०पी०आर० *(पेस्ट डेस पेटिट रूमिनेंट्स)* विषाणु रोग के लिए नैदानिक किट के साथ-साथ आलू और केले के वायरल रोग के लिए नैदानिक किट विकसित कर ली गई है। प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण के लिए सम्पर्क विकसित किए जा रहे हैं।

फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी तथा गुणवर्धन

– नारियल पुष्पक्रम रस को सी०आई०एस० कणिका (ग्रैन्यूल) तथा टाफी के रूप में संरक्षित रखने के लिए प्रसंस्करण विधि विकसित कर ली गई है। इससे कृषकों की आय में लगभग रु० 6,00,000/है०/वार्षिक की वृद्धि हो सकती है तथा कृषि क्षेत्र में 3,000 श्रम दिवस/है०/वार्षिक की दर से रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित हुए हैं।

– अब चावल की भूसी तेल का एक लोकप्रिय स्रोत है। खाद्य उत्पादों में चावल की भूसी तथा चावल की भूसी की खली के खाद्य के इस्तेमाल के लिए माईक्रोवेव उपचार के साथ-साथ सामंगीकरण होमोजेनाइजेशन द्वारा चावल की भूसी से प्रोटीन के निष्कर्षण की प्रौद्योगिकी अब विकसित कर ली गई है इससे प्रोटीन के स्रोत के रूप में चावल की भूसी के मूल्य में वृद्धि होगी।

– *शहतूत (मोरस एल्बा)*, *मेलास्टोमा (मेलास्टोमा मालाबाथ्रीकम)*, केला मेल-बड, जामून (*सिजीगम क्यूमीनी*), रोसेला (*हिबीस्कस सबदारिफा*), बेसेला रूब्रा तथा एनाटो (*बिक्सा ओरेलेना*) से पृथक पिगमैंट को प्रौद्योगिकी के रूप से व्यवहार्य तथा खाद्य रंगों के स्वास्थ्य पादप स्रोत के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

– एक मोबाईल स्टार्च निष्कर्षण यूनिट को संशोधित किया गया। कसावा, शकरगंदी, ऐमौर्कोफैलस ट्यूबर से स्टार्च की प्राप्ति 95, 75 तथा 40 प्रतिशत थी।

– मांस एवं मांस उत्पाद तथा मछली एवं मत्स्य उत्पादन के लिए रैफरल प्रयोगशाला/गुणवत्ता मानक प्रौद्योगिकी स्थापित की गई है जो घरेलू इस्तेमाल के लिए उत्पाद की गुणवत्ता की तथा इन जिंसों (कोमाडिटिज) के निर्यात के लिए प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन के विकास के लिए पशु और मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी की अनुमति देते हैं।

– अग्रत अध्ययनों से पता लगा है कि ईंधन ग्रेड के एल्कोहल को मीठी ज्वार के वृंत और दानों से तैयार किया जा सकता है। कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में 1000 हैक्टर भूमि पर ठेके पर कृषि के मॉडल को प्रस्तुत किया गया जहां पर किसानों द्वारा मीठी ज्वार उगाई जाएगी और मै० रेणुका शुगर्स, बेलगाम एल्कोहल निष्कर्षण हेतु फसल को खरीदेगा।

– तुरंत खाने योग्य तैयार मत्स्य उत्पादों को शोधन पाऊचों में पैकिंग के लिए एक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। यह पैकिंग प्रौद्योगिकी मत्स्य उत्पादों और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

समेकित कीटनाशी प्रबंध

– खेत की स्थितियों के अंतर्गत बैंगन, कंदाभ तथा एसिड लाईम पर जड़ गांठ नेमाटोड के प्रबंध के लिए *वर्टीसिलियम क्लैमिडोस्पोरियम बायोवर्ट बायो एजेंट* के कार्बनिक निरूपण को विकसित किया गया है। यह नेमाटोड प्रबंध के लिए जैव नियंत्रण विधियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करेगा।

– जलीय खरपतवार जल कुम्भी को कारगर ढंग से और पर्यावरण के प्रति अनुकूल तरीके से नियंत्रित करने के लिए *वानस्पतिक खरपतवार नाशी कोलियम एम्बोइनिकस/एरोमाटिकस* का कीट जैव नियंत्रक एजेन्ट नियोकेटिना एइकोरनिई/बुकी का समेकन सफल सिद्ध हुआ।

– हिमाचल प्रदेश में आडुओं के फाइटोप्लाजमा से मुक्त बडवुड बैंक मोलन तथा हमीरपुर स्थित विश्वविद्यालय परिसर में विकसित किए गए। इससे फाइटोप्लान वृक्षों के बाग स्थापित करना संभव होगा।

– देसी कपास विशेषकर अरबोरियम अपेक्षाकृत कीटों और नाशक जीवों की प्रतिरोधी होती है इसलिए इसे चतुरगुणित (टेट्राप्लाइड) हिरसुटम के स्थान पर उगाया जा सकता है। अरबोरियम किस्म (एम०डी०-12463) से 20 क्विंटल प्रति हैक्टर उत्पादन मिला और प्राप्त कपास की रेशा लम्बाई 27 मि०मी० होने के अलावा उसका ओटाई मान (जो०ओ०टी०) 36-38 प्रतिशत था।

– कुल 690 हैक्टर क्षेत्र में 464 किसान परिवारों को शामिल करते हुए विभिन्न फसलों (कपास), अरहर, चना, मूंगफली, बंदगोभी, टमाटर, सेब और आम) के लिए समेकित नाशीजीव प्रबंध (आई०पी०एम०) मॉड्यूलों का मूल्यांकन किया गया। कुछ फसलों (बंदगोभी, टमाटर और चना) का नाशक जीवनाशियों (पैस्टीसाइड) का छिड़काव किए बिना सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया। समेकित नाशीजीव प्रबंध वाले प्लाटों में इस्तेमाल होने वाली नाशकजीव नाशियों की मात्रा गैर-समेकित नाशीजीव प्रबंध वाले प्लाटों की तुलना में कम थी।

– मछली ग्रुपर अपिनेफस टाउविना के कल्चर में प्रति जैविकों के विकल्प के रूप में दो नये प्रति जैविकों (एंटीमाइकोबायल) नामतः माइरिस्टिका फ्रग्रोएम और विथानिया सोमनिफेरा की पहचान की गई। इनका उपयोग इस वर्ग की मछलियों में विब्रियो संक्रमण के विरूद्ध किया जा सकता है।

मानव संसाधन विकास

– जैव प्रौद्योगिकी, कटाई उपरांत प्रबंध, समेकित नाशीजीव प्रबंध, जल प्रबंध, कृषि जैव विविधता और समाज विज्ञानों के अग्रवर्ती क्षेत्रों (फ्रंटियर एरियाज) में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।

– लगभग 10,00,000 किसानों और खेतिहर महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रौद्योगिकी का प्रसार (टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन)

– 7 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, पंजाब और उड़ीसा के 28 जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसियां (आटमा) स्थापित की गईं। राज्य स्तर पर राज्य कृषि प्रबंध विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान 7 राज्यों में पूरी तरह कार्यरत हैं।

– ए०टी०एम०ए०(आटमा) के माध्यम से समेकित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा अन्य उद्यमों से जुड़े कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफलता मिली है। मांग पर आधारित और

किसानों से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाटमअप मॉड को अपनाते हुए जन विस्तार प्रणाली को आवश्यकता के अनुरूप रूपांतरित किया जा रहा है। नई संस्थागत व्यवस्थाओं तथा नीति विषयक अनुसंधान और विस्तार योजनाओं (एम०आर०ई०पी०) को अपनाते हुए अनुसंधान-विस्तार के बीच के पारस्परिक संबंधों को सबल बनाया गया है। विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) और गहनीकरण (इंटेंसीफिकेशन) के संदर्भ में ए०ई०एम० (कृषि पारिस्थितिक प्रणाली) के अंतर्गत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में यह नई व्यवस्था सफल सिद्ध हुई है।

– जिला स्तर तक नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण सफल सिद्ध हो रहा है। कृषक परामर्शदात्री समितियों (फार्मर्स एडवाइजरी कमेटीज अर्थात एफ०ए०सी०) के माध्यम से फार्म सूचना एवं परामर्शदात्री केन्द्र जैसी संस्थाएं फीडबैक का कार्य कर रही हैं। किसान संगठन अब सामूहिक रूप से विपणन करने और प्रौद्योगिकी के प्रसार संबंधी कार्यों में शामिल होने लगे हैं। इनके माध्यम से एक ठोस सामाजिक पूंजी विकसित हो रही है। कुछ आटमा जिलों में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संगठनों और किसान समूहों के बीच प्रभावी साझेदारी शुरू होने लगी है।

– कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (ए०टी०आई०सी०) किसानों के लिए एक ही स्थान पर सूचना और सेवा केन्द्रों की नयी अवधारणा है। वर्ष के दौरान 1.53 लाख किसानों ने 44 ए०टी०आई०सी० केन्द्रों का दौरा किया। निदान संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा किसानों को 1026 टन उन्नत बीज, 7.03 लाख पौध सामग्री, 1.29 लाख पैकेट जैव उर्वरक और जैवनाशक, नाशीकीटनाशक उपलब्ध कराये गये।

फार्म पर प्रदर्शन परीक्षण

– अरहर, चना, मूंगफली, सूरजमुखी तथा कुसुम के स्थान विशिष्ट आई०पी०एम० मॉडलों के अनेक फार्म परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आई०पी०एम० के उपयोग के फलस्वरूप 25-30 प्रतिशत निवेश लागत की बचत हुई।

– एन०ए०टी०पी० के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग 10,000 फार्म परीक्षण/प्रदर्शन किए गए।

महिलाओं का सशक्तिकरण

– आदिवासी, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में फार्म संबंधी कार्यों में मानव श्रम कम करने के लिए महिलाओं को उपकरण उपलब्ध कराकर सशक्तिकरण किया गया। फसल प्राप्त करने के उपरांत महिलाओं के लिए कृषि प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से संबंधित प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं।

– केरल में कृषि संबंधी कार्यों में महिलाओं के श्रम को कम करने के लिए शारीरिक प्राचलों के त्वरित और विश्वसनीय रिकार्डिंग के लिए एक मॉडल एंथ्रोपोमीटर को विकसित किया गया है। क्षेत्र में ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर तथा थ्रेशर जैसी कृषि मशीनरी के परिचालन और रखरखाव से संबंधित विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे महिला कार्यकर्ताओं को उन्नत उपकरण और मशीनरी का इस्तेमाल करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

कृषि जैवविविधता

– कृषि विविधता के संरक्षण संबंधी जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 62,363 संकलनों के अतिरिक्त वृहद जनित्र द्रव्य के 1,16,568 विशेषीकरण, 59,611 संरक्षण तथा 4,50,000 दस्तावेजीकरण किए गए। कुछ विशेष जनित्र द्रव्यों जैसे चावल में खुशबूदार किस्में, गेहूं में लवणता रोधी किस्म, मतीरा में अधिक मिठास वाली किस्में, बेर और बेल में चूर्णी फफूंदरोधी, विशिष्ट स्वाद सहित आम के अचार वाली किस्में आदि का संकलन किया गया। जिनके विशेषीकरण के बाद देश में खेती पद्धतियों की उत्पादकता (गुणवत्ता और मात्रा) में सुधार संबंधी कार्य किए जाएंगे।

– संकर किस्में: विभिन्न फसलों (चावल-8, मक्का-4, सूरजमुखी-4, बाजरा-3, अरण्डी-1, कपास-4, ज्वार-2) की बढ़िया गुणवत्ता, उच्च उपज (15-20 प्रतिशत) तथा रोग-रोधी 24 संकर किस्में विकसित और जारी की गईं। सब्जियों (टमाटर, बैंगन, मिर्च तथा प्याज) की बहु रोगरोधिता, बेहतर उपज (15-20 प्रतिशत) तथा गुणवत्ता वाली कुछ संकर किस्में विकसित की गईं।

राष्ट्रीय संस्कृति नीति

3485. श्री रामसिंह राठवा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संस्कृति नीति संबंधी एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सांस्कृतिक विरासत स्थलों और संपत्तियों के रक्षार्थ विधान लाने के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) कोई औपचारिक नीतिगत दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। तथापि, सरकार के "मिशन" में सभी संरक्षित स्मारकों तथा सांस्कृतिक परिसम्पतियों और विरासत, मूर्त और अमूर्त दोनों, के सभी रूपों का संरक्षण और परिरक्षण करना शामिल है। सांस्कृतिक विरासत स्थलों और सम्पत्तियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कानून पहले से विद्यमान है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 और पुरावशेष एवं कला निधि अधिनियम, 1972 उक्त प्रयोजन हेतु पारित किए गये थे। इस प्रयोजनार्थ अनेक संस्थानों जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, बौद्ध और तिब्बती अध्ययन संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय, पुस्तकालय, अकादमियां-संगीत नाटक, ललित कला और साहित्य और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का गठन किया गया है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत उक्त नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पंजीकृत सोसाइटियों, न्यासों तथा गैर-सरकारी संगठनों सहित निजी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अनुदान प्रदान करती है।

भूजल संबंधी अनुसंधान

3486. श्री धर्त्रुहरि महताब : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों/संस्थानों को भूजल संबंधी अनुसंधान हेतु कोई धनराशि/सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम क्या हैं और इन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ग) इससे देश को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय अपने अनुसंधान एवं विकास (आर० एण्ड डी०) कार्यक्रम के अंतर्गत जल संसाधनों के क्षेत्र में, जिसमें भूजल भी शामिल है, अनुसंधान कार्य करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, आदि को अनुदान प्राप्त करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भूजल में अनुसंधान हेतु जिन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विश्वविद्यालयों/संस्थानों में विशिष्ट विषयों पर भूजल में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए स्कीमें प्रारंभ की गई हैं। देश की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और ऐसी समस्याओं का उपयुक्त समाधान तलाशने में लाभ मिलता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान भूजल संबंधी अनुसंधान स्कीमों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को जारी की गई निधियां

सं०	विश्वविद्यालय/संस्थान	स्कीम का नाम	जारी की गई निधि (लाख रुपये में)		
			2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
1.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	हैदराबाद और सिकन्द्राबाद के आसपास मतही और भूमि जल में शहरी, औद्योगिक और कृषि प्रदूषण का प्रभाव	1.456		1.366
2.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	हालिया नदी, इन्वायरोन्स, नालगोंडा जिला आन्ध्र प्रदेश में हाईड्रोफ्ल्यूरोसिस-सघनता एवं स्रोत संबंधी अध्ययन का मामला	1.416		1.416
3.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति	तिरूपति के आस-पास मतही और उपमतही जल में पाये जाने वाले खोज धातु का अध्ययन	1.640		
4.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	भूजल पर शहरीकरण का प्रभाव जयपुर और पश्चप्रदेश (हिन्टरलैंड) का अध्ययन	1.820		

1	2	3	4	5	6
5.	राज्य जल अन्वेषण निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार	पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में भूजलभृत्तों में आर्सेनिक संदूषण का प्रभाव एवं इसके लिए उपचारात्मक उपाय	11.000		
6.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	डेल्टीय क्षेत्र के भूजल क्षेत्र में जल जमाव एवं सघन कृषि का प्रभाव	1.274		0.956
7.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश के ऊपरी गोंडवाना में भूमि जल प्रबंधन अध्ययन	1.360		
8.	जल प्रौद्योगिकी केन्द्र तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर	तालाब और कुआं जल के संबंध में जल एवं आर्थिक प्रभाव तथा तालाब को परिश्रवण तालाब में परिवर्तित करने की संभावनाएं	1.870		
9.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद	पेन्नार नदी के अनुप्रवाह पर सतही एवं भूजल का पर्यावरणीय अध्ययन	2.950		1.925
10.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	उपग्रह डाटा, हीलियम और भूभौतिकी तकनीक का प्रयोग करने वाला भूमि जल अध्ययन-एक प्रायोगिक अध्ययन परियोजना		6.030	
		कुल	24.786	6.030	5.663

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज मेरा दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसे अगले सैशन में लेंगे क्योंकि वह इस सैशन में लिया नहीं जा सकता।

श्री रामदास आठवले : क्या अगला सैशन होगा? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। मेरा सुझाव है कि आज और कल 'नो कॉनफिडेंस मोशन' के ऊपर बहस है और परसों छुट्टी है। 22 तारीख को ऑलरेडी प्राइवेट मैम्बर्स बिल्स ऐंड रैजोल्यूशन्स लेने हैं। केवल 21 तारीख शेष है। हम लोग शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स पर होने वाले अत्याचार के मामले में चर्चा करना चाहते हैं लेकिन इसके ऊपर होने वाली चर्चा की तारीख आगे बढ़ती जा रही है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा हो सकती है। हम इस बारे में बी०ए०सी० में डिसाइड करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : 'नो कॉनफिडेंस मोशन' से इसका कोई मतलब नहीं है। यह विभिन्न राज्य सरकारों का भी मामला है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में बात करने के लिए मेरे चैम्बर में आकर मिलिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस पर आज चर्चा होनी थी क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। आप इसे 21 तारीख को ले लीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं हर सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात अनुमति दूंगा। अब, आप कृपया बैठ जाइए।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 489(अ), जो 1 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण जिसमें दो वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचना में उल्लिखित सदस्य हों, का पुनर्गठन करने के बारे में आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रख्रा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7950/2003]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, श्री राजनाथ सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2002 2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7951/2003]

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री राजीव प्रताप रूडी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 16 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 246 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7952/2003]

(2) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 2003 जो 20 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 718(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं के वार्षिक विवरण) नियम, 2003 जो 6 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 657(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (विमान पत्तनों का प्रबंधन) विनियम, 2003 जो 3 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएआई/पीईआरएस/ईडीपीए/रेग०/2002 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संविदा) विनियम, 2003 जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या एएआई/पीईआरएस/ईडीपीए/रेग०/2003 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(पांच) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (कार्गो, कूरियर और एक्सप्रेस गुड्स और पोस्टल मेल का धण्डारण और संसाधन) विनियम, 2003 जो 13 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कार्गो/1351/9 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(छह) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 2003 जो 9 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 521(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(सात) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या और उपचार) विनियम, 2003 जो 26 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या एएआई/ पीईआरएस/ईडीपीए/रेग०/ 2002 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(आठ) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (छुट्टी) विनियम, 2003 जो 13 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या एएआई/ पीईआरएस/ईडीपीए/रेग०/ 2002 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(नौ) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (कर्मचारियों की सेवा की सामान्य शर्तें और पारिश्रमिक) विनियम, 2003 जो 23 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या एएआई/ पीईआरएस/ईडीपीए/रेग०/ 2002 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7953/2003]

(4) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7954/2003]

(ख) (एक) एयरलाईन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एयरलाईन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7955/2003]

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) सेन्ट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7956/2003]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखाओं और बजट का प्रशासन) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 19 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी०ई०एल०:एन०डी०डी०बी० में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7957/2003]

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) पश्चिम बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7958/2003]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7959/2003]

(10) राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा-22 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 2003 जो 12 जुलाई, 2003 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 251 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7960/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) (एक) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7961/2003]

(3) (एक) कलाक्षेत्र फाउन्डेशन, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउन्डेशन, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7962/2003]

(5) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7963/2003]

(7) (एक) साऊथ जोन कल्चरल सेन्टर, तन्जावूर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ जोन कल्चरल सेन्टर, तन्जावूर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7964/2003]

(9) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7965/2003]

(11) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7966/2003]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री दिलीप सिंह जूदेव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2003 जो 1 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 520(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 396(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें वह आदेश दिया हुआ है जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या का०आ० 93(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7967/2003]

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[हिन्दी]

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

चौदहवां और पंद्रहवां प्रतिवेदन

डा० (श्रीमती) अनिता आर्य (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2003-2004) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

(1) 'महिलाओं के लिए शिक्षा कार्यक्रम' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) 'महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जहां तक इस विषय का संबंध है, मुझे रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उन्हें आपकी कार्यसूची में क्रम संख्या 10 में सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन को दिनांक 19 अगस्त, 2003 को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

पूर्वाह्न 11.05½ बजे

[हिन्दी]

कार्य-मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं :-

"कि यह सभा 14 अगस्त, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 54वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 14 अगस्त, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 54वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्रम संख्या-13 पर सूचीबद्ध विधायी कार्य शुरू करने के पूर्व, मैं व्यवस्था के प्रश्न को सुनना चाहूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : जब सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो, नियमानुसार, कोई भी मामला शुरू नहीं किया जा सकता है; और इसका पूर्वोदाहरण भी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे अभी स्वीकार नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह, प्रथम दृष्ट्या स्वीकृत है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कल्पित स्थिति है। अविश्वास का प्रस्ताव सभा के समक्ष नहीं है। इसलिए, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : जब अविश्वास प्रस्ताव सभा के समक्ष लंबित है, तो इसे शुरू नहीं किया जा सकता। उस प्रस्ताव के अलावा कोई भी अन्य कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, बिजनेस सस्पैंड तभी होगा, जब प्रस्ताव मूव होगा जो अभी तक मूव ही नहीं हुआ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो अभी तक इस संबंध में सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब, हम विधायी कार्य शुरू करें – विधेयक पुर:स्थापित किए जाने वाले हैं। मद संख्या-13, श्री एल०के० आडवाणी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : कृपया मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त कर दिया है। कृपया बैठिए। हम अब मद संख्या-13 पर चर्चा शुरू करेंगे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक – पुर:स्थापित

(एक) संविधान (100वां संशोधन) विधेयक* (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

[अनुवाद]

(दो) संविधान (101वां संशोधन) विधेयक* (नौवीं अनुसूची का संशोधन)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद यादव : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

[अनुवाद]

(तीन) दिल्ली राज्य विधेयक*

उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राज्य की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली राज्य की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्लीवासियों की ओर से श्री अटल बिहारी वाजपेयी, केन्द्र सरकार और विशेषकर श्री लाल कृष्ण आडवानी के प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : लेकिन आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 18.08.03 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, दुनिया में दिल्ली ऐसी पहली कैपिटल है जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल रहा है। पिछले 50 सालों से जनता इसकी मांग कर रही थी। इसके लिये मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : खुराना जी, आपने उप-प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद तो दे दिया, लेकिन आप मुख्य मंत्री बनने वाले नहीं हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : विधेयक जिस रूप में पुर:स्थापित किया गया वह सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों से भिन्न है। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.10 बजे

[अनुवाद]

(चार) संविधान (102वां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 54 का संशोधन, अनुच्छेद 239कक और 239कख का लोप तथा नए अनुच्छेद 371ज का अंत: स्थापन

उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.10½ बजे

[अनुवाद]

(पांच) प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक*

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाये।

[हिन्दी]

(एक) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ए पर मोतिहारी के निकट सिंघिया रेलवे क्रासिंग पर स्थित उपरिपुल तक पहुंच मार्ग का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के उत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 28ए पर मोतिहारी के पास सिंघिया रेलवे क्रासिंग पर एक उपरी पुल 20 वर्ष पूर्व बना था लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा इस उपरिपुल पर पहुंच पथ नहीं बनाया गया। पिछले साल पहुंच पथ पर बड़ी तीव्र गति से कार्य हुआ, परंतु न जाने क्यों उसको पूरा किये बिना ही छोड़ दिया गया और अब तक उक्त कार्य बंद पड़ा है, जिसके कारण लोगों को आवागमन की अत्यंत सुविधा हो रही है।

सदन के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से अनुरोध है कि उक्त कार्य को व्यक्तिगत रूचि लेकर तत्काल बनाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने का कष्ट करें।

(दो) हावड़ा और बडबिल के बीच पड़ने वाले चाईबासा, नवामुण्डी और बड़ाजामदा रेलवे स्टेशनों पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, हावड़ा से बडबिल तक जन्म शताब्दी रेल सेवा चल रही है। इस रेल सेवा पर पड़ने

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 18.08.03 में प्रकाशित

*सभा पटल पर रखे माने गए।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

वाले चाईबासा, नवामुंडी एवं बड़ाजामदा रेलवे स्टेशनों पर एक-एक तरफ शेड है, जिसके कारण रेल सेवा को पकड़ने के लिए रेलवे लाईन पार करना पड़ता है क्योंकि रेल के आने से पहले यात्री शैड के अंदर बैठे होते हैं। रेल के आने के बाद तुरंत वे दूसरे प्लेटफार्म की तरफ भागते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। दोनों रेलवे स्टेशन पर अच्छी संख्या में यात्री चढ़ते और उतरते हैं। इन स्टेशनों पर ओवरब्रिज भी बनना चाहिए।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों रेलवे स्टेशनों की रेल लाइनों के दोनों तरफ शैड बनवाने की कृपा करें एवं ऊपरी पुल का निर्माण शीघ्र किया जाये।

(तीन) झारखंड में भुइयां, घटवाल और घटवार जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रदीप यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के दो करोड़ उनहत्तर लाख की आबादी में लगभग बीस लाख की आबादी भुइयाँ, घटवाल, (भूमिज) की है, जो आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से अत्यंत ही पिछड़ा है। पूर्व में यह जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती थी, आज किसी भी जाति में सूचीबद्ध नहीं होने के कारण यह आरक्षण एवं अन्य सुविधा से वंचित है।

अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भुइयां, घटवाल, घटवार (भूमिज) को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाये ताकि उसका आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हो सके।

[अनुवाद]

(चार) आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में वनापार्थी में एक नए प्रधान डाकघर भवन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर) : वनापार्थी डिवीजनल मुख्यालय है, जिसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है। इस नगर में प्रधान डाकघर का कोई भवन नहीं है। तत्कालीन रक्षामंत्री ने 1992 में उक्त भवन की आधार शिला रखी थी। प्रधान डाकघर भवन के निर्माण के लिये पहले 32 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी और स्वीकृत की गई थी, लेकिन यह धनराशि किसी अन्य नगर को स्थानांतरित कर दी गई।

मैं माननीय संचार मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र वनापार्थी में डाकघर का नया भवन निर्मित किया जाये।

(पांच) उड़ीसा के कोरापुट जिले में एंथ्रेक्स फैलने के कारणों का अध्ययन करने के लिए केन्द्र का दल भेजे जाने तथा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर) : महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट जिले में, एंथ्रेक्स फैलने की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें इस वर्ष जून से 23 लोगों की मौत हो चुकी हैं। इसके अलावा इस रोग से प्रभावित कई अन्य लोगों को सेमिलिगुडा ब्लाक के तहत स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है। जब तक इस रोग के फैलने के कारणों का पता लगाने और इससे पीड़ित लोगों के पर्याप्त इलाज हेतु कदम नहीं उठाये जाते, मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक केन्द्रीय दल दक्षिणी उड़ीसा के जनजातीय जिले की यात्रा करे और बिना कोई देरी किये प्रभावित लोगों को जरूरी स्वास्थ्य देखरेख मुहैया कराई जाये।

[हिन्दी]

(छह) उत्तर प्रदेश में मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री अवतार सिंह भड़ाना (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आम जनता की मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच खोलने की बहुत ही पुरानी मांग है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को हाई कोर्ट से संबंधित मामलों के लिए इलाहाबाद की लगभग 400 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है। गरीब जनता तो इलाहाबाद की दूरी को देखते हुए अपने मामलों को जिला कोर्ट तक ही समाप्त करने पर मजबूर हो जाती है, जिस कारण उन्हें उचित न्याय नहीं मिल पाता है। इसके अलावा गरीब जनता को बार-बार कोर्ट की तारीख के दिन इलाहाबाद हाजिर होने पर अपनी जमीन-जायदाद, पशुधन तथा अपने घर को भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की इस लम्बित मांग को शीघ्र पूरा किया जाये और मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच खोलने हेतु अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाये।

[अनुवाद]

(सात) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या करीब 30 लाख है जिसमें 3000 गांव है 600 से भी अधिक ग्राम पंचायतें हैं, फिर भी, 65 प्रतिशत से अधिक गांवों और एक-तिहाई ग्राम पंचायतों में अभी तक टेलीफोन

[कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी]

सुविधा प्रदान नहीं की गई है। राजस्थान के इन जिलों और देश के अन्य जिलों में व्यापक असमानता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वह वी०पी०टी० उपलब्ध कराने के लिए अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रही।

पूरे देश के तथा राजस्थान के अन्य जिलों के बराबर जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों, में सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में, मैं सरकार से निम्न उपाय करने के अनुरोध करता हूं :–

(क) जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, इसको दिए गए कार्य को पूरा करने में असफल रहने के लिए दंडित किया जाए और कंपनी की लागत पर संचार मंत्रालय द्वारा बाकी कार्य को पूरा किया जाए।

(ख) थार मरूस्थल के सुदूरवर्ती, अलग-अलग पड़े क्षेत्रों में डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली बहुत उपयोगी है। ढोरीमाना, शोव, चोहटन, सिवाना और सिंधरी को शामिल करने के लिए अतिरिक्त डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली प्रदान की जाए।

(ग) यदि धन की कमी है, तो इन अत्यधिक पिछड़े, मरुस्थलीय जिलों के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जाए।

(घ) डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए।

(आठ) गुजरात के साबरकांठ और बनासकांठ जिलों में सिंचाई के लिए ऊंचे तट वाली नहर के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : गुजरात में सावरकांठा जिला, बनासकांठा जिले के उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग में बराबर सूखे की स्थिति रहती है। वर्षा से ही खेती होती है सिंचाई सुविधाएं नगण्य हैं। इस क्षेत्र में कई बांधों का निर्माण किया गया है; हालांकि, राजस्थान की सीमा से लगे इन बांधों के जलग्रहण क्षेत्र हमेशा असिंचित रहते हैं, यह क्षेत्र नर्मदा नहर के कमान क्षेत्र में भी नहीं आता।

साबरकांठा जिले में गुजरात-राजस्थान की सीमा से लगे इस क्षेत्र में उच्च-तटीय नहर (हाई-बैंक केनाल) का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि किसान अपने फसल उगा सके और इस क्षेत्र में गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। जल संसाधन मंत्रालय को गुजरात सरकार के सहयोग से इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और साबरकांठा जिले में और बनासकांठा जिले के कुछ भागों के लिए इस उच्च-तटीय नहर (हाई-बैंक कंनाल) के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए।

[हिन्दी]

(नौ) बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर संसदीय क्षेत्र में नवोदय विद्यालय के अभाव में गरीबों के मेधावी बाल-बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का शुभअवसर नहीं प्राप्त होता है, फलस्वरूप अभावग्रस्त एवं अल्पआय वर्ग के लोगों के मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की अभिलाषा अधूरी रह जाती है।

अतएव केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गरीब छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करने तथा शिक्षा प्रसार के व्यापक हित में भागलपुर संसदीय क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये।

[अनुवाद]

(दस) सिकन्दराबाद-पुट्टापार्थी-तिरूपति-गुन्दूर-राजामुन्दरी-विशाखापत्तनम को शामिल करते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य में पर्यटन केन्द्रों को रेलगाड़ियों द्वारा आपस में जोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा० मन्दा जगन्नाथ (नगरकुरनूल) : सरकारी नीति बनाने वाले धीरे-धीरे ही सही लेकिन पर्यटन पर ध्यान दे रहा है। हैदराबाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका 400 वर्षों का गौरवशाली इतिहास है। यह कई राजाओं के शासन काल में रहा है और इसने राजशाही को अपने पूर्ण गौरव में देखा है। हैदराबाद के स्मारक विराट एवं गौरवपूर्ण इतिहास के साक्षी हैं। आंध्र प्रदेश लगातार नगर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करती रही है और इसे विश्व के विरासत शहरों की सूची में स्थान दिलाने की लगातार कोशिश कर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में अध्यात्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में 10 प्रमुख मंदिरों को विकसित करने हेतु एक 'मास्टर प्लान' बनाया है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों, मनोरंजन आदि जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक शहर को विश्व के सामने पेश करने के लिए सिकन्दराबाद-पुट्टापार्थी-तिरूपति-गुन्दूर-राजामुन्दरी-विशाखपत्तनम को शामिल करते हुए पैलेस-ऑन-व्हिल्स की तर्ज पर पर्यटन-सह-तीर्थ ट्रेन और वायुमार्ग से जोड़ने की आवश्यकता है। इस ट्रेन की रेलवे के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में चलाने संबंधी प्रस्ताव दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को सितंबर, 2001 में भेजा गया था। 15.01.2002 को, आंध्र प्रदेश सरकार ने ट्रेन शुरू करने के लिए पुन: अनुरोध किया, केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना की स्थिति के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार को अभी भी नहीं बताया गया है।

मामला बहुत दिनों से लंबित होने के कारण, मैं केन्द्रीय रेल मंत्री से आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी द्वारा किए जा रहे भूमि के कटाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे फूलपुर संसदीय क्षेत्र के कौड़िहार, हंडिया, सैदाबाद, बहरिया व बहादुरपुर ब्लाकों के कुछ गांव, जिसमें प्रमुख रूप से लीलापुर कला, दुबावल, ककरा उपरहार, लालपुर, मलखानपुर, ढोकरी, बुजुर्ग लालापुर आते हैं। इन गांवों में गंगा नदी के बहाव से कटान के कारण कृषि एवं आवासीय जमीन गंगा जी में समाहित होती जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक दशा खराब होती जा रही है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र में गंगा के किनारे स्थित गांवों की जमीनों को बचाने के लिए सर्वे करा कर शीघ्र कोई उपाय करें, जिससे किसानों की खेती व आवासीय जमीन को बचाया जा सके।

(बारह) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश भर के पर्वतीय और अविकसित क्षेत्रों के विकास हेतु "विशेष क्षेत्र कार्यक्रम" के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय मरु विकास योजना को केन्द्र अतिरिक्त धनराशि प्रदान करती है ताकि इन क्षेत्रों का विकास देश की विकास लक्ष्य के समतुल्य हो सके। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य में अति पिछड़ा बुंदेलखंड क्षेत्र है, जहां के कई जनपदों में विकास की गति बहुत ही धीमी है। कारण यह है कि यह क्षेत्र एक तो पर्वतीय है दूसरा सिंचाई के संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है और न कोई ऐसा बड़ा कल-कारखाना है, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक रूप से विकास कर सके। जबकि देश की आर्थिक विकास दर आज 5 से 6 प्रतिशत है, वहीं इस बुंदेलखंड क्षेत्र की 2 से 3 प्रतिशत।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि "विशेष क्षेत्र कार्यक्रम" के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े जनपद हमीरपुर, महोबा के समुचित विकास हेतु उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ दिया जाये और एक अति पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र परिषद का गठन किया जाये ताकि इस क्षेत्र के सभी जनपदों का विकास केन्द्र द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने से हो सके।

(तेरह) बिहार में छपरा और मुहम्मदपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 के समुचित रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत छपरा प्रमण्डल में छपरा से मुहम्मदपुर पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। यह पथ जो राष्ट्रीय संख्या-101 के नाम से जाना जाता है, अत्यंत खराब अवस्था में है। निधि के अभाव में सड़क का निर्माण कार्य अवरूद्ध है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार राष्ट्रीय पथ संख्या-101 (छपरा से मुहम्मदपुर पथ) के निर्माण हेतु शीघ्र निधि आबंटित करें ताकि कार्य शीघ्र पूरा कराया जा सके।

[अनुवाद]

(चौदह) विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों पर चर्चा कराए जाने की आवश्यकता

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम) : बहुराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्वीपक्षीय स्तर पर व्यापार संबंधी गहरे राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और संभावना को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं की लाभ-हानि पर पूरी चर्चा करें। बहुराष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार समझौता जिस पर वर्ष 1995 में हस्ताक्षर किया गया था, उसमें कई वस्तुओं के व्यापार जिसमें कृषि, वस्त्र, परिधान सेवाएं, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पाटन रोधी शामिल हैं। सैद्धांतिक रूप में सर्वाधिक अनुकूल देशों को बिना किसी भेदभाव के सभी व्यापार सहयोगियों के साथ समान व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है। संसद में विश्व व्यापार संगठन पर पूरा वाद-विवाद होना चाहिए। यही समय की आवश्यकता है।

मैं इस सभा के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन के मुद्दे पर चर्चा करने और इस पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए वर्तमान मानसून सत्र में ही पूर्ण वाद-विवाद कराये जाने का आग्रह करती हूं।

(पन्द्रह) कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी के स्वशासी जिलों में रह रहे बड़ो और बड़ो कछारियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सानजुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : मैं असम के दो स्वायत्त पहाड़ी जिलों अर्थात कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी में रहने वाले स्थानीय बोडो-जनजातिय लोगों द्वारा जिस

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

सर्वाधिक विलक्षण समस्या का सामना किया जा रहा है, वह सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। असम के मैदानी भागों के बोडो लोगों को असम से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की सूची के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध कर लिया गया है, जबकि उपर्युक्त दो पहाड़ी जिलों में रहने वाले बोडो लोगों को अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) का दर्जा नहीं दिया गया है, यद्यपि वे अनादि काल से इन दो पहाड़ी जिलों में रह रहे हैं। कार्बी आंगलोंग स्वशासी जिला परिषद ने 23 अक्तूबर 1991 और असम राज्य सरकार ने 9 जनवरी, 1998 को काफी समय से लम्बित इस मुद्दे को भारत सरकार को भेजा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग तथा भारत के महा पंजीयक दोनों ने पहले ही इस पर अपनी अनुमति दे दी है। श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने भी लोक सभा में दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 को प्रस्तुत अपनी 27वें प्रतिवेदन में काफी समय से लम्बित इस मामले पर सिफारिश की थी। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 के संशोधन के दौरान कार्बी आंगलांग स्वशासी जिले के ''तुलांग'' जनजातिय समुदाय को पहले ही अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) को अनुसूची में शामिल कर चुकी है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक पहाड़ी राज्य मेघालय के बोडो समुदाय को भी 1980 से प्रभावी अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) की अनुसूची में शामिल किया जा चुका है।

मैं भारत सरकार से कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी के स्वशासी जिलों में रहने वाले बड़ो, बड़ो कछारी समुदायों को यथा-शीघ्र अनुसूचित जनजातियों (पहाड़ी) की सूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2003-2004

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

''कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ-3 में दिखायी गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।''

मांग संख्या 1, 7, 8, 12 से 14, 17, 29, 31, 33, 35, 42 से 44, 49, 54, 62, 64, 77, 80 से 82, 88 से 90, 98, 99 और 103

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1,00,000	—
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
7.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	—	196,45,00,000
8.	उर्वरक विभाग	1,00,000	84,97,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
12.	वाणिज्य विभाग	200,01,00,000	280,00,00,000
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग	1,00,000	20,00,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
14.	डाक विभाग	1,00,000	1,00,000

1	2	3	4
	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
17.	उपभोक्ता कार्य विभाग	—	3,00,00,000
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		
29.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2,00,000	—
	वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय		
31.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	—
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1573,00,00,000	555,36,00,000
35.	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	365,00,00,000	—
42.	प्रत्यक्ष कर	—	1,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	—	2,00,000
44.	कम्पनी कार्य विभाग	18,00,00,000	1,00,000
	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		
49.	भारी उद्योग विभाग	195,78,00,000	150,34,00,000
	गृह मंत्रालय		
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	20,00,00,000	—
	विधि और न्याय मंत्रालय		
62.	विधि और न्याय	1,00,000	—
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
64.	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1,00,000	—
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
77.	ग्रामीण विकास विभाग	3650,25,00,000	—
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
80.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	—
81.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1,00,000	—
82.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	—
	इस्पात मंत्रालय		
88.	इस्पात मंत्रालय	35,56,00,000	7,00,00,000
	कपड़ा मंत्रालय		
89.	कपड़ा मंत्रालय	2,00,000	—

1	2	3	4
	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय		
90.	संस्कृति मंत्रालय	2,00,000	—
	शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
98.	शहरी विकास विभाग	—	500,01,00,000
99.	लोक निर्माण कार्य	1,00,000	1,00,000
	युवा मामले और खेल मंत्रालय		
103.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	55,00,00,000	
	कुल जोड़	6112,77,00,000	1797,19,00,000

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सहमति हुई, अब मैं वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये :

मांग संख्या 1, 7, 8, 12 से 14, 17, 29, 31, 33, 35, 42 से 44, 49, 54, 62, 64, 77, 80 से 82, 88 से 90, 98, 99 और 103"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक — पारित

(एक) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2003*

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जसवंत सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, डिमांड्स पर कुछ कहने दीजिए, ये बिना बहस के पारित हो रही हैं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांगे बिना बहस के पारित हो जाएं, यह संसदीय प्रणाली में कैसे होगा। *(व्यवधान)* यह बिना बहस के पारित की जा रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे यह स्पष्ट करने दें कि सभा में जो कुछ भी किया जा रहा है वह कार्य मंत्रणा समिति

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 18.08.2003 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

के परामर्श से किया जा रहा है। कार्य मंत्रणा समिति में हुई सहमति के अनुसार सभा में कार्य किया जा रहा है। फिर भी, यदि कोई सदस्य एक अथवा दो मिनट बोलना चाहता है तो उसे अनुमति दी जा सकती है, परन्तु उसे अनुमति लेनी चाहिए। यदि कोई अनुमति नहीं चाहता है तो मैं विधेयक को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को विचारार्थ पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बोलिये, मैं आपको बोलने की इजाजत देता हूं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हमारी संसदीय प्रणाली की यही अहमियत है कि सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत अनुपूरक मांगों पर बहस हो और तब वे पारित हों। देश का जो बजट प्रस्तुत किया गया, वह सरकार की विफलता को दर्शा रहा है। वह गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी बजट था और उसके विफल होने के बाद सरकार सदन में अनुपूरक मांगें लाई है। *(व्यवधान)* इस देश में 62 हजार करोड़ रुपए इन्कम टैक्स के लोगों पर बकाया हैं। पूंजीपतियों के माध्यम से यह सरकार चल रही है। बजट में जो कमियां रहीं, उनकी पूर्ति के लिए सरकार सदन में अनुपूरक मांगें लेकर आती, तो उनका समर्थन किया जा सकता था, लेकिन यह सरकार देश भर में, सभी क्षेत्रों में विफल रही है। सभी लोग इसके कारण त्रस्त हैं। मजदूर मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण नौजवानों की हालत खराब है, वे जगह-जगह भटक रहे हैं और मेहनतकश मजदूर आन्दोलन की राह पर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसके कारण उन्हें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। असंगठित क्षेत्र में 37 करोड़ लोग हैं जिनमें खेतिहर मजदूर एवं फुटकर मजदूर ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा कि हम एक करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन आज हालत यह है कि रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार देने के मामले में सरकार से वचन-भंग किया है। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए सप्लीमेंट्री बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार को वचन-भंग का दोषी मानता हूं। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं और बिजनैस एडवायजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि बजट बिना बहस के पास किया जाएगा, फिर माननीय सदस्य भाषण क्यों दे रहे हैं? *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश में बाढ़ से तबाही हो रही है। देश में बाढ़, सुखाड़, जल जमाव, भूमि कटाव से उत्तर क्षेत्र के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम में बाढ़ से तबाही हो रही है, लेकिन अनुपूरक अनुदान की मांगों में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के मामले में जो भारत में भारी तबाही का कारण बनती हैं, नेपाल से समझौता नहीं किया जा रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, देश में करोड़ों लोग बाढ़ के कारण परेशान हैं, उनके आवागमन के रास्ते बन्द हैं, लेकिन यह सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। यह सरकार एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० को प्राइवेट लोगों को बेचकर देश को बेचने का काम कर रही है। इसलिए हम सारे विपक्ष के लोग इस सरकार को परास्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह सरकार बिना बहस के एक झटके में अनुपूरक अनुदान की मांगों को पास कराना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिना बहस के मांगें पास नहीं होंगी।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार देश के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती है। गरीब, किसान, मजदूर, युवा सब तबाह हो रहे हैं। इस कारण इन अनुपूरक अनुदान की मांगों के हम खिलाफ हैं। अनुपूरक अनुदान की मांगों से जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। यह सरकार जोड़-तोड़ कर अपनी गाड़ी को घसीटने में लगी हुई है। इसलिए अनुपूरक अनुदान की मांगों को खारिज किया जाना चाहिए। इस सरकार का पर्दाफाश होना चाहिए, भंडाफोड़ होना चाहिए। यह सरकार ब्लैक-मार्केटियर्स, मल्टीनैशनल्स और पूंजीपतियों की हिफाजत कर रही है। गरीब, किसान, खेतिहर मजदूर और बेरोजगार

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह]

नौजवानों की समस्याओं को सुलझाने के खिलाफ है। वह इनके लिए कुछ नहीं करना चाहती।

अध्यक्ष महोदय, जब बिहार का बंटवारा हुआ था, तो इसी सदन में कहा गया था कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, उसके घाटे की पूर्ति की जाएगी, लेकिन वह पैकेज आज तक नहीं दिया गया। यह सरकार वचनभंग की दोषी है। झारखंड बनने से बिहार की 75 प्रतिशत आमदनी के स्रोत झारखंड में चले गए और 75 प्रतिशत खर्च बिहार पर आ गया। इस वजह से बिहार वित्तीय संकट से गुजर रहा है, लेकिन आर्थिक पैकेज में इन्होंने अनुपूरक मांगों में उपबंध नहीं किया, बजट का प्रबंध नहीं किया, इस बारे में ये बताएं, नहीं तो हम इस बजट के खिलाफ हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे दो शब्द बोलने की अनुमति दी जाए। कृपया दो मिनट का समय देने की कृपा करें।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय हुआ था कि ये बिना बहस के पारित की जाएंगी। उन्हें यह जानने के लिए कि क्या निर्णय हुआ था, रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं डा० विजय कुमार मल्होत्रा से सहमत हूं। कार्य मंत्रणा समिति में यह पहले ही निर्णीत हो चुका है। कि हमारे समक्ष सभी कार्यों को एक घण्टे में निपटाया जाएगा और इसी कारण से प्रश्न काल को निलम्बित किया गया है। बैठक में उपस्थित सभी नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। मेरा विचार है कि कार्य मंत्रणा समिति में जो भी सहमति बने। परम्परानुसार वह सभा में उपस्थित सभी सदस्यों पर बंधनकारी है। अत: मैं सभी माननीय सदस्यों से इस पर बोलने का आग्रह न करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हमें इसके पश्चात एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य निपटाना है। अब श्री जसवंत सिंह।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो शब्द कह दूं। माननीय रघुवंश बाबू ने अपनी स्वाभाविक भाव वंदना में यहां बहुत सारी बातें कहीं हैं, उनके स्वभाव के से परे कौन जा सकता है। कबीर दास जी का एक दोहा है :

"आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक,
कह कबीर न पलटाइए, वाहि एक की एक।"

अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी सभी बातों का जबाव न देकर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधेयक पारित कर दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2003-2004

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आज की कार्यसूची की मद संख्या 22 पर चर्चा आरम्भ करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2004 को समाप्त होने

वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।''

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003-04 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेल)

मांग	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि (रुपये)
16	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	500,00,12,000
	रेलवे निधियां	2,000
	रेलवे संरक्षा निधि	11,000
	जोड़	500,00,25,000

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मांगों को सभा में मतदान के लिये रखे जाने से पहले, हालांकि हम अपनी पार्टी की ओर से चर्चा आरम्भ नहीं करेंगे, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से केवल यह कहना चाहता हूं कि रेल सुरक्षा के से जुड़ी रेलवे की स्थिति और भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उन्हें सभा को विश्वास में लेना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि पूरी सभा मुझसे सहमत होगी।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 2003-2004 की अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

''कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.24 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक-पारित – जारी

(दो) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2003*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-04 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-04 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-04 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-04 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी अनुपूरक बजट लाये हैं, लेकिन सदन को मालूम है *(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 18.08.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : आप ऐसा-ऐसा क्या कर रहे हैं?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : तो आप खड़े रहिये।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आपको मैंने इजाजत दी है, आप बोलिये।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन को मालूम है, आपने इस पर कुछ सवाल उठाने की अनुमति देने की कृपा की है। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, महावीर की जन्मभूमि है और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है। उसे रेल से जोड़ने की मांग 1904 से वहां की जनता कर रही है और हर सैशन में वह सवाल उठता है। रेल बजट पर और अनुपूरक बजट पर कोई सत्र बाकी नहीं है, जिसमें हमने सवाल नहीं उठाया। उसका सर्वेक्षण हुआ, सर्वेक्षण के लिए शिलान्यास 17 फरवरी सन् 1997 को कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्य तिथि के दिन तत्कालीन मंत्री श्री रामविलास पासवान जी बैठे हुए हैं, इन्होंने किया। इस सप्लीमैंटरी बजट में हम खोज रहे हैं कि हाजीपुर वैशाली सुगौली नई रेलवे लाइन कहां है। इधर सुना कि केबिनेट ने उसे पास कर दिया, लेकिन अनुपूरक बजट में उसके लिए कितना प्रबंध हुआ, उसका शिलान्यास होगा कि नहीं या सरकार की विदाई पहले ही हो जायेगी? शिलान्यास कब होगा, यह मैं जानना चाहता हूं और उसी के लिए मैंने हाजीपुर वैशाली सुगौली, जो नई रेलवे लाइन बिछने की वहां की करोड़ों जनता की मांग है, उसके लिए कितना अपुपूरक बजट में इन्होंने प्रावधान किया है और कब उसका शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री जी कब उसका शिलान्यास करेंगे, यह मैं। जानना चाहता था?

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल जानना चाहता था कि वे क्या बोलना चाहते हैं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अनुपूरक बजट में उसका प्रबन्ध किया जाना चाहिए, यह हमारी मांग है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यमंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निर्णय का पालन करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा शुरू नहीं कर रहा हूं। प्लीज बैठिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है, उसके अनुसार सदन का काम चलता है और इस काम का विरोध करने की कोशिश मत कीजिए। प्लीज बैठिये।

(व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : इस सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा की है। हमारे नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसकी स्वीकृति दी थी, लेकिन इस सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां रेलवे लाइन देने का आप प्रावधान करेंगे क्या? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई प्रश्न है तो पूछिये, नहीं तो मंत्री जी उत्तर देंगे। आप केवल प्रश्न पूछिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : मेरा आग्रह है कि कटिहार से जोगबनी बड़ी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण हुआ और शिलान्यास भी हो गया, लेकिन क्या कारण है कि कटिहार जोगबनी बड़ी रेलवे लाइन जो द्रुत गति से चलनी चाहिए, वह पूरी नहीं हो पाई और पूर्णिया जंक्शन से सहरसा वाया मधेपुरा मात्र 100 किलोमीटर जब दोनों तरफ से आप बड़ी लाइन दे दिये तो क्या उस छोटी लाइन को जो मात्र 100 किलोमीटर है, को भी रेलवे लाइन देने का कोई प्रावधान नहीं है, क्या आपकी फीलिंग में पूर्णिया से सहरसा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, बैठिये, आपसे मैं एक बात कहूंगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इसका जवाब तो दे दें।

अध्यक्ष महोदय : आपसे मैं फिर एक बार कहूंगा कि मुझे हाउस का बिजनेस पूरा करना है, पार्टी लीडर्स ने एग्री किया है कि आज दूसरा बिजनेस नहीं होगा, इसीलिए मैं इसके ऊपर जा रहा हूं। आपकी पार्टी के नेताओं को पूछकर आप फिर बोलिये। मंत्री जी उत्तर दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी को इजाजत दी थी। उन्होंने एक रेलवे परियोजना हाजीपुर-सुगौली वाया वैशाली की चर्चा की है। मैं उनका ध्यान सप्लीमैंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर वह उसका पेज नम्बर तीन देखते तो अनुपूरक मांग का हमारा जो प्रस्ताव है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने जब आपको इजाजत दी तब आप सुनते नहीं हैं। ऐसा सदन में नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उसमें कई कामों के लिए प्रस्ताव है। *(व्यवधान)* इसमें एक हाजीपुर-सुगौली वरास्ता वैशाली नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण है जो कि 148.3 किलोमीटर है। इसमें कुल लागत 324 करोड़ 66 लाख रुपये आयेगी। इसके लिए हमने सप्लीमैंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में प्रस्ताव रखा है। यह पूरा बुद्धिस्ट सर्किट का निर्माण करेगा और वैशाली को जोड़ेगा। यह प्रस्ताव इसमें किया गया है। *(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालोर) : मेरा प्रश्न यह है कि समदरी-जालोर-भिण्डी और पालनपुर से होकर गुजरने वाली लाईन का कार्य दस वर्षों से लंबित है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, इस पर कब कार्य शुरू करने जा रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-04 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पुरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.32 बजे

[अनुवाद]

(तीन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एन० जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : मैंने इस नाबार्ड विधेयक के बारे में पत्र लिखा था। वित्त समिति ने किसानों को दिए जाने वाले ऋण का अध्ययन किया है। अब माननीय मंत्री एक कदम से बचते हुये विधेयक लाये हैं। अब वे इसे जिला सहकारी समितियों तक ले जाना चाहते हैं। हमारा मत है कि आप क्यों नहीं इसे प्राथमिक सहकारिताओं के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लेते, जिससे कि हम किसानों को 4 या 5% ब्याज पर ऋण दे सकें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : यदि केन्द्र सरकार कुछ थोपती है तो प्राथमिक सहकारी समितियों के अधिकारों में निश्चित तौर पर कटौती होगी।

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सहमत हो गये हैं *(व्यवधान)* मंत्री महोदय तैयार हैं कि इस पर चर्चा हो सकती है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, नाबार्ड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन लाए हैं। नाबार्ड से राज्यों के रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट के लिए लोन मिलता है। लेकिन अभी नाबार्ड में काफी कम्प्लीकेटेड प्रावधान है। राज्यों सरकारों से नुक्ताचीनी होती है। राज्यों से योजना का जो प्रस्ताव बनकर आता है, वह नाबार्ड के हैडक्वार्टर में साल-सालभर तक पड़ा रहता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नाबार्ड के रीजनल ऑफिस को कम से कम 50 करोड़ रुपये तक की योजना के लिए इजाजत दी जाए ताकि वह राज्य सरकारों से प्राप्त योजनाओं पर विचार करे और वहीं उसका निष्पादन करके नाबार्ड के हैडक्वार्टर को सूचित कर दे। अभी यह परिस्थिति है कि राज्य सरकारों से पुल, सड़क और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजना बनकर आती है, वह नाबार्ड के हेडक्वार्टर में पड़ी रहती है: हाल ही में एक योजना गई है। इसलिए कम से कम 50 करोड़ रुपये तक की योजना का अधिकार नाबार्ड के रीजनल ऑफिस को दिया जाए। यह योजना मंजूर करे और देखे कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, कितना मिला और उसमें क्या समस्याएं हैं। कुछ राज्य सरकारों की वित्तीय हालत बहुत खराब है। आप नाबार्ड संबंधी बिल लायें जिससे राज्यों की जनता की समस्याओं का समाधान हो। *(व्यवधान)* नाबार्ड राज्य सरकार को जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक काम कर सके। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए इस पर कोई स्पेसीफिक योजना बननी चाहिए। *(व्यवधान)* वहां से पुल बनाने की योजना गई तो लिखकर आ गया कि प्रोजैक्ट बनाकर भेजा जाये। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री जी का भाषण रिकार्ड में जायेगा।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात कहूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : हम पुन: विनपोषण के जरिये नाबार्ड सहायता के प्रकार्य के कारण सीधे प्राथमिक एजेंसी पर नहीं जा सकते।

मैं साथ ही साथ आपको स्पष्टीकरण भी देता रहूंगा।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू ने हमारे काम की सराहना की है, अवश्य कोई अच्छी गाड़ी चल रही होगी। साथ ही उन्होंने शिकायत की है कि बिहार के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए आप न्याय कीजिए। मैं बिहार के साथ अवश्य न्याय करूंगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.39 बजे

[अनुवाद]

(चार) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 26 को लेते हैं। श्री पी०सी० थामस द्वारा 6 अगस्त 2003 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात :—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसे अभी नहीं लिया जाना चाहिए। मैं मतविभाजन की मांग करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा इस मद को अभी नहीं लिया जाए। मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता हूं। हम सिद्धान्तत: इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम निश्चित रूप से मतविभाजन की मांग करेंगे। कृपया, मुझे क्षमा करें।

महोदय, कृपया इसे आज न लें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, यह माफियों को रोकने का सबसे अच्छा कानून बन रहा है, इसलिए इसे आज ही लिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि मतविभाजन की मांग न करें क्योंकि इसमें लम्बा समय लगेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह पहले से ही खड़े थे। उनका भाषण अधूरा है। उसे पूरा करने की इजाजत दे रहा हूं। रघुवंश जी आप एक-दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, हमने कहा था कि जो यह विधेयक आया है कि अब तक राज्य सभा के लिए जो चुनाव होता है और एम०एल०ए० वोट डालते हैं, उसमें उन्होंने संशोधन करके स्टेट और यूनियन टैरिटरीज की जगह भारत लिख दिया लेकिन संविधान में जहां पर राज्य सभा के लिए संविधान का प्रावधान है, उसमें कहा गया है कि यूनियन टैरिटरीज और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स से होकर राज्य सभा चुनेंगे लेकिन जो संविधान है, उसमें प्रावधान ज्यों का त्यों है। इस विधेयक में कहा गया कि स्टेट और यूनियन टैरिटरीज के बदले भारत लिख दिया गया। हमारा सवाल है कि यह असंवैधानिक है। संविधान के प्रावधानों के अनुकूल यह विधेयक नहीं है। संविधान में प्रावधान मौजूद है और विधेयक में उसको उलट दिया गया, जो उचित नहीं है। इसलिए असंवैधानिक है।

दूसरी बात यह है कि उसमें कहा गया है कि फ्री ओपन बैलट सिस्टम, ओपन वोटिंग होगी अर्थात् अभी तक सैक्रेट बैलट का प्रावधान था। अब सरकार कभी ओपन बैलट का प्रावधान ला रही है तो कभी प्रॉक्सी वोटिंग का प्रावधान ला रही है। अभी ओपन बैलट वोटिंग का प्रावधान है। इनका दावा है कि ओपन बैलट वोटिंग होने से वोट नहीं बिकेगा लेकिन इसमें हम लोगों का यह कहना है कि वह थोक भाव में बिकेगा, इंडिविजुअल नहीं बिकेगा। यह सरकार सारी मान्यताओं को खत्म कर रही है। कहा गया है कि गुप्त मतदान होगा। हर कोई अपनी आजादी से वोट डालेगा। हस्बैंड एंड वाइफ में भी गुप्त रिश्ता रहता है। उसे क्या यह सरकार कहेगी कि ओपन कर दिया जाए: *(व्यवधान)* उसी तरह से सैक्रेट बैलट का प्रावधान है। फिर कैसे गुप्त को ओपन करने का प्रावधान सरकार ला रही है? इसलिए इस पर हमारी घोर आपत्ति है। इससे हम लोग सहमत नहीं हैं कि यह विधेयक पारित हो।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस विधान पर बहुत अच्छा भाषण दिया और वह बहुत उत्सुक हैं कि इस मामले की जांच सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। सभा ने अन्य महत्वपूर्ण मदों को पारित करने में सरकार के साथ सहयोग किया है और जिसे उपलब्ध समय के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक था। इसलिए, महोदय, क्या मैं आपसे तथा सत्ताधारी दलों से भी अनुरोध कर सकता हूं कि इस विधेयक को मतदान के लिए न रखा जाए? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने बहुत ही स्पष्टत: कहा है कि वह सभा में विभाजन के लिए दबाव डालेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो इसे 21 तारीख को लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसको आज ही पारित कराइए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती सुषमा स्वराज बोलेंगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, जो भी बिजनैस आज की कार्यसूची में लगा है, वह बिजनैस वह है जिसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति में सहमति बनी थी और आम सहमति नहीं सर्वसम्मति बनी थी। बाकायदा बिजनैस क्या होगा, यह पूछा गया था। एक-एक चीज बताई गई थी। उसके बाद तय हुआ और जिन चीजों पर सहमति नहीं बनी थी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं इस बात का विरोध करता हूं। सर्वप्रथम कार्यमंत्रणा समिति में क्या हुआ उस पर यहां चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं। महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इसे कार्य को 21 तारीख को लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं। उसकी अध्यक्षता आप कर रहे थे। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम अविश्वास के प्रस्ताव पर गंभीर होकर आए हैं और यह सदन अविश्वास के प्रस्ताव पर गंभीर नहीं है। इसलिए ये सारी चर्चाएं आज हो जानी चाहिए। दूसरा समय निकालकर, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : यह क्या बात है? *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : क्यों? क्या आप इसे हम पर थोपेंगे? क्यों मान्य नहीं है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि कोई यह सोचे कि मैं जानबूझ कर बाधा पहुंचा रहा हूं। यह सिद्धान्त का प्रश्न है। हम इसमें भाग नहीं लेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : पाटिल जी, आपने मुझे अपनी बात पूरी ही नहीं करने दी। आप अपना सबमिशन कर चुके। कम से कम मुझे सरकार की ओर से सबमिट तो करने दीजिए।

अध्यक्ष जी, आप उस कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। उस वक्त आई०डी०बी०आई० एक्ट और इंडियन टैलीग्राफ एक्ट, इन दो बिलों पर कहा गया था कि चर्चा चाहिए। इसलिए वे इस सूची में नहीं रखे गए हैं। जिन तमाम बिलों के ऊपर वहां सर्वसम्मति बनी कि उन्हें बिना चर्चा के पारित करा दिया जाएगा, सरकार केवल उन्हीं बिलों को लाई है। लेकिन यहां अगर ओपोजिशन में यूनिटी नहीं है, वह डिवाइडेड दिखता है, इसलिए कि चूंकि सोमनाथ जी ने इसको उठाया और शिवराज पाटिल जी को लगता कि हाउस डिवाइड न हो, यह कोई तर्क नहीं हो सकता बिल को पारित न करवाने का। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आई०डी०बी०आई० एक्ट और इंडियन टैलीग्राफ एमेंडमेंट एक्ट, 21 को लाने की बात हुई थी, तो उनको यहां नहीं रखा गया है। अगर इनको डिवीजन चाहिए तो सरकार उसके लिए तैयार है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री महोदय, इस विधेयक पर विपक्ष में ही नहीं बल्कि राजग में भी विभाजन है। हां बिल्कुल वहां *(व्यवधान)*

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : हम मत विभाजन चाहते हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : विधेयकों को पारित कराने के दो ही तरीके हैं या तो वायस वोट या फिर डिवीजन। अगर ये लोग डिवीजन चाहते हैं तो सरकार उसके लिए तैयार है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वे विधेयक के विरुद्ध बोले हैं। बी०जे०डी० ने भी इस विधेयक के लिए बात की है। आप क्या कह रहे हैं? अधिक चालाक बनने का प्रयास न करें। महोदय, मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कराना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय विपक्ष में विभाजन करा कर अच्छा नहीं कर रही हैं। बी०जे०डी० ने सभा में इस विधेयक का विरोध किया था और ए०आई०ए०डी० एम०के० ने भी। आप इन सभी चीजों को भूल गए हैं। आप की याददाश्त बहुत कमजोर है। आप विपक्ष में विभाजन क्यों कर रहे हैं? विपक्ष अपने आप को संभाल लेगा। हम इस विषय पर कोई सलाह नहीं चाहते। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप बी०ए०सी० की बात करें, आप भी उसमें थे। *(व्यवधान)* विपक्ष की नेता की तरफ से उन्होंने कहा था। अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्षता कर रहे थे। आप बताएं कि सरकार ने कहां रिट्रेक किया है। हम वही चीजें लेकर आए हैं, जो वहां तय हुई थीं।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : विपक्ष ने एग्री किया था, सबने एग्री किया था प्रत्येक इस पर सहमत था।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कार्यवाही जारी रखें। हम उस पर निर्णय लेंगे। कृपया आप आगे चलें *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर ये डिवीजन मांगते हैं तो वह किया जाए। *(व्यवधान)* जब भी ऐसी कोई बात होती है रघुवंश बाबू खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। सोमनाथ जी कहते हैं कि पास नहीं होने देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसे जारी रखना ही होगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : जो कुछ यहां कहा गया है, यह तथ्यों से हटकर है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं है।

श्री शिवराज वि० पाटील : हमारा मानना है कि इस बिल पर रजामंदी नहीं थी। इस पर डिसकशन नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : डिसकशन नहीं होगा।

श्री शिवराज वि० पाटील : ये सारे मैटर्स को नहीं जानते। हम सहयोग कर रहे हैं और हमें इसके लिए एप्रीशिएट भी नहीं कर रहे हैं। इस बिल के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। महोदय, कृपया इस मुद्दे की भी जांच की जाए। *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : शिवराज जी, क्या आपको पता नहीं कि क्या क्या चीजें हाउस में रखी जाएंगी। मैंने एक-एक चीज के बारे में बताया था। हर बार यह चीज क्यों ले आते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे इस तरह से लिया जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शिवराज वि० पाटील : इस बिल के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। महोदय, आप वहां बैठे थे। मैं आपको इस कठिन स्थिति में नहीं डाल रहा हूं कि इस विधेयक पर सभा में चर्चा की जाए या नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप बी०ए०सी० में देखें। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने कहा था कि राज्य सभा का समय है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : हम भी आप जैसे चालाक हो जाते हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुषमा स्वराज : शिवराज जी स्वयं उपस्थित थे। डिसकशन के बावजूद यह हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा नहीं हुई थी। हमें इसके बारे में भी बताया गया *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : हाउस में बहस हो गई, राज्य सभा में पास हो गया है। जब कांग्रेस पार्टी रिट्रेक कर रही है। *(व्यवधान)* हर बार ये लोग रिट्रेक कर जाते हैं। *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप बताएं कि आप उस समय थे या नहीं। प्रियरंजन दासमुंशी जी खड़े होकर कहें कि क्या यह तय हुआ था। सब लिखित में है। अंदर कुछ कहते हैं और बाहर आकर पलट जाते हैं। हाउस में आकर दूसरी बात कह रहे हैं तो कैसे होगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, अब वे पीछे हट रहे हैं, वहां तय करके यहां रिट्रेक करके पीछे हटना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी हो, कार्य मंत्रणा समिति की कार्यवाही पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है। मामला सभा के सम्मुख है। इसलिए, सभा को निर्णय लेना है। मुझे इसे लेना ही होगा क्योंकि यह विधेयक पहले से ही सूचीबद्ध है, सदस्य इस पर मतदान कर सकते हैं। यदि वे सहमत है तो विधेयक पारित किया जाएगा और यदि वे सहमत नहीं हैं तो विधेयक पारित नहीं होगा।

इसलिए, मैं श्री थामस से उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०सी० थामस) : महोदय, विधेयक पर चर्चा हुई और दो मुद्दों पर विचार किया गया, एक अविश्वास से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास उत्तर देने के लिए बहुत कम समय है। आप अपना उत्तर संक्षेप में दे सकते हैं।

श्री पी०सी० थामस : दूसरा खुले मतदान से संबंधित है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विधेयक को बिना आगे चर्चा के पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं सभा की कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विधेयक का विरोध सिद्धान्त के बारे में कर रहे हैं और हमने यही कहा भी है।

अभी, यहां अन्य माननीय सदस्य भी हैं जो बोल नहीं पाये हैं। इसलिए, यह सही नहीं है कि विपक्ष ने ही इसका विरोध किया है, सत्ताधारी राजग गठबंधन के कई माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया, मुझे इसे पूरा करने के लिए आधे मिनट का समय दें। यह रिकार्ड का मामला है। *(व्यवधान)* यह हो सकता है कि वे तथाकथित सचेतक से बंधे हो। मैं उनके सचेतक से बंधा नहीं हूं। इसलिए, कृपया हमें इस विशेष वाद-विवाद में भाग लेने के लिए अनुमति न दे। हम विरोध में बहिर्गमन करेंगे।

पूर्वाह्न 11.51 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

श्री पवन कुमार बंसल, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

खण्ड-2

नई धारा 33क का अंत: स्थापन

श्री पवन कुमार बंसल (चंड़ीगढ़) : जिस मुद्दे को मैं उठना चाहता हूं वह सिक्किम से लोकसभा चुनाव के बारे में है, वहां प्रावधान यह है कि उम्मीदवार को सिक्कम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, *(व्यवधान)* यही मेरा मुद्दा यह है। मेरा संशोधन यह है कि सिक्किम से लोक सभा के चुनाव के मामले में आवयकता यह है कि उम्मीदवार को सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। इसलिए, राज्य सभा के चुनाव के मामले में यही प्रावधान होना चाहिए। हम इस प्रावधान पर सहमत हो गए थे। मुझे आशा थी कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो स्थिति विरोधाभाषी होगी। लोकसभा के मामले में ज्ञात यह होगी कि उम्मीदवार सिक्किम से ही होगा जबकि राज्य सभा – हम नया उपबंध आरम्भ कर रहे हैं – के मामले में स्थिति भिन्न होगी। इसलिए, मैं इसे सरकार पर छोड़ता हूं। मैंने सोचा कि सभा के ध्यान में इस मामले को लाना मेरा कर्तव्य है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1–

पंक्ति 3 और 4 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी,–

3. कोई व्यक्ति राज्य सभा में किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए तब तक अर्हर नहीं होगा जब तक कि वह भारत में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नहीं है।

परंतु यह कि सिक्किम राज्य के लिए आवंटित स्थान की दशा में वह व्यक्ति सिक्किम के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचक होगा।" (1)

श्री पी०सी० थॉमस : पुर:स्थापित (संशोधन) विधेयक के मद्देनजर, मैं अनुरोध करूंगा कि यह संशोधन वापस लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, क्या आप संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.53 बजे

[अनुवाद]

(पांच) केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या-27, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पर विचार करेगी। यह राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर *विचार* करने के बारे में है।

श्री हरिन पाठक।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से केंद्रीय सतर्कता आयोग, विधेयक 2003, पर 7 अगस्त, 2003 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित, के खंड 26 में दो सरकारी संशोधनों पर विचार किया जाए।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, विधेयक, 2003 इस सम्माननीय सभा द्वारा 26 फरवरी, 2003 को पारित किया गया था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अभी संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :–

खंड-26 *1946 के अधिनियम 25 का संशोधन व्याख्या संबंधी धारा*

1. पृष्ठ 10 पर पंक्ति 17 से 18 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए, अर्थात् :–

''(घ) मंत्रिमंडल-सचिवालय में सचिव (समन्वय और लोक शिकायत)''

–सदस्य ।

2. पृष्ठ 10 पर पंक्ति 33 में, ''संयुक्त निदेशक'' शब्दों के *स्थान* पर ''पुलिस अधीक्षक'' शब्द *प्रतिस्थापित* किया जाएं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :–

खंड-26 *1946 के अधिनियम 25 का संशोधन व्याख्या संबंधी धारा*

1. पृष्ठ 10 पर पंक्ति 17 से 18 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए, अर्थात् :–

''(घ) मंत्रिमंडल-सचिवालय में सचिव (समन्वय और लोक शिकायत)''

–सदस्य ।

2. पृष्ठ 10 पर पंक्ति 33 में, ''संयुक्त निदेशक'' शब्दों के *स्थान* पर ''पुलिस अधीक्षक'' शब्द *प्रतिस्थापित* किया जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-26 *1946 के अधिनियम 25 का संशोधन व्याख्या संबंधी धारा*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

1. पृष्ठ 10 पर पंक्ति 17 से 18 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए, अर्थात् :–

''(घ) मंत्रिमंडल-सचिवालय में सचिव (समन्वय और लोक शिकायत)''

2. पृष्ठ 10 पर पंक्ति 33 में, ''संयुक्त निदेशक'' शब्दों के *स्थान* पर ''पुलिस अधीक्षक'' शब्द *प्रतिस्थापित* किया जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.55 बजे

[हिन्दी]

(छह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

''कि असम राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

''कि असम राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोंकराझार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2003 के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन बहुत महत्वपूर्ण और वास्तविक है। जब 10 फरवरी, 2003 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तो समझौते के खण्ड 8 के अंतर्गत कार्बी अंगलोंग और नार्थ कछार जिलों में रहने वाली बोरो और बोरोकछरी जनजातियों से वायदा किया गया था कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा परन्तु दुर्भाग्य से भारत सरकार ने अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया। इसलिए, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कार्बी अंगलोंग और नार्थ कछार पर्वतीय जिलों में रहने वाले बोडो लोगों को अनुसूचित जनजातियों (पर्वतीय) की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

मैं अपना दूसरा संशोधन भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसके माध्यम से मेरी मांग है कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक सूची होनी चाहिए जिसमें केवल बोरो, बोरोकछरी, मेक और राभा जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि अब तक असम के मैदानी जिलों में चौदह अनुसूचित जनजातियां हैं। किन्तु केवल इन तीन जनजातियों की आबादी बोडोलैंड स्वायत्तशासी क्षेत्र में हैं और शेष अनुसूचित जनजातियों की बोडोलैंड स्वायत्तशासी क्षेत्र में कोई आबादी नहीं है। इसलिए, मेरी मांग है कि बोरो बोरोकछरी, मेक और राभा जनजातियों को शामिल करके बोडोलैंड स्वायत्तशासी क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजातियों की अनन्य सूची बननी चाहिए जैसा कि मैंने संशोधन में सुझाव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। डा० जयन्त रंगपी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे संशोधनों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

डा० जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक असम के कारबी अंगलोंग और उत्तरी कछार जिलों में रहने वाली स्थानीय पर्वतीय जनजातियों की सुरक्षा के लिए है और इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। असम में पर्वतीय जनजातियों के लिए द्वि-स्तरीय आरक्षण है। एक पर्वतीय जनजातियों के लिए और दूसरा है असम के मैदानी जिलों में रहने वाले जनजातियों के लिए। इस विधान के द्वारा कारबी अंगलोंग तथा उत्तरी कछार जिलों में रहने वाले जनजातियों के अनन्य अधिकारों की रक्षा की जाती है।

महोदय, सरकार को एक समस्या का हल करने की कोशिश करते हुए अन्य मामलों को जटिल नहीं बनाना चाहिए। यह अच्छा विधान है परन्तु इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि कारबी जो कि असम के मूल निवासी हैं उन्हें असम के मैदानी जिलों में मान्यता नहीं दी गई है। मानव विज्ञानियों के अनुसार कारबी असम के कोलम्बस हैं और वे असम के पहले निवासी हैं परन्तु दुर्भाग्य से उन्हें असम के बहुत से जिलों में जनजातीय नहीं माना जाता। इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और मांग करता हूं कि कारबी को 1950 के अनुसूचित जनजातियां आदेश की मद संख्या-2 में शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया सवाल इस बिल से संबंधित नहीं है, इसलिए उस पर विचार

नहीं किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, श्री रंगपी द्वारा प्रस्तुत विचार दूसरे विषय से संबंधित है। अत: मैं आग्रह करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असम राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2 *संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन*

अध्यक्ष महोदय : श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, क्या आप अपने संशोधन रख रहे हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,–

पंक्ति 12 से 14 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

(ii) 'स्वशासी जिलों को छोड़कर असम राज्य में' उप भाग शीर्ष II के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाएगा, अर्थात :–

"II कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी जिलों सहित असम राज्य में"। (1)

पृष्ठ 1,–

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए–

(iii) उप भाग शीर्ष II के पश्चात् नया उप-भाग शीर्ष

III. *अंत: स्थापित* किया जाए, अर्थात :–

III. बोडोलैंड स्वशासी राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियां अनन्य रूप से वास्तविक अनुसूचित जनजातियों की सूची का भाग होंगी,–

1. बोरो, बोरोकछारी

2. मेक

3. राभा

स्पष्टीकरण : "बोडोलैंड स्वशासी राज्यक्षेत्र में केवल ऊपर वर्णित 3 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है परन्तु उप भाग-II में उल्लिखित शेष अनुसूचित जनजातियों की बोडोलैंड स्वशासी राज्यक्षेत्र में कोई जनसंख्या नहीं है।" (2)

पृष्ठ 1,–

पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए–

(ii) उप-भाग शीर्ष I में, प्रविष्टि 15 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए–

16. बड़ो, बड़ोकछारी" (5)

अध्यक्ष महोदय : डा० जयन्त रंगपी, क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं?

डा० जयन्त रंगपी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,–

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए–

"(iii) उप-भाग शीर्ष II में,

प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित *अन्त:स्थापित* किया जाए,–

15. कार्बी।" (4)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं० 1, 2 और 5 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1, 2 और 5 मतदान के लिए रखे तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० जयन्त रंगपी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 12-13,–

"बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र जिला" के *स्थान* पर "बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला" *प्रतिस्थापित* किया जाए; (3)

(श्री चिन्मयानन्द स्वामी)

मध्यान्ह 12.00 बजे

(इस समय श्री मानछुमा खुंगुर बैसोमुथियारी सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे श्रीमती सोनिया गांधी से नियम 198 के अधीन मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है।

प्रस्ताव निम्नवत् है :

''कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है।''

श्रीमती सोनिया गांधी कृपया सभा की अनुमति लें।

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि निम्नलिखित प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए :

''कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है।''

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों से, जो इस प्रस्ताव के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थान पर कृपया खड़े हों।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि 50 से अन्यून सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो गए हैं अतः सभा की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि सभा सहमत हो तो चर्चा तत्काल शुरू की जा सकती है।

अब सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।

इससे पहले कि चर्चा आरम्भ हो, मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

यदि सभा सहमत हो, तो अविश्वास प्रस्ताव पर आज और कल चर्चा हो सकती है। कल सायं 6.00 बजे मत विभाजन होगा। यदि सभा सहमत होती है, तो दोनों दिन मध्याह्न भोजनावकाश को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार चर्चा के लिए लगभग 12 घंटे का समय उपलब्ध होगा। चर्चा के लिए दलवार समय आबंटन इस प्रकार है :

भाजपा और सरकार में भागीदार अन्य दल-5 घंटे 26 मिनट; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-2 घंटे 25 मिनट; भाकपा (मार्क्सवादी)-45 मिनट; तेदेपा-38 मिनट; समाजवादी पार्टी-36 मिनट; बसपा-18 मिनट; अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक-15 मिनट; अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस-11 मिनट; राकांपा-11 मिनट, इंडियन नेशनल लोक दल 7 मिनट; जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस-7 मिनट; सामूहिक रूप से दो से चार सदस्यों वाले छोटे समूह-40 मिनट; निर्दलीय और एक सदस्यीय दल-21 मिनट।

दलों के मुख्य सचेतकों और सचेतकों को अपने दलों से वक्ताओं के नाम सुझाते वक्त दी गयी समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सदस्यगण, आपको ज्ञात है कि कार्यवाही का दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा सीधा प्रसारण किया जा रहा है। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुशासित व्यवहार करें तथा सभा में अनुशासन व शालीनता बनाए रखें।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधे प्रसारण के दौरान, सभा में मेरी अनुमति के बगैर बोलने वाले अथवा अव्यवस्था फैलाने वाले किसी सदस्य पर कैमरा फोकस नहीं किया जाएगा।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, बसपा और अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक को अलग समय क्यों दिया गया है जबकि वे सरकार का समर्थन कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्रीमती सोनिया गांधी चर्चा प्रारंभ करने जा रही हैं।

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है।" *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पी०आर० खुंटे (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी अपोजीशन अपना भाषण लिखित नहीं पढ़ सकती। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करती हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (मतना) : अध्यक्ष जी, लिखित भाषण नहीं होना चाहिये *(व्यवधान)* देश की जनता अंग्रेजी नहीं समझती *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : महोदय, यह क्या हो रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महोदय, आपको उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाएं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब तक आपको व्यवस्था का कोई प्रश्न न हो, तब तक कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अन्य किसी को नहीं बल्कि सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी को बोलने की अनुमति दी है।

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं भाजपा के नेतृत्ववाली राजग सरकार के विरूद्ध इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करती हूं। मैं ऐसा दलगत कारणों से नहीं कर रही हूं क्योंकि न तो दल महत्वपूर्ण हैं और न ही संख्या महत्वपूर्ण है।

महोदय, यह प्रस्ताव भारत की जनता के प्रति गहरे उत्तरदायित्व के भाव का प्रतिफल है। यह हमारा देश जिस दिशा में अग्रसर हो रहा है, उसके प्रति वास्तविक चिन्ता का प्रतिफल है। यह इस सरकार की शासन करने की निरंकुश शैली से उत्पन्न वास्तविक चिन्ताओं का प्रतिफल है। इस प्रकार की निरंकुश शासन प्रणाली में खतरे अंतर्निहित होते हैं। महोदय, यह हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धांतों तथा स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम दिखाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 352(xi) पर बोल रहा हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पाइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिये इजाजत दी है। अगर वे मुझे पूछेंगे तो रूल भी बतायेंगे। मैंने उन्हें इजाजत दी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 352(xi) पर बोल रहा हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत नहीं हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इनका पांइट ऑफ ऑर्डर है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, भाषण शुरू करने के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह अवश्य जानना चाहिए कि वह क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे नियम बताइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, नियम 352(xi) के तहत मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, हम इस नियम का हवाला देते हुए कहना चाहते हैं कि विपक्ष की नेत्री *(व्यवधान)* श्रीमती सोनिया गांधी जो बोल रही हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, जब वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं तो विपक्ष की नेता को बैठ जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, नियम 352(xi) में यह स्पष्ट लिखा है कि कोई भी माननीय सदस्य कागज पढ़कर यहां भाषण नहीं दे सकता। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह रूल यहां नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : श्रीमती सोनिया गांधी भाषण पढ़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये। आप जो रूल कोट कर रहे हैं, वह रूल यह नहीं है, जो आप बोल रहे हैं। प्लीज बैठिये। मैंने वह रूल देखा है जो आपने कोट किया है, वह यह रूल नहीं है। मैंने श्रीमती सोनिया गांधी को पेपर्स रेफर करने की इजाजत दी है वह यही कार्य कर रही हैं। मैंने उन्हें परमीशन दी है। आप प्लीज बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे व्यवस्था के ऐसे प्रश्न न उठाएं जो प्रासंगिक न हों और जो पूर्णतया नियमानुकूल न हो। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस सभा में काफी शालीन तरीके से चर्चा होने दें। जब वक्ता नियमों के विरूद्ध बोल रहा हो तो आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। अन्यथा, व्यवस्था के प्रश्नों पर विचार करना मेरे लिए कठिन होगा।

विपक्ष की नेता अपनी टिप्पणी कर रही हैं। उन्हें अपनी टिप्पणी करने दें। सभा के नेता भी यहां उपस्थित हैं। वह भी बोलेंगे। चर्चांदित वाद-विवाद होने दें। कृपया सदस्यों को अनावश्यक रूप से बाधित न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, अगर इन्होंने पढ़कर बोलना है तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, इस प्रकार की निरंकुशता में खतरा अंतर्निहित है। इस प्रकार की निरंकुशता में खतरा अंतर्निहित है और यह खतरा हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के लिए खतरा है; यह स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए व हमारे पूर्वजों के आदर्श के लिए खतरा है।

महोदय, मैं इस सरकार की नौ विफलताओं के आधार पर यह अविश्वास प्रस्ताव रखती हूं। इस संबंध में साक्ष्य स्पष्ट और विवश करने वाले हैं।

सर्वप्रथम, मैं इस सरकार पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाती हूं। दूसरे, मैं इस सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाती हूं। मैं इस सरकार पर सामाजिक सद्भाव को जान-बूझकर बिगाड़ने का आरोप लगाती हूं। मैं इस सरकार पर हमारी शैक्षिक प्रणाली की धर्मनिरपेक्ष विशेषता के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाती हूं। मैं इस सरकार पर सार्वजनिक जीवन में और प्रशासन में सत्यनिष्ठा नष्ट करने का आरोप लगाती हूं। मैं इस सरकार पर बेरोजगारी को बढ़ाने और सरकारी क्षेत्र को समाप्त करने का आरोप लगाती हूं। मैं इस सरकार पर हमारे किसानों और हमारे खेत मजदूरों को भारी मुसीबतों में डालने का आरोप लगाती हूं। मैं इस सरकार पर संसदीय प्रजातंत्र की प्रमुख संस्थाओं की प्रतिष्ठा कम करने का आरोप लगाती हूं। अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार पर हमारी विदेश नीति की स्वतंत्रता की खुल्लमखुल्ला उपेक्षा करने का आरोप लगाती हूं।

हमारे आरोप उतने ही व्यापक हैं जितनी की इनकी विफलताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्येक विफलता पर एक-एक करके चर्चा करूंगी।

पहले मैं रक्षा क्षेत्र की बात करती हूं। हमारे सशस्त्र बलों के लिए ये दिन बहुत चुनौती पूर्ण हैं। रक्षा सदैव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए। फिर भी यह सरकार हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण हेतु अत्यावश्यक आवंटित राशि को खर्च करने से मना कर रही है।

बजट दस्तावेज के अध्ययन से यह पता चलता है कि रक्षा आधुनिकीकरण हेतु आवंटित लगभग 24,000 करोड़ रुपये और सही मायने में 23197 करोड़ रुपये आज खर्च नहीं किए गए हैं *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : भाषण को सही ढंग से सुनिये। यह सभा की प्रतिष्ठा का सवाल है *(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी : यह अप्रयुक्त राशि बजट राशि का 30 प्रतिशत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इतनी सुस्त है कि यह हमारे बहादुर 'जवानों' की जान को जोखिम में डालने की इच्छुक है, और यह सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है कि इसने हमारे कारगिल के हीरो सैनिकों को शहादत के साथ समझौता किया है।

फिर हमें इस बात की जांच करनी है कि सरकार ने गत वर्ष 'कारगिल कर' के रूप में एकत्र किए 4,253 करोड़ रुपये किस प्रकार खर्च किए। मेरे हाथ में स्थायी समिति का एक प्रतिवेदन है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने यह बताया है कि इस राशि में से एक भी रुपया इस पर खर्च नहीं किया गया जबकि इसे एकत्र करने का उद्देश्य यही था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी हमारे देश की रक्षा का मामला होता है तो करदाता सदैव राष्ट्र को अपना योगदान देने के इच्छुक रहते हैं। अब: क्या यह उनके विश्वास के साथ विश्वासघात करना नहीं है? क्या यह हमारे देशवासियों के विश्वास और देशभक्ति के साथ विश्वासघात करना नहीं है?

वर्ष 2000 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी सरकार की आलोचना की गई है। शायद इसी कारण स्वयं प्रधानमंत्री को 28 जनवरी को हुए एक सम्मेलन में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकरण पर टिप्पणी करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने जो कहा था उसे मैं उद्धृत करती हूं :–

> "आपको उन समग्र परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए जिसमें कार्यपालक को कोई विशेष निर्णय लेना पड़ता है *(व्यवधान)* ऐसा वातावरण, जिसमें लेखापरीक्षक आक्रामक मूड में हो और कार्यपालक रक्षात्मक मूड में, अच्छे कार्य निष्पादन के लिए नुकसानदायक है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, किन्तु हम टिप्पणी से क्या समझें? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है। इसमें बचा नहीं जा सकता। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसने रक्षा खरीद यहां तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट, बहुउद्देशीय बूट, हाथ में पकड़ने वाले थर्मल इरेजरों, उच्च शक्ति वाली राइफलों और गोला बारूद जैसी मूलभूत मदों की खरीद में भी काफी अनियमितताओं का पता लगाया है। इसने 'ऑपरेशन विजय' के संबंध में सरकार की तथाकथित फास्ट-ट्रैक खरीद मशीनरी' पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इसने अन्य घोटालों यथा देश में राजधानी और अन्यत्र रक्षा भूमि की भारी हानि का भी विस्तार से ब्यौरा दिया है।

महोदय, सरकार को स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार आयुध निर्माणी डिपुओं में बड़ी आग लगने से लगभग 800 करोड़ रुपये का गोला-बारूद और रक्षा उपकरण बर्बाद हो चुका है। पिछली 1 जून को जैसलमेर में ऐसी ही आग लगने की घटना हुई है। और मिग विमानों के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में और क्या कहा जाए?

अपने पास उपलब्ध कुछ और देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्रालय में काफी कुछ गलत हो रहा है।

अब, जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो मैं अपने मित्रों विशेषकर माननीय गृह मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहती हूं कि अभी थोड़े ही समय पहले हमारे देश में हर आतंकवादी घटना के पीछे आई०एस०आई० का हाथ बताया जाता था। इसी कारण से हम चार वर्ष पूर्व वह ब्यौरा जानना चाहते थे और माननीय गृह मंत्री ने आई०एस०आई० की गतिविधियों पर एक श्वेत पत्र लाने का वचन दिया था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि चार वर्ष बीतने के बाद भी हमने वह 'श्वेत पत्र' नहीं देखा है। हम यह जानना चाहते हैं कि यदि ऐसा कोई श्वेत पत्र है तो वह कहां है?

देश गत कुछ वर्षों पहले ही उस सर्वाधिक शर्मनाक घटना को कभी नहीं भूलेगा जब तत्कालीन माननीय विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह स्वयं तीन दुर्दांत आतंकवादियों को स्वयं एक विशेष विमान से कंधार ले गए थे। अब, ये तीनों आतंकवादी श्रीलंका या अन्यत्र विदेश में नहीं थे। ये आतंकवादी भारत में थे। वे हमारी जेलों में थे। उन्हें जेल से बाहर लाया गया और उन्हें संरक्षण में एक विशेष विमान से कंधार ले जाया गया। और उन्होंने वहां से क्या किया? वहां से वे पाकिस्तान गए; पाकिस्तान से वे भारत आए और उन्होंने हमारे भाइयों, बहनों, बच्चों, सैनिकों और उनके परिवार वालों की हत्या की।

जहां तक कारगिल का संबंध है, मैं और कुछ नहीं सुब्रहमण्यम् समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करता हूं *(व्यवधान)* सुब्रहमण्यम समिति के प्रतिवेदन का यह एक उद्धरण है और इसमें कहा गया कि :–

> "समीक्षा समिति के पास यह अकाट्य प्रमाण थे कि कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ से भारत सरकार, सेना, आसूचना एजेंसी के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर सरकार तथा इसकी एजेंसियां पूरी तरह अंचभित हो गई थी।"

[श्रीमती सोनिया गांधी]

शायद आपको यह याद होगा कि ऐसे प्रतिवेदन पर चर्चा करने की बारम्बार मांग की गई थी क्योंकि हमें यह विश्वास था कि यह प्रतिवेदन काफी महत्वपूर्ण है। किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारी मांगों और अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और चर्चा करने से बचा गया। मेरा विश्वास है कि इस विषय पर चर्चा न करने से हमारी देश की सुरक्षा को भारी नुकसान हुआ।

अब कारगिल की घटना से कोई सबक नहीं सीखा गया यह बात जम्मू के निकट सुरनकोट के जंगलों में हिल काका पर कुछ समय पहले हुई घुसपैठ से स्पष्ट होती है; केवल यही नहीं; आप सब यह जानते हैं कि अनेक आतंकवादी काफी लम्बे समय से हमारी सीमा के काफी बड़े क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से कब्जा किए हुए हैं। मैं केवल यही कह सकती हूं कि

[हिन्दी]

पहले आपने खुद 'सर्प' को घुसने दिया और उसके बाद 'विनाश' की सोची।

[अनुवाद]

महोदय, 'ऑपरेशन पराक्रम' वर्ष 2002 में लगभग 9 महीने चला। इसमें कम से कम पांच लाख सैनिकों ने भाग लिया।

इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपये खर्च हुए। अब, मुद्दा क्या है? मुद्दा व्यय नहीं है – मुद्दा राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से कोई भी भार उठाने को तैयार है। मुद्दा – इस आपरेशन के परिणाम का है। इस आपरेशन से क्या मिला? मैं समझती हूं कि कम से कम माननीय प्रधानमंत्री को हमें तथा देश को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अब, एक अन्य बहुत संवेदनशील क्षेत्र-पूर्वोत्तर की बात करते हैं जिसके संबंध में मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन०डी०ए०) हमारे देश के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक के साथ आग से खेल रहा है। नागालैंड में धमकी के साये में चुनाव हुए। एन०डी०ए० सरकार इन धमकियों के बारे में भलीभांति जानती थी और उसने कुछ नहीं किया। क्यों? ऐसा इसलिए कि वे भी उनसे मिले हुए थे। वस्तुतः हम सब यह चाहते थे कि भूमिगत नागा संगठन सम्मान और गौरव के साथ राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले, किन्तु ऐसा क्षेत्र के किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

इस वर्ष अप्रैल में, पूर्वोत्तर के कुछ कांग्रेसी मुख्य-मंत्रियों की ओर से मैंने उस क्षेत्र में शांति और विकास हेतु एक कार्ययोजना का सुझाव देते हुए माननीय उप-प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। माननीय उप-प्रधानमंत्री ने इस का उत्तर दिया और मुझे अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। अब अगस्त का महीना है। फिर भी, हमारे मुख्य मंत्रियों द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों के लिए किया गया अनुरोध अभी भी लंबित है।

अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को सुनियोजित ढंग से गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि अरूणाचल प्रदेश इसका उदाहरण है। मैं आपकी जानकारी में भाजपा का वह आंतरिक प्रपत्र देना चाहती हूं जो नागालैण्ड के कैप्टन हेफियासेमा द्वारा परिचालित किया गया था। कैप्टन सेमा भाजपा के सदस्य हैं। उस प्रपत्र का अंश 6 अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। मैं उस को उद्धृत करती हूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : भाषण में तो कोई दम ही नहीं है, भाषण फेल हो गया। ये गवर्नमेंट पर कोई आरोप लगाती तो कोई बात होती। *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : प्रभुनाथ सिंह जी, आप के नाम में से प्रभु हटाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : मैं उस पेपर को उद्धृत करती हूं जो मीडिया में परिचालन के लिए नहीं था :–

> "अरूणाचल राजनीति में हुआ हाल का परिवर्तन परोक्ष रूप से भाजपा नेताओं के भरसक समर्थन से ही संभव हो सका है।"

क्या मुझे अब भी कुछ और कहने की जरूरत है? यह बात लिखित में है।

महोदय, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देती हूं कि सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामले से किस तरह लापरवाही से निपट रही है। यहां, मैं नक्सली हिंसा की बात कर रही हूं क्योंकि यह बहुत बढ चुकी है। यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अपने पांव फैला चुकी है। यह समस्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जड़े जमा चुकी है। मैं समझती हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी और अत्यधिक महत्व के इस मामले पर मूकदर्शक बनी नहीं रहेगी।

सामाजिक सौहार्द के मामले में माननीय प्रधान मंत्री ने अक्सर बयान दिया है और फिर जो कुछ कहा है उसपर उन्होंने सफाई भी दी है, किन्तु हम लोगों के लिए यह समझना कठिन हो गया है कि

आखिरकार वे कहते क्या हैं – चाहे वह अयोध्या का मामला हो या चाहे वह गुजरात का ममला हो। दरअसल, उनकी घोषणा से जो बात उभर कर सामने आती है वह यह है कि वे शब्दों का जाल बिछाने में माहिर हैं। यह कोई स्पष्ट नहीं है कि क्या वे जो कुछ करते हैं वह उनके विचारों का सही चित्रण है या उनके भाई चारे के छद्म आवरण में बनाए गए विनाशकारी एजेण्डे को छुपाने की सुनियोजित चाल।

गोधरा कांड के अभियुक्तों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु, गुजरात का बैस्ट बेकरी मामला इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि साम्प्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहन देने के लिए किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? *(व्यवधान)* क्या माननीय प्रधानमंत्री या सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना नहीं है कि स्वतंत्रता और न्याय प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? बैस्ट बेकरी कांड की कारूणिक गाथा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और इस मामले में हस्तक्षेप करने वाले उच्चतम न्यायालय के समक्ष मजाक बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर (वडोदरा) : अध्यक्ष महोदय, गोधरा कांड के बारे में यहां बोलने की क्या जरूरत है? *(व्यवधान)*

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : आप इसको इससे क्यों जोड़ते हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी तरफ से जो भाषण होंगे, वे इसका उत्तर देंगे। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम जरूर बोलेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात में ख़लल मत डालिये। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

यह अच्छा तरीका नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि क्या वे लोग इंसान नहीं है; क्या वे लोग भारत के बेटे और बेटियां नहीं है? वे लोग अपने हिंसामय जीवन के बोझ तले दबे हुए हैं। उनके ही राष्ट्र में उनके स्वतंत्र रूप से जीने के उनके अधिकार को छीन लिया गया है। न्याय पीछे छूट गया है और नफरत की आवाज बुलंद होती जा रही है। यह बड़े शर्म की बात है। मैं समझती हूं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए।

महोदय, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पहले ही बोल चुकी हूं। हम सभी जानते हैं कि हम सभी का एक ही कहना है कि सीमापार से चलाए जाने वाले आतंकवाद के विरूद्ध हमारी लड़ाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। इस मुद्दे पर सम्पूर्ण राष्ट्र एक है। भाजपा और इसके सहयोगियों ने सीमापार से चलाए जा रहे आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ हमारे टकराव के मुद्दों का उपयोग चुनावी फायदों हेतु समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए अपने निहित स्वार्थों हेतु किया है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणामस्वरूप यह देश और इसके बेटे और बेटियां मुसीबतें उठा रहे हैं।

सामाजिक न्याय सामाजिक सौहार्द का दूसरा पहलू है। परन्तु यह असंवेदनशील सरकार समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को धीरे-धीरे ही परन्तु निश्चित रूप से समाप्त कर रही है। महोदय, इससे दलितों और जनजातियों के लोगों के बीच काफी असंतोष व दुःख का भाव बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि उनकी सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु निर्धारित सभी रिक्तियों को भरे जाने हेतु एक व्यापक कानून क्यों नहीं बनाया है।

मैं यह बताना चाहती हूं कि वस्तुतः यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति द्वारा दो वर्ष पहले अपने 16वें प्रतिवेदन में की गयी एक सिफारिश है। परन्तु इस प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा नहीं की गयी है। *(व्यवधान)* क्या इससे भी इनकार किया जा सकता है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और केन्द्र सरकार मूकदर्शक बनी देख रही है जैसा कि हरियाणा वाले मामले में यह मूकदर्शक बनी रही। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : बिहार में क्या हो रहा है। वहां दलितों की हत्याएं हो रही हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रश्न पूछने की पद्धति नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : अब हम महिला आरक्षण विधेयक की बात करते हैं। जहां तक महिला आरक्षण विधेयक का प्रश्न है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस सरकार का महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का कोई इरादा नहीं है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मुलायम सिंह जी, आप बोलिए। आप इस बारे में बताइए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : यदि यह सरकार की इच्छा होती, जैसाकि प्रधान मंत्री ने हमें बार-बार आश्वासन दिया था, तो वह कांग्रेस और वामपंथी दलों के सहयोग से ऐसा करती। हम लोग विधेयक पारित कर चुके होते। इस सरकार ने जानबूझकर अन्य सभी क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय आम सहमति नहीं बनने दी है, किन्तु आज अचानक महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति का राग अलापना शुरू किया है। अब तो बस यह एक बहाना रह गया है। हम सभी जानते हैं, महिलाएं भी इससे अवगत हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज जी क्या आप इससे सहमत नहीं हैं *(व्यवधान)* निश्चय ही आपको इस बात से सहमत होना होगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद यादव आपके पक्ष में हैं। जो लोग इस विधेयक को पारित होने देना नहीं चाह रहे हैं, वे लोग आपके पक्ष में हैं। इस विधेयक के समर्थन के लिए श्री मुलायम सिंह यादव और श्री लालू यादव से पूछिए। हम लोग आपके साथ हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुषमा जी, आप बाद में उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश) : अभिजात्य वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए महिला आरक्षण का समाजवादी-पार्टी विरोध करती है। *(व्यवधान)* यदि आप सबकी नीयत साफ है तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण में प्रावधान कीजिए, तब समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करेगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्षी-एकता का प्रदर्शन है। *(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी : हमारे देश का भविष्य नई पीढ़ी के दिलोदिमाग में है। आखिरकार वे ही हमारे भविष्य हैं। क्या स्कूली पाठ्यक्रम के पुनर्लेखन, पाठ्यपुस्तकों को बदलने के हमारे प्रयास हमारी राष्ट्रीयता के मूल मंत्र को कलुषित करना नहीं है? क्या भाजपा की हमारे अतीत की विचित्र और विकृत परिभाषा से हमारी मिश्रित विरासत को अपमान करना नहीं है? पुराणपंथ हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों की निंदा की जा रही है और पाठ्यपुस्तकों से उनके नाम हटाए जा रहे हैं। उनके स्थान पर संदिग्ध छवि वालों, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से कुछ लेना-देना नहीं रहा है, को सम्मानित किया जा रहा है और पाठ्यपुस्तकों में उन्हें स्थान दिया जा रहा है। और तो और, अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में शैक्षिक उपलब्धि का स्तर गिरा है। भाजपा, आर०एस०एस० और विश्व हिन्दू परिषद् की फूट डालने वाली विचारधारा वाले लोगों से इन संस्थानों को भरने का अभियान चलाया जा चुका है।

शिक्षा नीति पर एक राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड (सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन) को पूरी तरह से और जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझती हूं कि 21वीं सदी का भारत बनाने का यह सही तरीका है।

अब मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आती हूं। कुछ महीने पहले *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्रीमती सोनिया गांधी : कुछ महीने पहले, जब मैंने कहा था कि "भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार बहुत ही भ्रष्ट है", तो मैं नहीं समझती थी कि मेरी बात शब्दशः उतनी सही हो पाएगी और हमें ताज कॉरिडोर स्कैण्डल से जूझना पड़ेगा।

सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। दरअसल, जब तक मामला उजागर नहीं हुआ तब तक सब कुछ गुप-चुप तरीके से चलता रहा है।

रक्षा घोटाले का जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूं। इसका बड़ा ही नाटकीय और आंखों देखा सबूत तहलका वीडियो टेप में दिखाया गया है। हम सबने इसे देखा है, पूरा देश इसे देख है, और यह लिखित रूप में है। रक्षा सौदे के अभी 14 मामलों की जांच कर रहे फूकन आयोग को जांच से दिग्भ्रमित करने के सिलसिलेवार प्रयास

किए जा रहे हैं। सी०ए०जी० की रिपोर्ट के मुताबिक अब तो यह देश भी जानता है कि कैसे इस सरकार ने हमारे करगिल शहदों के लिए ताबूतों की खरीद में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, ताज स्कैण्डल से ठीक पहले हमने डी०डी०ए० का भंडाफोड़ देखा है। इसमें देखा गया है कि किस ढिढाई से मामला तय किया जाता था और यहां तक कि न्यायायिक आदेशों की भी अनदेखी की जाती थी। पकड़े गए अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। कुछ समय पहले वित्त मंत्रालय के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में गहन पूछताछ की गई थी।

क्या मुझे इस सभा को विनाशकारी स्टॉक मार्किट और यू०टी०आई० घोटाले की बात फिर से ताजा करने की जरूरत होगी जिससे लाखों छोटे निवेशकों, वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनधारियों, महिलाओं और विधवाओं का जीवन बर्बाद हो गया है? मैं प्रधान मंत्री से और इस सरकार से यह जानना चाहती हूं : क्या किसी व्यक्ति को इसके लिए दोषी पाया गया है? क्या जिन लोगों का इस घोटाले में हाथ रहा उन्हें बिना किसी सजा के नहीं छोड़ा गया है? क्या ऐसा केवल इसलिए नहीं हुआ है कि उनकी पहुंच सत्ता तक है?

पेट्रोल पम्प आवंटन घोटाला शायद सबसे अधिक हास्यास्पद रहा है। गलती छुपाने के लिए सरकार ने सभी डीलरशिप को रद्द करने का अध्यादेश जारी किया। निश्चय ही, इस अध्यादेश के बाद सभी डीलरशिप रद्द कर दिए गए जिससे ढेर सारे आवंटितियों की स्थिति दयनीय हो गई। इनमें से कई तो ऐसे तबके के लोग थे जिन्हें आवंटित नहीं किया जाना चाहिए था। अगस्त 2002 में, मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था और एक निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। किन्हीं कारणों से उस पत्र की उपेक्षा की गई, फिर भी प्रधान मंत्री का इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि वे प्रायः मेरे पत्रों का उत्तर देते हैं, किन्तु इस पत्र का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। दिसम्बर, 2002 में उच्चतम न्यायालय ने मेरे रूख को उचित ठहराया और अध्यादेश को निष्फल करा दिया।

क्या मुझे सभा को इस बात को भी याद दिलाने की जरूरत होगी कि शहरी विकास मंत्रालय में बड़े पैमाने पर हुए भूमि घोटाले में राष्ट्र की राजधानी के महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थित प्लॉट आर०एस० एम०, वी०एच०पी० और इससे जुड़े लोगों को औसतन बाजार दर से एक दहाई कम दर पर दिए गए? इस मामले में मैं आश्चर्य चकित हूं कि क्या प्रधान मंत्री का यह उन लोगों से दूरी कम करने का प्रयास था जो उस समय भीतरघात कर रहे थे।

अब मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो पिछली कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान आर्थिक विकास की औसत दर प्रतिवर्ष 6.7 प्रतिशत थी। क्या यह सही नहीं है? गत वर्ष यह घटकर 4.3 प्रतिशत या इसी के इर्द गिर्द रह गई है। तथापि, सरकार ने यह घोषणा की कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया है।

यदि सरकार यह मानती है कि इससे मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने के इस संस्करण को कोई मानने वाला होगा, तो निश्चत ही यह उनकी भूल है। कोई भी इस बात को नहीं मानेगा।

अब हम, बेरोजगारी की बात करते हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि रोजगार की हालत बहुत ही निराशाजनक हैं, इसकी स्थिति भयावह है। प्रति वर्ष एक करोड़ नौकरियां देने के प्रधानमंत्री के उस वादे की तह में मैं नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि मैं जानती हूं इससे वे उत्तेजित हो जाते हैं; मैं आज इनका दिमाग बोझिल नहीं करना चाहती हूं। 1990 के दशक तक रोजगार सृजन की दर प्रति वर्ष 2.7 प्रतिशत थी। इस सरकार के शासन काल में यह घटकर प्रतिवर्ष केवल एक प्रतिशत रह गयी है। यह आंकड़ा कोई मैंने नहीं तैयार किया है, बल्कि यह बात स्वयं सरकार के अपने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है।

स्वयं योजना आयोग के आकलन में कहा गया है कि बेरोजगारी के वर्तमान रूझान से पता चलता है कि यह अगले पांच वर्षों में दुगुनी हो सकती है। आज जब हमारे युवकों को स्वैच्छिक रोजगार योजना की जरूरत है, तो सरकार की पेशकश स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना की है। आजकल बेरोजगारी की समस्या कितनी गम्भीर है यह जानने के लिए हमें सरकार की पुस्तिका या रिपोर्ट से किसी आंकड़े की जरूरत नहीं है। हम तो दिल्ली से बाहर या दिल्ली में ही और पूरे देश में भ्रमण करना चाहिए। हमने युवा वर्ग के जिस किसी से भी मिलते हैं। उनमें से अधिकांश लोगों की एक ही मांग है कि नौकरी दे दो। इनमें पुरुष और महिला दोनों ही शामिल हैं। इसलिए, मैं आशा करती हूं कि सरकार इस मामले में कोई विशेष नीति बनाए

(व्यवधान)

अब बात आती है सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र को सिलसिलेवार ढंग से विखण्डित किया जा रहा है। आखिर यह वही क्षेत्र है जिसने पिछड़े इलाकों का विकास किया है, इसने पिछड़े क्षेत्रों में दलितों और आदिवासियों को रोजगार दिए हैं, और इसने भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया है। इस क्षेत्र में क्या हो रहा है? इन कम्पनियों की भूमि और अन्य सम्पत्तियों का जानबूझकर अवमूल्यन किया जा रहा है। इन कम्पनियों को रद्दी के भाव में बेचा जा रहा है। सरकारी खजाना खाली हो रहा है। निजी लोग मालामाल हो रहे हैं। उनकी जेबें भरी जा रही हैं। यह घर की सम्पत्तियों को बेचना मात्र नहीं है, बल्कि इसे कौड़ियों के भाव में भेंट करने की बात हो रही है। और वह भी किसको? मुट्ठी भर कृपापात्र लोगों के हाथों। इनमें

[श्रीमती सोनिया गांधी]

से कुछ की सूची सरकार की ओर से ही ''डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी एण्ड प्रासिजर्स' शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक में है कुछ *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : पंजाब में क्या हो रहा है? *(व्यवधान)* वहां कांग्रेस सरकार धड़ल्ले से विनिवेश कर रही है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया, यह अच्छी बात नहीं है। चर्चा में भाग लेने का आपका अधिकार है। किन्तु अभी आप नहीं बोल सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अगर इसी तरह चला तो प्रधान मंत्री जी भी याद रखें *(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : प्रधान मंत्री जी भी याद रख लें क्या? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, यह एक सरकारी प्रकाशन है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : 45 सालों में इन्होंने क्या किया? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया सभा में शांति बनाए रखिए। यह बहुत ही गंभीर चर्चा है।

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, यह एक सरकारी प्रकाशन है। इसमें विनिवेश के कुछ मूल उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया गया है *(व्यवधान)* मैं इसे दस्तावेज से पढ़ती हूं, इसमें कहा गया है :

''विनिवेश के मूल उद्देश्य इस प्रकार है :

- बुनियादी स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक अवसंरचना में विस्तार हेतु जन संसाधन जारी करना;
- सार्वजनिक ऋण कम करना; और
- उच्च प्राथमिकता वाले सामाजिक क्षेत्रों में विस्तार हेतु कार्मिक शक्ति जारी करना।

इसे सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब क्या इस पर शंका की जा सकती है – और जब भी इसके लिए अनुकूल होगा सरकार उत्तर दे सकती है। कि इन तीनों उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य पूरा नहीं किया गया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : इस पर संदेह है।

श्रीमती सोनिया गांधी : इस पर सन्देह है।

महोदय, रेलवे हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है। सुरक्षा मानकों में जिस ढंग से कमी आई है वह स्थिति स्तब्ध करने वाली है। पिछले तीन वर्षों में वर्ष 2003 सहित अभूतपूर्व संख्या में रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं। मैंने वर्ष 2003 सहित इसलिए कहा क्योंकि बिडम्बना यह है कि वर्ष 2003 को रेलवे सुरक्षा वर्ष निर्दिष्ट किया गया था। जो बात स्पष्ट है वह संभवत: यह है कि राज्य स्तरीय राजनीति लाखों यात्रियों की सुरक्षा और कल्याण पर हावी हो गई है।

महोदय, जब हम ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की तरफ आते हैं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि इन कार्यक्रमों का भी राजनीतिकरण और विखंडन कर दिया गया है जैसाकि पहले कभी नहीं हुआ था। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में श्री स्वर्णजयन्ती स्वरोजगार ग्रामीण योजना को विफल बताया गया है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तीन में से दो भारतीय अब भी रहते हैं और काम करते हैं, रोजगार के अवसरों के सृजन में इस सरकार का रिकार्ड निराशाजनक है।

इस सरकार ने वर्ष 2000 में एक राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। किन्तु आज तक इस नीति पर इस सभा में कभी चर्चा नहीं की गई है। इस नीति में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बीस वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। यह बहुत लम्बा समय है। महोदय, मैं जानना चाहती हूं, जब करोड़ों किसान पहले ही ऋण के भार तले कुष्ट भोग रहे हैं तो क्या उनसे बीस वर्ष तक प्रतीक्षा करने की आशा है? यह सरकार कितनी असंवेदनशील हो सकती है? यह बात हम सबको मालूम है कि यह सरकार ज्यादा चिन्ता नहीं करती। और प्रधान मंत्री को 15 अगस्त को लाल किले से तीन दिन पूर्व अथवा चार दिन पूर्व ही राष्ट्रीय किसान आयोग की घोषणा करने में पांच वर्ष का लम्बा समय क्यों लगा? इस घोषणा में पांच वर्ष क्यों लगे? उन्होंने इसकी घोषणा तब क्यों नहीं की *(व्यवधान)* किन्तु मुझे कुछ और कहना है। मुझे कुछ और बताना है। संयोगवश पांच वर्ष पूर्व उसी दिन उसी स्थान से ऐसी घोषणा की गई थी। कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए।

पिछली कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 4.7 प्रतिशत के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के समय कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत से अधिक की दर से तेजी से गिरावट आई। श्री अजित सिंह पहले ही अलग हो चुके हैं। हम किसी और द्वारा ऐसा करने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि मैं सुन रही हूं कि श्री नीतीश कुमार बहुत चिन्तित हैं। *(व्यवधान)*

वह उदार आयात, आयात के अधिक उदारीकरण के बारे में बहुत चिन्तित हैं। मुझे पता नहीं कि मैं सही हूं किन्तु आयात को पहले ही मुक्त कर दिया गया है जिसके आनर्थकारी परिणाम होंगे। उदाहरणार्थ, खाद्य तेल के उदार आयात से मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों और अनेक अन्य राज्यों में भी लाखों तिलहन किसानों की जीविका पूर्णरूप से नष्ट हो गई है। गन्ना, आलू, कपास, नारियल, कॉफी और चाय की खेती करने वाले सभी किसान अत्यधिक संकट का सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि इसका क्या उपयोग है। हम एक योजना के बाद दूसरी योजना की घोषणा क्यों करते जाते हैं जब हम सभी जानते हैं कि उनका वास्तविक परिणाम शून्य है। इसका एक उदाहरण कृषि बीमा योजना है जिसका मुझे परिणाम बताया गया है कि पूर्णतया शून्य रहा है। अब यूरिया और पोटाश के मूल्य बढ़े हैं और इसी तरह ट्रैक्टर और डीजल के मूल्य बढ़े हैं *(व्यवधान)* वास्तव में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान किसान अधिक पैसे का भुगतान कर रहे हैं और बहुत कम पैसे कमा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से क्या वे सभी मुझे बता सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे किसान कैसे जीवित रह सकते हैं? खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पूर्ण भ्रांति है। वर्ष 1999-2000 में सरकार के अपने आंकड़े सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल और गेहूं की खरीद में भारी कमी को दर्शाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अध्ययनों के अनुसार और इस क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के अनुसार गरीबों में सबसे गरीब लोगों के लिए, – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न मूल्यों में दुगनी वृद्धि करने – और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्य उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्न मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से खरीद में काफी कमी आई है। जब लोग खरीदते नहीं और उसका उपयोग नहीं करते तो खाद्यान्न भण्डारों में वृद्धि होना स्वभाविक है। वंचन और कुपोषण के बीच यह कहना कि हमारे पास अनाज के विशाल भण्डार हैं, इसे अधिक से अधिक सन्देहास्पद विशेषता ही कहा जा सकता है। मैं इस सभा को याद दिलाना चाहती हूं कि वास्तव में सरकारी गोदामों में बासठ मिलियन टन खाद्यान्न था और इसमें से काफी खाद्यान्न सड़ रहा था। मुझे विश्वास है कि यह खाद्यान्न घटकर 32.8 मिलियन टन रह गया है। यह इतना इसलिए नहीं है कि इसमें से कुछ खाद्यान्न का वितरण किया गया है परन्तु वास्तव में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात किया गया है; जबकि हमारे देश में लोग भूखे हैं।

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच एक महिला प्रमुख परिवारों, अशक्त लोगों और वृद्ध लोगों तक नहीं हो पाई है। फिर भी सरकार की प्रतिक्रिया असंवेदनशील और अपर्याप्त रही है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, भाषण इतना नीरस है कि हम सदन से जा रहे हैं।

अपराह्न 12.57 बजे

(तत्पश्चात् श्री प्रभुनाथ सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : इस वर्ष हम भाग्यवान रहे हैं क्योंकि इन्द्र देवता हम पर दयालु रहे हैं। राजस्थान समेत अनेक स्थानों पर वर्षा हुई है जहां पिछले वर्षों से सूखे की स्थिति चल रही थी। मैंने सूखा प्रभावित इन क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया है और अध्यक्ष महोदय, यह मैं अपने दिल से कह सकती हूं कि यह राष्ट्रीय शर्म की बात है कि जब हमने लाखों टन खाद्यान्न का निर्यात किया तो हमारे देश के करोड़ों लोग खाद्यान्न की कमी से पीड़ित हैं। यदि प्रधान मंत्री इन कुछ लोगों को अवसर देते, यदि वह उनके तर्कों को सुनते, और सबसे पहले उनकी दुर्दशा को देखते, यदि वह अल्पपोषित बच्चों, बूढ़ों और वृद्ध लोगों को देखते तो सम्भवतः वह अधिक दयालु होते *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे आप लोगों को कष्ट हो। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

श्रीमती सोनिया गांधी : वह थोड़ा और उदार होते। उन्होंने सहायता की है; मैं ऐसा नहीं कह रही हूं; किन्तु और अधिक सहायता की जरूरत है *(व्यवधान)*

इस सरकार ने जिस प्रकार संसदीय लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के कार्यकरण को कमी अप्रत्यक्ष रूप से और कभी खुले

[श्रीमती सोनिया गांधी]

तौर पर क्षति पहुंचाई है वह हमारे देश के भविष्य के लिए अपशकुन है। मुझे केवल चार सुस्पष्ट उदाहरण देने हैं।

लोक लेखा समिति सरकारी लेन देन में पारदर्शिता की विवाचक है। यह संसद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री इसके कार्यकरण से पूरी तरह अवगत हैं जैसाकि वह स्वयं पहले इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकलेखा समिति के कार्यकरण को सुचारू बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से पूछना चाहती हूं कि उनकी सरकार लोक लेखा समिति के कार्यकरण में क्यों बाधा बन जाती है। आपरेशन विजय से संबंधित कुछ सौदों की जांच के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को देने पर सरकार के अड़ियल इन्कार का क्या कारण है? (व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, आपने विनिर्णय दिया था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं है। वह उस रिपोर्ट के बारे में बात कर रही है; इस प्रकार वह आपके विनिर्णय को चुनौती दे रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, अयोध्या मुद्दे और बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले के बारे में सी०बी०आई० के घोर राजनीतिकरण को मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि मुख्य आरोपी, जिनमें इस सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोपों को हटा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जो शासनाध्यक्ष हैं, वह देश की जनता को क्या संकेत दे रहे हैं? क्या उच्च पदस्थ कानून से ऊपर होते हैं? क्या वे कानून से ऊपर हैं? ऐसा लगता है वे कानून से ऊपर हैं।

निर्वाचन आयोग ने भारतीय लोकतंत्र को गरिमा प्रदान की है। इसके बावजूद यह सत्ताधारी पक्ष के उपहास और अपमान का शिकार रहा है। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर आक्षेप लगाया है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये संस्थाएं लोकहित में निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही थीं तथा पिछले वर्ष गुजरात में हुए साम्प्रदायिक नरसंहार के शिकार परिवारों के दुखों को कम करने में लगी हुई थीं।

किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब है। भारत यहां की जनता के इस दृढ संकल्प द्वारा स्वतंत्र हुआ कि वे सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे। इसका यही एकमात्र गुण इसके राष्ट्रीय चरित्र को शेष विश्व से अलग करता था। इसी बात से ही भारत का अपना नैतिक उत्थान हुआ। दु:खद है कि यह सरकार इस रास्ते से भटक गयी है।

राष्ट्रीय सहमति जिसने लगभग पांच दशकों से भारत की विदेश नीति को मजबूती प्रदान की थी, को गत पांच वर्षों में जानबूझकर अप्रक्षरित किया गया है। भारत की विदेश नीति अब स्वतंत्र नहीं रही। क्या हम अब अपने इतिहास और अपनी नियति से जुड़ी नैतिक स्थिति से जुड़ा रहना नहीं चाहते हैं। क्या अब हम सिद्धांतों व मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना नहीं चाहते? निस्संदेह, वैश्विक स्थितियां बदलती रहती हैं तथा भारतीय विदेश नीति – अन्य किसी नीति की तरह अपरिवर्तित नहीं रह सकती। परन्तु हम जो परिवर्तन करते हैं उसे राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। यदि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस ने अपनी आवाज जोरदार ढंग से नहीं उठायी होती और जनमत तैयार नहीं किया होता तो इस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के स्पष्ट आदेश के बगैर ही इराक में अपनी फौज भेज दी होती। आप मुझसे इस बात की गारंटी ले सकते हैं।

प्रधान मंत्री लाहौर गए थे। जब वे वहां थे तब उनके अतिथि कारगिल की तैयारी कर रहे थे। प्रधान मंत्री बीजिंग गए। जब वह वहां की यात्रा पर थे तब चीनी फौजों ने अरूणाचल प्रदेश में भारतीय भूमि पर घुसपैठ की। हमने चीन और पाकिस्तान दोनों के संबंध में सरकार की नीतियों को पूरा समर्थन दिया है। परन्तु मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि इस सरकार की नीति में स्पष्टता और निरंतरता नहीं है। सरकार की स्थिति दो चरम स्थितियों के बीच दोलायमान रही है। यह सरकार उन उपलब्धियों के लिए श्रेय लेना चाहती है जो उपलब्धियां रही ही नहीं है। इसने पिछली सरकारों की उपलब्धियों को घटा दिया है। इसने 1972 के शिमला समझौते को भुला दिया है और इसकी याद किसने दिलायी है। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता ने।

मैं इस सम्माननीय सभा को गर्व के साथ याद दिलाती हूं कि प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने दिसंबर, 1988 में चीन का सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक दौरा किया था, जिसके सभी संदर्भों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या हमें आज आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को यह बात याद दिलाने की जरूरत है। कि वह, विशेषकर पचास और साठ के दशक में, चीन के साथ अच्छे संबंधों के ऊपर अपने पूववर्ती प्रधान मंत्रियों से बहस किया करते थे। वस्तुत: मुझे उनकी याद ताजा करने दें। पंचशील जिसे उनकी सरकार अब चीनियों के साथ मिलकर मनाने की तैयारी कर रही है, का प्रधान मंत्री द्वारा विगत में अक्सर मजाक उड़ाया जाता रहा है और संसद में किए गए उनके मध्यक्षेप लिखित में विद्यमान हैं।

इस सरकार ने हमारे निकटस्थ क्षेत्र को राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही रूप से पूर्णत: दरकिनार किया है। जिस प्रकार से पिछले पांच वर्ष के दौरान सार्क का महत्व कम किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। इस सरकार ने दावा किया है कि अमरीका के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। यदि वास्तव में

ऐसा परिवर्तन हुआ है तो हमें तो इसका कोई लाभ नहीं दिखता। कम से कम हमें उन लाभों की जानकारी नहीं है कि हमें कौन-से लाभ हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह पहली बार है जब नाटो की फौजें हमारे क्षेत्र अफगानिस्तान में हैं और इस सरकार ने इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है। मेरी समझ से यह काफी महत्व का विषय है। मैं प्रधान मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इस अप्रत्याशित घटना के प्रति उनकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

अंततः, मैं आज विपक्ष के संवैधानिक परमाधिकार की रक्षा हेतु आपके समक्ष खड़ी हूं। यदि यह सरकार राष्ट्र के प्रति अपने को जवाबदेह नहीं समझती है तो भी हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। हम अपने विचार रखेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी आवाज जोरदार ढंग से सुनी जाए। यह हमारा सिर्फ न्यायसंगत अधिकार ही नहीं बल्कि जनता के प्रति हमारा कर्तव्य भी है जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें इस समय सर्वाधिक आक्रामक सरकार से संतोष करना है, एक वैसी सरकार जो हमें अपनी बात कहने का अवसर दिए बगैर अपना निर्णय लेने पर बल देती है, एक वैसी सरकार जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार करती है जो इसे परेशानी में डाल सकते हैं। हम एक ऐसी सरकार से जूझ रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सभा में मुद्दों पर चर्चा कराए बगैर सर्वाधिक निर्लज्ज रूप से अपनी बात मनवाना है।

मैं विश्वास के साथ यह कह सकती हूं कि हम इन वर्षों में विपक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सचेत रहे हैं। हम अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतः सचेत रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हम लोगों ने उनके सत्ताकाल में विपक्षी दल के रूप में उनकी तुलना में जब वे विपक्ष में थे अपेक्षाकृत कहीं अधिक संयम बरता है, इसके लिए कभी-कभी मेरी आलोचना भी हुई है। कानून पारित करने में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार को दिया गया समर्थन बेमिसाल रहा है। आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि हमारा रिकार्ड एक रचनात्मक विपक्ष का रहा है।

महोदय, भाजपा की नेतृत्ववाली सरकार ने स्वयं को अक्षम, असंवेदनशील, अनुत्तरदायी और अति भ्रष्ट साबित किया है। इस सरकार ने लोगों के जनादेश के साथ धोखा किया है। यह वह सरकार है जिसने लोगों के विश्वास को खो दिया है। यह वह सरकार है जो सभी लोगों की भलाई के लिए कार्य नहीं करती। यह वह सरकार है जिसके दिन गिनती के रह गए हैं।

महोदय, अंततः मैं इस सभा में इस अविश्वास प्रस्ताव को विचारार्थ रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है।"

[हिन्दी]

उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने जब हमें सूचना दी कि विपक्ष की नेत्री ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वर्षों तक हम विपक्ष में रहे हैं और हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, जिसका उपयोग विपक्ष हमेशा बहुत सोच-विचार कर करता है। इन जितने दिनों तक संसद का यह सत्र चल रहा था, कभी किसी को कल्पना नहीं थी कि सत्र के अंतिम सप्ताह में इस प्रकार का प्रस्ताव लाने की विपक्ष सोचेगा।

(व्यवधान) सामान्यतः जब भी सदन में बहस होती है तो किसी एक विशेष विषय पर होती है, किसी एक बिल पर होती है, किसी एक घटना पर होती है और इसीलिए बहस का दायरा सीमित होता है। केवल राष्ट्रपति का अभिभाषण जब बहस के लिए सदन में आता है या बजट बहस के लिए आता है तब उसमें बहस का एक व्यापक क्षेत्र होता है, जिस पर चर्चा हो सकती है। अगर सरकारी पक्ष की संख्या में कोई चिंता की स्थिति हो तो फिर अविश्वास का प्रस्ताव बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : यह सही स्थिति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं जानता हूं, इसीलिए एक बार पहले हम एक वोट से हार गये थे। *(व्यवधान)* इससे पहले जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : आपने आर०एस०एस० का चश्मा पहन रखा है।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : यदि संख्या चिंताजनक हो तो अविश्वास प्रस्ताव चुनौती बन जाता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : श्री आडवाणी विगत में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जार्ज फर्नांडीज और सभी अन्य नेताओं, द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी अविश्वास प्रस्तावों को अस्वीकारते रहे हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं इससे पूर्णतः वाकिफ हूं। हो सकता है कि मैंने भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि, मैं इस मामले में इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं क्योंकि इस प्रस्ताव ने सरकार को संसद और जनता के सामने पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों को बताने का अच्छा अवसर दिया है।

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

[हिन्दी]

मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि मैं विपक्ष की नेत्री की शैली का अनुसरण नहीं कर सकता।

महोदय, सोनिया गांधी जी की जो शैली है, मैं उसका अनुसरण नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने अपने साथियों से कहा था कि मैं आरम्भ करूं, यह उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि तोखो भाषा और तीखी शैली मुझे सहज रूप से नहीं आती है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। कृपया शान्त रहिए। आडवाणी जी को सुनिए। कृपया शान्ति बनाए रखिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : जैसे ही सोनिया गांधी जी का भाषण शुरू हुआ, पहले ही दो-तीन वाक्यों में इतने भारी-भारी शब्दों का प्रयोग किया गया, जिन्हें मैं साधारणत: असंयत भी कह सकता था। इस प्रकार की भाषा थी जिसमें एरोगेंस एवं कैप्रीशियस जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उप प्रधान मंत्री महोदय की बात सुनें। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या शब्द 'ऐरोगेंस' असंसदीय है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा कि यह अनपार्लियामेंट्री है?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : लेकिन मैं यह अपेक्षा जरूर करता था, जैसा अध्यक्ष जी ने शुरू में कहा कि आज कि डिबेट की भाषा तथ्यों पर आधारित हो, उस पर चर्चा हो।

महोदय, इन्हीं दिनों, मेरे एक सहयोगी श्री अरूण शौरी ने तीन ऐसे लेख इंडियन एक्सप्रेस में लिखे हैं, जिन्हें पढ़कर मुझे स्वयं, सरकार की हैसियत से, मैं मंत्री के पद पर हूं, इतना आनन्द हुआ, इतना गर्व हुआ कि भारत की इज्जत और भारत की उपलब्धि कितनी हो गई है। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री अरूण शौरी जी ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में जो कुछ लिखा है, माननीय आडवाणी जी उसका भी उल्लेख करें। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यदि एक-एक वाक्य पर रनिंग कमेंट्री होगी, तो कैसे काम चलेगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी से एक बार फिर विनती करता हूं कि बड़ी अच्छी डिबेट सदन में होनी चाहिए। आप चुप बैठिए। यह अच्छी बात नहीं है। रामदास जी, मैंने शुरू में कहा था, फिर एक बार कहूंगा कि आप इस प्रकार से बीच में खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। यहां आडवाणी जी जैसे नेता भाषण कर रहे हैं। आप इन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। कृपया बैठिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरूण शौरी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो कहा है, वह भी आडवाणी जी सदन में बताएं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, आडवाणी जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, यदि मुझसे कोई पूछे कि पिछले पांच सालों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, तो मैं कहूंगा कि हरेक भारतवासी को लगता है कि मेरा कद कुछ बढ़ा है। *(व्यवधान)* दुनिया भर में कहीं भी जाइए, भारत की इज्जत बढ़ी है, आदर बढ़ा है। इसीलिए मैं सुन कर हैरान हो रहा था, जब सोनिया जी विदेश नीति की चर्चा करते हुए कह रही थीं कि इतना नुकसान कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। मैं गया हूं, मेरे साथी गए हैं, यहां तक कि विपक्ष के लोग भी अभी पाकिस्तान होकर आए हैं, वे भी कहते हैं कि भारत की इज्जत सब जगह बढ़ी है।

अध्यक्ष जी, मेरा दावा यह नहीं है कि सब कुछ सरकार के कारण है। मैं अरूण शौरी जी के आर्टीकल के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वे शायद स्वयं बोलेंगे। मैं कल ही एक लेख पढ़ रहा था, जो हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन बहुत प्रसिद्ध हैं। मुझे उसे पढ़ कर थोड़ा आश्चर्य हुआ। *(व्यवधान)* श्री अभिताभ बच्चन ने कल एक लेख लिखा, जिसमें वह लिखते हैं –

मैं 'ग्रेट अवेकनिंग' शीर्षक के उनके लेख के प्रारंभिक पैराग्राफ को उद्धृत करता हूं :

> "मैं भारत के भविष्य को आशावादी दृष्टि से देखता हूं। मैं स्वर्णिम भविष्य देख रहा हूं और यह भारत की संभावनाओं के बारे में विश्वव्यापी जागरूकता से इंगित हो रहा है। चाहे प्रौद्योगिकी, विज्ञान कला, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी, साहित्य, फैशन की बात हो अथवा खेलकूद की, यह भारत ही है जिसे संभावित अग्रणी देश के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। मैंने इस सहस्राब्दि के प्रारम्भ से जिस किसी भी देश का दौरा किया है। (ध्यान दें

कि वह 'सहस्राब्दि की बात के पश्चात्' के बारे में बोल रहे हैं, मैं पिछले पांच सालों की बात कर रहा हूं।), मैंने उपलब्धियों में मिले सम्मान और स्वीकृति को गर्व से नोटिस किया है। मैं मनोरंजन मात्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिला था, वे भी भारत में, अपने समकक्षों की प्रशंसा करते हैं। अब हमारा उपहास नहीं उड़ाया जाता। (इससे पहले हमारी उपेक्षा होती थी, अब कोई तिरस्कार नहीं करता)। हमें किसी से याचना नहीं करनी पड़ती, पिछड़े समाज के रूप में हमें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता।'' *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप समझते नहीं हैं। आडवाणी जी भाषण कर रहे हैं, उनकी बात सुनिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं इसका जिक्र केवल इसलिए कर रहा हूं, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि हमने किया है लेकिन कोई सोनिया जी का भाषण सुनेगा तो भारतीयों के बारे में क्या धारणा बनाएगा कि यहां तो सब करप्ट है, सब गड़बड़ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने कहा कि सरकार की गलती है। उन्होंने यह नहीं कहा कि भारत की गलती है *(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी : मैंने भारत की आलोचना नहीं की है *(व्यवधान)* मेरी आलोचना सरकार के प्रति है *(व्यवधान)* आपने जिन उपलब्धियों की सूची दी है या जिनका यहां बयान किया है, वे वास्तव में पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी की हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : इन्होंने सिर्फ जवाहर लाल नेहरू, राजीव गांधी और इन्दिरा गांधी, तीन का नाम सुना है, तीन के बाद चौथा नाम नहीं सुना। *(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैंने अभी जो कोटेशन दिया, मैंने अभी जो कोटेशन सुनाया, उसमें मैंने अंडरलाइन किया, ''सहस्राब्दि के अरुणोदय के बाद'', और नेहरू जी को कोई कम नहीं मानता, पहले के जो हमारे नेता थे, आखिर हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उन सब के प्रयत्नों के कारण, उन सब के त्याग के कारण, उन सब के बलिदानों के कारण पहुंचे हैं, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के अनुरूप अगर देश प्रगति नहीं कर पाया है तो वह प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है। *(व्यवधान)* आखिरकार दुनिया भर में हमारी इज्जत बढ़ी है तो उसमें एक टर्निंग पाइंट था और वह टर्निंग पाइंट पोखरण था और जब पोखरण परीक्षण हुआ तो उसमें आपका भी योगदान था। *(व्यवधान)* आखिर तैयारी हमने डेढ़ महीने में नहीं की, लेकिन निर्णय और किसी ने नहीं किया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय किया और किसी ने नहीं किया, इतने प्रधानमंत्री थे। जब निर्णय किया, तब यहां पर जो बहस हुई थी, मैं उसे कभी भूल नहीं सकूंगा *(व्यवधान)* यहां जो बहस हुई थी, उसमें नटवर सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पोखरण के निर्णय का विरोध किया था और आज *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि पोखरण एक टर्निंग पाइंट था। दुनिया के नक्शे पर भारत की जो स्थिति थी, चाहे उस समय आप लोगों ने भी कहा कि सैंक्शंस एप्लाई होंगे, सैंक्शस एप्लाई हुए और हमने उनका सामना किया, हम सब ने मिलकर सामना किया। मैं पूरा जोकर देकर कह रहा हूं कि पिछले पांच सालों में जो परिवर्तन हुए हैं, उनको कम करके मत आंकिये और ये परिवर्तन सरकार के कारण ही नहीं हो रहे हैं, सरकार और जनता मिलकर कर रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं।

लेकिन मुझे स्वयं याद है कि जिस समय हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हमने उत्तरांचल बनाया, हमने झारखण्ड बनाया, मैंने कहा कि आपके सहयोग के बिना हम नहीं बना सकते थे, लेकिन यह निर्णय तब हुआ, आज भी आप *(व्यवधान)* मैं विदर्भ में नहीं जाता, मैं विदर्भ के सवाल को इस समय नहीं उठा रहा हूं। मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान में आज समस्याएं इतनी विकट हैं, इतनी बड़ी हैं कि उनको जब तक हम सहयोग करके नहीं चलेंगे, तब तक वे हल नहीं होंगी। तब तक के हल नहीं होंगे। इसलिए आप कन्सेंसस का मजाक मत उडाइये। अगर आज आप सुविधाजनक है और आप वूमैन्स बिल का दोष सरकार पर डालना चाहते हैं तो जरूर डालिए। लेकिन हर एक को पता है कि यहां पर सरकार की ओर से जो तीन अलग-अलग प्रावधान थे, तीरके थे जिसके द्वारा हम वूमैन्स रिप्रैजेंटेशन पार्लियामैंट में बढ़ा सकते थे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमैंट है इसलिए कांस्टीट्यूशनल अमेंडमैंट तब तक नहीं हो सकता जब तक सब लोग सहयोग पूर्वक उसे कम से कम वोट डालने की स्थिति तक न लायें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, आप एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन क्या मैं सरकार की जानकारी में यह बात ला सकता हूं कि इस संविधान संशोधन के लिये जिस दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है, वह सभा में है। उसके लिये आपको सभा के समक्ष आना चाहिये। हम आपको वह समर्थन देंगे। उस बहुमत के लिये हम आपके साथ सहयोग करेंगे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : शिवराजजी आपको इसबात की जानकारी है कि कई बार ऐसे मौके भी आये हैं जब व्यावहारिक रूप से यह असंभव होता रहा है। संविधान संशोधन विधेयक इस तरह के माहौल में पारित नहीं किया जा सकता है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार इन तीनों विकल्पों के लिये तैयार रही है – चाहे चुनाव आयोग द्वारा किया गया प्रस्ताव हो या चाहे दो सदस्यीय संसदीय क्षेत्र के आधार पर हो या मूल प्रस्ताव हो। लेकिन ये वामपंथी थे और शायद कांग्रेस ने ही यह कहा था कि केवल मूल प्रस्ताव पर ही स्वीकृति होगी और इसीलिये वे लोग अन्य प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने को भी तैयार नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूप से आपने कोशिश की है। सरकार किसी भी विकल्प के लिये तैयार है। अत: अध्यक्ष महोदय को फैसला लेने दीजिए। हम किसी भी विकल्प के लिये तैयार हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मुझे विश्वास है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नौ मुद्दे गिनाए थे जिसमें से काफी गुस्सा तो हमारे मित्र श्री जार्ज साहब पर था। वह जरूर बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं बोल सकता हूं कि अधिकांश जो अरोप लगाए गए वे सरासर झूठे थे। यहां तक कि *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, झूठ असंसदीय शब्द है। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, आप इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रतिपक्ष के नेता पर आरोप लगाया है। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : 'झूठे आरोप जैसे शब्द असंसदीय नहीं हैं। मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने झूठ बोला है। मैंने कहा है कि ऐलीगेशन्स झूठे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ऐलीगेशन्स झूठे हैं तो स्याई समिति की रिपोर्ट में 90% झूठी बात है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : असंसदीय शब्द क्या है और क्या नहीं, उसमें मैं परिचित हूं। मैं किसी पर झूठ बोलने का आरोप नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूं कि आरोप झूठे थे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पूर्व अध्यक्ष ने भी इस पर सहमति जताई थी *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि उन्होंने आरोपों के बारे में कहा है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने 1992 से लेकर आज तक के सभी चुनाव देखे हैं। 1992 से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए, उनमें कोई न कोई राजनैतिक मुद्दा बीच में आता था जिसके ऊपर जनता निर्णय करती थी, मतदाता मतदान करते थे। विगत् वर्षों में हमारी ओर से प्रामाणिक कोशिश हुई कि राष्ट्रीय बहस का मुख्य मुद्दा विकास बने, डेवलपमैंट बने। उसमें कुछ मात्रा में सफलता भी मिली है। अब लोग सारे हिन्दुस्तान में देख रहे हैं कि सड़कें कैसे बन रही हैं, हाईवेज कैसे बन रहे हैं। *(व्यवधान)*

मुझे विगत दिनों में कुछ कांग्रेसी मुख्य मंत्री मिले जिन्होंने खंडूरी जी के काम की बहुत तारीफ की और कहा कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। *(व्यवधान)* श्री सुरेश प्रभु जिस काम में जुटाए गए हैं, प्रधान मंत्री जी ने श्री सुरेश प्रभु को काम दिया है कि आप इंटर-लिंकिंग ऑफ रिवर्स कीजिए। पिछले साल देश ने बहुत भयानक सूखा देखा। उस सूखे के कारण प्रधान मंत्री जी ने स्मरण किया कि एक समय पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में एक मंत्री श्री के०एल० राव थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम गंगा को कावेरी से जोड़ें तो शायद कई समस्याओं के हल निकल सकते हैं। प्रधान मंत्री जी ने वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के अधिकारियों से कहा कि उसके सारे कागजात निकलवाएं। वे सारे कागजात निकलवाए गए। उनका अध्ययन किया गया और एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसमें कहा गया कि इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स के मामले को आत्मनिरीक्षण करो और देखो, कितना संभव है और कितना संभव नहीं है। *(व्यवधान)* आज इस प्रकार के कार्यों में लोग संलग्न हैं।

दुनियाभर में साक्षात इस बात का एहसास है कि इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी ने बीसवीं शताब्दी के दो दशकों में जो प्रगति की है, उसमें भारतवर्ष साफ्टवेयर के क्षेत्र में काफी आगे है। *(व्यवधान)*

मुझे स्वयं स्मरण आता है कि मैंने जब बिल गेट्स की आटोबायोग्राफी पढ़ी तो उसके बाद इच्छा हुई कि मैं भी कभी जाकर देखूं कि माइक्रोसाफ्ट कैसे बना है। मैं सिएटल गया था। वहां माइक्रोसाफ्ट देखा, प्रभावित हुआ। लेकिन उससे ज्यादा प्रभावित इस बात से हुआ कि 1990 में माइक्रोसाफ्ट में काम करने वाले लगभग तीस प्रतिशत लोग भारतीय थे। तब से लेकर यह साफ दिखाई दे रहा था कि यह ऐसा क्षेत्र

है जिसमें भारत दुनिया में अग्रणी हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि वाजपेयी जी के प्रधान मंत्री बनते ही उन्होंने तुरंत पहला काम किया कि इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में एक टास्क फोर्स बनाया।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : श्री राजीव गांधी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के अगुआ थे।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बहस नहीं चल सकती। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदन में बार-बार कहा है कि टोका-टाकी अच्छी नहीं है। कृपया आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी रोकने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए कठिन होगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आशा करता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र, खासकर श्री अरुण शौरी के तीनों लेख पढ़ेंगे। अगर न भी पढ़ें तो एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिनका तथ्यों से संबंध नहीं है। यह मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा–

[अनुवाद]

> "हम नकारात्मकवादी बन गये हैं, उसी तरह नकारात्मक बातों के आदी हो गये हैं, जिस तरह से अल्कोहल लेने वाला पीने का आदी हो जाता है। हम नकारात्मक बातों की तलाश में रहते हैं और उन्हें लपकते रहते हैं। यदि हमारे मानस पटल पर कोई उपलब्धि दिखती भी है तो यह हमारी जागरूकता में नहीं आती। हम इसे एक पद्धति के भाग के रूप में नहीं देखते हैं कि यह सौभाग्यवश नहीं हुआ। वस्तुतः हमारी प्रवृत्ति उपलब्धि के उदाहरण में विश्वास करने की नहीं होती है"

[हिन्दी]

मुझे खेद है कि आज विपक्ष की ओर से जो प्रमुख भाषण हुआ है, उसमें कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं देता, करप्शन दिखाई देता है, सिक्योरिटी फेल्योर दिखाई देता है। आज सिक्योरिटी फोर्सेस जिस प्रकार से काम कर रही हैं, उसमें आप कहें कि सिक्योरिटी फेल्योर है। *(व्यवधान)* हम जब सरकार में आए थे, प्रॉक्सी वॉर हमारे समय में शुरू नहीं हुआ था। 1971 के बाद से लेकर, प्रौक्सी वॉर में पहले पंजाब में विजय प्राप्त हो गई थी लेकिन जम्मू-कश्मीर में और भारत के शेष भागों में प्रौक्सी वॉर जोरों से चल रहा था, जब श्री वाजपेयी जी ने सरकार संभाली और पिछले पांच सालों में जिस प्रकार से उसे नियंत्रित किया है, जिस प्रकार से उस पर विजय प्राप्त की है, *(व्यवधान)* वाजपेयी जी के प्रधान मंत्री बनने से पहले इस संसद में कोई आई०एस०आई० का नाम नहीं लेता था और आज आई०एस० आई० के सवाल ही नहीं पूछे जाते तो अगर सोनिया जी को इस बात की शिकायत है कि हमने व्हाइट पेपर क्यों नहीं प्रकाशित किया तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सांसद कंसलटेटिव कमेटी में हैं और जब पहली बार व्हाइट पेपर की बात आई थी, उसके बाद भी इसकी चर्चा हुई थी, तब मैंने समझाया कि जो लोग आई०एस०आई० के अड्डे ढूढ़-ढूढ़ कर ध्वस्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनका आग्रह है कि इस प्रकार के पूरे तथ्य आप देंगे तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमें थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने यह क्यों कहा है? *(व्यवधान)* और फिर आप इस बात को सही ठहराते हैं कि आप सक्षम गृह मंत्री नहीं है? *(व्यवधान)* आपने यह पब्लिक में क्यों कहा? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : हमने आई०एस०आई० के साथ उनके 187 अड्डे ध्वस्त करके, वहां उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, मैं सोनिया जी से पूछना चाहूंगा कि जब संसद ने 'पोटा' पारित किया, क्या यह उचित है कि सिक्योरिटी की चर्चा करने वाले अपने राज्यों को कहें कि आप पोटा पर अमल न करिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पहले वैको के बारे में राय दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय भारत के गृह मंत्री ने गैर जिम्मेदार वक्तव्य दिया है *(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी ने किसी मुख्यमंत्री को पोटा लागू न करने को नहीं कहा है, जैसा कि कानून पुस्तिका में लिखा है *(व्यवधान)* कोई पार्टी ऐसा निर्देश नहीं दे सकती है। हम इस बात से परिचित हैं *(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस बात को जाने *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जो बोल रहे हैं, आप बैठिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : इस संबंध में मैं समझता हूं कि हमारे सी०पी०आई०एम० के मित्र देश की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं और इसीलिए चाहे इनकी पार्टी एन०एस०ए० (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) के पक्ष में नहीं है तो भी इनके एक मंत्री मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि यह समस्या है और हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। मैंने कहा कि आप पार्टी से बात करके इसका उपयोग कुछ लिमिटेड मामलों में करें तो करना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया और इसीलिए पार्टी भले ही सिद्धांततः पोटा के खिलाफ हो तो भी कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान में कोई कानून नहीं है कि जो टैरेरिस्ट फंडिंग को रोक सके सिवाए 'पोटा' के। *(व्यवधान)* और टैरेरिस्ट फंडिंग पिछले दिनों में *(व्यवधान)*

श्री रामदास अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप बैठिए।

श्री शिवाजी माने : महाराष्ट्र की जनता आपको पार्टी को उसकी जगह बताएगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बैठ कर बातें मत कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दिसम्बर 2001 से आज तक लगातार 19 अलग-अलग मोड्यूल हैं, जहां से साढ़े चार करोड़ रुपए से अधिक पकड़े गए हैं, जो टैरेरिस्ट फंडिंग के लिए आ रहे थे। यह सब पकड़े जाते हैं, क्योंकि पोटा का उपयोग होता है। अगर हम पोटा का उपयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, कोई अपराध ही नहीं है। इसलिए मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी की नेत्री से निवेदन करूंगा कि अपनी सरकारों को कम से कम इससे मना न करें। *(व्यवधान)* जहां पर आवश्यकता हो, पोटा का उपयोग करें। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : जब ये जवाब दे रहे हैं तो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनको रोका जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में रखा जाय कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसा निर्देश कभी जारी नहीं किया गया। मैं माननीय गृह मंत्री से इसे नोट करने और स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। अमल में कोई भी पार्टी ऐसा निर्देश नहीं दे सकती है, जब पोटा सही या गलत जैसे भी हो कानून पुस्तिका का हिस्सा है। किसी को भी इसे लागू नहीं करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। यह सही नहीं है। माननीय गृह मंत्री अपनी गलती को स्वीकार कर लें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बात नहीं मानी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जिस प्रकार से मैंने पोखरण का उल्लेख किया कि दुनिया भर में फैले हुए भारतवासियों की इज्जत बढ़ाने में अगर किसी एक बात ने सबसे अधिक योगदान दिया है, तो वह है भारत द्वारा अणुशक्ति का आविष्कार करना और आणविक शक्ति बनना। उसी तरह से मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने में एक डिसाइसिव टर्निंग पाइंट आया। यह तब आया जब भारत सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने और तब की जम्मू-कश्मीर की सरकार ने मिलकर फेयर एंड फ्री इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वहां कराए। जब प्रधान मंत्री जी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से यह घोषणा की थी कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और हम वहां फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे, तब कई लोगों ने इसमें आशंका जाहिर की थी, क्योंकि उस समय आतंकवादी कहते थे कि जो वोटर वोट डालने जाएगा, उसकी अंगुली काट दी जाएगी, जो कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको मार देंगे और जो प्रचार करने जाएगा, उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। इसलिए बहुत से लोगों ने कहा था कि ऐसे वातावरण में कैसे वहां फेयर एंड फ्री चुनाव होंगे। लेकिन न केवल हमने ऐसा करके दिखाया, बल्कि जो लोगों को शंका थी कि अपने ढंग से करा लेंगे, पहले भी चुनाव कई तरह से होते रहे हैं। भारत सरकार ने दुनिया भर के पत्रकारों को कहा कि कोई भी वहां आ सकता है। दिल्ली में जितनी भी एम्बेसीज हैं, उनको कहा कि आप अपने आब्जर्वर्स भेज सकते हैं। विश्व के लोगों ने देखा और सारी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि हिन्दुस्तान में डैमोक्रेसी वास्तव में ईमानदारी से चल रही है। हमारे ऊपर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन को अंडर माइंड का आरोप लगाने वाली वह पार्टी, जिसने 19 महीने तक हिन्दुस्तान में इमर्जेंसी लगाई। *(व्यवधान)* हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हमने अरूणाचल प्रदेश की सरकार को टॉपल कराया। सब जानते हैं कि वहां पर कांग्रेस पार्टी जीतकर नहीं आई थी, दल-बदल कराकर सत्ता में आई थी। दल-बदल कराकर वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, फिर से दल-बदल करके लोग उधर चले गए, तो हम इसमें क्या करेंगे। *(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी : आपने इंदिरा गांधी को जेल में भेजा। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एन०एस०सी०एम०आई०एम० का आरोप हम पर लगाना, यहां सोमनाथ जी बैठे हैं, उन्होंने मुझे क्या कहा था त्रिपुरा के बारे में, मैं यहां नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अनेक स्थानों पर *(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी : कई सदस्य थे। कई लोग थे, जो इमर्जेंसी के समय जेल में थे। इंदिरा जी को चिट्ठी लिखी कि मेहरबानी करके मुझे घर लाओ, मुझे निकाल दो जेल से। *(व्यवधान)* मेरे पास सब सबूत हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनिया जी ने आरोप लगाया है, आडवाणी जी उत्तर देंगे। आप सब लोग बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो मंत्री रहे हैं, आप बैठिये।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : इस बात के लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं माननीय चन्द्रशेखर जी क्या कहना चाह रहे हैं वह सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ०प्र०) : अध्यक्ष जी, इस बहस में जिस तरह की बातें हो रही हैं, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन नेता विपक्ष ने जो कहा कि इमरजेंसी में जो लोग जेल गये थे उन्होंने इंदिरा जी से चिट्ठी लिखकर कहा कि हमें घर लाओ। इस तरह का स्कोपिंग स्टेटमेंट बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। *(व्यवधान)* मैं यह चाहूंगा कि अगर वे यह बात कहती हैं और उनके पास किसी की चिट्ठी है तो उस चिट्ठी को वे माया करें, लेकिन इस तरह से आरोप लगाना उचित नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विधि और न्यायमंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : उनके पास सरकारी पत्र कैसे हैं? *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : हम विपक्ष की नेता से जानना चाहते हैं कि उन्हें वे सरकारी दस्तावेज कैसे मिले। महोदय हम जानना चाहते हैं कि उन्हें प्रधान मंत्री को लिखे गए ये सारे पत्र कैसे मिले *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : जो उस समय देश छोड़ सकती हो, उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो आरोप सोनिया जी ने लगाया है उस पर आप सभी को खड़े रहने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे नहीं तो सदन में चर्चा कैसे होगी?

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : सर, मैं जानना चाहता हूं कि सोनिया जी के पास सरकारी पेपर कैसे आया? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आडवाणी को बोलने की अनुमति दी है। व्यवस्था के प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जायेगा। यह तरीका नहीं है। आप इस तरह सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते। कृपया बैठ जाइये। जाधव जी, आप बैठ जाइये।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी, कृपया आप बोलिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा चलने दीजिए। मैं किसी अन्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने मल्होत्रा जी को पाइंट-ऑफ-आर्डर रेज करने की इजाजत दी है। इस तरह से सदन नहीं चल सकता है, जिस तरह से आप बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट-ऑफ-आर्डर यह है कि 1977 में इमर्जेंसी लगी

[अनुवाद]

और 1975-76 में श्रीमती सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थीं *(व्यवधान)* उन्हें वह पत्र कैसे मिला? *(व्यवधान)* 1975-76 में वे भारत की नागरिक नहीं थीं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इनके पास वह लैटर कैसे है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यवस्था के प्रश्नों को अनुमति नहीं दूंगा। अत: मैं ऐसे व्यवस्था के प्रश्नों को नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आडवाणी को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैंने आरम्भ में ही कहा कि मैं सोनिया जी की शैली का अनुसरण नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह जरूर अनुरोध करूंगा कि चन्द्रशेखर जी ने उनकी टिप्पणी पर जो बात कही है, उसका वे उत्तर जरूर दें, क्योंकि हिन्दुस्तान में लाखों लोग उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतन्त्र में दमन के शिकार हुए हैं, जिनमें स्वयं श्री चन्द्रशेखर, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी भाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के सदन के अनेक सदस्य थे। *(व्यवधान)* आप इमर्जेंसी को जस्टिफाई करने के आधार पर हम पर आरोप जरूर लगा सकते हैं। इसीलिए जो बातें यहां पर उठाई गई हैं, आपके उस रिमार्क्स के सिलसिले में, उसका स्पष्टीकरण दीजिए और वह पत्र सदन के सामने रखिए। *(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : इसका स्पष्टीकरण देश की जनता ने सन् 1980 में दे दिया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी भाषण कर रहे हैं। उन्हें भाषण करने दीजिए। उनको सदन में अपने पाइंट्स रखने हैं। वे जानते हैं कि समर्थन कैसे करना है, उन्हें समर्थन करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल आडवाणी जी का भाषण रिकार्ड पर जाएगा। अन्य माननीय सदस्य कुछ भी कहें, उनकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, भारत की विदेश नीति का संचालन प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वह विदेश मंत्री थे, तब से लेकर अब तक जिस सुचारू ढंग से करते आए हैं, उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ता बनाए रखा है। यहां तक कि एक समय आया, कारगिल का युद्ध हुआ।

अपराह्न 2.00 बजे

कारगिल युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को बुलाया। हमारे प्रधान मंत्री को भी निमंत्रण देकर कहा कि आप भी यहां आइए लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि मैं वहां नहीं आऊंगा, वहां आने का सवाल ही नहीं उठता और आप ही उनसे बात करिए। प्रधान मंत्री ने साफ जवाब दिया कि मैं वहां नहीं आऊंगा और आप ही इसे करिए।

इतना ही नहीं, इसके बाद लगातार जिस प्रकार विदेश नीति का संचालन इन पांच सालों में होता रहा है, उसके परिणामस्वरूप पिछले पांच सालों में कम से कम 30 देशों ने जिन में यू०के० और फ्रांस जैसे प्रमुख देश भी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि दुनिया

की बड़ी बॉडी यूनाइटिड नेशन्स की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थान मिलना चाहिए। इतनी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी कोई कहे कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अन्डरमाइन्ड कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, ऐसे शब्दों का उपयोग करके भारत को अन्डरमाइन मत करिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सी०के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : क्या किसी अन्य चीज का महत्व कम करना है? आपने हर चीज का महत्व कम किया है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में शांति बनाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, वैदेशिक क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हमने समस्याओं को हल कर दिया लेकिन जो समस्याएं बाकी हैं, उनका कारण यही है कि अधिकांश समस्याएं हमें आपकी सरकारों द्वारा विरासत में मिली हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणूका चौधरी, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश रामराव जाधव, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, आप ऐसा मत करिए। ऐसा करना व्यवधान अच्छा नहीं होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उपप्रधान मंत्री की बात सुनिए। ऐसा करना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो प्रॉक्सी वार लगभग दो दशकों से चल रही है *(व्यवधान)* आतंकवाद के खिलाफ जहां एक ओर हमारे सुरक्षाकर्मी लड़ रहे हैं, वहां दूसरी ओर हमने दुनिया भर में इंटरनेशनल ओपिनियन को मोबिलाइज किया। आज 15 देश ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ वर्किंग ग्रुप बनाया है जिन में अमेरिका, कैनेडा, यू०के०, फ्रांस, रशिया और चीन हैं। सब ने मिल कर ज्वॉंट वर्किंग ग्रुप एगेन्स्ट टैरारिज्म बनाया है। जिस प्रकार हमारी सेना ने पहले के तीन युद्धों में हमारे दुश्मनों को पराजित किया, वैसे ही इस प्रॉक्सी वार में हमारी सिक्योरिटी फोर्सिज और जनता मिल करके इनको पराजित करेगी। मैं इस मामले में यह भी कहना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में जो सरकार है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री मुफ्ती साहब हैं लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। उनको केन्द्र सरकार का लगातार सहयोग मिलता रहा है हम मिल करके वहां विजय प्राप्त करेंगे। इसके परिणामस्वरूप और खास तौर पर पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी के वहां जाने के बाद तथा प्रधान मंत्री जी की उस पब्लिक स्पीच के बाद वहां के वातावरण में जो परिवर्तन आया, उसके कारण आज वहां टूरिज्म भी फिर से शुरू हो गया है। अमरनाथ यात्रा में फिर से डेढ़ लाख से अधिक यात्री गये हैं। पिछले पांच वर्षों में कभी न कभी कोई घटना हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सारा काम शान्तिपूर्वक हो गया।

अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछले दिनों हमारे प्रयत्नों के कारण, जब यू०ए०ई० सहयोग नहीं देता था, उसने सहयोग करना शुरू कर दिया है। यहां के आतंकवादी भागकर वहां जाकर शरण लेते थे, पाकिस्तान में शरण लेते थे और वहां से दुबई चले जाते थे। अगर जब कोई आतंकवादी दुबई चला जाता है तो वहां की सरकार सहयोग करके उन्हें यहां वापस भारत में भेज देती है। इस कारण बहुत सारे लोग पकड़ लिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मैंने अमरीका में इस बात को कई बार कहा। मैंने कहा कि वे कभी-कभी हमें कहते थे कि आप पाकिस्तान के साथ हमारे प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, आप हमारा क्लाउट एग्ज़ागीरेट करते हैं। मैं उनसे कहता था कि मैं एग्जागीरेट नहीं करता और मैं मानता हूं कि आपके एक इशारे पर अगर वे अल-कायदा के 501 अपराधी आपको दे सकते हैं, अलकायदा के सदस्य आपको दे सकते हैं, अगर आप कहें तो वे 20 आतंकवादी हमें क्यों नहीं दे सकते? इसलिये मैं आपकी बात नहीं मानता हूं। अलबत्ता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां इंडोनेशिया को छोड़कर सब से अधिक मुस्लिम समाज हमारे यहां है। क्या यह सिग्निफिकेंट बात नहीं है कि 500 अल-कायदा लोगों में से एक भी भारतीय नहीं है। अगर इसका कारण मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि उसका कारण हिन्दुस्तान में लोकतंत्र गतिमान संस्थान है। हिन्दुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र होने के कारण हमारे यहां पर इस प्रकार की फंडामैंटेलिज्म कांसट्रैंट है, गुंजाइश कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, है और होता है। इसलिये

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

पार्लियामेंटरी इंस्टीट्युशन्स अबोलिश हो रही है, डैमोक्रेसी खत्म हो रही है, उस प्रकार की भाषा जिस प्रकार से बोली गई है, मैं उसे ठीक नहीं मानता हूं। हिन्दुस्तान में अगर हर मामले में बॉयकॉट होगा और हम रक्षा मंत्री को सुनने के लिये तैयार नहीं होंगे, अगर यही एटीट्यूड होगा तो यह लोकतंत्र नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैं इतना और कहना चाहूंगा कि शिमला में कांग्रेस की मन्थन बैठक हुई थी जिसमें कहा गया कि हम गठबंधन के लिये तैयार हैं। इसका कारण यह है कि पिछले पांच वर्षों में सारी दुनिया चकित रह गई है कि इतनी ज्यादा पार्टियां लेकर श्री वाजपेयी जी सरकार कैसे चला रहे हैं, तीन-तीन पार्टियों की सरकार नहीं चलती। पचमढ़ी के बाद, अगर शिमला में तबदीली आई है तो उसका प्रमुख कारण यह है कि यह गठबंधन इसलिये सफल हुआ क्योंकि 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सहज नेता स्वीकार करने को हिन्दुस्तान की सभी पार्टियां तैयार हुईं। जब तक यह स्थिति पैदा नहीं होती, तब तक वहां कुछ होने वाला नहीं है। अपोजीशन का गठ-बंधन ऐसे ही चलेगा, इस प्रकार के शोर-शराबे को लिये अपोजीशन का गठन होगा। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि अच्छा होता यदि यहां जर्मनी की तरह की व्यवस्था होती। अगर 'नो कांफिडेंस मोशन' लाना चाहते हो, वह तब लाओ जब आप आल्टरनेटिव लीडर का नाम बतायेंगे। इस प्रकार से 'नो कांफिडेंस मोशन' नहीं आयेगा। अगर ऐसी व्यवस्था यहां होती तो शायद 1999 में जब एक वोट से आप लोगों ने हमारी सरकार को पराजित किया था, तब 'नो कांफिडेंस मोशन' नहीं आ सकता था और आज तो यह आ ही नहीं सकता है।

श्री शिवराज वि० पाटील : किस नियम के तहत आपने यह बात कही कि लीडर ऑफ अपोजीशन अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकतीं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद में अगले वक्ता श्री सोमनाथ चटर्जी होंगे। कृपया सभा में शांति रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज शांति रखिये। जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं, वे जाएं, लेकिन शांति से जाइये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सर, हाउस को शांत करें।

[अनुवाद]

कृपया सभा में शान्ति रखें। *(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि वे प्रतिपक्ष की पार्टियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी श्री सोमनाथ चटर्जी बोलने वाले हैं, जो मैम्बर्स बाहर जाना चाहते हैं वे आपस में बातें न करें। कृपया, सभा में शान्ति रखें। सभा श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण, सुनना चाहती हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सर, सबको इतनी भूख लगी है कि सब चले गये।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, हर व्यक्ति मध्याह्न भोजन की मनः स्थिति में लगता है।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : सर, डिबेट का समय शाम को साढ़े छः, सात बजे तक कर दीजिए।

अपराह्न 2.12 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.48 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.48 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्रि परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव — *जारी*

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, जिस तरह से मौजूदा सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में जनता पर विभिन्न तरीकों से बोझ बढ़ाया है और जिस तरीके से यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य इसी प्रकार से पढ़कर बोलेंगे?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हिन्दी में पढ़कर बोलना भी चलता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि माननीय सोमनाथ चटर्जी हिन्दी में बोल रहे हैं। इसके लिए तो इनकी सराहना करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने मित्र को बता सकता हूं कि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिन्दी में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए पढ़कर बोल रहा हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : हम खुश हैं

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से हमारे देश की रक्षा के लिए जो जवान अपनी जान की कुरबानी देते हैं, मौजूदा सरकार ने उनकी कुर्बानी का भी फायदा उठाया और हमारे जवानों की दुर्गति की।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह देश की कृषि और उद्योग के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा है, साम्प्रदायिकता को फैलाया गया है, मजदूर और कर्मचारियों पर हमला किया गया है, उनकी रोजी-रोटी को छीन लिया गया है, किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हुआ और बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई है।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय का फायदा उठाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए जो वायदे इस सरकार ने किए, वे आज गलत साबित हुए। इन्हीं कारणों से मौजूदा सरकार को हटाना जरूरी हो गया है। मैं विरोधी दल की नेत्री को इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए बधाई देता हूं और आम जनता से अपील करता हूं कि वे जल्द से जल्द ऐसा कदम उठाएं ताकि एक धर्मनिरपेक्ष और देश की एकता के लिए, जनता की भलाई के लिए जो दल या गुट काम करे, जनता उसका साथ दे तथा उसे सरकार बनाने का मौका दे ताकि जनता के हित के लिए एक काबिल सरकार बन सके।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : आपने हिन्दी में भाषण दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि हम यह मानते हैं कि जनतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार यह प्रयास करना हमारा देश भक्तिपूर्ण कर्तव्य है कि इस जन-विरोधी सरकार से हम त्राण पाएं। हम जानते हैं कि अस्थायी बहुमत के कारण इस प्रस्ताव के गिर जाने की संभावना है, क्योंकि यह अस्थायी बहुमत जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाने जाने वाले गठबंधन ने बड़े महीन पूरी तरह से गैर सैद्धान्तिक और स्पष्ट रूप से अवसरवादी दांव पेचों का सहारा लेकर यह गठबंधन बनाया है, लेकिन मुझे किसी तरह की आशंका नहीं है कि इस सभा के बाहर बहुत बड़ी संख्या में लोग, विशेष रूप से वे लोग जिन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुशासन से उत्पन्न समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वे लोग जो ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा में विश्वास करते हैं और भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते हैं, वे लोग जो देश की धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं में विश्वास करते हैं और जो राष्ट्रीय हित से निर्देशित होते हैं, वे पहले ही इस गठबंधन वाली सरकार को इतिहास के कूड़ेदान में डालने का निर्णय ले चुके हैं और वे आज इसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं।

महोदय, मुझे आज ही पता चला है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी। वे ऐसा तो कर ही सकते हैं, मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है। वह क्या चीज है जो इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एकता के सूत्र में पिरोये हुए है? निश्चित रूप से इसकी कोई एक विचाराधारा नहीं है और नहीं इसका कोई एक उद्देश्य है पर वह क्या चीज है जो इसको एकता के सूत्र में पिरोये हुए है? यह सब पद पर बने रहने की रोटी का बंटवारा है।

मुझे आशा है, उप प्रधान मंत्री यहां आएंगे। आज, वह काफी बौखलाए हुए दिखायी दिये, लौह पुरूष आज बहुत बौखलाए हुए थे। मैंने उन्हें आज पहली बार बौखलाए हुए देखा। उप-प्रधान मंत्री काफी सहज बने रहते हैं, मैंने इस सम्बंध में उनकी कई बार प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, इसका कारण उनके द्वारा 'रथ यात्रा' निकाला जाना है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों के लिए समान विचारधारा रखने के किसी भी प्रश्न की भर्त्सना की है क्योंकि वह कहते हैं कि समान विचारधारा क्या हो सकती है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना है और महोदय, इसमें मैं यह और जोड़ रहा हूं कि उनका उद्देश्य येन-केन-प्रकारेण सत्ता में बने रहना है।

महोदय, आज इस देश की सत्ता भांति भांति की पार्टियों से बने गठबंधन के हाथ में है – जो बिना किसी नीति, विचारधारा के सत्ता का फल भोगना चाहता है।

आज, मैंने अखबारों में पढ़ा कि मेरे अच्छे मित्र श्री वैको यहां आएंगे, मैं उनको यहां देखकर बहुत खुश होऊंगा क्योंकि उनका उचित स्थान यहीं है। मैं जानता हूं कि उन्हें केवल मतदान के लिए लाया

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

जाएगा, और मैं यह भी आशा करता हूं कि उन्हें हथकड़ी नहीं लगी होगी। उन्हें आने दीजिए। अखबारों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं आशा करता हूं कि वह यहां आएंगे। लेकिन, उन्हें एक कठोर कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है जिसका उन्होंने यहां बैठकर समर्थन किया, इस आशा के साथ कि इस कानून का उपयोग आतंकवादियों के विरूद्ध किया जाएगा। लेकिन, जैसी कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि वह इसका पहला शिकार होंगे, और वह इसके शिकार बने। हमें बहुत खेद है कि इस कठोर कानून के कारण ही उन्हें अपनी आजादी खोनी पड़ी। लेकिन, वास्तविकता यह है कि उनके प्रमुख सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने भीरूता दिखाई और राज्य में फैली सनक के आगे घुटने टेकते हुए वहां की निगोड़ी राजनीति के साथ समझौता कर लिया क्योंकि उनके पास 11 मत हैं। आज, लोकसभा में 11 मतों के लिए श्री वैको की आजादी का व्यापार हुआ है। इस सरकार की यही स्थिति है।

महोदय, मैं जानता हूं कि श्री वैको को उन्हें अपना मत देने के लिए कल यहां लाया जाएगा और उन्हें बहुत थोड़ी सी राहत मिलेगी। यदि यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उन्हें उनकी आजादी वापस मिल जाएगी, लेकिन जब तक यह सरकार रहेगी उनको आजादी नहीं मिलने वाली।

महोदय, वाजपेयी सरकार की उपलब्धियां ही क्या है, जिनके बारे में हमें मालूम है, इस देश को क्या हासिल हुआ है? किस वर्ग के लोगों को लाभ मिला है? लोगों के किस अधिकार को बनाए रखा गया है? क्या आम लोगों एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में निर्धनता नहीं है? क्या आज देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या स्थापित संस्थानों पर हमले नहीं हुए हैं? इस सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली का चयन अनिष्ट हमले के लिए किया गया है, पाठ्यपुस्तकों का साम्प्रदायिकरण और भगवाकरण के लिए किया गया है।

महोदय, भ्रष्टाचार ऐसा है जैसा नादिर-शाही हो। श्री आडवाणी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं वर्ष 1971 में संसद में उनके साथ ही आया था। मुझे कई समितियों में उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की नेत्री द्वारा जो 'एरोगेन्ट' और 'कैपीसियस' शब्दों का उपयोग किया गया, उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। महोदय, मुझे आशा है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा यदि मैं उनकी सरकार को जन-विरोधी और साम्प्रदायिक कहूं क्योंकि साम्प्रदायिकता ही उनका मुख्य मुद्दा है।

महोदय, क्या लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों पर सोचा समझा और घातक हमला नहीं हुआ? क्या उनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए 'पोटा' का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है? महोदय, देश के आर्थिक हितों को बेचा जा रहा है। ऐसा सिर्फ हम लोगों द्वारा ही नहीं कहा जा रहा है बल्कि ऐसा कहने वाले यहां कई माननीय सदस्य भी उपस्थित हैं। मैं नहीं जानता कि इस पर आज श्री खैरे का भाषण क्या होगा? क्या आप इस पर मेरा समर्थन कर रहे हैं? क्या आपने अपना रवैया बदल दिया है?

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : कोई बदलाव नहीं।

[हिन्दी]

मैं अपनी भूमिका रखने वाला हूं, उस समय दादा भी हाउस में होने चाहिए और विपक्ष की नेत्री भी होनी चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : दादा कौन है?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनसे कुछ खुराक लेने की कोशिश कर रहा था।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, साम्राज्यवादी ताकत जिसे अबुंसुपर पावर कहा जाता है, के कहने पर हमारे देश के प्रमुख आर्थिक हितों को औने-पौने दामों पर बेचा गया है, और उन्हें उससे प्रेरणा मिल रही है भले ही उन्हें इस देश के खुराक न मिले रही हो। जो भी कहा जाये, मैं बहुत ही विनम्र भाव से यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमारी राष्ट्रीय विदेश नीति, सिर्फ कुछ देशों को खुश रखने के लिए, पूरी तरह से अंधभक्त विदेश नीति बन गई है।

हमारे जैसे, इस देश में कई लोगों का मानना है कि यह सरकार कुछ कट्टर, साम्प्रदायिक और रूढ़िवादी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, जो सत्ता में बने रहने के लिए धर्म के आधार पर बंटवारे में लगे हुए है। आज, श्री वाजपेयी भारत के इस संविधान की जो इसकी गौरवशाली दस्तावेज है। की अपेक्षा के आर०एस०एस० के मांग पत्र के प्रति ज्यादा लगाव दिखा रहे हैं।

लोग कह रहे हैं कि हमारे देश ने कई तरह से प्रगति की है, और हमारे माननीय उप-प्रधानमंत्री ने इस सभा के एक पूर्व विशिष्ट सदस्य द्वारा लिखे गए एक लेख का उल्लेख किया, जिसमें लिखा है, "इस सहस्राब्दि की शुरूआत से ही इस देश ने प्रगति की है।" वह बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं। मैं अब तक उस लेखक को नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। संभवत:, श्री आडवाणी यह भूल गए कि इस सरकार के शासनकाल में, हमारे अनुसार नहीं, बल्कि वर्ष 2003 की यू०एन०डी०पी० की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों की सूची

में भारत का 127वां संदिग्ध स्थान है। यह तो बोत्स्वाना और यहां तक कि फिलीस्तीनी राज्यों से भी नीचे हैं उन्होंने तो हमलों को झेलकर भी 124वां स्थान पा लिया है, भारत तो 127वें स्थान से भी नीचे ही है हमने उन्हें बड़े ही भद्दे तरीके से मेज थपथपाते हुए और यह कहते हुए देखा कि हमने इस देश का विकास किया है।

हम इस अविश्वास प्रस्ताव का क्यों समर्थन कर रहे हैं? हममें अभी भी बड़े मतभेद हैं; पहले भी थे और अभी भी हैं, कई मामलों में, खासकर जहां तक कांग्रेस पार्टी का संबंध है, हमने उन्हें आपातकाल की घोषणा के लिए उन्हें निर्दोष नहीं ठहराया है, लेकिन क्या उससे आपको प्रेरणा मिली? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने यह गलती की थी इसलिए, वे यहां हैं – और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पहले भी गलती की है, क्या हमें इस तरह के गठबंधन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसने भारतीय संविधान पर हमला किया है, जिसने इस देश के सबसे बड़ी संस्थानों को कलूषित किया है और जिसने इस देश के आम लोगों को उनके शालीन जीवन जीने के अधिकार, उन्हें रोजगार के अवसरों और उनके जीविकोपर्जन से वंचित किया है?

इस बात पर कोई भी शर्मिन्दा नहीं है कि इस देश में साधारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी से पश्चाताप का एक भी शब्द नहीं सुना।

अनेक किसानों ने उन राज्यों में, जिन्हें काफी उन्नत राज्य माना जाता है, आत्मसंहार, आत्महत्याएं की हैं। मैं प्रसन्न नहीं हूं; एक भारतीय होने के नाते, मैं शर्मिन्दा हूं। मुझे विश्वास है कि जब कोई कृषक, कोई किसान इस देश में आत्महत्या करता है क्योंकि वह अपनी आजीविका या अपने अस्तित्व हेतु चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते हैं तो हम सब शर्मिन्दगी महसूस करते हैं।

इन सभी मामलों पर विचार करते हुए मैं इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय हित में; भारत के गौरव, उसकी एकता और अखंडता के हित में तथा कृषकों, कामगारों और बेरोजगार युवकों की खातिर हरेक भारतीय का यह कर्तव्य हो जाता है कि हमें हमारे शासन तंत्र रूपी शरीर से इस कैंसर को उखाड़ फैंकने हेतु गंभीरता से प्रयास करने चाहियें।

एन०डी०ए० ने अनेक वादे किए हैं। लगभग चार वर्ष बीत गए हैं। हम भूल गए हैं कि उन्होंने इस देश के लिए क्या वादे किए थे। भाजपा ने एक विस्तृत घोषणा पत्र पेश किया था। उन्होंने अपनी मांगों में से किसी को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने मंदिर निर्माण, संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने, समान नागरिक संहिता, गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने और ऐसी ही अनेक बातों संबंधी अपनी मांगों को नहीं छोड़ा है। वे कहते हैं "हमने फिलहाल उन्हें दबा दिया है क्योंकि फिर 28 दलों का यह बेमेल गठबंधन कैसे बनता। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम सत्ता में कैसे रहते? सत्ता प्राप्ति हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए हम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के साथ समझौता करेंगे। हम उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं।"

मुझे उनके सहयोगियों पर दया आती है। क्या गौरव और प्रतिष्ठा की कोई समझ नहीं है? भाजपा ने खुले तौर पर यह घोषणा की है कि वह इस वर्ष के अंत में राज्यों में होने वाले चुनावों में अकेले चुनाव लड़ेगी क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि उनके सहयोगी अप्रासंगिक हैं उनके लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं है। सत्ता में आने के लिए वे न तो आपके पास आएंगे, न आपको खुशामद करेंगे और न ही आपको मंत्रिमंडल में उच्च पद देंगे। इसलिए वे अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। वे भाजपा के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। वे एन०डी०ए० के एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही भाजपा का असली रूप है। जब यह उनके अनुकूल होता है तो वे एक विशेष रवैया अपना लेंगे। दूसरी बार जब कोई और चीज उनके अनुकूल होगी तो वे गिरगिट की तरह रंग बदलकर दूसरा रवैया अपना लेंगे। ऐसा ही हुआ है।

डी०ए०वी०पी० और प्रसार भारती की सहायता से वे हर बार लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिए थे? यह सरकार एन०डी०ए० के घोषणापत्र के बल पर सत्ता में आई थी। यह सब मुझे मजाक लगता है। कल मैं उन्हें दोबारा पढ़ रहा था, यह और कुछ नहीं मजाक का पिटारा है। वे क्या करेंगे? इसमें कहा गया है :–

> "अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम सुधार प्रक्रिया जारी रखेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए उसे एक मजबूत स्वदेशी अवलंब देंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस सिद्धान्त पर आगे बढे कि भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा।"

महोदय, चार वर्ष तक शासन करने के बाद क्या यह मजाक नहीं है? मुझे विश्वास है और आप भी मेरी राय से सहमत होंगे चाहे आप इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और इसका मुझे दुख है। इसमें आगे यह कहा गया है–

> "हम सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को 7-8 प्रतिशत तक लाएंगे और बीमारी पर काबू करेंगे "

इसमें कहा गया है :

> "बेरोजगारी हटाओ – बेरोजगारी दूर करो – यह हमारा नारा है।"

विपक्ष की नेता ने हमें ठीक ही सावधान किया था कि हमें बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नाराज हो जाते हैं।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

एजेंडे में यह भी कहा गया है :

"स्वदेशी का अर्थ प्राचीन युग में पुन: पहुंचना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम घरेलू उद्योग को इतना मजबूत बनायें कि वह स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। हम चाहते हैं कि घरेलू कंपनियां तरक्की करें और एक अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करें।"

एक विशेष और एक कृपापात्र कंपनी को छोड़कर कितनी कंपनियों ने यह दर्जा हासिल किया है? हरेक यह जानता है कि वह कंपनी कौन सी है? कितनी कंपनियां अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं?

फिर, एन०डी०ए० का एक और वादा यह है कि "हम कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई में सार्वजनिक निवेश हेतु नियोजित कोष से 60 प्रतिशत रकम नियत करेंगे और कर राहत सहित विविध प्रोत्साहनों द्वारा कृषि उत्पादन में भारी छलांग लगाएंगे, ताकि कृषि, बागवानी आदि विकास की धुरी बन जाएं और जिसके परिणामस्वरूप लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि होगी।"

मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री विनम्रतापूर्वक इस देश को बताएं कि सत्ता के अपने चार वर्षों में उन्होंने इस बात को किस प्रकार पूर्ति की।

महोदय, फिर उन्होंने यह कहा था :

"हम इतना विकास कर पाएंगे जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी।"

मैं इसकी चर्चा करूंगा। यह इस सरकार का रिकार्ड है।

फिर, उन्होंने श्रम के बारे में कहा। मुझे खुशी है कि मंत्री जी यहां है। संभवतया उन्हें मुझे देखकर शर्मिन्दगी महसूस होगी।

श्रम के बारे में उन्होंने कहा था :

"हम अपने संगठित और असंगठित दोनों श्रम को बराबर बनाएंगे और राष्ट्र की संपत्ति के उत्पादन और उसकी प्रगति में तेजी लाएंगे। पुरुषों और महिलाओं के लिए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का कानून कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।"

फिर एक शीर्षक "बेरोजगारी का उन्मूलन" है जिसमें कहा गया है कि "प्रत्येक नागरिक हेतु काम के अधिकार को पहचानते हुए नई सरकार 'बेरोजगारी हटाओ' पर मुख्य बल देगी। बढ़ती बेरोजगारी की वर्तमान प्रवृत्ति के विपरीत हमारी सरकार लाभप्रद रोजगार सृजित करके वृद्धि को मापेगी।"

फिर, उन्होंने कहा था कि वे नीतिपरक और गरीब समर्थक नीति पर चलेंगे। वे सबके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे; वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाएंगे; वे असाक्षरता को समूल समाप्त करने हेतु वचनबद्ध हैं।

अब मेरे पास बैठे हुए नेताजी को गुस्सा आएगा। फिर भी मैं इस सभा और देश को यह याद दिलाता हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधान सभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का वचन दिया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था कि वे गोस्वामी समिति, इन्द्रजीत गुप्त समिति और विधि आयोग, की सिफारिशों, जिन्हें अब फेंक दिया गया है, के आधार पर आवश्यक चुनावी सुधार लाएंगे।

तत्पश्चात् उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में कहा था। भ्रष्टाचार के बारे में केवल तीन-चार लाइनें कही गई हैं। उन्होंने कहा था :–

"हम लोकपाल विधेयक (जिस पर कोई टिप्पणी नहीं है) अधिनियमित करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री सहित किसी के भी विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तियां होंगी।"

न्याय प्रशासन के बारे में उन्होंने कहा था :

"हम अमीर और गरीब, शक्तिशाली और शक्तिहीन के बीच भेदभाव नहीं करेंगे, जहां तक कानून की सत्ता और राज्य की वस्तुनिष्ठता की बात है "

मैं समझता हूं कि यह दिखाने के लिए, कि यह सरकार अपने प्रत्येक वादे और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू में किस तरह विफल हुई है। उनके घोषणापत्र को इतना पढ़ना ही काफी है। महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कुशासन के शिकार कौन हैं? इस सरकार के अनिष्ठ के शिकार कौन लोग हैं? ये व्यक्ति हैं– आम जनता, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, भारत में स्वतंत्रता के 56 वर्ष के बाद भी फुटपाथ पर पर रहने वाले आम लोग और भुखमरी, बिना इलाज के मरने वाले लोग। मैं समझता हूं कि इस देश में शिशु मृत्यु दर अभी भी सबसे अधिक है। औरतों से दहेज जैसी गैरकानूनी मांग की जाती है और उनके साथ क्या-क्या नहीं किया जाता। इन सभी मुद्दों पर कुछ नहीं कहा गया है।

महोदय, सरकार की ओर से पहले हस्तक्षेप और किसी की तरफ से नहीं बल्कि भारत के उप प्रधान मंत्री की तरफ से हुआ। उन्होंने कहा, "मैं समझ नहीं पा रहा कि आप यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाएं हैं। फिर भी मैं खुश हूं।" ठीक है वह खुश हैं और वह इन कार्यों से खुश हैं। इसीलिए इस देश के लोगों ने निर्णय किया है कि उनकी सरकार पूर्णतया बेखबर है। मैं इस सरकार पर आरोप लगाता

हूं कि यह इस देश के लोगों के वास्तविक कष्टों के प्रति पूर्णतया उदासीन और बेखबर है। वे अपनी देखभाल करने में ही व्यस्त हैं।

महोदय, मैं कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। श्री आडवाणी ने कहा, "भारत की इज्जत बढ़ी है, ज्यादा हुई है।" हमने देखा कि लगभग हर सप्ताह अमरीकी विदेश सचिव के कार्यालय से कोई न कोई अधिकारी यहां आ रहा है। वे यहां हर सप्ताह या हर माह क्या कर रहे हैं? आप उनके लोगों के साथ संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री आडवाणी यह श्रेय ले रहे थे कि जब हम सिएटल में माइक्रोसोफ्ट देखने गए थे तो उन्हें बहुत सारे भारतीय मिले थे। महोदय, चार वर्षों में इस सरकार ने उन्हें इस प्रकार सुविधाएं मुहैया नहीं कराई कि उन्हें यहां रोजगार मिल जाएगा। इस देश में विद्यार्थी वर्ग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अथवा प्रौद्योगिकी तथा साफ्टवेयर के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जा रहा है वह इस सरकार के बावजूद भी किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सरकार ने इस देश में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गम्भीर बना दी थी और उन्हें अपने जीविकोपार्जन हेतु बाहर जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, हालांकि उन्होंने स्वयं को कहीं भी और हर जगह चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम बना लिया है। इसलिए इसका श्रेय राजग को नहीं जाता। श्री अमिताभ बच्चन ने कहा है, "इस सहस्त्राब्दि के प्रारम्भ में देश ने उन्नति की है।" महोदय, मुझे श्री आडवाणी से सहानुभूति है। सभी लोगों में से मैं उनके वचन और उनकी विचार धारा का बहुत आदर करता हूं। उनमें से कुछ विचारधाराएं बहुत विध्वंसकारी हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने अध्यापक के रूप में श्री अरूण शौरी के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं मिला। वह कितने अच्छे अध्यापक हैं। *(व्यवधान)* मुझे नहीं पाता कि यदि आज आर०एस०एस० के प्रमुख को पता चले कि श्री आडवाणी को इस देश में सार्वजनिक उद्यमों की बिक्री में लगे हुए श्री अरूण शौरी प्रभावित कर रहे हैं तो कल नागपुर में आर०एस०एस० के प्रधान कार्यालय से क्या फटकार लगेगी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं श्री शौरी के लेखों के सबसे उत्सुक पाठकों में से एक था। वे बोफोर्स और ऐसी अन्य खबरों के दिन में और हर सुबह मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा करता था कि क्या खबर आएगी। मुझे विश्वास है कि श्री नीतीश जी भी जब तक अपनी गलत संगत की आदतों में नहीं पड़े तब तक ऐसा ही किया करते थे। हां, वह इस देश के लोगों के बड़े वर्ग के लिए लगभग भाक्तिभाजन बन गए थे। पहले के अरूण शौरी की तुलना में आज के अरूण शौरी का कद छोटा हो गया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं इससे ज्यादा और कुछ नहीं।

श्री आडवाणी ने कहा कि पोखरण एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। क्या? हमें उससे किस तरह लाभ हुआ? इस देश में जहां 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी-रेखा से नीचे हैं, जिसमें वहां आप कोई रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाए, आप वहां ग्रामीण क्षेत्र में निवेश नहीं कर पाए उदाहरणार्थ कृषि में; और जिसमें सार्वजनिक उद्यम जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास में भारी योगदान दिया है, तो इस देश को पोखरण से कैसे लाभ हुआ है? आपने इस पर खर्च करना उचित समझा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे यह दिखाई देगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके आर०एस०एस० और विश्व हिन्दू परिषद से संबंध है, के नेतृत्व में हिन्दू कितने शक्तिशाली हुए हैं।

महोदय, हम वह नहीं भूल सकते जब प्रधान मंत्री विदेश गए, वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के प्रधान मंत्री के रूप में विदेश जाते हैं। यह किसी व्यक्तिगत अलोचना का प्रश्न नहीं है। परन्तु जब वह विदेश जाते हैं तो वह देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वह किसी बैठक में जाते हैं और कहते हैं : "मैं सबसे पहले आर०एस०एस० का एक प्रचारक हूं। इसके द्वारा इस देश के लोगों को क्या संदेश दिया जाता है? *(व्यवधान)* प्रधान मंत्री की गद्दी जा सकती है। *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : आप पूरी तरह गलत कह रहे हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने कहा था कि प्रधान मंत्री की गद्दी अनिश्चित है, परन्तु यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के आजीवन प्रचारक हैं *(व्यवधान)* संगठन के तौर पर मुझे आर०एस०एस० से कुछ लेना देना नहीं है। मैं खुश हूं कि मुझे आर०एस०एस० से कुछ लेना देना नहीं है। परन्तु निरादर किए बिना मुझे आशा है कि स्वयं सेवक का वास्तविक अर्थ 'स्वयं की सेवा' नहीं है।

श्री आडवाणी ने रक्षा मंत्री के विरूद्ध आरोपों का जिक्र किया है। कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इस देश में हरेक व्यक्ति जानता है कि वह 1970 में क्या थे। उन्होंने भारत के मजदूर संघ आंदोलन में कामकाजी वर्ग के लिए लड़ते हुए शानदार भूमिका निभाई थी। हमारा प्रश्न उनको संबोधित नहीं है। हमारा प्रश्न प्रधान मंत्री से है।

एक मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। प्रारम्भ में वह त्यागपत्र देने में हिचक रहे थे। फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। प्रधान मंत्री उनका त्यागपत्र स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे। फिर राजग में एक सहयोगी बहुत महत्वपूर्ण दल ने त्यागपत्र दे दिया। उसने त्यागपत्र को स्वीकार करने में विलम्ब का विरोध किया। मैंने अकेले ऐसा नहीं कहा। राजग से एक कम हो गया था। फिर इसे स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात, पूर्व मंत्री ने टेलीविजन पर बयान दिया हालांकि वह इसके पात्र नहीं थे। उन्होंने पूर्व मंत्री के तौर पर दूरदर्शन के

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि वह इसके प्रति वचनबद्ध थे और अपना आश्वासन देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जाता तब तक वह मंत्री पद पर वापस नहीं जाएंगे।

उन्हें आज तक दोषमुक्त नहीं किया गया है। मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हुआ और ऐसी कौन सी बाध्यकारी परिस्थितियां थी जिनके कारण भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पुन: श्री जार्ज फर्नान्डीज को शामिल किया। आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह उनकी अन्तरात्मा पर है। उन्हें लोगों को बताना पड़ेगा *(व्यवधान)* मैंने आपकी बात में विघ्न नहीं डाला है। कृपया आप भी विघ्न न डालें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज सरकारी मीडिया पर इस देश के लोगों को एक वचन दिया कि जब तक उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जाता तब तक वह कार्यग्रहण नहीं करेंगे। उन्हें शामिल क्यों किया गया? आज तक माननीय प्रधान मंत्री ने उत्तर नहीं दिया।

मुझे विश्वास है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का एक कारण है सभा के नेता को सभा में बुलाना था। जब प्रमुख मुद्दे आते हैं तो वह या तो अनुपास्थित रहते हैं अथवा चुप्पी साधे रहते हैं। इस बात के बारे में सभी वेपरवाह हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सभा ठीक ढंग से चले परन्तु सभा के नेता इसकी परवाह नहीं करते।

जब प्रमुख मुद्दे जनता के सामने आते हैं तो विपक्ष के साथ परामर्श नहीं किया जाता और हमें विश्वास में नहीं लिया जाता। क्या माननीय प्रधान मंत्री अथवा सत्ता पक्ष अथवा सबसे महत्वपूर्ण प्रवक्ता द्वारा एक भी उदाहरण दिया जा सकता है कि हमने उत्तर नहीं दिया? आज प्रवक्ता की वेशभूशा बहुत अच्छी है *(व्यवधान)* यह एक आकर्षक व्यक्ति हैं।

क्या कभी कोई स्पष्टीकरण दिया गया है? क्या कोई हमें यह कहकर चुनौती दे सकता है कि जब प्रधान मंत्री ने विपक्ष को पुकारा हो और हमने जवाब न दिया हो? क्या हमने सहयोग की भावना से कार्य नहीं किया? हमने हरेक निर्णय पर सरकार से सहयोग किया है। जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में हमने कहा था कि हम पुरजोर समर्थन करते हैं। हमने कहा था कि यह उनका काम है और हम रास्ते में नहीं आएंगे। यह देश की आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने का बहुत कठिन कार्य था। हमने कहा था कि भगवान के लिए ऐसा कीजिए और हम आपका समर्थन करेंगे। वे कार्यवाही रोकना चाहते थे। हमने कहा, "हां"। वे इसे करना चाहते थे और हमने कहा, "हां, ऐसा कीजिए।" सरकार आज यह नहीं कह सकती कि विपक्ष रास्ते में आया। हमने कभी ऐसा नहीं किया। चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रश्न अथवा कोई और प्रश्न हो, जब भी हमें बुलाया गया तो हमने अपना सहयोग दिया। जब पोटा के लिए बैठक बुलाई गई थी तो केवल एक मौके पर ही हमने विरोध किया था। मुझे याद नहीं है कि क्या इस पर चर्चा के दौरान माननीय प्रधान मंत्री वहां थे। संभवत: माननीय गृह मंत्री, माननीय उप प्रधान मंत्री ने चर्चा की अध्यक्षता की थी। उस मौके के अलावा हमने कभी भी आपत्ति नहीं की। परन्तु हम देखते हैं कि प्रमुख मुद्दों पर सरकार स्वयं निर्णय लेती है। जब हम कहते हैं तो माननीय मंत्री जी नहीं आते। माननीय अध्यक्ष महोदय मतभेद दूर करने का प्रयास करते हैं परन्तु कोर्ट जवाब नहीं आता। संभवत: आज हम खुश हैं किन्तु यह हमारे लिए एक सबक भी है कि यदि हम सभा के नेता को सभा में बुलाना चाहते हैं तो हमें उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

उप प्रधानमंत्री ने बनाई गई बहुत सी सड़कों और भवनों के बारे में बात की, लेकिन उन पर ड्राइव कौन करेगा? चाहे कोई कुछ भी कहे, नदियों को आपस में जोड़ा जाना भी अभी डिबास्वपन है। हमारे जीते जी कुछ नहीं किया जाना है। यहां कई युवा लोग हैं। शायद यह उनके जीवन में हो सकता है लेकिन मेरे जीवन काल में नहीं। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में बड़ी उन्नति की बात की। उन्होंने कहा था कि यह कुछ नहीं बल्कि नकारात्मकतावादी है। उन्होंने कहा था कि आतकवादियों को धन मुहैया कराये जाने को रोकने के लिए 'पोटा' आवश्यक है। मैं नहीं जनता कि श्री वैको कहां से धन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे एम०डी०एम०के० के मित्र कहां हैं? वे कहां हैं? डा० कृष्णन? *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : कृपया, अध्यक्ष को सम्बोधित करें *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रयोग, श्रमिकों, विरोधियों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किया गया है, इसका प्रयोग देश में हड़ताल को अवैध घोषित करने में किया गया है।

उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था, उसे लोकतंत्र की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी जिसके लिए उन्हें भुगतना पड़ा था, मुझे खुशी है कि उन्हें इसके लिए भुगतना पड़ा था। उन्हें लोगों ने अस्वीकार करना ही था। लेकिन, क्या हम आपको इसके लिए गले लगाएं।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : आपने हमें 1977 में गले नहीं लगाया था *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने आपको गले नहीं लगाया *(व्यवधान)* उस मामले में आपने ही हमें गले लगाया था।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह एक ही बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने एक दूसरे को गले नहीं लगाया लेकिन हमने उस सरकार का समर्थन किया जो लोकतंत्र को पुन: स्थापित करती, हमने ऐसा किया। महोदय, मुझे याद है, मैं किसी रहस्य का खुलासा नहीं कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : श्री ज्योतिबसु और श्री आडवाणी ने कोलकत्ता में श्री राजीव गांधी को हराने के लिए संयुक्त रूप से जनसभा को सम्बोधित किया था। उन्होंने हाथ मिलाए और कांग्रेस को हटाने की अपील की। सी०पी०आई०(एम) और बी०जे०पी० साथ-साथ खड़े थे *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : आज, आप कहां चले गए? आप अपना भूतकाल कैसे भूल गए? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं सभा को परेशान नहीं करना चाहती। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो मैं उत्तर दूंगी *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, हम दोनों ही श्री वी०पी० सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। लेकिन क्या आप अपने आप से नहीं पूछेंगे जब हम एक ही तरफ बैठे थे – कि हम उस विशेष सरकार का समर्थन क्यों कर रहे थे। जिसे यहां बनाया गया था? हम दोनों ने उस सरकार का समर्थन क्यों किया जब हम एक दूसरे के विरुद्ध थे? बात ऐसी थी कि वह तात्कालिक जरूरत थी। देश के लिए इतनी जरूरत थी।

क्या आपको आज महसूस नहीं होता कि आज हम एक दूसरे के विरुद्ध क्यों हैं? इसका कारण आपका एजेंडा है। श्री मल्होत्रा हमें बता सकते हैं कि सरकार का वास्तविक एजेंडा क्या है। मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या देश को धर्म के आधार पर बांटना उसका प्रमुख एजेंडा है। हाल ही में विभिन्न विधान सभाओं में ऐसा प्रदर्शित किया गया है।

गुजरात, जहां आपने निर्दोष लोगों के लाशों पर चुनाव लड़ा, उसे छोड़कर आप हर जगह हारे हैं। यदि आप लोगों के ऐसे अंतरंग मित्र हैं। तो लोग आपके इतने विरुद्ध क्यों हैं? जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भी सही निर्णय दिया है। बड़ी मुसकिल से आपको केवल एक ही सदस्य – एवमेव आदित्यिम – प्राप्त हुआ है, जम्मू में आपकी स्थिति यह है, आपको विभिन्न पार्टियों पर परजीवी रहना है और आप भी परजीवी चाहते हैं। यह इस देश का विनाश है।

मैं समझता हूं कि मुझे हमारे प्रतिष्ठित उप प्रधान मंत्री द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को उठाना चाहिए। समाप्त करने से पहले मैं घोषणा पत्र में प्रतिबद्धता के चार्टर को पढ़ता हूं। श्री खैरे इसमें एक पार्टी हैं। इसमें कहा गया है भारत को भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, बेरोजगारी हटाओ, लाभप्रद रोजगार द्वारा बड़ी वृद्धि, भूख विहीन भारत, सभी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी गांवों के लिए पेयजल, निरक्षरता का उन्मूलन, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और कक्षा 5 तक अनिवार्य शिक्षा, बाल श्रम का उन्मूलन, अद्यतन राष्ट्रीय, बाल चार्टर और व्यापक प्रशासनिक सुधार के बारे में कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी बात कर ली गई है। मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं कि हमें बताया जाए कि आपने अपना कौन सी वचनबद्धता पूरी कर ली है – जो कि लगभग दस कमाडैमेंटों की तरह था उससे कुछ अधिक है। स्थिति यह है। आप हमें मर्यादा पर व्याख्यान दे रहे हैं। आप हमें लोकतंत्र पर व्याख्यान दे रहे हैं। आप हमें देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर व्याख्यान दे रहे हैं। मजाक की सीमा होनी चाहिए। आप लोगों को झांसा दे रहे हैं। यही कारण है कि लोग बाहर तैयार बैठे हैं, वे चुनावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको वहीं भेज देंगे जहां आपको होना चाहिए।

इस देश की सुरक्षा की स्थिति के संबंध में मैं श्री आडवाणी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन यह सरकार अब तक इस देश के आतंकवाद को रोक पाने में सफल नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आप और कितना समय लेंगे?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आवंटित समय से थोड़ा अधिक समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : समय पहले ही अधिक हो गया है, आपके दल को 45 मिनट का समय दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी ने हिन्दी में भाषण शुरू किया, इसलिए उस समय को निकाल दिया जाए। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस टाइम को ऑमिट कर दिया जाएं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं टाइम एक्सटैंड करने के लिए तैयार हूं, यदि आप हिन्दी में बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप हिन्दी में बोलेंगे तो मैं आपको और टाइम दे सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं हिन्दी में अपनी बात समाप्त करूंगा। तब तक आप कृपया, मुझे बोलने ने दीजिए।

मैं श्री आडवाणी पर आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं जानता हूं उन्होंने सुरक्षा स्थिति को काबू में रखने के लिए प्रयास किया है। श्री स्वामी यहां बैठे हुए हैं, वह बहुत ही प्रिय मंत्री हैं; लेकिन मैं नहीं जानता कि गृह मंत्रालय में उनको कितनी शक्ति प्राप्त है। मेरे अच्छे मित्र श्री हरेन पाठक बुजुर्ग पेंशन भोगियों की सहायतार्थ कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह बहुत कठिन है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज तक आप आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पाये हैं। आपके पास आपने कुछ हद तक रोका है क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अनुकरणीय साहस प्रदर्शित किया है जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अनुकरणीय लगाव का प्रदर्शन किया है और मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को संवैधानिक अधिकार के प्रयोग का समय आया तो उनकी शानदार प्रतिक्रिया के लिए सलाम करता हूं, मैं बहुत खुश था। मुझे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों के साथ वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने वहां एक बैठक बुलाई और वहां बहुत सारे लोग आए। उन्होंने कहा कि आप हमें मोबाइल टेलीफोन दें।

वे मुख्यधारा में आपस आना चाहते हैं, सामान्य जीवन यापन करना चाहते हैं और जीवन के सामान्य व्यवसाय में जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास में भाग लेना चाहते हैं। तत्पश्चात् मैंने वहां से बी०एम०एन०एल० के माध्यम से श्री आडवाणी को मोबाइल टेलीफोनों के लिए उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए फैक्स भेजा। मैं श्री आडवाणी का शीघ्र जवाब देने के लिए आभारी हूं। ज्योंही मैं वापस आया मुझे उनका जवाब मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय ने इसे स्वीकृति दे दी है और यह रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी बात की आवश्यकता है। लेकिन आज तक स्थिति वैसी ही गंभीर है। हर एक को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा।

महोदय, भारत के पूर्वोत्तर भाग में भी ऐसी ही स्थिति व्याप्त है। 14 अगस्त को त्रिपुरा के **खोवाई** उप-मंडल में एक साथ दो हमले हुए जिसमें 13 महिलाओं समेत 30 निर्दोष लोग मारे गए और 5 महिलाओं सहित नौ लोग घायल हो गए। मैं मुख्य मंत्री के अनुरोध पर और उनकी तरफ से उनसे मिला था। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यहां आए थे और उप-प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वहां अर्ध सैनिक बलों को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने वहां सैन्य बलों की अपर्याप्त संख्या की ओर भी गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था। मैं समय की कमी को देखते हुए उन सभी मांगों को यहां नहीं पढ़ रहा हूं जो उन्होंने वहां रखी थीं। मैं श्री आडवाणी जी से पुरजोर आग्रह करता हूं और गृह मंत्रालय के दो माननीय मंत्री भी यहां उपस्थित हैं, कि कृपया राज्य में अर्धसैनिक बल को सुदृढ़ करने संबंधी उनके अनुरोधों पर विचार करें ताकि निर्दोष लोगों के जीवन को बचाया जा सके।

महोदय, पोटा के विषय में जो हमारी आशंका थी, वह सच साबित हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि पोटा के प्रस्थापन के कारण इस देश में आतंकवादी हमले की किस घटना को रोका जा सका है? कितने राजनीतिक कार्यकर्ता पकड़े गए हैं? कितने श्रमिक संगठनों के नेता पकड़े गए हैं? हम यह जान कर दंग रह गए कि एक राज्य, जिसका यहां के सत्ताधारी दल से अब नजदीकी संबंध है, वहां हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लागू किया है। उन्होंने लाखों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। हमें आशा थी कि भारत सरकार कम से कम श्री अटल बिहारी वाजपेयी उन लोगों के बारे में एक वाक्य तो कहेंगे, वे भारत के नागरिक हैं, जिन्हें एस्मा के तहत बर्खास्त कर दिया गया। हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। अब उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? श्रम मंत्री कहां हैं? क्या वह भाग गए हैं? किन्तु एक शब्द भी नहीं कहा गया है। क्या ऐसा करना सरकार के लिए शर्मनाक नहीं है यदि वे कहते हैं कि उनकी सरकार कानून की सरकार है, लोगों की नहीं? यदि ऐसा था तो इस सरकार को पोटा तथा एस्मा का इस देश के कामगार वर्ग के विरुद्ध दुरुपयोग की निन्दा करनी चाहिए। उनका इस सरकार में विश्वास कैसे होगा? श्री स्वामी, आप कैसे आशा करते हैं कि कामगार वर्ग आपका विश्वास करेगा?

महोदय, जहां तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है – विद्वान् न्यायाधीश के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, हमने कहा है, मैंने भी कहा था – यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, एक ऐसा निर्णय है जो केवल नियोक्ता के हितों की रक्षा करता है। निर्णय में कहा गया है कि उन्हें अधिकरण में जाना चाहिए। वे किस अधिकरण में जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, आपके पास विशद अनुभव है। अधिकरणों में कितने मुकदमे लम्बित हैं? यदि एक श्रमिक अधिकरण में जाता है तो उस मुकदमें के निर्णय में कितना समय लगता है? अधिकांश अधिकारणों

में प्रमुख का पद खाली है। वहां काम नहीं हो रहा है। कई वर्षों तक कामगार भूखे रहेंगे और उन्हें निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी किन्तु वे हड़ताल पर जाने के अपने लोकतांत्रिक और विधिसम्मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या हड़ताल रोजमर्रा की बात है? जब कामगार के पास अन्य कोई चारा नहीं बचता तब हड़ताल उनके हाथों में अन्तिम हथियार है। वह अधिकार छीना जा रहा है। यह सरकार इतनी डरपोक और संवेदना शून्य सरकार है कि यहां 11 मतों के लिए वे इसका विरोध नहीं कर रहे हैं और इस विषय में एक भी शब्द यहां नहीं कहा है। यह बेमानी बात है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, आप कितना समय लेंगे?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं पांच-दस मिनट और लूंगा।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, सरकारी रिकार्डों से ऐसा पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष बेरोजगारी के आंकड़े बढ रहे हैं। मेरे पास यहां ग्रामीण बेरोजगारी के आंकड़े हैं और आपकी अनुमति से मैं इसे यहां रखूंगा। मैं क्या कर सकता हूं; मेरे पास उन्हें पढ कर सुनाने का समय नहीं है। राजग सरकार ने सत्ता में आने के पांच वर्षों में से तीन वर्ष पांच प्रतिशत से भी कम की वृद्धि दर्ज की है। कृषि रोजगार देने में असफल रही है क्योंकि कृषि में कोई निवेश नहीं हुआ। रोजागर के आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार वृद्धि कम हुई है। 1987-88 में गिरावट 2.37 प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढ़कर 1993-94 से 1999-2000 की अवधि में 1.10 प्रतिशत हो गयी है। मुझे पता नहीं है कि क्या श्री अमिताभ बच्चन के पास ये आंकड़े थे जब उन्होंने वह लेख लिखा। श्री अरूण शौरी के लिए वह अनुकूल होता।

डा० नीतीश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : ऐसा केवल संगठित क्षेत्र में है, असंगठित क्षेत्र के विषय में क्या है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : बेरोजगारी असीमित है।

[हिन्दी]

वैस्ट बंगाल को छोड़ दो, वैस्ट बंगाल को छोड़कर इनके दिमाग में कुछ नहीं है, क्या करेंगे।

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे कम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारा सब कुछ खराब है। यहां शांति के लिए, मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ खराब है। किन्तु आप कुछ क्यों नहीं करते? क्या अनुपलब्धि के लिए आप कांग्रेस से प्रेरित है? क्या बेरोजगारी के लिए आप हमसे प्रेरित हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? कृपया अधीर मत होइए। सब जगह प्रत्येक क्षेत्र के लिए आंकड़े बताने के लिए हैं कि इस सरकार की उपलब्धि शून्य है।

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, माननीया विपक्ष की नेत्री ने उल्लेख किया है। मुझे शीघ्रता से बात कहनी है। उन्होंने हमें पेट्रोल पंप घोटाला तथा गैस एजेंसियों के बारे में याद दिलाया। कृपया याद कीजिए, मैं आपको याद दिला दूं कि प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी – अपने कमरे से ही उन्होंने बाहर आकर इसकी घोषणा नहीं की थी कि – इन लाइसेंसों को रद्द किया जाएगा। हमने शीघ्र ही सभा में कहा था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है क्योंकि वह रद्द करने का सही तरीका नहीं है। वे जाएंगे और स्थगन आदेश ले लेंगे। ठीक वही हुआ। तब से क्या हुआ है, श्री मल्होत्रा और श्री स्वामी? वे अब भी इसका आनन्द उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मल्होत्रा जी तो पक्ष में थे। आप कैसे घोटाले के मामले में बोल रहे हैं। लेकिन यह बाकायदा पेशबंदी थी कि इस तरह से कौंसिल करो और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लो। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : तब पी०ए०सी० में आपके मैम्बर्स थे, कांग्रेस के जमाने में जो मिले थे उनका ऑक्शन कर दो।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, श्री मल्होत्रा, इसीलिए आपने कालाकोट पहना है। *(व्यवधान)*

मैं सोचता हूं कि भविष्य में एक वकील के रूप में जब मैं संसद सदस्य नहीं रह जाऊंगा, जैसा अब बहुत जल्द होने वाला है, वो मेरे प्रतिद्वंद्वी होंगे। किन्तु मुझे लगता है कि यह मखमली कोट है काला कोट नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : एक मखमली कोट जो अमरीकी तरीके का है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या गलत तरीके से प्राप्त लाभों का वो मजा उठा रहे हैं या नहीं? प्रधानमंत्री ने सोचा कि ये अनुचित आबंटन थे। मैं विनम्र व्यक्ति हूं; किन्तु प्रधानमंत्री ने सोचा कि वो आबंटन अनुचित थे। किन्तु वो आबंटी अब भी उन आबंटनों का मजा उठा रहे हैं।

तहलका प्रकरण न केवल रक्षा भ्रष्टाचार बल्कि मीडिया हाउस के विनाश का भी ज्वलंत उदाहरण है। इस देश में इसके साथ कैसे

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

निपटा गया है। यहां श्री आर०वी० पंडित के दूसरे विचार थे। वह यहां नहीं हैं। मेरे विचार से वह यहां कभी नहीं आ सकते हैं। सरकार ने उनकी रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह उल्लेख हैं यदि पी०ए०सी० रिपोर्ट सच है, सरकार सोचती है कि इस बार लोग इसे भूल जाएंगे।

मैं महिला आरक्षण विधेयक की बात करूंगा। कृपया मुझे कुछ मिनट का समय दीजिए। मैं शीघ्र ही अपनी बात पूरी करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपने लगभग एक घंटे का समय ले लिया है। आप समय की मजबूरी को समझ सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सब साथ हैं। आप हमें दलवार समय दे रहे हैं। उप-प्रधानमंत्री उनके प्रथम वक्ता थे, जिसका समापन *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज हमारे सभी सदस्य पूर्णत: शांत रहे हैं।

महिला आरक्षण विधेयक पर, मैं अपनी मित्र श्रीमती सुषमा स्वराज, जो बहुत स्नेहपूर्ण और सक्षम हैं, से जानना चाहता हूं कि उस विधेयक का क्या हुआ।

मैंने उन्हें थोड़े गुस्से में पाया। हो सकता है किसी बात से थोड़ी देर बाद भड़क जाने के बाद उन्हें गुस्सा आया हो, यह मुझे पता नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक ही एकमात्र ऐसा विधेयक है जिस पर आम सहमति के लिए इतना अधिक प्रयास किया जा रहा है। कौन सा विधेयक आम सहमति होने के बाद ही यहां लाया गया है यह यहां पुर:स्थापित हुआ है? यह सरकार आम सहमति के बारे में इतनी चिन्तित है कि यह इस कठोर अधिनियम को पारित कराने के लिए हम सबको केन्द्रीय कक्ष में ले आई। आम सहमति में इनका इतना विश्वास है। श्री पी०एम० सईद के केन्द्रीय कक्ष में उसकी अध्यक्षता की। आपको ऐसी बदनामी हुई।

शिक्षा का भगवाकरण बनाए रखा गया है। पूरी प्रणाली को सांप्रदायिक बनाया जा चुका है। और फिर यह अयोध्या का मुद्दा है। चुनाव के पहले अचानक गो-वध एक मुद्दा बन गया है। यह भावनाओं को भड़काने का बड़ा आसान माध्यम है। फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा है। माननीय मुख्य न्यायाधीश की उस अलग ढंग से की गई टिप्पणी जो उस मामले से संबद्ध नहीं थी, को अब उठाया जा रहा है। यह सरकार उच्चतम न्यायालय का इतना अधिक सम्मान दे रही है क्योंकि एक विद्वान न्यायाधीश ने एक अलग ढंग से दी गई टिप्पणी में यह कह दिया है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मल्होत्रा जी, क्या यह बात आपकी पार्टी के अनुकूल है? एक बार आप इसे उठाएंगे तो इन सब सहयोगियों की आपत्तियां जाती रहेगी। उन्हें सत्ता का मजा चुनाव होने तक उठाना है। और फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर हमला किया जा रहा है। इसे तथा निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति को अपमानित किया जा रहा है। सी०बी०आई० का दुरुपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना अधिक समय लग गया है जबकि मैंने इनके कुकृत्यों के लानगी मात्र ही बतायी है। यदि मुझे इन सब बातों को पूरा बताना पड़े तो लगभग दो या तीन घंटे लगेंगे। मुझे आपके निर्णय के अनुसार चलना है। मेरा कहना है कि ये सभी मुद्दे सरकार की पूर्ण अकार्यविलियत को दर्शाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कुछ अच्छे लोगों को भी वहां बैठा देखता हूं। वे वहां क्यों हैं? दूसरे बेंच पर कोई बैठा है। मैं नहीं जानता वह वहां क्यों बैठे हैं। कुछ लोग हैं। मेरे अच्छे-मित्र अर्जुन भी हैं। आप वहां क्यों हैं? आपको क्या मिल हरा है? आप अपनी छवि को खराब कर रहे हैं। बाहर आ जाइए। आपको लोगों के साथ होना चाहिए। लोगों ने इस सरकार की तिलांजलि दे दी है। मैं, सत्यनिष्ठा के हित में, इस देश के लोकतांत्रिक राजनीति के हित में, धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के हित में, जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, यह मांग करता हूं कि इस सरकार को पूरी तरह से बाहर निकालने का समय आ गया है। इस देश में लोगों की सरकार बनायी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नो-कॉन्फीडेंस मोशन पर बोलने का टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। जिन माननीय सदस्यों ने नो-कॉन्फीडेंस मोशन पर हो रही डिबेट में भाग लिया है या जो लेंगे, उन सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।

महोदय, यह एक परम्परा है कि जब रूलिंग पार्टी काफी काम करती है और अपोजीशन चूंकि हमारी पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी का एक पिलर है इसलिए अपोजीशन यदि चाहे, तो सरकार के खिलाफ नो-कॉन्फीडेंस मोशन लाए अथवा एडजॉर्नमेंट मोशन लाए, इसका उसे हक है। वह इन दोनों में से किसी भी प्रकार का मोशन ला सकती है।

मैं एक बात तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहना चाहती हूं।

[अनुवाद]

मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहना चाहूंगी कि हम अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि

जहां कहीं कोई अभियान नहीं होता है, जहां कहीं कोई 'विजन' नहीं होता है या जहां कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है या जहां कहीं शैथिल्य ही होता है हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक रहती है। हमने इतनी सरकारें देखी हैं। श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने मुझसे कहा कि मैं भी कांग्रेस दल में थी। हां, वस्तुत: मैं कांग्रेस पार्टी में थी। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र कांग्रेस का घोषणा पत्र है। आपको यह जानकर खुशी होगी। अब भी मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस परिवार की सदस्या हूं किन्तु उस तरफ के कांग्रेस परिवार की नहीं। हमारी कांग्रेस भिन्न है। यह तृणमूल कांग्रेस है। हम लोग भाकपा (मा) वालों के विरोधी हैं। आपको यह मानना पड़ेगा *(व्यवधान)* मैंने उन सब लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुनी है। मेरे विचार से उन्हें मुझे बाधित नहीं करना चाहिए। यदि वे मुझे बाधित करते हैं तो उन्हें अपने समय में से मुझे समय देना होगा *(व्यवधान)* महोदय, आपसे मेरा यही अनुरोध है।

महोदय, श्रीमती आल्वा की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संबंध भाकपा (मा) के साथ अमैत्रीपूर्ण थे। *(व्यवधान)* जब इसे इतने सारे कार्यकर्त्ता मारे गए और सताए गए तो हम उनके साथ कैसे चलते? हम भाकपा (मा) के साथ कैसे तालमेल बिठाएं? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारी राजनीतिक मजबूरियां हैं। हम उनके साथ नहीं चल सकते हैं। अब, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी यह समस्या है *(व्यवधान)* हमारी यह मूल समस्या है। मैं श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा का बहुत सम्मान करती हूं क्योंकि मैंने उनके अधीन काम किया है। इसीलिए जब उन्होंने मुझे स्पष्टीकरण देने को कहा, मैंने यह स्पष्टीकरण दिया है।

हम इस सरकार का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि श्री नरसिम्हा राव के समय के बाद अन्य सरकारें लम्बे समय तक कैसे नहीं चल पायी। श्री राजीव गांधी के निधन के बाद भी ऐसा ही हुआ। स्व० श्री राजीव गांधी के प्रति मेरे दिल में आज भी, बड़ा सम्मान है और यह हमेशा बना रहेगा। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय मैं युवा मामलों की राज्य मंत्री बनी। मैंने एक साल पांच महीने तक काम किया। उस समय कोई बहुमत नहीं था। सी०पी०आई०(एम) ने चुपचाप उनकी मदद की। हम उस समय इतने बेवकूफ थे क्योंकि हम इतने परिपक्व नहीं थे *(व्यवधान)* हमें बातें समझ में नहीं आयीं। कांग्रेस के साथ भाकपा(मा) की साझेदारी थी। इसी कारण से मैंने इस्तीफा दिया था। तब हमने साथ काम किया था। जब श्री देवगौडा प्रधानमंत्री बने और जब श्री गुजराल प्रधान मंत्री बने तो हमने देखा कि दो या तीन वर्षों के भीतर दो या तीन सरकारें गिरायी गयीं। तेरह महीने के समय के बाद, केवल एक वोट की कमी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरायी गयी। उस समय हमने सोचा कि कोई विकल्प सामने आएगा। हम प्रतीक्षा करते चले गये। आज सुबह भी हमने देखा कि कुछ सदस्य एक विशेष मुद्दे पर सभा से उठकर चले गए। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं। अत: विपक्षी दलों में भी कोई एकता नहीं है। हां, हमारे गठबंधन में भी कुछ वैचारित मत वैभिन्न हैं। हां, हमारे घोषणा पत्र भिन्न-भिन्न है। कुछ मुद्दों पर हमारे विचार भिन्न-भिन्न हैं *(व्यवधान)* आजकल, लगभग प्रत्येक राज्य में एक पार्टी का शासन नहीं है। आजकल गठबंधन का प्रचलन है।

गठबंधन की राजनीति के मामले में, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अवश्य बधाई दूंगी क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के पांच वर्ष पूरे किए हैं। इस वर्ष भी उन्होंने लगातार छठे वर्ष लाल किला की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया है *(व्यवधान)* अत: मैं यह कहना चाहती हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश और लोगों को यह दिख दिया है कि यह पक्ष, सरकारी पक्ष राजग दल सक्षम और स्थिर है।

लेकिन दूसरा पक्ष, विपक्ष, पूरी तरह बंटा हुआ है। वह एक नेता को स्वीकार नहीं कर सकता। वह गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता को ऐसे ही नहीं चुन सकते। वह उस नेता का चयन ऐसे ही नहीं चुन सकते जिसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जो राष्ट्र का नेतृत्व कर सके। अभी तक ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आती। निकट भविष्य में भी यही स्थिति होगी। आगामी चुनाव के बाद भी उनका कोई गठबंधन नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। बहुरूपी-इन्द्रधनुष की तरह वह अपना रंग भी बदल सकते हैं। महोदया, जब तक आप मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के साथ हैं, हम आपके साथ नहीं आएंगे। कृपया इस पर बल मत दीजिए। हां, हमने अपने पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से तालमेल अवश्य किया। वर्ष 2001 में, हम किस प्रकार से वंचित हुए थे? हमें कैसे छेड़ दिया गया था? हमें कैसे धोखा दिया गया था? मैं आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में नहीं कह रही हूं? मैं राष्ट्र नेतृत्व की बात कर रही हूं। संयुक्त हस्ताक्षर के बाद भी, विपक्ष ने अनेक उम्मीदवार दिए। हमारे साथ बड़ा धोखा किया गया है। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। इसलिए, हमें इस सभी में सुधार जरूर करना चाहिए।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : आप हमसे संबद्ध क्यों होते हो? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आपको हर प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप केवल अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए। उन्हें बोलने दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : पहले स्वयं उसका अच्छा व्यवहार होना आवश्यक है। मैं उन्हें उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए नहीं बल्कि उनकी अन्य पृष्ठभूमि के लिए भी भली भांति जानती हूं। उन्हें मुझसे ये सारी बातें बताने की जिद नहीं करनी चाहिए। मैं यह नहीं चाहती।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा मत डालिए। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री अधीर चौधरी : मैं किसी बात में बाधा नहीं डाल रहा हूं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : जब आप मेरी अनुमति लिए बिना बोल रहे हैं, तो आप बाधा ही डाल रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस बार मैंने सोचा कि जब गुजरात के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। विपक्ष सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता था। लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। उस समय, विपक्ष नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव लाया। जब अयोध्या मुद्दा आया तो तब भी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। ऐसा केवल लोगों को नरम हिन्दुत्व और कभी-कभी धर्मनिरपेक्षता दिखाने के लिए किया गया। उस समय विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। चार वर्षों बाद अब ऐसा क्या हुआ है कि विपक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव लाया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विपक्ष के चार राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह सब कुछ कर रहे हैं। और इसीलिए वह सरकार को सटीक उत्तर देना चाहते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज कोई आरोप नहीं हैं जो विपक्ष ने सरकार पर लगाए हैं। कुछ नया नहीं है। हम प्रतिदिन गुजरात के संबंध में चर्चा करते हैं। गुजरात पर अनेकों बार चर्चा की जा चुकी है। क्या हम सराहना की आवश्यकता होने पर भी सराहना नहीं कर सकते? सुपर साइक्लोनल उड़ीसा के लिए आपदा थी, और वाजपेयी जी के नेतृत्व में उड़ीसा की हर तरह से सहायता की गई थी। सरकार गुजरात के भूकंप जैसी बड़ी आपदा की तरह सभी स्थितियों से और आंध्र प्रदेश में बाढ़ और अन्य क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से भी निपटी। निसंदेह, कोई हर किसी को खुश नहीं कर सकता और सरकार को जो करना है और जो उनको पसंद हैं उन पर भी कुद प्रतिबंध होते हैं। विपक्ष में कोई कभी हो वह सरकार की सोच का विरोध करेगा और सत्ता पक्ष में कोई भी हो वह विपक्ष की सोच का विरोध करेगा। महोदय, क्या मैं अपने प्रधान मंत्री और उसकी सरकार को सड़क क्रांति के लिए बधाई नहीं दे सकती? उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कोरिडोर के लिए 54,000 करोड़ रु० दिए हैं। मैंने अपने राज्य में भी देखा है। दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। पहले भी हमने हरित क्रांति देखी है; पहले भी हमने दूरसंचार क्रांति देखी है। लोग वाजपेयी जी को उनकी सड़क क्रांति और उनकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अंत्योदय योजना और अनेक अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए याद करेंगे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अनुमति नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रख सकती है।

कुमारी ममता बनर्जी : आप मुझसे भौगोलिक सीमा पूछ सकते हैं। मैंने अपने राज्य सहित उन सभी राज्यों का दौरा किया है। यदि आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको सभी सड़कों के नाम बता सकती हूं। आप मुझे इस सभा में चुनौती दे सकते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं। आप मुझसे मेरे राज्य की किसी भी सड़क के बारे में पूछ सकते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, यहां कोई प्रश्नोत्तर सत्र नहीं चल रहा है। आप केवल अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में सोनारपुर नामक विधानसभा खंड है। यह अनुसूचित जाति क्षेत्र है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक बार वहां से चुनाव लड़ा था। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं सच कह रही हूं या नहीं। यह एक ग्रामीण क्षेत्र हैं। मैं उस क्षेत्र से भली भांति परिचित हूं क्योंकि मैं अपने संसदीय क्षेत्र के हर जिले, हर मोहल्ले और हर ब्लाक का दौरा करती हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हर गांव का भी।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या आपने अपने संसदीय क्षेत्र में सभी गांवों का दौरा किया? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वाजपेयी जी के ऊपर हम लोगों को इसलिए कांफीडेंस है क्योंकि उन्होंने पांच साल तक कोलिएशन सरकार चलाई जिसकी देश को जरूरत थी। हम पिछले तीन-चार बार से देख रहे हैं कि हर साल इलैक्शन होता है। अगर कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं रहती तो कंट्री का कोई काम नहीं होता। इसी कारण क्रास बार्डर टेरोरिज्म इतना बढ़ गया। मैं कहना चाहती हूं कि डिफेंस डील के मामले में आवाज आज ही नहीं बल्कि पहले भी उठती रही है। मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर खुद अपनी बात यहां रखेंगे। एक बात साफ है

[अनुवाद]

महोदय, सोनिया जी ने भी कहा – मैं इसकी सराहना करती हूं – कि हमें अपने जवानों पर गर्व है। हर किसी को अपने जवानों पर गर्व है।

[हिन्दी]

यह बोलना बहुत आसान है कि हमारे जवानों को जो इक्विपमेंट मिलना चाहिए था, उसे हम नहीं दे पाये, मैं भी पूछना चाहती हूं कि उन्हें हम क्यों नहीं दे पायें। लेकिन हमें यह भी देखना है कि अगर हर रोज डिफेंस डील के बारे में पूछेंगे, डिफेंस के बारे में कुछ क्वैश्चन्स हो सकते हैं, मैं कह रही हूं कि सब ठीक है। लेकिन एक तरीका होना चाहिए। जब कंट्री की सीक्रेसी है। विपक्षी दलों के सभी अग्रणी होते उनके कक्ष में जाकर स्वयं देख सकते हैं कि इस संबंध में वहां पर सरकार के पास उपलब्ध फाइलों में क्या है। हम बाहर ऐसी बात करते हैं तो जो हमारी ऐनिमी कंट्रीज हैं, वे हमें वाच करती हैं। इससे हमारे डिफेंस के जवानों का मोरल डाऊन होता है। इस बारे में क्या हम लोगों ने कभी सोचा है? आप लोग कोफिन की बात करते हैं। अगर कोफीन में कुछ घोटाला हुआ है तो आप उसे इन्वेस्टीगेट कीजिए। आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं लेकिन यह बात नहीं है। *(व्यवधान)* मुझे यहां सभी राजनीतिक राजनेताओं में विश्वास है। हम कोफिन की बात करते हैं लेकिन जब जिंदा आदमी जाते हैं और सोकर कोफिन में आते हैं, उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। यह देखकर मुझे दुख होता है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : उस समय, आपने त्यागपत्र क्यों दे दिया? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांडोकर (सेरमपुर) : हम आपके लीडर को भी बोलने नहीं देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय क्या मैं कुछ बोलूं? *(व्यवधान)* क्या मैं उन 34 मामलों के बारे में कुछ बोलू। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम लोग 14 अगस्त को फ्रीडम मिड नाइट शाम छः बजे से लेकर बारह बजे तक मनाते हैं। मैं 14 अगस्त को फ्रीडम मिट नाइट प्रोग्राम में गई हुई थी तो मुझे खबर मिली कि नौ कांफीडेंस मोशन आ रहा है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे धक्का लगा। यह क्या टाइमिंग है? 15 अगस्त हमारा इंडीपेंडैंस डे है तो

[अनुवाद]

14 अगस्त देश के लोगों यह संदेश देने का उचित समय नहीं है कि हम सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। संदेश का समय गलत है।

महोदय, मैं बाइबल से केवल दो पंक्तियों का उद्धरण देना चाहूंगी।

''सबके लिए समय होता है'' यह एक पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है :

''युद्ध का समय होता है और शांति का समय होता है।''

[हिन्दी]

अगर आप मैसेज देना चाहते हैं, हम व्हिप जारी करते हैं, क्रास बार्डर टैरोरिज्म, पार्लियामैंट में अटैक हुआ, कंधार कांड हुआ, अमरीकन सैंटर पर अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर असैम्बली में अटैक हुआ, सिविलियन्स को मारा जाता है, क्या यही मैसेज है।

कफन में व्यक्ति की बॉडी होती है। जब हम यहां होली खेलते हैं तब हमारे जवान गोली से खेलते हैं।

जब घायल हुआ हिमालय
खतरे में पड़ी आजादी
जब तक थी सांस लड़े वो
फिर अपनी लाश बिछा दी
जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी।

आजादी के पहले दिन हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। नौ कान्फीडैंस मोशन जिस समय लाया गया है, उसे हम सपोर्ट नहीं करते क्योंकि यह उचित समय नहीं है। अभी कोएलिशन पोलीटिक्स चलेगी। 45 साल तक एक पार्टी का राज रहा। लेकिन अब जो भी प्रधान मंत्री बनेगा, जो भी सरकार आएगी, उसमें वन पार्टी रूल नहीं चलेगा, उसमें बहुत सारी पार्टियां होंगी, जैसे अभी वाजपेयी जी 24 पार्टियों के लीडर हैं। इस तरफ देखा जाए, क्या दो पार्टियों का लीडर भी कोई आया है? ये लोग सोनिया जी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। अगर मानते हैं तो बोलें कि हम सोनिया जी को लीडर मानते हैं। *(व्यवधान)* मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को नहीं बता रही हूं। मैं यह मैं अन्य मित्रों को बता रही हूं। हमारा एन०डी०ए० का गठबंधन है। जब भी वाजपेयी जी के खिलाफ नो कान्फीडैंस मोशन आया, मैंने देखा है कि वाजपेयी जी और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। आज भी

[कुमारी ममता बनर्जी]

नो कान्फीडैंस मोशन के बाद एन०डी०ए० और सॉलिड हो जाएगा और आने वाले चुनाव में श्री चटर्जी संख्याओं का खेल होगा और कुछ नहीं *(व्यवधान)* राजग सरकार सत्ता में आएंगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। आप यह सब बातें भूल गए।

आपने आर्थिक समस्या का उल्लेख किया गैट ऐग्रीमैंट किसके द्वारा किया गया? यहां कुछ समस्याएं हैं। मैं इसकी सराहना करती हूं। किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारे किसान पहले बंगलादेश में चावल, सब्जी आदि ले जाते थे लेकिन अब उनको यह मौका नहीं मिलता। अन्य कुछ देश है जो हमारे बाजारों पर कब्जा करना चाहते हैं मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती। हमारे देश के व्यक्ति कहां जाएंगे? वे यदि मुझे ठीक से याद हैं, तो प्रणव मुखर्जी संबद्ध मंत्री थे। होमवर्क न करने की वजह से 18 तारीख को डब्ल्यू०टी०ओ० के मंत्री को बुलाया गया है। मैं यह जिक्र करना चाहती हूं कि विशेष रूप से दवाइयां बहुत महंगी हो गई हैं। आज हमारे पास किसानों का ईशू है, अनइम्प्लायमैंट ईशू है और इनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि जे एंड के को सब ऐप्रोशिएट करते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आपको और कितना समय लगेगा?

कुमारी ममता बनर्जी : हमने एनडीए से समय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पन्द्रह मिनट हो गए हैं। आप और कितना समय लेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, इन्हें इनकी पार्टी के बजाए हम एनडीए से समय दे रहे हैं। इसलिए आप इनको बोलने दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : हमारी पार्टी से किसी ने नाम नहीं दिया, एनडीए ने हमारा नाम दिया है। यह हमारी अंडरस्टैंडिंग है।

सरकार की सबसे बड़ी ऐचीवमैंट है कोएलिशन गवर्नमैंट को पांच साल एक साथ रखना। दूसरी गवर्नमैंट की ऐचीवमैंट और चीजों में है। अभी ओपोजीशन के लोग भी ऐसा कुछ नहीं बोल पाए। जे एंड के में 1990 से 2001 हिंसा का एक दशक हुआ। 1990 जुलाई से 2001 तक अगर आप देखेंगे तो 13,326 केसेस उधर हुए। चाहे एक्सप्लोजन हो, चाहे कोई किलिंग्स का केस हो, 3148 पर्यटन मारे गए; 9319 नागरिक मारे गए 13468, नागरिक घायल हुए, पुलिस और सुरक्षा बल के 3053 जवान हताहत हुए; 4541 विस्फोट हुए; 3148 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमैंट ने फ्री एंड फेअर इलेक्शन कराया है। मैं सरकार को बधाई देता हूं और हम राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कश्मीर के लोगों को बधाई देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

ये अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हमें भी बेरोजगारी और विनिवेश पर अपने विचार रखने चाहिए क्योंकि हम मूलतः कार्य करने वाले वर्ग के पक्ष में हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि इकाइयों को बंद करने के बजाय उन्हें कंपनियों की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। उनके पास कोई उत्तरजीविता पैकेज होना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह बात कहना चाहूंगी कि राज्य सरकारें गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं क्योंकि कई राज्य सरकारों ने सभी संभव स्रोतों से धन उधार लिया हुआ है और अब ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वे और ऋण ले सकें। जहां तक राज्यों का संबंध है तो उनकी यही स्थिति है।

ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि अन्य चीजों की तरह जनसंख्या भी बढ़ रही है। हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। जहां तक जनसंख्या का संबंध है विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : अब हम सबसे बड़े हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं सरकारी आंकड़ों का उल्लेख कर रही हूं।

जनगणना वर्ष 1881 में शुरू हुई थी पहली फरवरी, 2001 की आधी रात तक भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी। चाइना में आप देखिए, फरवरी 2001 तक 127.76 करोड़ है। जहां तक जनसंख्या का संबंध है, पहले दस देश हैं; चीन, भारत, अमरीका, इंडोनेशीया, ब्राजील, पाकिस्तान, रूस, बांगलादेश, जापान और नाइजीरिया। कभी पोपुलशेन जिस तरह से बढ़ रही है, विश्व की कुल आबादी का 20 प्रतिशत भारत की आबादी है।

मैं दक्षिण भारत के लोगों को बधाई देती हूं क्योंकि उन्होंने कम से कम जनसंख्या को नियंत्रित किया है। लेकिन जहां तक पूर्वी भारत का संबंध है, जनसंख्या किसी भी अन्य चीज की तरह बढ़ रही है। मैं यहां किसी धार्मिक या किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं बोल रही हूं बल्कि मैं इस देश के नागरिक के रूप में बोल रही हूं। यदि हम उचित तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हमें इस संबंध में कुछ उपाय करना होगा। मैं महसूस करती हूं कि सरकार ने पहले ही जनसंख्या आयोग गठित किया है। उच्चतम न्यायालय ने

भी इस संबंध में कुछ निर्णय दिया है लेकिन यह एक अलग निर्णय है। मैं महसूस करती हूं कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। इसे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लेना पड़ेगा और कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी। अन्यथा, इतने सारे लोगों को संसाधन कौन मुहैया कराएगा? बहुत सारे लोगों को सुविधाएं देनी पड़ेंगी।

यहां, मैं यह कहना चाहूंगी कि एक-दूसरे को दोष देना हमारे लिए मददगार नहीं होगा, कुछ केन्द्र सरकार को दोष देते हैं और कुछ राज्य सरकार को दोष देते हैं। इस तरह से तो स्वाभाविक है कि वास्तविक समस्या का समाधान नहीं होगा।

[हिन्दी]

सोमनाथ दादा चले गए। उन्होंने कुछ प्वाइंट्स बोले हैं कि पावर के लिए हम लोग इधर हैं लेकिन यह बात सच नहीं है। हम लोग केन्द्र में पावर में नहीं हैं और स्टेट में भी नहीं हैं, लेकिन हम लोग खुश हैं। आप तो 26 साल से पावर में हैं। पावर में रहकर भी आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होने देते।

[अनुवाद]

मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी – प्रायोजित दल के अंतर्गत गुजरात से मेरे राज्य में एक कुतुबुद्दीन नामक व्यक्ति आया। मुझे इसको खुशी है। मानव मूल्यों के कारण हम सभी 'कुतुबुद्दीनों का स्वागत करते हैं। मेरे राज्य में एक लाख से भी ज्यादा अल्पसंख्यक हैं जो प्रतिदिन उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। यदि हम उन्हें आश्रय लेने के लिए दिल्ली आने के लिए कहें तो क्या संसद उन्हें आश्रय देगा? इसी तरह की स्थिति कलूर में हमारे लड़कों के साथ हुई। जहां तक कि मुसलमानों की हत्या की गई। उनका अपहरण किया जा रहा है; और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। प्रतिदिन गवाह न्यायालय में जाने में असमर्थ हैं। ये चीजें, गर्भवती महिला, हाजी साहिब और अन्य लोगों सहित सबके साथ हो रही हैं (व्यवधान) केन्द्र सरकार को उनका अवश्य ख्याल रखना चाहिए।

अल्पसंख्यक केन्द्रीय विषय है। यह राज्य का विषय नहीं है। महोदय, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों महिलाओं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि आप बलात्कार के उपरान्त 17 दिनों तक चिकित्सीय जांच के लिए नहीं जाते हैं तो क्या आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी? साक्ष्य का क्या होगा? क्या आप साक्ष्य को दबाना चाहते हैं? धन ताला में कई महिलाओं का बलात्कार हुआ। हम कानून जानते हं। मैं महिलाओं की मंत्री भी थी। मैंने एक साल 5 महीने काम किया। 72 घंटों के भीतर आपको चिकित्सा जांच करवानी है, अन्यथा कोई साक्ष्य नहीं बचेगा। 17 दिनों बाद राष्ट्रीय आयोग धन ताला गया।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल गया, माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी कहां चले गए जब वह मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे थे; जब वह बेस्ट बेकरी की बात कर रहे थे? उस समय वह क्या कर रहे थे। जब उसी तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही थीं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभी बैठ जाएं। सभी से बैठने का अनुरोध कर रहा हूं। अब किसी को व्यवधान डालने की अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाएं।

श्री किरीट सोमैया : अब वे मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल जाइए। उन्होंने वहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : श्री सोमनाथ चटर्जी के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक दिन में ग्यारह अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई। क्या वह इससे इन्कार करेंगे? ग्यारह मुसलमानों की एक दिन में ही नृशंस हत्या कर दी गई थी। क्या होने जा रहा है? क्या वह राज्य का विषय है (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : (व्यवधान) महोदय, आप उनका व्यवहार देखिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुमारी ममता बनर्जी के भाषण के अलावा कुछ कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। कुमारी ममता बनर्जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, बस कृपया आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : माननीय सदस्य, इस तरह से न चिल्लाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : जब सोमनाथ जी एक घंटा बोले, तो इधर से किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, पिन ड्राप साइलेंस था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : यह बहुत तर्कसंगत है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या तर्कसंगत है, क्या नहीं, इसका निर्णय मुझे करना है। यदि प्रत्येक सदस्य इसका निर्णय करने लगेगा तो यह बहुत कठिन स्थिति हो जाएगी। कृपया अब बैठिए।

कुमारी ममता बनर्जी : अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार केन्द्रीय सूची में आते हैं और केन्द्र सरकार ही उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। इसलिए, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, आपका समय समाप्त हुआ।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वे मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा कही किए गए एक बात की प्रशंसा करती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, अभी-अभी मैंने कामगारों के बारे में श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण सुना और उसकी मैं प्रशंसा करती हूं। मैंने प्रधान मंत्री को भी यह कहते हुए पत्र लिखा है कि यह निर्णय नहीं है, बल्कि टिप्पणी है। लेकिन यह टिप्पणी मौलिक अधिकार के बारे में है। इसलिए, केन्द्र सरकार को इस मामले को उचित मंच गंभीरता से उठाना है ताकि इसका समाधान किया जा सके। लेकिन, महोदय, जब हम कुछ बात करते हैं, हमें अच्छी चीजें करनी हैं और हमें एक स्वर में सही बात कहनी है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं पश्चिम बंगाल सरकार की एक अधिसूचना को उद्धृत करना चाहती हूं। यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के काफी पहले अर्थात 31 दिसंबर, 2001 की है। इसकी संख्या 453/होम (कान्स)/आर०आई०एम०(कान)/942001 है। इसमें कहा गया है :

> "राज्य सरकार यह देखकर अत्यंत चिंतित है कि किसी सामान्य या थोथे आधार पर विरोध दर्ज करने, सड़क जाम करने, रेल पटरियों को जाम करने आदि की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि बच्चों, रोगियों, को काफी असुविधा हो रही है वाहन यातायात और रेल परिचालन में ऐसे अवरोध पैदा करने से आम लोगों की बड़ी संख्या के जनतांत्रिक और मानवाधिकारों का अतिक्रमण है। "

इसमें आगे कहा गया है :

"इसके साथ भारतीय दंड संहिता की तर्कसंगत धाराओं और प्रावधानों, मोटर वाहन अधिनियम कलकत्ता उपनगरीय पुलिस अधिनियम, पश्चिम बंगाल राजमार्ग अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून अथवा अधिनस्थ विधान अथवा आदेश के अंतर्गत कड़ाई से निपटना चाहिए।"

महोदय कभी-कभी आंदोलन होता है। यदि (व्यवधान) कोई समर्थन नहीं करता है (व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय वे इसी तरह के आंदोलनों से आये हैं (व्यवधान) ये लोग इन्हीं आंदोलनों की उपज हैं – सड़क जाम रेल रोको (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय यदि उन्हें सभापटल पर कुछ रखना है, तो वे रख सकती हैं (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह क्या है? (व्यवधान) महोदय, मैं परिपत्र पढ़ रहा हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वे कह रही हैं, उसमें अपराध क्या है?

वे पश्चिम बंगाल सरकार के परिपत्र से उद्धरण दे रही हैं। यदि वह अधिसूचना गलत है, तो आप मुझसे कह सकते हैं। लेकिन आप उनकी बात में व्यवधान क्यों डालना चाहते हैं? कृपया बैठ जाइए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मुझे एक बात कहनी है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हम यहां पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव है जो केन्द्र सरकार के विरूद्ध लाया गया है (व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : वे किस अधिकार से यह कह रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है। कृपया बैठ जाइए। कुमारी ममता बनर्जी आप कितना समय लेंगीं? कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहती। वे मुझे बाधित कर रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण समाप्त कर रही हैं। कृपया बैठ जाइए। कृपया और समय खराब न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? हम हर सदस्य से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, जब अध्यक्ष खड़े हों, आपको जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी, जो मुद्दा आप उठाने की कोशिश कर रही हैं, उसे उठाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आज की चर्चा में ये सब बातें आयेंगी ही, लेकिन हमारे पास सीमित समय है। अत: मैं आपसे बात समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि कई और सदस्य बोलना चाहते हैं।

मैं यह इसलिये कह रही हूं क्योंकि हम इस तरह के रेल रोको या सड़क रोको आंदोलन के पक्ष में नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई उन्हें बाधित न करे।

कुमारी ममता बनर्जी : हम इसे पसन्द नहीं करते। जब कोई घटना होती है, तो कभी-कभी यह जन आंदोलन होता है, और लोग आगे आ जाते हैं। इसीलिए दो वर्ष पहले जारी किये गये इस परिपत्र का आशय लोगों को तीन वर्ष के लिये जेल भेजना है। आपको तीन वर्ष के लिये जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि दोहरा मानदंड मत अपनाइये; पाखंडी मत बनिये'' जो भी आप कहें वह एक स्वर में होना चाहिये। अलग-अलग दो बात नहीं होनी चाहिये *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : पाखंडी कौन है?

कुमारी ममता बनर्जी : यह क्या है? *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ : पश्चिम बंगाल के लोग उनके दोहरे मानदण्ड को समझ गये हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अगर इतना गुस्सा है, तो पहले हमारी बातों को सुनना था। आप जब पहले बोले, तो हमने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग खत्म हो गये। जब खत्म हो गये हैं, तो आप चिल्लाते क्यों है। आप इस बात को बोलकर गए हैं। पी०ए०सी० रिपोर्ट के बारे में आप अपनी बात कह सकते हैं।

[अनुवाद]

यदि मैं आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिखाऊं, तो पता लगेगा कि ग्रामीण विकास की अधिकतम धनराशि का दुरूपयोग हो रहा है। कैग ने रिपोर्ट दी है। लोक लेखा समिति की इस तरह की रिपोर्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को हिरासत में रखने हेतु यह अवैध अधिसूचना लाई गई है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। उन्हें बाधित मत कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार करीब 90 बिलियन डालर का है। हो सकता है कि दिन प्रति दिन इसमें कुछ अंतर आता हो। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर करीब 6.8 प्रतिशत है। कई विपरीत हालातों, अस्थिरता, करगिल युद्ध, भूकंप, महाचक्रवात और कई अन्य बातों के बावजूद स्थिरता बनी हुई है। हालांकि सरकार के सामने कठिनाइयां भी हैं। सभी राज्य सरकारें भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। लेकिन जैसा कि आप कैग रिपोर्ट और पी०ए०सी० रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं और अपने राज्य में भी मैंने पी०ए०सी० अध्यक्ष से पूछा। मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिये। उन्होंने कहा, ''मैं पेपर मांग रहा हूं लेकिन वे दे नहीं रहे हैं।'' अत: हर राज्य में पी०ए०सी० और कैग रिपोर्ट देते हैं और कुछ टिप्पणी करते हैं लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मेरे पास रिकार्ड है, यदि अध्यक्ष मुझे अनुमति देते हैं, तो मैं उन्हें सभापटल पर रखूंगी।*

साथ ही, वे गोवध पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। यह राजग के एजेण्डे में नहीं है। अयोध्या राजग के एजेण्डे में नहीं है। समान नागरिक संहिता भी राजग के ऐजेण्डे में नहीं है। इसीलिये मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा, ''आप कहां सफल हैं?'' राजग के एजेण्डे को लागू करने में हम सफल रहे। आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिये। इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ राजग के एजेण्डे में है, प्रधानमंत्री ने कहीं उसकी अनदेखी नहीं की। हम अपने नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करते हैं, और मैं उन्हें बधाई देती हूं। साथ ही मैं रवीन्द्रनाथ टैगौर की एक कविता को उद्धृत करना चाहती हूं। मैं लोकतंत्र की हत्या की बातों को आपके सामने रख रही हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। अन्यथा मैं हजारों उदाहरण दे सकती हूं। मुझे केवल यही कहना है। इन लोगों

*अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की, अत: दस्तावेज सभापटल पर रखा गया नहीं माना गया।

[कुमारी ममता बनर्जी]

विशेषकर इस ओर के लोगों को सद्बुद्धि आये। इस देश के लिये लड़ने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कई कवितायें लिखीं लेकिन इस कविता का हम सम्मान करते हैं और इससे हमें लगाव भी है:

कविता है :

"वेयर द माइन्ड इज विदाउट फीयर एंड द हैड इज हैल्ड हाई,
वेयर नोलेज इज फ्री, वेयर द वर्डस हैव कम आउट फ्राम द डैप्थ आफ ट्रूथ,
वेयर द वर्ल्ड हैज नाट बीन ब्रोकन अप इन टू फ्रैगमैन्ट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स,
वेयर द क्लीयर स्ट्रीम आफ रीजन हैज नाट लास्ट इट्स वे इन टू द ड्रैरी डैजर्ट सैन्ड आफ डैड हैबिट
वेयर द माइंड इज लैड फारवर्ड बाई दी इन टू एवर वाइडनिंग थाट एंड एक्शन, ओह माई फादर, लेट माई कन्ट्री अवेक।"

हम चाहते हैं कि हम एकजुट रहें। भारत बड़ी जनसंख्या वाला विशाल देश है। हमारा देश हमें प्रिय है। हम एक साथ रहकर साथ काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश का सम्मान ऊंचा रहे।

[हिन्दी]

मैं एक शेर सुनाना चाहती हूं।

"फानुस बन के जिन की हिफाजत हवा करे,
वह शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे।"

आप कभी रोशन नहीं होंगे, अधर में जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी आभारी हूं, एन०डी०ए० की आभारी हूं कि बोलने का ज्यादा वक्त दिया। साथ ही साथ मुझे विश्वास है कि यह अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से गिर जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। मुझ से पहले चन्द्रशेखर जी को बोलना था लेकिन उन्होंने मुझे पहले बोलने की इजाजत दे दी। मैं भाषण देने के बाद निश्चिन्त हो जाऊंगा और उसके बाद उनका भाषण अच्छी तरह से सुन सकूंगा। इसीलिए मैंने पहले बोलने की इजाजत मांगी और इन्होंने इजाजत दे दी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनायी गईं। मैं इससे पहले अपनी बात आगे बढाऊं, मैं आदरणीय सोमनाथ चटर्जी को उनके भाषण से ज्यादा इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार इस गम्भीर बहस में हिन्दी में अपने भाषण ही शुरूआत की और अच्छी हिन्दी बोली।

अध्यक्ष महोदय : मधुर हिन्दी बोली।

श्री मुलायम सिंह यादव : सोमनाथ जी मुझे जो कुछ पत्र इत्यादि लिखते हैं, वे हिन्दी में लिखते हैं जिन्हें मैं आपको दिखा सकता हूं। शायद आपको हिन्दी में नहीं लिखे होंगे लेकिन मुझे हिन्दी में लिखते हैं। मैंने दासमुंशी जी को वह दिखाया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कम से कम हमें आपका सहयोग प्राप्त है, आपके दल का भी सहयोग प्राप्त है, आपको समाजवादी पार्टी का सहयोग प्राप्त है और इसकी वजह से ही हिन्दी राजभाषा का इस सत्र में कुछ सम्मान हुआ है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सोमनाथ जी ने जो अच्छा भाषण दिया, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। उनका जो शेष भाषण अंग्रेजी में था, विदेशी भाषा में था, उसकी वजह से पूरे देश की जनता, जो उसे सुन रही थी, वह समझ नहीं पायी। इसलिए सोमनाथ जी द्वारा कही कुछ बातें यहां दोहरायी जा सकती हैं। वैसे मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा और जो आपने समय दिया, उसके अन्दर अपनी बात खत्म करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है दो-चार मिनट ज्यादा ले लूं, उसके लिए मुझे माफ करना।

लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे कमजोर, सबसे अक्षम और सबसे दिशाहीन यह सरकार है। भारत के शानदार इतिहास और महान परम्पराओं को इस सरकार ने मिटाया है। हमारे देश का सम्मान आजादी के बाद दो कारणों से ऊंचाइयों पर था और वह था लोकतांत्रिक और साम्प्रदायिक सद्भाव। इस सरकार ने उन दोनों पर हमला किया। यहां इस बात की बड़ी वकालत करते थे, लौह पुरुष प्रधान मंत्री जी *(व्यवधान)* मैं इस बात का जवाब दूंगा। आप क्यों बोलते हैं? आप बीच में टोक कर अच्छा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जितना टोकें, यह समय हमारा न माना जाए। यह 14 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाए लेकिन उससे सबक नहीं ले रहे हैं। आपको इससे सबक लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, उप-प्रधानमंत्री जी ने 500 अल-कायदा आतंकवादियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनमें एक भी भारतीय मुसलमान नहीं था। अगर हिन्दुस्तानी मुसलमान नहीं था तो उत्तर के समय माननीय प्रधानमंत्री जी बतायें कि ऐसे कितने हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं जिनके खिलाफ पोटा लगाया गया और ऐसे हिन्दू कितने हैं जिन्होंने पाकिस्तान या विदेशियों से संबंध रखा, देश को कमजोर किया – क्या उनके खिलाफ पोटा का इस्तेमाल किया गया? इसलिये मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक परम्पराओं और महान् परम्पराओं को खत्म किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने 40 साल तक विपक्ष में रहकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं, नैतिकताओं को मजबूत करने का प्रयास किया। मैं इस बारे में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन वे सही मायने में दिल से इस बात का चिन्तन करेंगे कि उनके पिछले चार वर्षों में लोकतांत्रिक परम्पराओं के बारे में जो विचार हैं, उनकी हत्या इस सरकार ने की है। यह बात मैं उन पर छोड़ता हूं। अगर वे इस विषय पर बहस करना चाहेंगे तो किसी और मौके पर मैं बहस करने के लिए तैयार हूं क्योंकि आज समय सीमित है। लेकिन किस तरह से पिछले चार साल के अंदर अपने विचारों की स्वयं ने हत्या की है और इस सरकार ने की है। वे बार-बार कहते हैं कि उन्होंने चार साल तक बड़ी तपस्या की है। यह सही है लेकिन उन्होंने जिस कूटनीति, विदेश नीति के बारे में तारीफ की है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी विदेश नीति कामयाब हुई है तो पड़ोसी देशों के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हुये हैं, पाकिस्तान की बात छोड़िये। क्या बांगला देश के लिये धन और जवानों की कुर्बानी नहीं दी गई थी, क्या आप बांगलादेश को अपने पक्ष में करके दोस्ती कर सके? हमारे जवानों की किस तरह से हत्या करके उन्हें जानवरों की तरह लकड़ियों पर टांगकर सीमा के अंदर फैंका गया? क्या बांगलादेश के साथ हमारे रिश्ते कायम हैं? क्या नेपाल जैसे राष्ट्र के साथ आपके रिश्ते कायम हैं? वहां माओवादी आतंकवाद फैला हुआ है। हिन्दुस्तान का दुनिया के छोटे-छोटे और कमजोर देशों के अंदर किस तरह सम्मान था, महान था। जब भी मानवाधिकारों पर आक्रमण होता था, उन्हें मिटाया जाता था, उन्हें बरबाद किया जाता था, हिन्दुस्तान राष्ट्र के मंच पर मजबूती के साथ उसका विरोध करता था। वह कभी नहीं मानता था कि किसी देश का यह आंतरिक मामला है। वह मानवाधिकारों की रक्षा करता था। क्या यह सही नहीं कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में माओवादी आतंकवादियों ने जो थोड़ा-बहुत लोकतंत्र था, उसे भी खत्म किया?

अपराह्न 4.39 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

मानवाधिकारों के बारे में क्या कहा गया, आपकी क्या नीति है? हमारे देश के बगल में एक छोटा सा राष्ट्र म्यांमार है जहां चुनी हुई महिला प्रधानमंत्री जेल में बंद है और आपका याराना वहां के शासकों से है जहां हमारा देश महान् परम्पराओं या लोकतांत्रिक संस्थाओं, विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति, और मानवाधिकारों के बारे में राष्ट्रीय मंच पर लड़ा करता था, क्या आपके द्वारा कुछ ऐसे काम करके देश को कलंकित नहीं किया गया? मैं फिर कहूंगा कि हमारे देश के लिये यह राष्ट्रीय कलंक की सरकार है। यह देश किसी देश में मानवाधिकारों के हनन के सवाल पर नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं कह सकता। हम जानते हैं और कहेंगे कि आपकी क्या मजबूरी है। जब हमने कहा तो प्रधानमंत्री जी धमकी देते हैं कि हम राज-पाठ छोड़ देंगे – क्या इस तरह की धमकी दी जायेगी? हम यह बात कहकर सरकार को चिढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन वह सही बात नहीं कह रहे हैं। उनकी उम्र का तकाजा है। वरना सारी बातें मैं कह सकता हूं। हम उनका आदर करते हैं लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जहां सरकार कहती है कि हमने आतंकवादियों के खिलाफ कामयाबी पायी है, सफलता पायी है, ठीक है प्रधान मंत्री जी के पास यह विभाग है, उप-प्रधानमंत्री, लौह पुरुष बतायें कि आज पूर्वोत्तर राज्यों का क्या हाल है? क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के नाम पर दिया जाने वाला पैसे से विदेशी हथियार खरीदकर वे हमारी देश की एकता को चुनौती दे रहे हैं? क्या आप कामयाब हुए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू-कश्मीर तक ही नहीं, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्से तथा झारखंड में क्या आज उग्रवाद नहीं फैल रहा है। क्या वहां हिंसा नहीं हो रही है। शांति कहां है। आप कहते हैं कि दो काम के लिए हम जनता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। आपने अभी से ऐलान कर दिया, क्या आप वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप देश की राजनीति कर रहे हैं। आपने कहा कि देश की सुरक्षा और देश का विकास हमारे दो मुद्दे हैं, आप बतायें आपने कहां पर देश की सुरक्षा की है। क्या आपने झारखंड को बरबाद नहीं किया। 1970 के पहले का विवाद छेड़कर आपने वहां जिन्होंने मकान, धंधे सब कुद स्थापित किये थे, उन्हें मार-मार कर आपने वहां कत्लेआम किया, आग लगाई गई, क्या यही शांति है। आगे आप और बंटवारा करेंगे। बंटवारे के नाम पर देश के जितने सूबों का आप बंटवारा करेंगे, वहां नई समस्याएं खड़ी कर देंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है। हमारा अनुभव है और हम आज भोग भी रहे हैं। हम लोग कितने साल साथ-साथ रहे। वहां से कितने मुख्य मंत्री दिये और उसके बाद आज अलगाव पैदा होता है कि फलां जगह, फलां क्षेत्र का यह अधिकारी है, इसलिए पक्षपात कर रहे हैं, ये दर्खास्तें मैंने पढ़ी हैं। आज इस तरह से अलगाव पैदा किया जा रहा है। यह सब चार साल के अंदर किया गया है। ठीक है, आप कहेंगे कि आपका भी समर्थन था, हां, हमारा समर्थन था, लेकिन जब परिस्थितियां बदलीं तो हमारा समर्थन नहीं था। संभवतः आप कहेंगे कि समान नागरिक संहिता के बारे में डा० लोहिया ने 1967 में क्या कहा था, लेकिन उस समय 1963 का सवाल दूसरा था। 1967 में यह स्थिति नहीं थी। तब मस्जिद नहीं गिराई गई थी। हिन्दुस्तान के मुसलमानों में दहशत नहीं थी। आज उनमें दहशत है कि हमारा धर्म, हमारा पूजा स्थल और हमारी मस्जिद सुरक्षित नहीं है। हम कितना-कितना विदेशों के नाम पर बोलते हैं, लेकिन खुद हमारी आबरू-इज्जत नहीं है। गुजरात की घटना पर खुद प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि यह देश के लिए कलंक है और मैं किस मुंह से विदेश में जाऊंगा। लेकिन उन्होंने उसका यहां समर्थन किया और जब बाहर इंग्लैंड और अमरीका का दबाव पड़ा तो जो कुछ गुजरात में हुआ,

[श्री मुलायम सिंह यादव]

उसका विरोध भी किया। कितनी परम्पराएं हैं। यह क्या लोकतांत्रिक परम्परा है कि कोई मुख्य मंत्री हो जाता है तो वह शिष्टाचारवश मिलने के लिए प्रधान मंत्री जी के पास जाता है। लेकिन गुजरात के मुख्य मंत्री ने गुजरात में जो जुल्म किया, जो मानवता की हत्या कराई, उनके शपथ ग्रहण में खुद प्रधान मंत्री जी पहुंच गये। क्या कभी ऐसी परम्परा थी। इसलिए मैंने कहा कि चार साल में लगातार आपने इस देश की परम्पराओं को तोड़ा है। प्रधान मंत्री वहां स्वयं पहुंच गये। कोई बताये कि आजाद हिन्दुस्तान में कोई प्रधान मंत्री किसी मुख्य मंत्री के शपथ ग्रहण के लिए गया हो, शपथ ग्रहण में शामिल हुआ हो। *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : यह बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात के मुख्य मंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहा। मुलायम सिंह जी आप सच्ची बात बतायें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिए मैंने कहा कि इस तरह की खराब परिस्थिति देश में कभी नहीं रही। आपकी पूरी विदेश नीति, कूटनीति असफल रही है और इसलिए हम कह सकते हैं कि अब देश की भावना है कि यह सरकार दुविधाग्रस्त है। इस दुविधाग्रस्त सरकार से कब पिंड छूटे, कब देश की जनता को मुक्ति मिले, इसलिए जनता तैयार खड़ी है और देश की जनता को मुक्ति मिलनी चाहिए। यह दुविधाग्रस्त सरकार है। इससे ज्यादा देश का अपमान सरकार क्या कर सकती है। कारगिल के महानायक प्रधान मंत्री जी और महानायक के रूप में कारगिल के नाम पर उन्होंने वोट मांगे, जहां हमारे जवान शहीद हुए। यह सही है कि जो आज तारीफ हो रही थी, वह तारीफ कम है। दुनिया की सबसे बहादुर सेना भारत की है। उस बहादुर सेना ने पाकिस्तान के उग्रवादियों को खदेड़ा और जब क्लिंटन साहब भारत आये तो इसी संसद की केन्द्रीय कक्ष में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेनाएं अमरीका के दबाव से हटी है, उस वक्त महानायक प्रधान मंत्री जी और लौहपुरुष उप-प्रधान मंत्री मौन बैठे थे, हमें इस बात का ताज्जुब है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारी सेना की बहादुरी का अपमान किया गया और दूसरी तरफ हमारे रक्षा मंत्री मौन बैठे रहे। हमें अमरीका से यही उम्मीद थी, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि हमारे देश के समाजवादी रक्षा मंत्री भी मौन बैठे रहेंगे। जब बिल क्लिंटन ने कहा कि हमारे दबाव की वजह से पाकिस्तानी फौज कारगिल से हटी, तो हमारे रक्षा मंत्री मौन बैठे रहे, हमें उनसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं उनका जवाब सुनना चाहूंगा। रक्षा मंत्री इस बात का जवाब दें कि कारगिल से पाकिस्तानी फौज को हमारी सेना के बहादुर जवानों ने खदेड़ा या अमरीका के दबाव में पाकिस्तानी सेना वहां से हटी। मैंने लोक सभा में भी प्रश्न किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था कि बिल क्लिंटन सही हैं या आप सही हैं, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह देश जानना चाहता है, देश की जनता जानना चाहती है, फौज जानना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि* इसलिए देश को इससे जितनी जल्दी मुक्ति मिले, उतना अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को ऐक फौजी जनरल ने हटा दिया, तो उसे सबसे पहले बधाई हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों दी? पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार का तख्ता पटल दिया, चुने हुए प्रधान मंत्री को जेल में डाल दिया, लोकतंत्र की हत्या की और शपथ लेने से पहले किस आधार पर परवेज मुशर्रफ को हमारे देश के प्रधान मंत्री ने बधाई दी, – क्या आपने ऐसा कर के देश का सम्मान नहीं घटाया? लोकतंत्र की हत्या करने वाले, मानव अधिकारों का हनन करने वाले शख्स को प्रधान मंत्री बनने से पहले ही आपने बधाई किस आधार पर दी? आपके पड़ौस में लोक तंत्र की हत्या हुई, मानवाधिकारों का हनन हुआ और आप चुपचाप बैठे देखते रहे? हिन्दुस्तान ऐसे अन्यायों के खिलाफ राष्ट्रीय मंचों पर पहले बोलता आया, लेकिन इस सरकार के आने के बाद कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब संसद पर हमला हुआ, हमारी सरकार ने बहुत सुरक्षा की, जब कश्मीर विधान सभा पर हमला हुआ, तब आपने बहुत सुरक्षा की, जब अक्षरधाम पर हमला हुआ, आपने बहुत सुरक्षा की, पहलगाम में तीर्थ यात्रियों को भून डाला, आपने बहुत सुरक्षा की, लाल किले पर हमला हुआ, आपने बहुत सुरक्षा की, वाह रे लौह पुरुष, वाह रे सरदार पटेल? हम उस भाषा में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम है, हम उन बातों को बोलना नहीं चाहते हैं, सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा और शैली है, हमने उसे खूब भोगा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मां-बाप को गाली देने से भी नहीं चूका गया। मैं बताना चाहता हूं। एक बार बुलन्दशहर में एक सभा होनी थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भाषण करना था। मंच के सामने हमारी तस्वीर लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले इस तस्वीर को वहां से हटाओ, इसे फेंको, तभी मैं भाषण करूंगा। बुलन्दशहर के अंदर हमारी तस्वीर को अधिकारियों द्वारा फिकवाया गया, तोड़ा गया। जब तस्वीर वहां से हटा दी गई, फेंक दी गई, तोड़ दी गई, तभी प्रधान मंत्री भाषण करने मंच पर गए। *(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुलन्दशहर से आता हूं। यह बात बिलकुल निराधार है। माननीय मुलायम सिंह जी ने सदन और पूरे देश को गुमराह करने वाली बात कही है। *(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन और देश तो क्या विश्व का कोई भी आदमी जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, वह भी इस बात को नहीं मानेगा। यह बिल्कुल असत्य, निराधार और तथ्यहीन बात है। *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुलन्दशहर से चुनकर आता हूं। मैं वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। मैं जानता हूं कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। यह बात बिल्कुल निराधार है। इस असत्य बात को कोई भी नही मानेगा। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान जी और पाठक जी, आप क्यों खड़े हो गए, आप क्यों बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, तो मैं यहां किस लिए बैठा हूं, मैं देखूंगा। आप कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : प्रधानमंत्री जी के सामने आपकी हस्ती क्या है? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अशोक प्रधान जी, यह क्या हो रहा है, क्या मिनिस्टर इस तरह खड़े होकर बोलते हैं? अगर ऐसी कोई आपत्तिजनक बात है तो मैं कंडक्ट करने के लिए हूं, आप क्यों परेशान होते हैं? अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द होगा तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह विवाद खड़ा ही नहीं होगा, हमने लौह पुरुष प्रधानमंत्री को कहा है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पांच घंटे में पांच स्पीकर भी खत्म नहीं हुए हैं। अगर इस तरह होगा तो यह डिबेट कैसे खत्म होगी?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने लौह पुरुष प्रधान मंत्री को कहा है। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री तो क्या, उप-प्रधानमंत्री जी भी ऐसी बात नहीं कह सकते। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कोई गलत बात कही है तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा। यदि कुछ भी असंसदीय कहा गया है तो मैं उसे हटा दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कुछ भी आपत्तिजनक है तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा। श्री हरिन पाठक, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अशोक जी, क्या आप प्रमोशन चाहते हैं? *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : मेरा यह कहना है कि ये बातें नहीं हुईं, आप ऐसे आक्षेप न लगाएं। मुलायम सिंह जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप ऐसे आक्षेप लगाएंगे, यह अच्छी बात नहीं है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अशोक जी, आप यह मत भूलिए कि आप अब मिनिस्टर हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अशोक जी, आप यह मत भूलिए कि आप अब मिनिस्टर हैं। जब वह किसी को अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस पक्ष में या उस पक्ष से, जो वक्ता है उनकी बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह नियम विरूद्ध है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भगवान के लिए व्यवधान न डालें।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला किया गया तो तुरंत प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब सिर से ऊपर पानी निकल गया है और सेना को आर-पार की लड़ाई का आदेश दिया। लौह पुरुष प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को उठना पड़ेगा और सीमा पर फौजें भेज दीं। सीमा पर फौजें खड़े हो गईं और सेना को युद्ध की तैयारी के लिए सम्बोधित कराया। वहां से ठंडी-ठंडी हवा में चले गए, बादल छंट गए हैं और अब बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या ये दो तरह के बयान नहीं हैं? हम जब दो तरह के बयान

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कहते हैं तो आप कहते हैं कि क्या मजबूरी है और जब हम कहते हैं कि मजबूरी है तो हमें धमकी दे देते हैं कि हम राज-पाट छोड़ कर चले जाएंगे। हम इन्हें इसलिए भी रखना चाहते हैं क्योंकि अभी इनमें से कोई अन्य अच्छा नहीं है। *(व्यवधान)* अभी हमारा बहुमत नहीं है। *(व्यवधान)* उसका फैसला आपको नहीं करना है, हम कर लेंगे, आपको क्या चिन्ता है? *(व्यवधान)* आप क्यों दुखी हो रहे हैं? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, बिना इजाजत के दोनों तरफ से बातें हो रही हैं? कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप इसके लिए चिंतित मत होइए। *(व्यवधान)* इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब इस तरह की सरकार हो और जो सरकार राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए स्वत: चुनौती बन जाए। चाणक्य जी ने जो लिखा है, वहा मैं ज्यों-का-त्यों पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि जो सरकार अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए स्वत: चुनौती बन जाए तो जागरूक जनता का कर्त्तव्य है कि ऐसी सरकार की गर्दन पकड़ कर उसे गद्दी से बाहर करे दे। यह हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बोला गया है। *(व्यवधान)* हम जवाब चाहेंगे। आप सुनिये। इनको हमारा भाषण सुनने का भी धीरज नहीं है और बहुमत इतना लिए फिर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री को हम भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, उनका काम करने का जो तरीका है, उन्होंने विपक्ष में रहकर मर्यादा और न जाने क्या-क्या किया, उसे याद दिला रहा हूं ताकि हम लोग कहीं बच जायें। हम विपक्ष के लोग तो अपनी जान बचा रहे हैं, इसलिए हम वह भी बताएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, जब अभी प्रधानमंत्री जी चीन गये तो अंग्रेजी में कुछ बोला गया था, उसे पूरे देश की जनता सुन रही थी। सोमनाथ चटर्जी साहब ने अच्छा किया और ममता जी चली गईं, उन्होंने भी कुछ हिन्दी बोली और मुझे लगता है कि कल भी कई और साथी हिन्दी बोलेंगे। लेकिन यह उपलब्धि तो समाजवादी पार्टी को है, थोड़ी बहुत शिवसेना को भी है, लेकिन यह बी०जे०पी० को नहीं है, यह स्वदेशी जागरण मंच न जाने कहां चला गया। इन्हें देश प्रेम नहीं है, विदेश प्रेम है, विदेशी कम्पनियों से प्रेम है, सत्ता प्रेम है-दो ही प्रेम हैं। *(व्यवधान)* इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब चीन गये, हम उतना ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो यह सही है कि हिन्दी में लोग नहीं समझ पाये होंगे, कुछ इशारा तो भाषण में किया गया, हिन्दी-चीनी भाई-भाई और अरुणाचल प्रदेश पर हमला लेकिन जब हमारे जवानों के हथियार छीनकर उनको बंधक बनाया जा रहा था तो कहां है सीमा की सुरक्षा? क्या हालत है आज हमारी आन्तरिक सुरक्षा की, जो नोर्थ ईस्ट में है, पूर्वोत्तर में है, उनसे तो देश की एकता खतरे में है ही और विदेशी का भी हमला हो रहा है।

ये जब विदेश गये तो हम कहना चाहते हैं कि भारत की संसद में जो बोला, किस तरह तिब्बत को दे आये, तिब्बत का भूदान कर आये। *(व्यवधान)* अब सुन लीजिए, देश की खातिर सुन लीजिए। उपाध्यक्ष जी, यह समय नहीं माना जायेगा, जितना ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम ज्यादा बोलेंगे तो आप नाराज हो जाओगे। चुपचाप सुनते रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपका स्वभाव हम जानते हैं। मेरा स्वभाव भी आप जानते हैं और हम भी आपका जानते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चीन में गये और पूरा का पूरा तिब्बत भूदान कर आये, चीन को दान दे आये, हम उनके भाषण को ही बताएंगे, यह देखिये, किसकी तस्वीर है, पहचानो। मैं उसकी तस्वीर लिए हुए हैं, हमें उनसे नफरत थोड़े ही है, उनकी तस्वीर है। हम यहां सब नहीं पढ़ेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम केवल 17 मार्च का प्रधानमंत्री जी का इसी सदन के अन्दर जो भाषण दिया गया है, उसे हम पढ़कर सुनाएंगे। यह लौहपुरुष ने नहीं दिया था, यह तो प्रधानमंत्री जी ने दिया था। विकास पर प्रधानमंत्री का भाषण 17 मार्च, 1960 का है।

'मैं समझता हूं कि तिब्बत की स्वायत्तता के साथ भारत की सुरक्षा जुड़ी हुई है। अगर हम अल्जीरिया की स्वतंत्रता का समर्थन कर सकते हैं और कम्युनिष्ट पार्टी उसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले सकती है तो फिर तिब्बत की स्वायत्तता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की मांग के विरोध में आवाज नहीं उठनी चाहिए, लेकिन चीन दावा करता है कि तिब्बत चीन का अंग है, जैसे कि पुर्तगाल दावा करता है कि गोवा पुर्तगाल का अंग है। हम पुर्तगाल के इस दावे को नहीं मान सकते और चीन का यह दावा भी नहीं माना जा सकता। चीन ने तिब्बत को संसार के मानचित्र से उड़ा दिया। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ है। कि भारत सरकार ने भी जो नये नक्शे छपे हैं, उनमें तिब्बत नहीं है, तिब्बत नक्शे से मिट गया। तिब्बत का नाम उन नक्शों में नहीं है, वहां केवल चीन लिखा हुआ है। चीन ने तिब्बत को मिटा दिया तो क्या हमारे लिए भी तिब्बत मिट गया है? मैं नहीं समझता कि इस नीति का कोई अच्छा परिणाम होने वाला है। नैतिक दृष्टि से तो यह नीति भारत के लिए उपयुक्त है ही नहीं, लेकिन अगर हम संकुचित राष्ट्रित स्वार्थों की दृष्टि से विचार करें तो भी तिब्बत का इस तरह मिट जाना दूरगामी दृष्टि से भारत कि हित में नहीं हो सकता है।'

अपराह्न 5.00 बजे

मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपका यह भाषण सही है या चीन यात्रा के बाद आप जो तिब्बत को भूदान में दे आये हैं,

वह सही है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। *(व्यवधान)* आप विदेश मंत्री बनकर गये थे। हम आपका भी उत्तर सुनना चाहेंगे। *(व्यवधान)* हम आपकी सब नीति जानते हैं इसलिए बात रहे हैं। जब दो तरह के बयान होते हैं तब हम कह देते हैं। हम आपको नाराज नहीं करना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा बात नहीं कहना चाहते। हम सारी बातें छोड़ देते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में हम जरूर कहना चाहते हैं। यह कहा गया कि हमारा बहुत विकास हुआ है, हम मजबूत हुए हैं। आप आंकड़ें देख लीजिए। जब यह गठबंधन की सरकार बनी थी। तब हमारा 127वां स्थान था लेकिन आज 124वां स्थान है। हम तीन देशों के पीछे खिसक आये हैं। आप प्रति व्यक्ति आमदनी की दर देखिये। दक्षिण एशिया के मालद्वीप और श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आमदनी के पीछे हमारा देश खड़ा है। उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी हमसे ज्यादा है। *(व्यवधान)* हमारा देश बोत्स्वाना के पीछे है। आर्थिक दृष्टि से देश कहां मजबूत हो रहा है? देश तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रहा है। इसलिए हमारे नेता डाक्टर लोहिया ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थनीति भुजा है और रक्षा नीति उसकी मुट्ठी है। अगर आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत है तो हमारी भुजा मजबूत होगी, हमारी मुट्ठी मजबूत होगी। हम अपने देश की सुरक्षा कर सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से देश कहां मजबूत हो गया है? आप बहुत तारीफ करते हैं कि चारों तरफ सड़कें बन रही हैं। अभी बहन ममता जी बहुत तारीफ करके गयी हैं। उनसे हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सड़कों से जोड़ा जा रहा है। हमें खुशी है कि आप देश को सड़कों से जोड़ दें। हम सड़कें बनाने की नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। सड़कें बननी चाहिए लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो सड़कें बन रही हैं, उससे आपका सम्मान विदेश में बढ़ रहा है। सड़कें बनाने का ठेका देशी कम्पनियों को न देकर विदेशी कम्पनियों को दिया गया। हम दो सवाल पूछना चाहते हैं कि देश की सड़कें बनाने के लिए हमारे देश की कम्पनियां क्यों नहीं आईं? उसे विदेशी कम्पनियां या विदेशी इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? हम नहीं कहना चाहते है कि इसकी वजह क्या है? हम आरोप नहीं लगायेंगे, नहीं तो प्रधान मंत्री जी नाराज हो जायेंगे। हम बता सकते हैं कि क्या बात है लेकिन हम कुछ कहना नहीं चाहते। हम कहना चाहते हैं कि चार करोड़ रुपये की एक किलोमीटर सड़क बन रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? जो सड़कें विदेशी कम्पनियां या विदेशी इंजीनियर्स बना रहे हैं, वे किसके लिए बना रहे हैं? ये सड़कें विदेशी गाड़ियों के लिए है। विदेशी गाड़ी प्रधान मंत्री जी के पास आ गयी है। हमारे पास भी आ सकती है, हमारे लोगों के पास भी आ सकती है। हम भी विदेशी गाड़ियों में चढ़ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आम जनता के लिए ये सड़कें नहीं हैं। आम जनता के लिए सड़कें कहां हैं? आम जनता कहां ये विदेशी गाड़ियां खरीदेगी? वह तो विदेशी *(व्यवधान)* हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश के इंजीनियर विदेशी इंजीनियर से ज्यादा बेहतर हैं। वे उनसे ज्यादा बेहतर सड़कें बना सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इसकी हमें जानकारी चाहिए कि विदेश कम्पनियां, विदेशी इंजीनियर ये सड़कें क्यों बना रहे हैं? वे चार करोड़ रुपये में एक किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। हम सड़कें बनाने के पक्ष में हैं लेकिन विश्व बैंक का पैसा *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : इसका वे 50-बार रिप्लाई दे चुके हैं। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : इनको खड़े होने की रोग है। *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : आप गलत बोल रहे हैं। आप कम से कम गलत तो मत बोलिये। 50 बार वे रिप्लाई दे चुके हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी पक्षों से सहयोग मांगता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाइं, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मुख्य वक्ता अनुमति नहीं देता, तो किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कोई भी व्यवधान कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह नियम विरूद्ध है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपने समय में से आधे समय भी नहीं बोलने दिया जा रहा है। हम जल्दी समाप्त करना चाहते थे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय और चाहिए?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं 36 मिनट में ही समाप्त कर देता लेकिन इन्होंने मेरे 20 मिनट तो व्यर्थ कर दिए। *(व्यवधान)* अगर आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा।

हम सड़कें बनाने के खिलाफ नहीं है। उन सड़कों में विदेशी गाड़ियां चलेंगी लेकिन देसी कारें चलें, इसके लिए क्या आप गांव वालों और गरीब किसानों की ओर ध्यान देंगे। सड़कों में सबसे बड़ा घपला है, डीजल, पैट्रोल पर जो टैक्स लगा है, उससे सड़कें बनेंगी और जिस दिन सड़कें बन जाएंगी, उसी दिन आम जनता पर टैक्स लग जाएगा। हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि काम ठीक हो रहा है या नहीं।

अब मैं प्रधान मंत्री जी के 15 अगस्त को लाल किले में दिए गए भाषण के बारे में बताना चाहता हूं। उसमें कहा गया कि किसानों के अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। अगर अनाज के भंडार भरे पड़े हैं तो हम दो सवाल पूछना चाहते हैं – एक, भूख के कारण आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं और दूसरा, किसान गरीब क्यों है। किसानों ने मेहनत की है, पैदावार बढ़ाई है, इसे आपने स्वीकार किया है। अब पैदावार घट रही है क्योंकि किसान को उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही है। आज गन्ना किसानों को किससे बर्बादी हुई। सरकार ने जो मूल्य तय किया था, उससे निजी चीनी मिल मालिकों ने किसानों को 30 रुपये क्विंटल कम कीमत दी। अभी तक गन्ना पेरा नहीं गया है। जब तक किसानों का गन्ना पेरा नहीं जाएगा, तब तक फैक्ट्री चलती रहेगी। आप पूर्वांचल में चले जाइए। वहां खेतों में गन्ना खड़ा है। इस तरह किसानों का अभी 1100 करोड़ रुपये बकाया है। किसानों को बर्बाद कर दिया। किसानों को बर्बाद करने वाली सरकार सबसे बड़ी अपराधी है। जो किसानों की हत्या करे, गोलियां भी चलाए, इस लाख टन अनाज गोदामों में भरा पड़ा है जो सरकार की लापरवाही के कारण बर्बाद हो गया और दूसरी ओर भूखे रहकर, एक एक दाने के लिए लोगों ने आत्महत्या की। यही हालत गेहूं के किसानों की है। आज सबसे बुरी हालत आलू की है। आपने किसानों के लिए क्या किया। किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया इसलिए उनकी पैदावार घट रही है।

इस बारे में विचार किया जा रहा है कि अब देसी, विदेशी कम्पनियां भी फार्म ले सकती हैं। इस तरह किसानों को भी बर्बाद किया जा रहा है। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते क्योंकि चंद्र शेखर जी का भाषण भी सुनना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन प्रति वर्ष 50 लाख बेरोजगार बढ़ा रहे हैं। हमारे नेताओं ने अरबों, खरबों रुपये की सम्पत्ति से कारखानों को खड़ा किया था, उनमें बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा था लेकिन आज वे कारखाने मिट्टी के भाव बेचे जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

सरकार ने दो आयोग – आहलूवालिया और गुप्ता बिठाए। दोनों ने कहा कि प्रति वर्ष दो करोड़ 70 लाख रोजगार हिन्दुस्तान के लिए बढ़ रहे हैं। अभी 5 6 करोड़ थे, दसवीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। बेरोजगारी की कोख से गरीबी पैदा होती है। बेरोजगारी को कैसे कम किया जा सकता है? इन बेरोजगार नौजवानों को आप कब तक संभालकर रख सकते हैं? हम चाहते हैं कि रोजगार की नीति में हमारे विचार और नीति यदि आप लेना चाहें तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेरोजगारों और नौजवानों को रोजगार देने का इंतजाम आप कीजिए। बल्कि आप प्रतिवर्ष छंटनी कर रहे हैं। रोजगार के अवसर कहां बढ़ रहे हैं? बेरोजगारी तो बढ़ती चली जा रही है। आहलूवालिया की रिपोर्ट ने कहा कि प्रधान मंत्री जी का यह दिवा स्वप्न हो जाएगा कि एक करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। अब यह कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए प्रधान मंत्री जी ने अमृतसर में अपने नेताओं को चेतावनी दी कि खबरदार, आज सत्ता में हम मंदिर के कारण, अयोध्या के कारण बैठे हैं। उस मुद्दे को हम छोड़ नहीं सकते। क्या आपने अमृतसर में राष्ट्रीय बहस की थी? क्या आपने अपने नेताओं से नहीं कहा था? मंदिर की वजह से आप सत्ता में बैठे हैं और साधु सन्यासियों को ही धोखा दे दिया। क्या कहा कि 'राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।' क्या यह विकास का लक्ष्य है? इस तरह के आप नारे दिलवाते हैं? इसीलिए जब मंदिर नहीं बनाया तो यह बात हम अकेले ही नहीं कह रहे हैं। प्रधान मंत्री जी की घोषणा जो एक करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की है, इनके पुराने मित्र गोविन्दाचार्य जी ने कहा है कि प्रधान मंत्री जी का यह बयान गलत है। बेरोजगारी बढ़ रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने बोला है, इसीलिए तो निकाल दिया। *(व्यवधान)*

मुलायम सिंह यादव : निकाल दिया लेकिन आडवाणी जी अड़े नहीं। उप प्रधान मंत्री जी को उसके लिए अड़ना चाहिए था। आपका तो पक्का वादा था। आप तो लौह पुरुष हैं। लोग आपको पटेल बना रहे हैं और आप अड़े नहीं। अरे, आपका साथी था। समझा लेते लेकिन निकाल बाहर कर दिया। *(व्यवधान)* सच है कि वह विद्वान हैं। वह स्वदेशी जागरण मंच पर अभी तक खिले नहीं थे लेकिन पार्टी में ही उनको निकाल कर अलग कर दिया। उनका कहीं कोई महत्व ही नहीं है। क्या यह धोखा आपने नहीं दिया? हम यह नहीं कह रहे हैं। यह अशोक सिंघल का वक्तव्य है। देना पड़ा। लौह पुरुष हैं और प्रधान मंत्री जी की गलत बयानी और पैंतरेबाजी से महान रामचन्द्र जी को सदमा लगा और एक संत हमारी धरती में उठ गया।

(व्यवधान) यह वक्तव्य मेरा नहीं है। यह अशोक सिंघल का है।

रक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी क्या आप इधर-उधर बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, ये किसी के नहीं हैं। ये आपको केवल इस्तेमाल करेंगे। *(व्यवधान)* राजा भैय्या की बदौलत पांच साल राज्य किया और उनके बूढ़े पिता से पैसा लेकर अशोक सिंघल ने पूरा आन्दोलन चलाया और वह आज पोटा में बंद है। *(व्यवधान)* आज यू०पी० की सरकार धनंजय ने बनवाई। वह आज पोटा में बंद है। इसी तरह वेंको जो सबसे ज्यादा समर्थक थे और हमारी तरफ उंगली उठाकर देश विरोधी कहा था, वह आज पोटा में बंद है। लेकिन डी०एम०के० के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : डरते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, डरते हैं कि कहीं वेंको की बगल में करूणानिधि न पहुंच जाएं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि कुर्बानी और संघर्ष से कुर्सी मिलती है। डी०एम०के० के साथियों इस बात को आप याद रखना। एक डर की वजह से *(व्यवधान)* ममता बहन बहुत ज्यादा भाषण दे गईं और जार्ज साहब, आप सोचिए। आपने देख लिया। आपका विभाग बदलने वाले थे। वह तो हम लोग बैठे हैं, मुद्दा उठा दिया, इसलिए नहीं बदला और यह तो गलती कर रहे हैं। आप ज्यादा करोगे तो यह विभाग बदल देंगे। यह आमन आर०एम०एम० को दे देंगे। तब क्या होगा? अभी तो गोली दे रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में दो बातें और कहना चाहूंगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में एक लड़की की हत्या की गई। उसकी जांच सी०बी०आई० कर रही है और सी०बी०आई० प्रधान मंत्री के अधीन है। सी०बी०आई० सही तथ्यों की जांच कर रही है, लेकिन मुझे खबर मिली है कि सही तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैं उस पर अभी नहीं बोलना चाहता, फिर कभी बोलूंगा। एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मामला भी इसमें है। मैं इसे संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रधान मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में एक लड़की मधुमिता की हत्या की गई। इस घटना में वहां के दो मंत्रियों का नाम भी आ रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इसमें एक विदेशी भी शामिल है। वह विदेशी कभी क्रिकेट के एक दिवसीय मैचों का आयोजन किया करता था और यह भी तय करता था कि मैच कहां खेला जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कौंसिल है,* यह सब अंग्रेजी अखबारों और दूसरे अखबारों में भी छपा है। उनको यहां एक दिवसीय क्रिकेट मैच के आयोजन की अनुमति लेनी थी।* यह खबर भी अखबारों में छप चुकी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है और दो मंत्रियों के इसमें शामिल होने का मामला है। कहा जाता है कि शूटर को ढूंढो, क्या यह निर्देश सरकार देगी। अब सुनने में आया है कि उस शूटर की भी हत्या कर दी गई है, फिर सबूत कहां से मिलेंगे। मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि आप सी०बी०आई० को आदेश दें। गाजियाबाद में कितने एन्काउंटर सही हुए या नहीं, यह सबको पता चला जाएगा। यह खबर बहुत से अखबारों में छप चुकी है और मैं उन्हीं से बता रहा हूं। वह विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के आयोजन की अनुमति देता था* और अखबारों में छप चुके हैं। ये हालात हैं। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं।

इसी तरह से मैं एक बात और यहां कहना चाहूंगा। अगर वह बात सही साबित न हो तो मैं यहां दुख व्यक्त करूंगा। मुझे, अमर सिंह जी और अखिलेश यादव, तीनों को बाकायदा पोटा में बंद करने का पुलिस को निर्देश दिया गया। मार्च के महीने में नोएडा में जैशे मोहम्मद के एरिया कमांडर मंजूर डार का एन्काउंटर हुआ। उसमें बाकायदा दिल्ली सरकार के मुखिया ने निर्देश दिया और मुलायम सिंह, अमर सिंह और अखिलेश यादव का नाम लिया गया। तब तक आई०बी० की सही रिपोर्ट गृह मंत्री जी के पास आ चुकी थी। गृह मंत्री जी को इसके बारे में पता है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई०जी० सब जानते हैं। वह रिपोर्ट आ गई, उस अधिकारी ने कहा कि आई०बी० ने गृह मंत्री को सीधे रिपोर्ट दी है, तो फिर कैसे मुलायम सिंह, अमर सिंह और अखिलेश यादव, इन तीनों को पोटा में बंद कर सकते हैं। जांच करने वाला बड़ा अधिकारी भेजा गया। मैं यह तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इसकी जांच कराएं। हम प्रधान मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से भी मिलकर बात करने को तैयार हैं। अगर यह सही साबित न हो तो हम इसी सदन में खेद व्यक्त करेंगे। इस तरह की परम्पराएं इस सरकार की हैं। अभी मैंने बेरोजगारी, किसानों की बात कही, लेकिन विदेशी पूंजी की बात रह गई। अंत में, माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आपसे यही कहूंगा कि आपने जो वायदे चाहे लाल किले से या कहीं और से किये, वे पूरा नहीं किये। हम एक-एक करके उन्हें गिना सकते हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी का निर्देश हमें हो रहा है, इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि गणतंत्र में अगर कोई अपने वचन से पलट जाता है तो वह लोकतन्त्र का सबसे बड़ी अपराधी है और इस सरकार ने अपने वचन का पालन नहीं किया, इसलिए यह सरकार वचनभंगी है और इससे तत्काल मुक्ति मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि यह जल्दी हटे, यही हमारी राय है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष जी, सन् 1962 में मैं पहले-पहल संसद में आया था। करीब 42-43 वर्ष बीत गये हैं लेकिन आज जो दुःख अनुभव हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री चन्द्रशेखर]

मैंने कभी नहीं सोचा था कि संसद की कार्यवाही इस स्तर पर पहुंच जाएगी। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अविश्वास प्रस्ताव शुरू होने से पहले एक घंटे में हम लोगों ने पांच विधेयक पास किये हैं जिसमें से दो विधेयक संविधान-संशोधन के थे। सरकारी पक्ष और विपक्ष दोनों उनसे सहमत हैं। मैं नहीं जानता और न ही सोच पाता हूं कि मैं किसके पक्ष में बोलूं। देश की हालत के बारे में सोचता हूं तो एक-एक शब्द जो माननीय सोमनाथ जी ने कहे, केवल उनकी भाषा को छोड़कर, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं।

अपराह्न 5.22 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं जानता हूं कि आज देश में गरीबी, बेबसी और लाचारी है। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे चारों तरफ खतरे हैं। बड़ी ताकतों की बात छोड़ भी दी जाए तो भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका रूख भी हमारे प्रति अच्छा नहीं है। ऐसे में हम कोई आपसी सहमति का रास्ता निकालते, मिलजुलकर काम करने की बात करते, लेकिन मालूम पड़ता है कि वह आज दूर की बात है। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव इस समय क्यों रखा गया? अविश्वास प्रस्ताव उस समय क्यों नहीं रखा गया जब गुजरात का कांड हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव तब क्यों नहीं आया जब हमारे सामने एक तलवार लटकी हुई थी कि उत्तर प्रदेश में गृह-युद्ध की स्थिति कभी भी हो सकती थी। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उस ओर माननीय मुलायम सिंह जी ने संकेत किया है। उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। उस समय अविश्वास का प्रस्ताव क्यों नहीं आया जब विनिवेश की बात खुले रूप से कही गयी? इसी सदन में मैंने कहा था कि अगर आप आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार करेंगे तो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार करने के लिए मन की तैयारी रखें। उस समय मेरा मजाक बनाया गया। अभी अरूण शौरी जी के बारे में हमारे मित्र माननीय आडवाणी जी ने प्रशंसा की। अरूण शौरी और अरूण जेटली से मैं बहुत प्रभावित रहा हूं। जनता पार्टी की सरकार में जितना इन लोगों को महत्व देना चाहिए था, उससे अधिक महत्व मैंने दिया। लेकिन कैसे लोग बदल जाते हैं? देश की सम्पत्ति जो 50 वर्षों में बनी है वह किसी प्राइम-मिनिस्टर के पैसे से या संसद सदस्यों के पैसे से नहीं बनी है जो कौड़ी के दामों में बेची जा रही है। साथ ही ऐसे बेची जा रही है जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की बात हो। कहा यह जा रहा है कि हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, रोजगार बना रहे हैं। अकेले सरकारी कमीशन जोकि एक सरकारी संस्था है, ने कहा कि अगर कतीनियों को जोड़ दिया जाए तो 50 लाख लोग खादी कमीशन में बेरोजगार हुए हैं। यहां पर जब चर्चा होती है तो सिवाए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के कुछ नहीं होता, कभी गरीबी, बेरोजगारी के सवाल पर बहस नहीं होती। कृषि नीति की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद आज किसान बेहाल है। किसान आत्म-हत्या करने पर मजबूर है। कई लोग इस बात को दोहरा चुके हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में और विकसित दृष्टि से खेती के काम में लगे जो राज्य हैं, वहां पर किसान मजबूर हुए। किन कारणों से हुए, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूं। हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाए। उस समय अविश्वास प्रस्ताव श्री शिवराज पाटिल जी आप नहीं लाए।

श्री शिवराज वि० पाटील : इन विषयों पर नहीं लाते हैं।

श्री चन्द्रशेखर : इन विषयों पर नहीं लाते हैं और चार वर्ष बाद लाए और किस विषय पर लाए, जब पी०ए०सी० में एक रिपोर्ट में एक रिपोर्ट को नहीं दिखाया गया। उस रिपोर्ट को नहीं देखने के बाद आपके मन में बहुत गुस्सा आया और यह बात कही गई, श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने भी कही कि एक संसदीय संस्था पर बड़ा भारी आघात हुआ है, लेकिन संसदीय परम्परायें भी है। कई बार ऐसा हुआ है कि अगर पी०ए०सी० की रिपोर्ट में कोई ऐसी बात हो, किसी रिपोर्ट पर कोई बात हो, जिसको दिखाने में सरकार को गुरेज हो, तो अध्यक्ष जी के कमरे में अध्यक्ष जी, पी०ए०सी० के चेयरमैन और उस विभाग के मंत्री, तीनों, बैठकर उसको देख लेते, तो मामला सुलझ जाता। एक बार नहीं, अनेक बार ऐसी बातें हुई हैं। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने रक्षा मंत्री जी से कहा कि आप इस परम्परा को क्यों तोड़ रहे हैं, आप परम्परा को मानकर दिखा क्यों नहीं देते हैं? उन्होंने कहा – मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। हमने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन साहब से कहा – आप देख क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा – वे दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने दूसरे दिन जब पूछा तो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन साहब की बात दूसरी और रक्षा मंत्री ने कहा – उन्होंने कहा है कि हम अकेले नहीं देखेंगे, सारी कमेटी देखेगी। जब मैंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम अकेले देखने के लिए तैयार थे, वे तैयार नहीं है। मैंने कहा – आप इसी समय चलिए, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा और रक्षा मंत्री जी को भी बुलायेंगे। वे सारी बातें उस समय मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या संसदीय जनतन्त्र इस तरह से चलेगा? क्या ये हमारी परम्परायें हैं? क्या इस तरह से परम्पराओं का निर्वहन होगा? गुस्सा तब आया, जब दूसरे सदन में कहा गया कि कारगिल के मामले में विजिलेंस कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं है, तो रास्ता निकाला गया कि किसी तरह से इस एक ऐसा अस्त्र बनायें, जिससे लोगों का ध्यान हमारी ओर जाए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह बड़ी दुखद बात है। चार राज्यों में चुनाव

होने वाले हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना हमारे लिए सुखद है। हमारे लोग उपादेय हैं, हमें लाभ पहुंचेगा। अगर इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, तो मैं पूरी तरह से सोमनाथ चटर्जी जी, मुलायम सिंह जी आपसे सहमत होते हुए भी, नेता विरोधी दल से सहमत होते हुए भी, इस प्रस्ताव का कभी समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है।

महोदय, आज सवेरे जब मैं आया, तो मैं दुविधा में था, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने प्रस्ताव पास किए, जिस तरह से संविधान में परिवर्तन किया, क्या आप समझते हैं कि आप संसदीय मर्यादा को बढ़ा रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान बिल पास नहीं हुआ है, पेश हुआ है।

श्री चन्द्रशेखर : राज्य सभा वाला पास हुआ। हमें भी थोड़ी बहुत समझ है। उस विधेयक पर आपने बहिष्कार किया। रिप्रजेंटेशन ऑफ दि पीपल एक्ट पास हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने सुबह अध्यक्ष जी से कहा था कि यह परम्परा नहीं है। आप बहस कराइए। इस विधेयक को ऐसे पास मत करिए। मैंने निवेदन किया था।

श्री चन्द्रशेखर : आप एक कानून पास करते हैं, जो संविधान के विपरीत है और आप यह समझते हैं कि इस तरह से संसदीय परम्पराओं को आप मजबूत कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं जाता हूं, किसने विरोध किया और कौन पक्ष में थे। एक-एक करके गिनाऊंगा, तो हमें लगता है कि हम धीरे-धीरे संसदीय परम्पराओं को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : चन्द्रशेखर जी, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको एक जानकारी दे दूं। लगता है, आपकी इस बात से देश में भ्रम की स्थिति फैलेगी। जिस विधेयक के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वह विधेयक राज्य सभा से भी चर्चा के बाद पारित होकर आया था और यहां भी उस पर चर्चा समाप्त हो चुकी थी। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी बोले थे। उनको भी कहा गया कि वे बोल लें। वह वोटिंग के लिए ही था। इसलिए अगर कोई यह समझे कि आज कोई संविधानें संशोधन विधेयक पारित हुआ है, तो गलत है। यह संविधान संशोधन विधेयक नहीं था और वैसे भी संविधान विधेयक बिना डिवीजन से पारित नहीं हो सकता है। 50 फीसदी और दो तिहाई बहुमत चाहिए। यह एक ऑर्डिनरी लैजिस्लेशन था लेकिन ठीक बात है कि दूरगामी प्रभाव वाला था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी पीपल एक्ट का था लेकिन राज्य सभा से चर्चा के बाद पारित होकर आया था, लोक सभा में चर्चा समाप्त हो चुकी थी। जिस दिन वोटिंग होनी थी, उस दिन सोमनाथ जी ने कहा था कि आज नहीं कल वोटिंग कराओ। वह वोटिंग की स्टेज पर था। अगर उस समय उन्हें डिविजन चाहिए थी तो वह मिल सकती थी इसलिए यह भ्रम मत फैलाइए कि वह बिना चर्चा के पारित हो गया। उस पर पूरी चर्चा दोनों सदनों में हुई है।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री की बड़ी रिस्पैक्ट करता हूं लेकिन उनको बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि मैं भी थोड़ी संसदीय परम्परा को जानता हूं। राज्य सभा ने पास कर दिया था तो इससे आपका काम उचित नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि संविधान में उसका भले ही परिवर्तन न हुआ हो, कोई विधेयक पास होता है जो संविधान के प्रतिकूल होता है। उसकी अनुमति न संविधान देता है, न संसदीय परम्परा देती है, न संसदीय व्यवहार देता है और न संसदीय नियम देते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : चन्द्रशेखर जी, लोक सभा में एलॉटिड समय से ज्यादा चर्चा हो चुकी है।

श्री चन्द्रशेखर : बहुत हो गया है। *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, इसका मतलब यह नहीं कि हर मिनिस्टर खड़ा हो जाए तो मैं हर समय बैठ जाऊं। *(व्यवधान)* मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूं। भ्रम आप फैला रही हैं। आप जानबूझ कर संसदीय परम्परा को तोड़ रही हैं और इसलिए कि आपको किसी का वर्चस्व पाना है। मुझे कोई वर्चस्व नहीं पाना है। मैं जानता हूं कि किस तरह संसदीय परम्परा को तोड़ा जा रहा है। मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा, क्षमा करेंगे, यह कहने के लिए कि संसद में कोई सवाल उठाना भी अब कठिन हो गया है। एक दिन इसी संसद में, पता नहीं वह सदस्य हैं या नहीं, बादल साहब के पुत्र के घर सी०बी०आई० का आक्रमण हुआ। वह राज्य सभा में हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चन्द्रशेखर जी, मैं इस विषय में एक मिनट कुछ कहना चाहता हूं। सदन में कोई गलतफहमी न हो इसलिए मैं बोल रहा हूं। जिस विधेयक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वह है

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस द्वारा पेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पर और विचार तथा पारित किया जाना।

[हिन्दी]

इसको दो घंटे का समय दिया गया था और इस पर पहले दो घंटे 35 मिनट चर्चा हुई थी। हमारी दृष्टि में रघुवंश जी आखिरी वक्ता थे इसलिए वह बोलने के लिए खड़े हुए थे और उस समय वह बिल पूरा हुआ था। केवल सदन में रिकॉर्ड करैक्ट रहना चाहिए इसलिए मैंने कहा।

श्री चन्द्रशेखर : आपकी सूचना के लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने उस समय कहा था कि जिस तरह संसद सदस्य के घर पर पंजाब पुलिस ने छापा मारा, उसे लेकर मैंने उस सवाल को उठाना चाहा लेकिन आपकी अनुमति नहीं मिली, मैं चुपचाप बैठ गया। लेकिन मैं समझता हूं कि एक-एक करके यह परम्परा पड़ रही है कि हम लोग अपने विरोधी पार्टियों के लोगों को नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। संसदीय परम्परा में मैंने यह सुना था कि वाकआउट किए जाते हैं, मैंने यह सुना था कि सरकार का बहिष्कार किया जाता है लेकिन सरकार के साथ सहयोग और एक मंत्री के साथ बहिष्कार, यह एक नई परम्परा आपने डाली है, अब यह परम्परा कहां तक उचित है यह सदन बताएगा और इतिहास बताएगा। दूसरा, मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि गठबंधन बड़ा जोरदार है, मल्होत्रा जी, एन०डी०ए० का गठबंधन बड़ा जोरदार है लेकिन गठबंधन के कुछ नियम होते हैं। गठबंधन में समस्याओं पर एक मत होने पर गठबंधन होता है। कार्यक्रमों में, नीतियों में और बाहर बोलने में एकमत होता हैं लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे गृह मंत्री को तो कम लेकिन प्रधान मंत्री को कई बार अपने सहयोगियों का सहयोग बनाए रखने के लिए अपने वक्तव्यों को बदलना पड़ा है। न इससे देश की इज्जत बंधी है, न सरकार की इज्जत बढ़ी है, न संसदीय परम्परा की इज्जत बढ़ी है। अगर हम इससे विरक्त हो सकें तो बड़ी अच्छी बात है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव पर कोई मत नहीं दूंगा इसलिए कि कोई भ्रम न फैले।

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम डेढ़ वर्ष से इनका बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए आज भी बहिष्कार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 5.34 बजे

(तत्पश्चात् श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जार्ज फर्नान्डीज बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखिए। मैंने श्री जार्ज फर्नांडीज को प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष जी, आज सुबह माननीय विपक्ष के नेता ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखते हुये 8-9 मसलों पर यहां चर्चा की। उन्होंने शुरूआत सुरक्षा से की। उन्होंने सुरक्षा से संबंधित एक नहीं बल्कि अनेक सवाल उठाये। उनका पहला आरोप यह रहा कि देश की सुरक्षा को हम लोगों ने धोखे में डाला है और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है। मैं सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात बताना चाहता हूं कि पांच साल पहले देश की सुरक्षा जितनी मजबूत थी, उससे काफी मजबूत करने का कार्य पिछले पांच सालों में हुआ है। जब हम लोग सरकार में आये थे, वह समय था जब सुरक्षा के लिये पूंजी का आवंटन होता था, वह कुछ कम हो चुका था। मैं उस संबंध में यहां लम्बी चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मैं एक-एक प्रश्न का उत्तर यहां रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी, एन०डी०ए० की सरकार ने पिछले पांच सालों में सुरक्षा के लिये जो पूंजी का आवंटन किया, वह उसके पहले के अनेक सालों में जो हुआ था, उससे कई गुना अधिक है। आधुनिकीकरण का जो कार्य सुरक्षा के क्षेत्र में होना चाहिये, उसे हम लोगों ने ऐसी गति दी कि आज के दिन सेना के तीनों अंगों के हाथों, सामरिक महत्व की जो सामग्री नहीं थे, वे अपने हाथों में लेकर सुरक्षा के कार्य में लगे हुये हैं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : रक्षा मंत्री को प्रत्येक वर्ष के आवंटन को प्रतिशत वार बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना नहीं बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह क्वैश्चन आँवर नहीं है। एक प्रश्न यह छेड़ा गया कि बहुत पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। सन् 1997-98 में कैपिटल एक्सपैंडिचर 900 करोड़ रुपये का था जबकि वर्ष 2002-03 में, जो साल अभी चल रहा है, उसमें 15 हजार करोड़ रुपया रखा गया है। इसलिये यहां जहां पूंजी का इस्तेमाल होना चाहिये, वहां-वहां उसका इस्तेमाल किया गया है। यह सही है कि सुरक्षा के क्षेत्र में जब पूंजी आवंटन होता है तो उस साल में कौन-कौन सी चीज की खरीद होनी चाहिये या सेना के तीनों अंगों की तरफ से जो मांग की गई है, उसे ख्याल में रखकर पैसे का आवंटन होता है। जो वस्तु चाहिए, वह तत्काल किसी दुकान में मिलने वाली नहीं है, किसी कारखाने में भी मिलने वाली नहीं होती है। दो भूतपूर्व रक्षा

मंत्री यहां है, वे उसके गवाह भी हैं और यहां पर अनेकों ऐसे भी मित्र और साथी हैं जो सेना में रह चुके हैं। उन्हें इन चीजों की जानकारी है। इसलिए यह दिमाग में रखना कि इस साल हमने ए०जे०टी० के लिए दस हजार करोड़ रुपये आबंटित किये थे और वह पैसा वापस आ गया। अगर ए०जे०टी० के दाम तय करने में और उसके बारे में और जो भी कोई चीज होनी है, ये सब कार्य करने में किन्हीं क्षेत्रों में रुकावटें आ जाती हो, कभी-कभी कोई दूसरा अपनी चीज को बेचने के लिए बीच में आ जाता है और बोलता है कि उससे अच्छी हमारी चीज है। फिर वह चक्र शुरू होता है। और माल पूरा हो जाता है, पैसे रुक जाते हैं। इसे समझना चाहिए और केवल रिकार्ड देखकर किसी ने क्या आंकड़े लिखे हैं, कौन से अखबार ने इस पर क्या टिप्पणी की है, उसके आधार पर इस बात को चलाना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि जहां तक सुरक्षा का मामला है, किसी को भी इस बात पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं किसी भी वर्तमान पत्र को रेफर नहीं कर रहा हूं, हमारे यहां जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफैंस है, उसने जो रिपोर्ट दी है, उसे हम रेफर करते हैं। अगर सरकार ने पैसा मांगा तो क्या सरकार ने प्लान के बगैर मांगा, क्या सरकार ने यह ध्यान में नहीं लिया कि यह पैसा हम खर्च कर सकते हैं, क्या डिफैंस मिनिस्ट्री ने यह ध्यान में नहीं लिया कि यह पैसा वह खर्च कर सकती है या नहीं कर सकती है। एक तरफ पैसा न मांगकर उधर डैफिसिट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दिया हुआ पैसा, कैपिटल एक्सपेंडीचर पर दिया हुआ पैसा प्लानिंग बराबर न होने की वजह से, विजन बराबर न होने की वजह से खर्च नहीं हुआ तो क्या हम यह न माने कि इस में इस प्रकार का जो काम हो रहा है वह बराबर नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने उन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह विजन और प्लानिंग का सवाल नहीं है। विजन और प्लानिंग बराबर हैं और जिसके पास जाकर जो चीज खरीदनी है, अगर वह कोई हरकत करे, तब विजन वहीं पर रहेगा, प्लान भी वहीं पर रहेगा। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल ने आपरेशन पराक्रम और हिलकाका का सवाल उठाया और सर्प कब आये, सर्प कब मारे गये, सर्पों पर उनकी नजर गई। मैं बताना चाहता हूं कि हिलकाका का जो मामला था, वह कोई नई चीज नहीं है। कश्मीर की वादी में और उस इलाके को जिन्हें जानकारी है, वहां के भूगोल, वहां की जमीन और वहीं की परेशानियों को जो लोग जानते हैं, उन्हें मालूम है और सेना से ज्यादा इसे और कोई नहीं जानता है कि वहां, किस स्थान पर कौन आ सकता है, किस मार्ग से आ सकता है। उसकी खोज वे करते रहते हैं और उसका इलाज वे करते रहते हैं। इसलिए हिलकाका का जो कांड हुआ, कांड यानी जो आपरेशन हुआ, वह आपरेशन पहली बार नहीं हुआ। वह वहां पर लगातार चलने वाला आपरेशन है। इसे लेकर अनेक किस्म की अफवाहें फैलाई गईं। उस इलाके में पिछले चार साल में हमारी सेना ने 107 आतंकवादियों को मार गिराया और अभी जो आपरेशन हुआ, उसमें 65 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसका मतलब है कि पिछले चार, साढ़े चार साल में 172 आतंकवादियों को वहां मार गिराने में हमने कामयाबी पाई है। मगर इस बारे में बहुत कुछ चर्चा चली है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सेना पर इतना गुस्सा करना क्यों शुरू हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : यह गुस्सा सेना पर नहीं, सरकार पर है। *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह गुस्सा सेना पर है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आप विषय को बदलने की कोशिश कर रहे हैं *(व्यवधान)* आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप खड़े होकर अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ये विषय को उलझा रहे हैं। इन्हें अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज पाटील, एक रास्ता है। उन्होंने एकबात कही है। यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं, तो पार्टी का एक सदस्य या पार्टी के नेता खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं उन्हें अनुमति दूंगा। वह पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मैं आपका आभारी हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हमने कभी भी सेना के खिलाफ बात नहीं कही है। हमने हमेशा सेना की प्रशंसा की है। हमने मिनिस्ट्री में जो कुछ

[श्री शिवराज वि० पाटील]

हो रहा है, उसके बारे में कहा है, सरकार के बारे में कहा है। कृपा कर के देश और सेना, मिस-लीड हो जाए, ऐसा मत करिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष महोदय, हिल-काका का मामला दफ्तर में नहीं हो रहा है, पहाड़ों में हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज़ जी, आपने अपनी भूमिका रखी और उन्होंने अपनी भूमिका रखी। अब आप कृपया आगे बढ़िए और अपना भाषण जारी रखिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, सेना के ऊपर *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, यहां स्टैंडिंग कमेटी की बात बार-बार आ रही है। स्टैंडिंग कमेटी की जो बात इन्होंने कही, वह उसका आधा पोर्शन बताया है। स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा है, चूंकि खरीदने में टाइम लगता है और पैसा लैप्स न हो, इसलिए डिफेंस के लिए कम से कम पांच साल के लिए बजट तय कर दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब आप आगे बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विशेष बात पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी। श्री जार्ज फर्नान्डीज, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, आगे यह बात उठाई गई कि सीमाओं की सुरक्षा नहीं की और उसके चलते कारगिल हो गया। अगर सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, तो शिमला समझौते की तरफ जाना होगा। शिमला में भारत-पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, उसमें भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की ओर से दो अधिकारियों ने एक इतने बड़े नक्शे पर एक कलम से एक रेखा खींच कर, दोनों राष्ट्रों की सीमाएं तय कर दीं। 148 किलोमीटर लम्बा और कई स्थानों पर 15-20 किलोमीटर चौड़ाई और कहीं 12, कहीं 15 और कहीं 18 हजार फीट की ऊंचाई के पहाड़ हैं, उन पर यह रेखा है। जब से समझौता हुआ तब से लेकर, जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने यह रेखा जमीन पर खींच कर, वहां जो भी बन्दोबस्त करना चाहिए था, वह इंतजाम नहीं किया। जब अटल जी की सरकार बनी, तब भी जमीन पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं हुआ। सेना गर्मियों के दिनों में वहां जाकर राउंड लगाती थी और सर्दियों के दिनों में वापस आ जाती थी। पाकिस्तान की सेना भी यही करती थी। यह स्थिति 20 साल तक चलती रही। पाकिस्तान द्वारा जब कारगिल पर आक्रमण हुआ, तब एक बात, बार-बार सरकार की तरफ से कही गई कि धोखेबाजी हुई, पाकिस्तान के नेतृत्व ने हम लोगों के साथ धोखेबाजी की, लेकिन केवल इस सरकार से नहीं, वह तो राष्ट्र के साथ धोखेबाजी हुई। क्योंकि कहीं न कहीं जब तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से श्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बैठकर निर्णय लिया था, उसका उल्लंघन पाकिस्तान के नेतृत्व ने किया और उसके कारण ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई। उसे उछाल कर यह कहना कि इंटैलीजेंस फेल्योर हो गई, सेना की फेल्योर हो गई, ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उस समय हमारी सेना को कितना सुनना पड़ा, पाकिस्तान के टेलीविजन की ओर से हर दिन हमारे देश के नेताओं की बोली का प्रसारण करते हुए, कैसे हमारे देश के नेताओं और सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास चल रहा था, वह सबको मालूम होना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह हम लोगों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? श्री सुब्रह्मण्यिम ने रिपोर्ट दी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनके भाषण का उत्तर आप दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, जब इनकी नेता बोल रही थीं तो हम कुछ नहीं बोल रहे थे। अब इन्हें भी सुनना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने यह कहा कि जो लोग इस समय तथ्य को न जानते हुए, तथ्य को समझने

का प्रयास न करते हुए, जिस प्रकार का अभियान चला था उसे खत्म करना चाहिए, उसे ऐसे ही नहीं बने देना रहना चाहिए। पी०ए०सी० को लेकर जो बातें यहां आई हैं, *(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब नहीं आया। *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे बोलने दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे बोलने की इजाजत दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने की इजाजत है, आप बोलिए। आपको इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैंने इन्हें एलाऊ नहीं किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं 22 महीने बाद बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : उस हिसाब से अगर आप सोचें तो आपको 22 घंटे बोलना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, अब मैं पी०ए०सी० पर बोलता हूं। इस पर जितनी बातें छेड़ी हैं मैं उनमें से एक-एक बात का जवाब दूंगा। वैसे तो पी०ए०सी० पर चन्द्रशेखर जी ने अभी खुलासा किया है, इसलिए उस पर मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यह बात सही है कि नारायण दत्त तिवारी जी पी०ए०सी० के अध्यक्ष थे और उन्होंने जब ये सब देखना शुरू किया तो उन्होंने भुज से बातें छेड़ीं। तत्कालीन लोक सभा के जो स्पीकर थे, नारायण दत्त तिवारी जी, तत्कालीन अध्यक्ष और मैं इसी कमरे में था। हम तीनों यहां बैठे और बातचीत में हम लोगों ने यह तय किया था कि यह रिपोर्ट उन्हें दिखाई जाए और तिथि भी तय हुई कि मैं वह रिपोर्ट दिखाऊं। जिस दिन हम लोगों को मिलना था, उस दिन सीधे उन्हें यहां से पहाड़ पर भेजा गया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहाड़ पर भेजा या मुख्य मंत्री बनाया गया।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां, वहां मुख्य मंत्री बनाने के लिए भेजा गया और वह मामला वहीं पर समाप्त हो गया। उसके बाद ये बातें चली कि रिपोर्ट चाहिए, अब रिपोर्ट कौन सी चाहिए। जब राज्य सभा में यह प्रश्न बार-बार उठाया गया था कि पिछले 20 साल में कितना घपला हुआ था। 1989 में यह तय होने के बावजूद, कि कोई बिचौलिया नहीं होगा, अनेक बिचौलिए हैं। फिर दो मामले ऐसे सामने रखे गए कि पी०आई०एल० के तौर पर जो अदालत में था, इस मामले को सदन में बार-बार उठाया गया तो मैंने इस सारे मामले को, अंतिम जो मैंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है, उस दस्तावेज तक मैंने कहा कि ये सारी चीजें चाहिए। सी०वी०सी० और सी०ए०जी० दोनों चाहिए। उन्हें उस पर जो कुछ देखना है, जो निर्णय करना है, वह करके हम रिपोर्ट दें और एक रिपोर्ट आ गई। वह रिपोर्ट बड़ी है और उस रिपोर्ट को हमारे पास भेजते हुए सी०वी०सी० ने उसे सिक्रेट करते हुए अपनी मोहर लगाई है। यह पहली बार नहीं लगी है, सी०वी०सी० की रिपोर्ट जब भी आई है, वह सिक्रेट होकर आई है। अटल जी, इस समय यहां नहीं हैं, यह एक जमाने में पी०ए०सी० के अध्यक्ष थे और वह सुरक्षा का भी मामला नहीं था, किसी अन्य चीज का था। अटल जी ने पी०ए०सी० के अध्यक्ष के नाते उस रिपोर्ट को मंगा लिया, उन्हें कहा गया कि नहीं मिलेगी, उन्होंने दोबारा मंगा लिया, उनको कहा गया कि नहीं मिलेगी और उन्हें नहीं मिली। आज हम लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मुझे कोई चीज छिपानी नहीं है, इसलिए मैंने परसों ही कहा, कुछ पत्रकार हमारे पास बात करने आये थे तो मैंने कहा कि मैं तो पारदर्शिता के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। मुझे उसमें किसी से कोई भी चीज छिपानी नहीं है, रक्षा मंत्रालय में किसी भी मामले को लेकर कोई अगर गलत काम करता हो तो उसे सजा देने का काम होना चाहिए, उसके लिए हम कहीं भी किसी को माफ करने वाले व्यक्तियों में से नहीं हैं। लेकिन यहां पर बैठे हैं, आज से नहीं, बल्कि 50-55 सालों से वे हमारे मित्र हैं *(व्यवधान)* वे अलग पार्टी में हैं, मुझे उनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट उन्हें भेजी गई, रिपोर्ट का मतलब एक एब्रिज्ड दर्शन आपको भेजा गया तो आपने भी उसे अपने साथियों को नहीं दिखाया, क्योंकि वह रिपोर्ट सीक्रेट करके भेजी गई थी, वह रिपोर्ट सीक्रेट करके उनको दी गई थी और उन्होंने भी उस नियम का पालन किया, जिस नियम का पालन मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन मैंने यह बात भी परसों सार्वजनिक तौर पर कही कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से स्वयं तैयार हूं कि जितनी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, वे सारी सार्वजनिक हो जायें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूं।

(व्यवधान) हां, एंडरसन ग्रुप से लेकर जो भी तब से रिपोर्ट्स बनी हैं, उन सब रिपोर्ट्सों को मैं सार्वजनिक करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते उसके लिए कोई नया नियम बन जाये, चूंकि हमारे जो नियम हैं या इस सदन में काम करने के जो नियम हैं, उन नियमों में कौन सी

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

रिपोर्ट दी जा सकती है और उन पर कोई प्रश्न अगर आता है तो उसे भी आप रोक देते हैं कि नहीं, यह प्रश्न सार्वजनिक नहीं होगा तो वहीं पर लोग कभी-कभी जो प्रश्नकर्ता हैं, उनको कुछ जानकारी दी जाती है। आम तौर पर उसका कुछ काम आगे नहीं बढ़ता है तो यह चीज हमेशा चलती रही है और आज मुझे इस बात को सुनना पड़ रहा है कि मैं यह रिपोर्ट छिपा रहा हूं, क्योंकि इतने हजार करोड़, तीन हजार करोड़, राष्ट्रपति भवन में पिछली 15 तारीख को शाम को खूब चला, तीन हजार करोड़, मुझे खरीदने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और न पैदा होगा। सारी जिंदगी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं और आज हम भ्रष्ट हो गये। इस सदन में हमने 35 साल बिताये हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये। आप क्यों खड़े हैं, आप सब लोग क्यों खड़े हैं, बैठिये?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जाधव जी, बैठिये, आपके मंत्री जी खड़े हैं। बाकी लोग भी बैठें। हर विषय पर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मंत्री जी भाषण करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, उन्हें तथ्य रखने दीजिए (व्यवधान) उन्हें ऐसा मत बनने दीजिए कि कोई उनसे कुछ न कहे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ नहीं आ रही कि आप सब गुस्से में क्यों हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि कोई भी उन्हें खरीद नहीं सकता है और वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। इसमें गलत क्या है? यदि उन्होंने कुछ गलत कहा हो तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटा सकता हूं किन्तु अब तक उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त कुमार, आप भी एक मंत्री रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वह हमें शिक्षा देते हुए एक अद्वितीय पवित्र संत की भांति व्यवहार नहीं कर सकते हैं। *(व्यवधान)* वह एक पवित्र गौ जैसा नहीं बन सकते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री जी पर है कि वह क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें खरीद नहीं सकता है। मेरे विचार से इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप कृपया आगे बोलिए।

(व्यवधान)

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री जी को बोलने की इजाजत दी है। वे अपने मुद्दे रख रहे हैं, आप उन्हें रखने दीजिए। आप उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, कफन और कोफिन के बारे में बार-बार इस सदन के भीतर और सदन के बाहर नेता विरोधी पक्ष और उनके इर्द-गिर्द के सारे लोग कह रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह सी०ए०जी० की रिपोर्ट है। *(व्यवधान)* सी०ए०जी० ने इसे स्पष्ट किया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के बाद, श्री जयपाल रेड्डी बोलने जा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मूल प्रश्न सी०ए०जी० के विषय म है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह सारा मामला भुगता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब लोग सहयोग करें क्योंकि मैं चाहता हूं कि मंत्री जी का उत्तर अच्छी तरह से सदन में पूरा हो जाये।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह सारा मामला 1995 में खड़ा होता है। 1995 में जब हमारी सेना उत्तर अफ्रीका के सोमालिया शहर में पीस कीपिंग के लिये गयी थी, तब वहां हमारे 11 अधिकारी और

जवान मारे गये थे। उनका पार्थिव देह ऐसे कास्केट में भारत लाया गया जो बहुत ही मजबूत था और जिसमें किसी भी प्रकार की बुराई न हो, कोई खराबी न हो, इसका बंदोबस्त करके वह लाया गया। उसको भेजते हुए वहां हमारी भारतीय सेना के कमांडर ने अपने विभाग के अधिकारी को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि देखिये, कितना मान-सम्मान पाश्चात्य देशों में शहीदों को, देश के लिए मरने वालों को दिया जाता है जबकि हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम उनके अंतिम समय के लिए ऐसा मान-सम्मान न करें। यह पत्र उन्होंने एक अधिकारी को लिखा। वहां से वह प्रक्रिया शुरू हुई। यह 1995 की बात है। यह प्रक्रिया 1999 में खत्म होती है। सारा समझौता हुआ, अमेरिका से जिन लोगों की पहचान कराई गयी, वे लोग यहां पर आये, उनके और हमारी सेना के अधिकारियों के बीच बातचीत होकर यह समझौता हुआ। किसी एक डायरेक्टर ने उस पर क्लीयरेंस दिया क्योंकि एक करोड़ 70 लाख रुपये का यह मामला था। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किये। उसके बाद वह आर्डर चला गया। उसमें वजन 18 के०जी० लिखा। अब वह 18 गेज रहा होगा, उसे 18 के०जी० किया। उसका दाम दो हजार 600 कुछ यू०एस० डालर एग्रीमेंट में था। यह सब मैंने उस दिन देखा जब इस सदन के अंदर मुझ पर लांछन लगाने का काम हुआ और यह कहा गया कि जवानों के खून के ऊपर यह सरकार पैसा बना रही है। हम विपक्ष के नेता को चुनौती देते हैं कि वे सबूत लेकर आयें। *(व्यवधान)* मैं सबको चुनौती देता हूं कि आप सबूत लेकर आयें। कल शाम तक आप सबूत लायें। *(व्यवधान)* हिम्मत है, पुरुषार्थ है, ईमानदारी है, मुझसे बात करोगे? *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। *(व्यवधान)* सी०ए०जी० रिपोर्ट क्यों ऐसी है – इसे एक्सप्लेन करें। *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं चुनौती दे रहा हूं कि कल शाम तक आप सबूत दे दो। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, ये अपने को श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर केन्द्रित क्यों कर रहे हैं? इन्हें अपने को सी०ए०जी० रिपोर्ट तक सीमित रखना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, क्या सदन में यह असत्य चलेगा? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : हमारी नेता ने ऐसी कोई बात नहीं की। *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : ये जो सी०ए०जी० रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जार्ज जी, आपकी तरफ से सी०ए०जी० रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, ये अपनी पूरी ताकत से, सी०ए०जी० पर सवाल खड़ा कर सकते हैं और सी०ए०जी० की निन्दा भी कर सकते हैं। मैं इस विषय में इतना स्पष्ट हूं। *(व्यवधान)* यह निन्दनीय है *(व्यवधान)* महोदय, यह इतने प्रतिष्ठित मंत्री हैं, अपने राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सी०ए०जी० की टिप्पणी पर सवाल उठाना और अब ये हम पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठिए।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : इनको पी०ए०सी० में कुछ नहीं मिला, इसलिए इन्होंने पोलीटिक्स की और कह दिया कि रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किरीट जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इन्हें कहने दीजिए कि क्या सी०ए०जी० रिपोर्ट सही है या गलत है *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह सही नहीं है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इनमें अगर ईमानदारी है तो कल शाम तक सबूत ले आएं। *(व्यवधान)* इनके लिए जो कुछ खोलना है, हम खोलने के लिए तैयार हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, सी०ए०जी० रिपोर्ट की बात पर आएंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हमें उनसे पूछने का समान अधिकार है। यदिवह सी०ए०जी० रिपोर्ट के मुद्दे पर टिके नहीं रहते हैं तो उन्हें विपक्ष से सवाल पूछने का कोई हक नहीं है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात पर आ रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से यह नहीं कह सकता कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। वह अपनी टिप्पणी दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : इसमें कुछ भी नहीं मिला है, इसीलिए ये लोग ऐसा शोर कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय गृह मंत्री ने सी०ए०जी० के विरुद्ध अपना निर्दोष होना सिद्ध करने के लिए एक मित्र पत्रकार, श्री पंडित का आश्रय नहीं लिया। ऐसा तो इन्होंने किया है। इनमें ऐसा करने की क्षमता है। उन्हें यह कहने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा का कार्य संचालन करना है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : सी०ए०जी० रिपोर्ट का किस्सा भी सुनिए। सी०ए०जी० की रिपोर्ट सदन में 11 दिसम्बर को पेश हुई थी और उसी दिन यहां हंगामा हुआ। उस दिन मुझे पता चला कि ऐसी किसी चीज को हमारी सेना की तरफ से खरीदा गया है लाल जी ने मुझे कहा कि संसद में हंगामा हुआ है, हमारी पार्टी की तीन बजे प्रैस कान्फ्रैंस है, आप वहां जाकर कुछ खुलासा करें। मैंने अपने दफ्तर को कहा, सेना के अधिकारियों को कहा। मेरे हाथ में मामूली नोट आया, मेरे पास कोई जानकारी भी नहीं थी। क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं वहां कुछ बोल भी नहीं पाया। अगले दिन जब अखबारों में आया तो उस दिन भी यहां हंगामा हुआ। एक दिन चला गया और उसके अगले दिन कुछ और बात हो गई। सच क्या है, मैंने उसे खोजने का कार्य शुरू किया। वह कार्य शुरू करते-करते मैंने पत्रकारों को, जो भी दस्तावेज थे, जिसकी सीक्रेसी नहीं थी, बांधकर, जिस पत्रकार ने मांगा और जिसने नहीं भी मांगा, उनको देने का काम किया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मीडिया के सभी लोगों को नहीं, बल्कि केवल चुनिंदा लोगों को *(व्यवधान)* इन्होंने इसे अपने पत्रकार मित्र श्री पंडित – जिनका बेटा श्री पंडित लंदन से आया वकील है – को इसे देखने के लिए दिया। यह प्रक्रिया है। ऐसी पारदर्शिता है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सी०ए०जी० को जो रिपोर्ट होती है, वह नियम के अनुसार सबसे पहले राष्ट्रपति को जानी चाहिए। राष्ट्रपति से वह फाइनेंस मिनिस्ट्री को आती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से वह पार्लियामेंट में आती है और वहीं से वह फिर रक्षा मंत्रालय में भी पहुंच जाती है लेकिन इस रिपोर्ट ने वह रास्ता नहीं पकड़ा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अनंत कुमार (बंगलोर दक्षिण) : किस नियम के अंतर्गत इनका व्यवस्था का प्रश्न है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था का प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। मैंने व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति दी है। मंत्री जी कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बैठिए। प्वाइंट ऑफ आर्डर है, मुझे सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं सांविधानिक विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक एक सांविधानिक अभिकरण है *(व्यवधान)* इसका उल्लेख संविधान में किया गया है क्योंकि सरकार के सभी लेखों का परीक्षण नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक द्वारा किया जाता है। इसीलिए यह एक स्वतंत्र निकाय है। यह एक सांविधानिक निकाय है और यह जो कुछ भी कहता है उसे उचित सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। सरकारी पक्ष आता है और सांविधानिक निकाय पर हमला करता है जो अपनी रक्षा के

लिए सभा में उपस्थित नहीं है। इस विषय को यहां अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनके 'व्यवस्था का प्रश्न' पर निर्णय लेने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने सी०ए०जी० के खिलाफ कुछ नहीं कहा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : माननीय मंत्री जी ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के खिलाफ कुछ नहीं कहा है।

श्री शिवराज वि० पाटील : मैंने सांविधिक सवाल उठाया है, यदि उन्हें इस पर कोई आपत्ति है, तो एक समुचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यों की आलोचना के लिए सभा में एक सारभूत प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। यदि वे इस सारभूत प्रस्ताव के तहत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वे इस तरह की निकाय की आलोचना नहीं कर सकते हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष जी, सी०ए०जी० के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं कहा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग, स्पीकर को बोलने देंगे या नहीं देंगे?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विषय को श्री शिवराज वि० पाटील ने उठाया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने सी०ए०जी० के विरोध में एक शब्द भी यहां नहीं कहा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा करने दीजिए। उन्होंने यह विषय उठाया है और यह विषय तभी उठाया जा सकता है जब उस निकाय की आलोचना हो। उन्होंने अपने वाक्य पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि यह विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। मैं उन्हें यह कहने जा रहा हूं कि कैसे वे यह कह सकते हैं। मुझे उनसे यह कहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कहा कि सच क्या है, वह खोजने के बाद उसके बारे में सबको सूचना देने का भी काम किया और जब यह रिपोर्ट आई तो पहले दिन 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छप गया। अगले दिन वह रिपोर्ट टेबल पर ले ली गई। माफ करिए, जिस दिन वह 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छप गया, उस दिन वह रिपोर्ट टेबल पर ले ली गई। मैंने यह बात 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के एडीटर से छेड़ी। उनका पत्र है :

[अनुवाद]

"प्रिय जार्ज, मैं यात्रा पर था, इसलिए मैं आपके द्वारा भेजे गए नोट का जवाब पहले नहीं दे सका। मैंने श्री पंडित के पैम्फलेट और उसमें उद्धृत किए गए विस्तृत प्रलेखन को पढ़ा है। फिर भी जहां तक 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की खबर का सवाल है, तो मैं निम्न बातें कहना चाहूंगा :–

11 दिसम्बर की खबर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आगामी रिपोर्ट पर आधारित थी और जैसाकि आप जानते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हमारी सरकारी व्यवस्था में एक सांविधिक प्राधिकारी है। चूंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकांश सरकारी दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने का प्राधिकार होता है और उसे एक निष्पक्ष प्राधिकारी के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए हम आमतौर पर संसद में पटल पर रखी गई उसकी रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाते हैं।

हमने सिर्फ वही खबर छपी है जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कही है। हालांकि 13 दिसम्बर को हमने अपने अखबार के मुख पृष्ठ पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी छपी है जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए सवालों से मेल नहीं खाती है।"

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मैंने व्यवस्था का सवाल उठाया है। आपने कहा है कि आप इसे नोट करेंगे और तब आप इस पर व्यवस्था देंगे। अब वह सवाल आ गया है। मंत्री जी जो कह रहे हैं उसका सारांश यह है कि सी०ए०जी० की यह रिपोर्ट मीडिया में किसी अन्य के द्वारा दी गई है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्रोत के बारे में, नहीं कहा है। श्री शिवराज वि० पाटील मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यह नहीं कहा है कि रिपोर्ट कहां से आई। उन्होंने यह नहीं कहा है कि अखबार में यह रिपोर्ट कैसे छपी। उन्होंने तो केवल पत्र पढ़ा है और मैं नहीं मानता कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक सांविधिक निकाय है; जैसाकि आप एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय की रक्षा करना संसद का अधिकार है। जैसे आपकी रक्षा हो सकेगी, उसी तरह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रक्षा हो सकेगी। इस वक्तव्य में क्या छींटाकशी है? छींटाकशी यह है कि *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कोई छींटाकशी नहीं है। कुछ नहीं है *(व्यवधान)* मैं तो हमेशा सीधा बोलता हूं। मैं चोर को चोर बोलता हूं *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : यदि बिना किसी सारभूत प्रस्ताव के इसी तरह छींटाकशी हुई, तो दूसरे नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की, सरकार की बदनामी हो सकती है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई छींटाकशी नहीं की है। कोई कलंक नहीं लगाया गया है।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : जैसाकि श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा है, सांविधिक निकाय की रक्षा की जानी चाहिए *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मैं अनुच्छेद 150 और 151(1) को उद्धृत कर रहा हूं। अनुच्छेद 150 में कहा गया है :–

> ''संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करे।''

अनुच्छेद 151(1) – जो श्री जार्ज फर्नान्डीज के वक्तव्य के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है – में कहा गया है :–

> ''भारत के नियंत्रक महापरीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनका संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।''

इसका मतलब है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति के पास जाएगी और तब यह सभा में रखी जाएगी। रक्षा मंत्री की आशंकाओं से यह जाहिर है कि यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से लीक हुई या फिर राष्ट्रपति भवन से लीक हुई है। महोदय, आप इस पर व्यवस्था दीजिए कि क्या इसमें कोई छींटाकशी है या नहीं। यदि यह नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से या राष्ट्रपति से लीक हुई है तो एक सारभूत प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। वे इस मामले में कोई छींटाकशी नहीं कर सकते हैं। *(व्यवधान)* दोनों ही सांविधिक प्रमुख हैं। एक एजेंसी है तो दूसरा संविधान के मुखिया। उन्होंने यह बताना चाहिए कि उन्हें आशंका किस पर है। अन्यथा यह रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकता *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी द्वारा उठाए गए सवाल पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

संविधान के अनुच्छेद 150 में कहा गया है :–

> ''संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करे।''

श्री दासमुंशी द्वारा उद्धृत किए गए अनुच्छेद 151(1) को पढ़ने की जरूरत है। इसमें कहा गया है :–

> ''भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ के लेखाओं सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा''

यदि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य पर किसी प्रकार की छींटाकसी हुई है, तो मुझे निश्चय ही उस पर आपत्ति होगी। पर उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह मैंने सुना है। उनको सुनने के पश्चात् मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के खिलाफ कुछ कहा है और न ही उन्होंने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त की है। और यदि वे ऐसी इच्छा जाहिर भी करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अभी विपक्ष की नेता यहां आई हैं इसलिए मेरा उनसे प्रश्न है। उन्होंने पिछले दो सालों से यह अभियान चलाया, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, सदन के भीतर यानी हर स्तर पर कि जो खरीदी सेना ने की है, मंत्रालय से अंतिम पत्र गया होगा, जाना ही चाहिए, लेकिन यह खरीदी सेना ने की है तो विपक्ष के नेता ने यह आरोप लगाया कि क्या सेना के किसी अधिकारी ने इससे पैसे बनाए हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे नहीं जानते हैं कि मंत्री सभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं, न कि अधिकारी के प्रति *(व्यवधान)* वे रक्षा मंत्रालय के नौकरशाहों पर छींटाकशी कर रहे हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : यह सवाल है, जिसका मैं जवाब चाहता हूं। *(व्यवधान)* किसने पैसा खाया, किसने रुपया बनाया? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप सेना पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। फिर आपकी पार्टी के सदस्य जवाब भी दे सकते हैं और उनके सामने प्रश्न भी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भड़ाना (मेरठ) : आप मिनिस्टरी से बाहर इंक्वायरी करवा लेते, मिनिस्टरी में क्यों गये *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने मंत्री जी को टिप्पणी करने की अनुमति दी है। वह अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। इसके बाद जब भी आपको अवसर मिले आप उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : यहां हंसी-मुसी नहीं चलेगी, जवानों के खून का सवाल है *(व्यवधान)* मैंने 37 साल इस सदन में बिताए हैं। जवानों का खून पीने के लिए नहीं, बल्कि इस देश को बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए *(व्यवधान)* कहीं भी गलत काम होता है, उसको रोकने के लिए *(व्यवधान)* मैं जान हथेली पर रखकर जवानों के हित के लिए काम करने वाला आदमी हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री शिवराज वि० पाटील : हम सरकार, मंत्रालय, मंत्री और उनके कार्यालय पर आरोप लगा रहे हैं। हम रक्षा बलों पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : फिर आप किस पर आरोप लगा रहे हैं?

श्री शिवराज वि० पाटील : हम मंत्री और उनके कार्यालय पर आरोप लगा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भड़ाना : गलत काम खुद करते हैं और दोष सेना पर थोपते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : इस सदन के भीतर यह समाप्त नहीं होगा। *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं सदन का सदस्य हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : किन्तु जब वह गुमराह कर रहे हैं तो हम आपत्ति कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, मैं 37 साल से इस सदन का सदस्य हूं। लेकिन पिछले दो सालों से *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें गलत क्या है? आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 37 साल से सदस्य हैं, इसमें गलत क्या है। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : पिछले दो सालों से मैं सुनता आया हूं कि *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अगर हिम्मत है तो सीधा-सीधा चार्ज लगाएं *(व्यवधान)* चार्ज लगाएं, डैफेमेशन में पकड़े जाएं *(व्यवधान)* किसी का नाम नहीं ले रहे हैं *(व्यवधान)* हर बार गलत इल्जाम लगाते हैं। *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, पिछले दो सालों से मैंने इस पर बात की है। *(व्यवधान)* कहा जाता है कि जवानों के खून पर हमारी तरफ से पैसा बनाया जा रहा है। *(व्यवधान)* अटल जी पर यह आरोप लगाया गया है। आडवाणी जी पर यह आरोप लगाया गया है और मुझ पर तो रोज लगाया जाता है। इस सदन में यहां आकर, कफन, कफन *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या वह इन सब आरोपों से ऊपर हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि प्रत्येक माननीय सदस्य इस प्रकार इसमें भाग लेना क्यों चाहता है जिस प्रकार वह इसमें भाग ले रहे हैं। मैं अब सभी माननीय सदस्यों को सम्बोधित कर रहा हूं। जब तक माननीय मंत्री अपने स्थान पर बैठें तब तक कोई सदस्य न बोले। मैंने माननीय मंत्री को बोलने की अनुमति दी है। माननीय मंत्री को यह कहने का पूरा अधिकार है जो कुछ उन्होंने अभी कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत गलती कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूं कि मिनिस्टर ने केवल इतना कहा है कि उन्होंने 37 साल किया किया है, तो इसमें क्या गलत है, आप क्यों खड़े होते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज को ही बोलने की अनुमति दी है। जो कुछ वह बोलेंगे वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, मैं इस सदन का एक सदस्य हूं। पिछले 22 महीने से मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जवानों के खून पर ताबूत खरीद कर पैसे बनाए है, हमारी सरकार ने और मैंने *(व्यवधान)* यह बात स्पष्ट हो गई और सही है, ऐसा मनाते हैं। अगर मैंने ऐसा काम किया है, तो मैं सदन में रहने के लायक नहीं हूं। *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि *(व्यवधान)* सदन के नियम हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि बिना किसी आधार के कोई आरोप लगाया जाता है तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर बैठिए। माननीय मंत्री अपनी बात कह रहे हैं। कृपया उन्हें अपना भाषण देने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना काम करने दीजिए। आप कैसे कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर बैठिए। माननीय मंत्री सभा के समक्ष अपनी बात रखने में पूर्ण सक्षम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन आरोपों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा जिनका कोई आधार नहीं है और जो सिद्ध नहीं हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराजी माने, कृपया बैठ जाइए। सभा में अनुशासन होना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष महोदय, अपने सुना, सारे देश ने सुना, जो भी यहां चर्चा हो रही है, वह सारे देश के सामने हो रही है। सारे देश ने सुना है कि जार्ज फर्नान्डीज ने जवानों के खून पर ताबूत खरीदकर पैसा खाया। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन का प्रसारण बंद किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सुबह से विभिन्न चार्जिस लगा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे पहले सदन को यह बताना चाहता हूं कि सब जानते हैं कि आज टेलीविजन में लाइव टेलिकास्ट हो रहा है। आज पूरा देश टेलीविजन देख रहा है। सदस्यों का बर्ताव सदस्यों जैसा होना चाहिए। देश के नेता ऐसे करेंगे तो देश के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? मैं सभी से विनती करता हूं कि यहां सब कुछ ठीक से चलना चाहिए। यहां जो कुछ हो रहा है, वह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, बैठिए। आप सब लोग सदन का काम चलाना चाहते हैं तो कोआपरेट करिए। मैं दोनों तरफ के सदस्यों से विनती करता हूं कि मंत्री जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलूंगा, क्या उस समय भी आप बोलेंगे? आप अपने आप को क्या समझते हैं? प्लीज,

[अनुवाद]

मेरी बात सुनिए। इसलिए मंत्री जी को बोलने दीजिए। मंत्री जी लम्बे समय के बाद सभा में बोल रहे हैं। उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। क्या आप यह बात नहीं समझते कि मंत्री को सभा में बोलने का पूरा अधिकार है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया मेरी बात सुनिए। भाग्यवश, सदस्य सहयोग कर रहे हैं। मंत्री जी को अपना दृष्टिकोण पूरा करने दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि विपक्ष की ओर से भी कुछ सदस्य बोलें और मंत्री जी के अपना भाषण समाप्त करने बाद अपनी बात रखें। किन्तु उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है। इसलिए कृपया उन्हें बोलने दीजिए। सभा के प्रत्येक सदस्य से मेरा अनुरोध है कि मैं सभा के सत्तापक्ष अथवा विपक्ष का हवाला नहीं दे रहा हूं – न उन्हें परेशान करने के लिए कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उन्हें परेशान करना चाहता हूं तो यह बहुत बुरी बात है। कृपया यह न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दीजिए। यह वाद-विवाद है। हमारे देश के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, वे जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है और इसलिए हमें अपने देश के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वे समझ जाएंगे कि कौन सही है अथवा कौन गलत है। आपका काम सभा के समक्ष रखना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं। क्या आप नहीं समझते कि अध्यक्ष खड़े हैं और आप से बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि कुछ असंसदीय है और प्रकृतिश: अपमानजनक है तत्पश्चात् आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। यह मेरी आप से अपील है *(व्यवधान)* मैं बस यही कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जिस किसी को माननीय सदस्य की बात नहीं सुननी, वह जा सकता है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम सब इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं। जब वह अपने लिए कह रहे हैं कि हम इस लायक नहीं हैं तो हम इस तरह कहें तो इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह इसकी आलोचना जरूर कर सकते हैं और उसका कोई भी जवाब दे सकता है। हम खुद आज आपके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं इसलिए कि आप ठीक तरह से सुन नहीं रहे हैं। हम कल से इस बात को कह रहे हैं। अभी आरोप कहां लगे हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं और मुझ पर गलत आरोप लगे हैं। ऐसे में आपको किस बात की परेशानी है? अभी जयपाल रेड्डी जी बोलने जा रहे हैं, दासमुंशी जी भी बोलेंगे, कल यह बोलेंगे, वह बोलेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपका मुद्दा सही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया शांति रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन का प्रसारण शुरू किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय मंत्री जी को बोलने दिया जाये।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बात कही, उसका ख्याल करते हुये और आपका जो आग्रह है, उसे ख्याल में रखते हुये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सदन में हमारे कुछ नियम हैं। उन नियमों के अंतर्गत अपराधी को सजा देने का इन्तजाम किया हुआ है। अगर इस सदन में कोई असत्य बोला है तो उसे सजा देने के लिये नियम है। अगर मैं असत्य बोलता हूं तो मुझे सजा हो जाये, अगर नेता विपक्ष ने असत्य बोला है तो उन्हें सजा हो जाये। आप दोनों को बुलाकर बात सुन लीजिये *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह क्या है जो विपक्ष की नेता ने कहा है जो गलत है? *(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं एक बात 'सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा' के बारे में कहना चाहूंगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, विपक्ष की मान्य नेता ने अपने भाषण में एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा है जो सही नहीं है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह भी एक आवश्यक चीज है। यह हमारी सरकार में नहीं है, यह बात उनकी तरफ से आ गई। मैं जिन्दगीभर भ्रष्टाचार से लड़ने वाला व्यक्ति रहा हूं। उसके लिए मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ा है, कभी उससे पीछे नहीं हटा और न हटने वाला हूं।

अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये दो उपाय होते हैं। एक प्रश्न आया जब मैं दूसरे सदन में था, वहां डा० मनमोहन सिंह थे जिनसे मैंने कहा था कि एक तो व्यक्ति के मन में इतनी देशभक्ति, उसके साथ-साथ किसी का भय होना चाहिये, तब वह व्यक्ति गलत काम में नहीं जाता है, भ्रष्टाचार की तरफ नहीं जाता है। या तो कानून उसके पीछे ऐसा लगना चाहिये कि यदि उसने गलत काम किया है तो उसे पकड़ सके। बाकी, हम लोग भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार कहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहां प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ की बात कही गई। मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन हमारी सरकार इस दिशा में जो प्रयास कर रही है और काफी समय से अपराधी लोगों के खिलाफ मुकदमे चला रही है, ऐसे मुकदमों में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि ये सारे काम हमें भ्रष्टाचार मिटाने के अंतिम स्थान पर नहीं पहुंचायेंगे। इसलिये, मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि सदन ने अनेक किस्म के संकल्प लिये हैं। अगर ऐसे संकल्प आपकी तरफ से इस सदन को दिये जाते हों तो हो सकता है कि उनका असर कुछ लोगों पर पड़े। इस संदर्भ में मैं एक बात रखना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का सिलसिला देश को कहां तक पहुंचा सकता है।

अध्यक्ष जी, भारत में अमरीका के पूर्व राजदूत श्री डेनियल पैट्रिक मोईनिहान ने एक किताब 'ए डेन्जरस प्लेस' लिखी है जिसमें उनके कुछ अनुभव थे। उसमें लिखा गया है कि अमरीकियों ने कुछ ऐसे प्रयास किये थे कि हमारे हिमालय पर सी०आई०ए० ने अटौमिक डिवाइस रखने का प्रयास किया था जिसकी जानकारी भारत सरकार को मिली थी। उस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था। उसी प्रकार का दुबारा प्रयास स्व० मोरारजी देसाई के प्रधान मंत्रित्वकाल में किया गया था। उसे लेकर तत्कालीन प्रधान मंत्री ने कुछ बातें कहीं और उन बातों पर इस एम्बैसेडर ने कुछ आपत्ति उठाई और कुछ बातें हो गई। इस किताब में वह कहता है–

[अनुवाद]

1974 में श्रीमती गांधी सी०आई०ए० के वर्तमान खतरे के बारे में अभी अपना भाषण दे ही रही थी और जबकि मैं चीन में अपने एक समान हित के बारे में संबंधित भारतीय अधिकारियों से भेंट कर रहा था।

नई दिल्ली में मैंने दूतावास में रहते हुए दूतावास पर यह प्रभाव बनाए रखा कि वह भारत में हमारे पूरे पिछले वर्ष के भूतकाल में जाकर देखें और यह तय करें कि हमारे हिन्दुस्तान के साथ किस

तरह के संबंध रहे। अन्त में मुझे तसल्ली हुई कि हमारे संबंध हिन्दुस्तान के साथ बहुत कम रहे। हमने किसी राजनीतिक पार्टी को धन मुहय्या कराने की बात को लेकर भारतीय राजनीति में दो बार ही हस्तक्षेप किया था। दोनों बार ही किसी राज्य के चुनाव में यानी कम्यूनिस्ट विजय को लेकर यह बात कही गई, एक बार यह बात केरल के संबंध में कहीं गई और एक बार यह बात पश्चिम बंगाल के संबंध में कही गई *(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इसे समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा सार्वजनिक रूप से चुनौती दी गई और अब वह संयुक्त राज्य अमेरिका के आदेश पर – की शरण *(व्यवधान)* ले रहे हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : इसीलिए मैं बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार कैसे देश को कहां पहुंचा सकता है। मैं आप लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं नेता विपक्ष पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल इतिहास की याद दिला रहा हूं कि भ्रष्टाचार देश को कहां तक पहुंचा सकता है *(व्यवधान)* इस हम हम सबको सोचना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, यह ठीक नहीं है *(व्यवधान)* महोदय, क्या उन्होंने नोटिस दिया है? *(व्यवधान)* महोदय, क्या इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा? *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस पुस्तक की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निन्दा की गई और अब वह अमेरिका के राजदूत द्वारा लिखित पुस्तक की शरण ले रहे हैं *(व्यवधान)* यह क्या इंगित करता है? *(व्यवधान)* यह इंगित करता है कि सरकार वाशिंगटन के आदेश पर काम कर रही है न कि *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, दो-तीन बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे हाथ में एक किताब है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने अपनी पोल खोल दी है कि वह किसके आदेश पर काम कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : महोय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 352(ii) पढ़ रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : आप दल पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने पैसा लिया *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मैं एक पुस्तक से पढ़ता हूं और बस इतना ही *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : इस तरह आपने यह आरोप लगाया।

महोदय, मैं नियम 352(दो) पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है :

"बोलते समय कोई सदस्य ऐसा नहीं करेगा।"

महोदय, यह "नहीं कर सकता है" नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : यह पार्लियामेंट लायब्रेरी की किताब है। *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, नियम 352(दो) में कहा गया है :

"एक सदस्य बोलते हुए सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया गया था, वह एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या यह एक आरोप नहीं है? महोदय, क्या आपको कोई सूचना मिली है? क्या हमें इसके बारे में सूचना दी गई है? क्या सभा और सदन का इस तरह की चीजों अर्थात किसी पार्टी को बदनाम करने, या, किसी सदस्य को बदनाम करने, या उन लोगों को बदनाम करने के लिए उपयोग किया जाएगा? जो यहां नहीं हैं, और

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री शिवराज वि० पाटील]

जिनकी मृत्यु हो गई और जो चले गए हैं। इस तरह कार्य किए जा रहे हैं। महोदय, क्या आप ऐसी चीजों को कार्यवाही का हिस्सा बनने देंगे?

मैं पुन: नियम 353 पढ़ रहा हूं :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा। जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो ..."

महोदय, क्या आपको सूचना प्राप्त हुई है? इसमें आगे कहा गया है :

"... और संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो। जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।"

क्या गृह मंत्री को इसकी जांच करने के लिए सूचना प्राप्त हुई है? यह केवल व्यक्ति पर ही लागू नहीं है यह पार्टी पर भी लागू होता है। यदि आप चाहें तो मैं यह सब इस पुस्तक से पढ़ सकता हूं।

महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न पर अपना विनिर्णय दें। इस प्रश्न पर अन्य अध्यक्षों द्वारा भी निर्णय दिए गए हैं। महोदय, आपने स्वयं ऐसी सभी टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकालते हुए निर्णय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था का प्रश्न सुना है।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह लीडर साफ ...गाओशन ने सरकार पर इतने चार्ज लगाए, तब यह रूल श्री शिवराज पाटील जी ने उन्हें क्यों नहीं बताया? तब मैंने इन्हें यह रूल बताया था कि सरकार, पार्टी या मिनिस्टर पर कोई चार्ज नहीं लग सकते। माननीय रक्षा मंत्री ने किसी पर कोई चार्ज नहीं लगाया है। उन्होंने एक प्रिंटेड बुक का उद्धरण दिया है। उस पर ये पाइंट आफ आर्डर कैसे उठ सकते हैं और कैसे किसी के ऊपर यह एलीगेशन माना जा सकता है? *(व्यवधान)* आप उस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यह पुस्तक संसद ग्रंथालय की है। यह गत 30 वर्ष या उससे अधिक समय से वहां है *(व्यवधान)* आप पृष्ठ संख्या 41 देखिए।

श्री शिवराज वि० पाटील : *(व्यवधान)* व्यक्तियों और दलों के विरुद्ध पुस्तकें मौजूद हैं। हम उन पुस्तकों को ला सकते हैं और हम उन्हें सभा में पढ़ सकते हैं। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो इस सभा को इस प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : सौभाग्य से इस मुद्दे पर नियम बहुत स्पष्ट हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, दो बातें हैं। मेरी नेता विपक्ष से प्रार्थना है कि *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। सौभाग्य से इस मामले पर नियम बहुत स्पष्ट हैं। श्री शिवराज वि० पाटील द्वारा नियम पढ़े गए हैं। सौभाग्य से, इस मुद्दे पर कौल एवं शकधर – पांचवा संस्करण में पृष्ठ 221 पर उन्होंने सभा में लगाए गए आरोपों के बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से बताया है। सर्वप्रथम, सदस्य को अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना देनी चाहिए। दूसरे लगाए जाने वाले आरोपों का स्पष्ट अर्थ बताया जाना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों जो कि सदस्य द्वारा प्रभावित किए गए हों, को विधिवत रूप से इसके साथ संलग्न किया जाना चाहिए। तीसरे, सदस्य को सभा में आरोप लगाने से पूर्व यह जांच करने के पश्चात कि आरोपों का कोई आधार है, स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। चौथे, सदस्य को आरोपों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पांचवें, सदस्य को आरोपों की पुष्टि करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नियम स्पष्ट हैं। कौल एवं शकधर द्वारा इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है और ये नियम बहुत स्पष्ट हैं कि सदस्य द्वारा लगाया गया कोई आरोप बहुत सुस्पष्ट होना चाहिए और ऐसे आरोपों की पुष्टि की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे विनिर्णय देने दीजिए। जब श्री जार्ज फर्नान्डीज़ ने पुस्तक से कुछ सामग्री पढ़ी थी तो उन्होंने भी कहा था कि वह आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो अंश उन्होंने पुस्तक से यहां उद्धृत किए हैं और यदि वह अंश पुस्तक में नहीं है तो मैं उनसे इसे प्रभावित करने के लिए कह सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। यदि यह सुस्पष्ट आरोप लगा रहे हैं तो इन्हें इनका सत्यापन करना होगा और कहना पड़ेगा कि वह ये आरोप लगा रहे हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज़ ने बोलते हुए कहा था कि वह आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने पुस्तक के कुछ अंश पढ़े हैं। मैं इनका अवलोकन करूंगा और यदि मुझे लगता है कि किसी राजनैतिक पार्टी अथवा किसी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगाये गये हैं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाए। श्री जार्ज फर्नान्डीज़, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : धन्यवाद, महोदय। मैं सभा का ओर समय नहीं लूंगा। मैं समय देने के लिए और इस बात के लिए कि माननीय सदस्यों ने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी अपना आभार व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरी विपक्ष की नेता से एक ही प्रार्थना है, जब भ्रष्टाचार से हमें लड़ना है, तो वे एक काम जल्दी से जल्दी करें कि क्वात्रोची को भारत में लाने में यदि उनको मदद मिल जाए, तो उससे बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि यह बहुत अर्से से चला हुआ कांड है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यह श्री बी०एन० टंडन की लिखी हुई एक किताब है। वे श्रीमती इंदिरा गांधी के प्राइवेट सैक्रेट्री थे। इस किताब में इमर्जेंसी से पहले की पूरी जानकारी है। हम तो यह चाहेंगे कि सी०बी०आई० से इस पर जांच कराई जाए, तो बहुत कुछ निकल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस समय प्रतिपक्ष की बारी है, मैंने सूची देखी है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप ठीक कह रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि श्री मुलायम सिंह के पश्चात् श्री चन्द्रशेखर बोले थे।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जी नहीं, महोदय।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, अब श्री एस० जयपाल रेड्डी बोलेंगे। उसके पश्चात् आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, सभा के समक्ष कुछ नहीं है, इसलिए, कृपया बैठ जाइए।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : माननीय रक्षा मंत्री कह रहे थे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी। श्री जयपाल रेड्डी बोलेंगे, मैंने आपको बोलने की अनुमति तब तक नहीं दी जब तक कि यह व्यवस्था का प्रश्न न हो। कृपया, बैठ जाइए *(व्यवधान)*

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : महोदय, आपने कहा है कि मंत्री जी के भाषण के पश्चात्, आप सदस्यों को बोलने की अनुमति तभी प्रदान करेंगे यदि वहां कोई स्पष्टीकरण हो।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जयपाल रेड्डी को अनुमति दी है न कि आपको,

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : श्री एन०डी० तिवारी के पश्चात्, मैं लोक लेखा समिति का सभापति बना। मुझे भी यह प्रसंग वसीयत के रूप में मिला। मेरे कार्यालय में मुझे बताया गया था कि रक्षा विभाग से सम्बद्ध लोग रिकार्ड को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, वे सभापति को एक अपवाद के रूप में दिखा सकते हैं, यह नजीर उस समय से पहले से चली आ रही है जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी आप बोलेंगे कि नहीं?

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : उन्होंने मुझे नोट दिया है और यह रिकार्ड में है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जयपाल रेड्डी के अलावा किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : यह एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है लेकिन उन्होंने सभा को गुमराह किया है। मैं लोक लेखा समिति का सभापति था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल सही हैं। वह लोक लेखा समिति के सभापति थे। आपने कहा कि मंत्री के भाषण के पश्चात यदि कोई विधिमान्य प्रश्न उठाना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाएगी। वह लोक लेखा समिति के सभापति थे और अपनी बात रखना चाहते हैं।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : इस सभा में लोक लेखा समिति के कई सभापति उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी है। श्री जनार्दन रेड्डी

[हिन्दी]

जब आपकी पार्टी का नम्बर आएगा तो मैं आपको इजाजत दूंगा।

[अनुवाद]

सभा की अनुमति से, मैं सभा के समय को रात्रि आठ बजे तक बढ़ा देता हूं।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : मैं आपका समय नहीं ले रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : हम, लोक लेखा समिति के दस सदस्यों ने आपको नोटिस दिया था। यदि आप उन्हें लोक लेखा समिति के बारे में कुछ कहने की अनुमति देते हैं तो हम भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें तब तक बोलने की अनुमति नहीं दी जब तक कि वह व्यवस्था का प्रश्न न उठाएं। अन्यथा, वह तभी बोलेंगे जब उनके बारी आएगी।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : मैं केवल दो मिनट का ही समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दो मिनट का समय कैसे दे सकता हूं? कृपया, बात को समझिए और बैठ जाइए।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : यह एक महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : सभा में हर चीज महत्वपूर्ण होती है, कोई भी महत्वहीन बातें नहीं करता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, श्री जयपाल रेड्डी?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, यदि आप खड़े नहीं होते और बोलते नहीं हैं, तो मुझे दूसरे सदस्य को आमंत्रित करना होगा। अब आपको बोलना होगा।

श्री जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करूंगा ही, भले ही यह नीरस और डबाऊ है लेकिन संसद से बाहर लोगों को सता रही एक ही चिंता जो इस सरकार की खामियों और इसके जघन्य कारनामों से संबंधित है, के बारे में लोगों को भी बताना चाहूंगा।

महोदय, मेरी सुविदित राय में इस सरकार का मूलभूत पहलू फासीवादी प्रकृति का है और इस फासीवादी प्रकृति के दो चेहरे हैं – पहला हिटलरी चेहरा जिसके अन्तर्गत कतिपय समूहों को लक्षित किया जा रहा है, इसे अब जातीय समाप्तक कहा जाता है और दूसरा पूरा भ्रष्ट और निर्लज्ज सत्तावादी पहलू है। आज, मैं दूसरे पहलू को लेता हूं यथा इस सरकार का घृणित अवसरवादी और प्रताड़क चरित्र।

समयाभाव के कारण मैं पहले चेहरे पर चर्चा नहीं करूंगा। इसके मंत्रालयों को आपसी भयोदोहन की शक्तिशाली श्रृंखला ने जकड़ कर रख दिया है। आपके पास ऐसे मंत्री है जिनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर हैं और आपके मंत्रियों पर गम्भीर आरोप लगे हुए हैं। वे एक दूसरे को अपनी मुक्ति के लिए जकड़े हुए हैं। इस सरकार की संख्यात्मक बल का यही रहस्य है। यह घोटालों से पटी सरकार है। हमारे नेता ने इन घोटालों को सुबह गिनाया था। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। ये बहुत बड़े और बहुविद्य हैं। समयाभाव के कारण, मैं इनमें से एक या दो बातों पर ही चर्चा करूंगा।

तहलका इस सरकार की अद्योगति और चरित्र हीनता का उदाहरण है। इस खुलासे ने 13 मार्च 2001 को नई दिल्ली में भूकंप का आभास कराया। इसका केन्द्र राजग था और इससे कई झटके उत्पन्न हुए, पहला यह कि यह एक सांस्कृतिक झटका था। मैं इन सब का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि लोगों की याद्दाश्त कमजोर होती है और राजग के नेताओं की याद्दाश्त और भी कम है। इसलिए, मैं इन मूलभूत तथ्यों में से कुछ को याद दिलाना चाहता हूं। मैं उनकी याद्दाश्त को ताजा करना चाहता हूं।

कैमरे पर राष्ट्रीय स्तर के नेता पैसा लेते देखे गए थे। हमारी संस्कृति के लिए यह एक बड़ा धक्का था। दूसरे, इसमें कई दल और कई हस्तियां फंसी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि – मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। कृपया उस नियम का उल्लेख न करें जिसका उल्लेख शिवराज पाटील ने किया है – राजग के सभी बड़े नेताओं की भारी छूट पर बिक्री हो रही थी। वे सभी बिक रहे थे।

श्री बंगारू लक्ष्मण चौंका देने वाली घटना – माफ कीजिए घटना में नहीं दृश्य में एक लाख रुपये ले रहे हैं। यह उनके लिए एक बहुत ही छोटी बात है।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : शिवराज पाटिल जी, इनको भी वह रूल समझा दीजिए, जो आप हमें समझा रहे थे।

[अनुवाद]

उन्हें उस नियम के बारे में भी बता दें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं सच्चाई बता रहा हूं। यह एक ऐसा चौंका देने वाला दृश्य था जिसे राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता है किन्तु राजग के नेता इसे भूलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी ओर से यह स्वयं को धोखा देने की कार्यवाही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि रक्षा मंत्री का सरकारी आवास ब्रोकरों, बिचौलियों और एजेंटों का अड्डा हो। ऐसा भी लग रहा था जैसा कि रक्षा मंत्रालय की खरीद एजेंसियां – कृपया नोट करें मैं रक्षा बलों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं – भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं उनका बहुत आदर भी करता हूं। किन्तु महोदय, मैं एक सीमा के बाद व्यक्तियों का आदर नहीं करता। मैं तथ्यों का आदर करता हूं। तथ्य व्यक्तियों से अधिक पवित्र होते हैं।

सायं 7.00 बजे

विडियो टेप रिकार्ड में रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के दत्तक परिवार के बारे में महत्वपूर्ण बातें दर्ज हैं।

महोदय, इन धमाकों का क्या परिणाम निकला? श्री बंगारू लक्ष्मण को केन्द्र में गठबंधन मुख्य पार्टी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा; समता पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती जया जेटली को त्यागपत्र देना पड़ा। क्या मैं यह भी बता सकता हूं कि उस समय किसी और ने नहीं बल्कि आर०एस०एस० प्रमुख श्री सुदर्शन ने प्रधानमंत्री कार्यालय की आलोचना की थी? क्या मैं आपकी याद्दाशत को ताजा कर सकता हूं? *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, ये किस प्रकार का उल्लेख कर रहे हैं? वो श्री सुदर्शन अर्थात् एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं जो यहां नहीं हैं *(व्यवधान)* ये गलत बयानी कर रहे हैं *(व्यवधान)* उन्होंने इन नामों का उल्लेख करने के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी है *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं *(व्यवधान)*

वे एक ऐसे न्यायिक आयोग का उल्लेख कर रहे हैं जोकि इस विशेष प्रकरण की पहले ही जांच कर रहा है *(व्यवधान)* एक बार जब संसद पहले ही एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति करने का निर्णय ले चुकी है तो वे इन सब बातों का उल्लेख कैसे कर सकते हैं?

[हिन्दी]

जब एक तरफ ज्यूडिशियल इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, आयोग उस पर जांच कर रहा है, तो आप उसके बारे में यहां कैसे चर्चा कर सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं लगाए गए आरोपों या की गई आलोचनाओं का उल्लेख कर रहा हूं।

महोदय, क्या मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे ने वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री कार्यालय की आलोचना की थी? मैं यहां अपनी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : मैं अपने साथी श्री जयपाल रेड्डी जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि वे माननीय बाल ठाकरे के सम्मान को इतना वेटेज क्यों देने लगे हैं? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। इस मौके पर श्री बाल ठाकरे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक योद्धा की तरह सामने आए हैं श्री जार्ज फर्नान्डीज़ की तरह *(व्यवधान)* हाल के दशकों में श्री बाल ठाकरे और श्री जार्ज फर्नान्डीज़ भ्रष्टाचार के विरुद्ध महान योद्धा रहे हैं। इसी आदरसूचक ढंग में मैं श्री बाल ठाकरे का उल्लेख कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रशंसा करने का तरीका अन्य लोगों से भिन्न है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम उनके नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, इसमें इनको क्या आपत्ति है? बाल ठाकरे जी सही बोल रहे हैं, गोविन्दाचार्य जी सही बोल रहे हैं, अशोक सिंघल जी सही बोल रहे हैं, सुदर्शन जी सही बोल रहे हैं। हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कृपया, जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरी बहन कुमारी ममता बनर्जी यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने श्री जार्ज फर्नान्डीज़ को हटाने के लिए अपने मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया था।

मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : श्री जयपाल रेड्डी जी ने जब कांग्रेस छोड़ दी तब उन्होंने क्या कहा था, यह भी वह बता दें *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, कांग्रेस पार्टी ने तहलका के आलोक में पूरी सरकार के त्यागपत्र की मांग की थी, मैं यहां उपस्थित प्रत्येक सदस्य को कहना चाहूंगा कि हमने श्री जार्ज फर्नान्डीज के त्यागपत्र की मांग नहीं की थी, हमने सरकार के त्याग पत्र की मांग की थी जबकि कुमारी ममता बनर्जी ने श्री जार्ज फर्नान्डीज़ के त्याग पत्र की मांग की थी, सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने अपने सम्पादकीय के माध्यम से मांग की थी कि श्री जार्ज फर्नान्डीज़ को बरखास्त किया जाए। यह हमारी मांग नहीं थी। हमारी मांग थी कि वाजपेयी सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए। हमारी मांग यह नहीं थी कि श्री जार्ज फर्नान्डीज को त्यागपत्र देना चाहिए।

महोदय, अन्तोगत्वा श्री जार्ज फर्नान्डीज़ को जाना पड़ा। हमारे प्रधान मंत्री महान राजनीतिक प्राकृतिक चिकित्सक है। वह जानते हैं कि दवाएं कैसी देनी हैं, वे जानते हैं कि ध्यान कैसे बांटना है और इस बार यह श्री जार्ज फर्नान्डीज़ की ओर दिलाया गया है।

महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज स्वयं ही उच्च नैतिक आधार की बात करते हैं – मैं समझता हूं कि वह आज सभा में उपस्थित होने चाहिएं और उन्होंने कहा था कि : "मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कि मुझे वेंकटस्वामी आयोग द्वारा निर्दोष साबित नहीं किया जाता है"। उन्होंने दूरदर्शन के मंच का दुरुपयोग किया। मुझे खेद है कि मैं इसे प्रसार भारती कह गया, जबकि यह तो भाजपा का प्रचार भारती है *(व्यवधान)* महोदय, हमने उनसे ऐसी प्रतिबद्धता जताने के लिए नहीं कहा था। हमने तो संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच करने की मांग की थी। इस सरकार ने गुप्तरूप से, चोरी-छिपे षडयंत्र रचते हुए न्यायिक आयोग की नियुक्ति की है *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : मेरा व्याख्या का प्रश्न है। मैं उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों को समझ नहीं पाया हूं *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, कम से कम उन्हें सरल शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहें ताकि मैं समझ सकूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ये अंग्रेजी के ऐसे-ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो समझ में नहीं आते। मैं भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। *(व्यवधान)* ज़रा इनसे कहिए कि भाषा थोड़ी सिम्पल कर दे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्याख्या के प्रश्न का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको सरल शब्दों के प्रयोग हेतु कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : उन्हें ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिनका अर्थ हमें पता नहीं हो। उन्हें थोडी सरल भाषा बोलनी चाहिए ताकि मैं समझ सकूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे हल्के रूप में लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : यह मेरा अनुरोध है और मुझे विश्वास है कि वह मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

जो हिन्दी में ट्रांसलेट करता है।

[अनुवाद]

वह भी नहीं कर पाएगा। मैं उनको अंग्रेजी नहीं समझ सकता। मैंने हिन्दी भाषातरंण के जरिए समझने की कोशिश की लेकिन हिन्दी भाषातंरकार भी भाषातंरण नहीं कर सका। महोदय, मैं कैसे समझ सकता हूं कि संसद में क्या हो रहा है? कृपया आप मामले को देखें। यह गंभीर मामला है। हमने बोफोर्स के बारे में भी उनके विचार सुने हैं। वह जानते हैं कि बातों को कैसे बदलना है संसद में एक दल से दूसरा दल बदलने की तरह *(व्यवधान)* जो गुण इनके पास हैं, हमको भी सिखाएं। इसलिए, उन्हें हमें अपने विचार बताना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कीर्ति झा आजाद, क्या आप किसी गेंदबाज को बता सकते हैं कि उसे गेंदबाजी कैसे करनी चाहिए? यह तो गेंदबाज ही निर्णय करता है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि ये थोड़ी सिम्पल भाषा में बोलें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और सम्पूर्ण विपक्ष ने जे०पी०सी० द्वारा जांच कराए जाने की मांग की थी और सरकार ने एक तरफे ढंग से न्यायिक आयोग के गठन करने का निर्णय लिया।

मैं अन्य पहलुओं का उल्लेख भी कर दूं। इन सब बातों से प्रधानमंत्री कार्यालय भी अप्रभावित नहीं रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय में दो अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगे। अंततोगत्वा, श्री ब्रजेश मिश्र बमुश्किल अपनी जगह पर बने रहने में सफल रहे और श्री एन०के० सिंह को आर०एम०एस० और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक समझौते के रूप में अपने पद से हाथ धोना पड़ा। सच्चाई मेरे ध्यान में आ रही है। सच भले ही कड़वा हो। मैं इसे कहे बगैर नहीं रह सकता *(व्यवधान)*

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : आपका आर०एस०एस० को यहां घसीटने से आपका क्या मतलब है? *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री बंगारू लक्ष्मण, श्रीमती जया जेटली, श्री जार्ज फर्नान्डीज के इस्तीफे और प्रधानमंत्री कार्यालय से श्री एन०के० सिंह के जाने की बात के सम्बंध में उस समय उत्तेजित जन भावना के जरिये सब कुछ सोच विचार कर उसमें हुई चूकों को सुधार लिया गया था। उन्होंने कभी उचित न्याय तो किया ही नहीं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे परमिशन के बिना जो बोलता है, वह टी०वी० में नहीं दिखाया जाता। प्लीज़ बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसलिए, महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह केवल घूसखोरी की कहानी नहीं है, यह चालाकी, दगाबाजी, स्वेच्छाचारिता की कहानी है *(व्यवधान)* महोदय, मैं उसकी भी बात करूंगा। इसी बीच 9/11 घटित हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ; पेंटागन पर आतंकवादी हमला हुआ। यह अमेरिका और विश्व के लिए भीषण अभिशाप था। लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं कि यह श्री जार्ज फर्नान्डीज के लिए आश्चर्यजनक वरदान साबित हुआ। विश्व के लिए जो अभिशाप बना, वह श्री जार्ज फर्नान्डीज के लिए वरदान साबित हुआ।

देखिये। जार्ज फर्नान्डीज ने मंत्रिमंडल को लिखा है और तहलका जार्ज-केन्द्रित मुद्दा बन गया है। तहलका को किसने जार्ज-केन्द्रित मुद्दा बनाया? यह भारत के प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने श्री जार्ज फर्नान्डीज को मंत्रिमंडल में लिया और उन्हें तहलका को जार्ज-केन्द्रित मुद्दा बना दिया। श्री जार्ज फर्नान्डीज यह भी नहीं जानते कि उनका दुश्मन कौन है। निश्चित रूप से हम उनके दुश्मन हैं। लेकिन उनके अपने खेमे में ही उनके कई शत्रु हैं। खैर फासीवादी ताकतों के खिलाफ कू षडयंत्र रचने वालों के साथ यही सब होता है।

जब श्री जार्ज फर्नान्डीज वापस आए तो किस तरह का प्रभाव था? सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इसके बारे में लिखा। मैं उन्हें यहां नहीं लाया क्योंकि मैं सभा का समय नहीं गंवाना चाहता था। श्री आडवाणी के नवीनतम बौद्धिक प्रतिमान हैं श्री अमिताभ बच्चन, दुर्भाग्य से वह मेरे प्रतिमान नहीं हैं। मैं वे सम्पादकीय भी पढ़ सकता हूं जिनके लेखक निश्चित रूप से मेरे बौद्धिक प्रतिमान नहीं हैं। प्राय: प्रत्येक समाचार पत्र ने श्री जार्ज फर्नांडीज को मंत्रिमंडल में पुन: शामिल करने का विरोध किया है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रायश्चित करने का मामला ही नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार को महिमा मंडित करने का भी मामला है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह भ्रष्टाचार को महिमा मंडित करने का मामला भी है। इससे निर्लज्जता की भी हद हो गई। यह धृष्टता को महिमा मंडित करने का एक बड़ा उदाहरण है।

महोदय मैं एक तथ्य का उल्लेख करता हूं। कोई खड़ा होकर तहलका वीडियोटेपों के तथ्यों से इन्कार तो करे। क्या किसी ने इन्कार किया है? मैं पुन: कुमारी ममता की ओर देख रहा हूं। बेचारी ममताजी, जिन्होंने जिस समय से मंत्रिमण्डल छोड़ा था उसे उसी समय से बिठाये रखा गया है और उसकी उपेक्षा की गई है जबकि श्री जार्ज फर्नांडीज को चुपके से पुन: मंत्रिमण्डल में शामिल कर लिया गया है। श्री बंगारू लक्ष्मण ने अपने पर लगे आरोपों को स्वीकारा है। श्रीमती जयाजी ने भी उन्हें स्वीकारा है, सैन्य अधिकारियों ने भी इन्हें स्वीकारा है।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)* मैं पृष्ठ संख्या 131 पर दिए गए नियम 352(दो) का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

"सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा का उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यत: आवश्यक न हो।"

साथ ही, मैं उसी नियम के उप खंड (दस) का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है :

"कोई सदस्य बोलते समय सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर उल्लेख नहीं करेगा।"

माननीय सदस्य ने श्री ब्रजेश मिश्र का नाम लेकर उनका उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने श्री बंगारू लक्ष्मण पर भी आरोप लगाते हुए उनका नाम न लेकर उल्लेख किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह किसी मामले का उल्लेख कर रहे हैं, जो उनके अनुसार सच है। आप विरोध दर्ज कर सकते हैं यदि आप उस मामले की सच्चाई से सहमत नहीं हो, इसके अलावा, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया। श्री ब्रजेश मिश्र के बारे में भी, उन्होंने जो भी कहा, उनके अनुसार वह सच ही है। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : लेकिन वह सरकारी अधिकारियों के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते। *(व्यवधान)* यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह किसी सरकारी अधिकारी का नाम नहीं ले सकते। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य किसी अधिकारी के विरूद्ध आरोप लगाता है, तो यह नियम लागू होता है। मैं अभी भी उनसे अनुरोध करूंगा कि वह किसी का नाम लेने से बचें।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं आपके अनुरोध का ध्यान रखूंगा। कोई भी, जिनका नाम तहलका के वीडियो टेपों में है, इससे इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने परिकल्पित स्थितियों को व्यक्त किया है लेकिन किसी ने भी मूल तथ्य का विरोध नहीं किया है। मैं श्री जार्ज फर्नांडीज का बहुत आदर करता हूं। मैं उन्हें पिछले दो दशक से भी अधिक समय से जानता हूं। लेकिन मैं किसी की सत्यनिष्ठा को यूंही हल्के फुल्के ढंग से नहीं लेता हूं क्योंकि सत्यनिष्ठा का सबूत पारदर्शिता में नीहित होता है। जब कोई मंत्री पारदर्शी होने से इन्कार करता है। जब कोई मंत्री निगोड़ी अपारदर्शिता में लिप्त रहता है तो यही उसकी सत्यनिष्ठा के अभाव का सबूत है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री आर०के० जैन ने जो कहा, उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, जो उस समय समता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। श्री आर०के० जैन ने दावा किया, हो सकता है कि वह गलत हो, कि उन्होंने रक्षा मंत्री जो जार्ज फर्नांडीज से बारक मिसाइल की खरीद के बारे में कहा हो। *(व्यवधान)* और श्री आर०के० जैन ने स्वीकार किया कि श्री सुरेश नंदा ने बारक मिसाइल की खरीद के लिए घूंस के रूप में 1 करोड़ रुपए दिये थे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, कहीं भी कैसेट में ऐसा नहीं था। आर०के० जैन का बयान यह था कि रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीज पैसे की बात नहीं कर सकते। उनसे जो बात करेगा, वह बाहर निकाल देंगे। कैसेट में यही आया है। माननीय सदस्य सदन में असत्य बयान दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, जो बात मैं रख रहा हूं, वह यह है कि मैं श्री आर०के० जैन के चरित्र के बारे में नहीं जानता हूं। मैं उनको आदम के समय से नहीं जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तहलका कंपनी के वीडियो टेप के तथ्यों की बात कर रहा हूं *(व्यवधान)* श्री आर०के० जैन ने कहा कि उनके अभ्यावेदन पर श्री जार्ज फर्नांडीज ने अपने तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डा० अब्दुल कलाम की सलाह को दरकिनार कर दिया था। डा० कलाम की सलाह को नहीं सुना था। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : इनमें थोड़ा भी नैतिक बल होता तो ये सच्चाई जानने की कोशिश करते। *(व्यवधान)* जैन ने यह कहा था कि जार्ज पैसा नहीं छूता *(व्यवधान)* जयपाल रेड्डी जी सही नहीं कह रहे हैं। इनकी अजीब स्थिति हो गई है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा कहना यह नहीं है कि मंत्री किसी वैज्ञानिक सलाहकार की सलाह को अस्वीकार नहीं कर सकता भले ही वह कितना ही महान वैज्ञानिक क्यों न हो। मेरा ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। तथापि, मेरा प्रश्न यह है कि श्री आर०के० जैन को यह कैसे पता चला कि डा० कलाम की सलाह को श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अस्वीकार कर दिया। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं। इस आश्चर्यजनक व्यकित को इस उच्च वर्गीकृत गोपनीय बातों की जानकारी कैसे हुई? रक्षा मंत्रालय में सब कुछ गोपनीय होता है किन्तु बिचौलियों और दलालों के लिए कुछ भी गुप्त नहीं है। तथापि वे गोपनीय बातें भारत की संसद और लोक लेखा समिति के लिए गोपनीय हैं। श्री जैन को यह कैसे पता चला कि डा० कलाम की सलाह को अस्वीकार किया गया? डा० कलाम ने फाइल में सलाह दी थी कि भारतीय रूपान्तर "त्रिशूल" से काम चल जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह अनिवार्य रूप से सही थे अथवा गलत थे।

किन्तु श्री जैन को कैसे पता चला? श्री जैन कहते हैं *(व्यवधान)* तब वह भारत के माननीय राष्ट्रपति नहीं थे *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : सर, डा० कलाम का नाम तो निकलवा दीजिए।

[अनुवाद]

महोदय, उन्होंने डा० कलाम के नाम का तीन बार उल्लेख किया है। यह उचित नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को पढ़ूंगा और जो भी अनावश्यक है उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। मेरा इस बारे में कोई विशेष आग्रह नहीं है। *(व्यवधान)*

डा० नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, श्री बृजेश मिश्र के संदर्भ को भी हटा दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, श्री आर०के० जैन का कहना है कि उन्होंने मापो मिग विमानों की खरीद के संबंध में मास्को की यात्रा की थी और इससे पूर्व उन्होंने समता पार्टी अध्यक्ष श्रीमती जया जेटली से बात की थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद श्रीमती जेटली द्वारा उन्हें जाने की अनुमति दी गई।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि क्या श्री आर०के० जैन ने सही दावा किया था अथवा गलत, इसका सत्यापन श्री आर०के० जैन के पासपोर्ट से किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सर, यह गलत बात बोल रहे हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : सर, तहलका का सारा मामला कमीशन के सामने है। ये यहां कैसे उस पर बोल रहे हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न नहीं कर रहा। किन्तु मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं और स्पष्टीकरण चाहता हूं।

महोदय, श्री आर०के० जैन ने स्वीकार किया कि उन्होंने 250 आर्मर्ड रिकवरी वाहन (शस्त्र सुसज्जित वाहनों की खरीद के सम्बन्ध में श्री सुरेश नन्दा से एक करोड़ रुपए और प्राप्त हुए थे और वह बात रिकार्ड में है कि उन्होंने कहा था कि बोली लगाने वाले तीन थे। एक कंपनी चैकोस्लोवाकिया की थी, दूसरी पोलैंड की कम्पनी थी और तीसरी कंपनी स्लोवाकिया की थी।

[हिन्दी]

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष जी, जार्ज साहब तो समाजवादी हैं, वे तो पैसे को छूते तक नहीं हैं। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : सर, ये हाउस में गलत बात कह रहे हैं।

श्री अरूण जेटली : जार्ज फर्नान्डीज जो तो ईमानदार आदमी हैं. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस० जायपाल रेड्डी : महोदय, सरकार इसे स्पष्ट कर सकती है। कि जैन का कहना है कि उन्होंने जब श्री जार्ज फर्नान्डीज

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

से बात की तो श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अपने निजी सचिव श्री राजीव गोधा से प्राग में सेना अताशे से बात करने के लिए कहा जिन्होंने बताया कि यह कंपनी बंद हो गई है। तत्पश्चात श्री आर०के० जैन दावा करते हैं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने संयुक्त सचिव को भेजी फाइल में लिखा कि चैकोस्लोवाकिया की कंपनी के प्रस्ताव पर विचार न करें क्योंकि उनकी सूचना के अनुसार कंपनी बंद हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये सब बातें सच हैं *(व्यवधान)* ये सभी तथ्य परिपुष्ट अथवा विरोधाभासी हो सकते हैं *(व्यवधान)* मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि आपका व्यवस्था का प्रश्न है तो कृपया माननीय अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए। *(व्यवधान)*

महोदय, यदि ये बात सच्ची नहीं थीं तो तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज और वर्तमान रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा इन तथ्यों से इन्कार किया जा सकता था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके समय के बारे में ही पूछ रहा हूं। हमारे पास सीमित समय है। आपकी पार्टी के चार अन्य सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, पोलैंड की कंपनी के मूल्य स्लोवाकिया की कंपनी से कम थे फिर भी स्लोवाकिया की कंपनी को पचास प्रतिशत आर्डर दिए गए। टेप में यह सारी बात कही गई श्री आर०के० जैन द्वारा कहे गए। मुझे कैसे पता चलेगा? टेपों के अनुसार कानपुर के उद्योगपति श्री सुरेन्द्र सुलेखा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनकी पार्टी के पास समय है। यदि वह बोलते हैं और पूरा समय खत्म कर देते हैं तो उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें सावधान कर दिया है; इसका निर्णय करना उनका काम है। उनकी पार्टी उसे आवंटित सारा समय लेने के लिए एक ही सदस्य से कह सकती है। आप अपनी बात जारी रखें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वही वेस्टन कंपनी के प्रतिनिधि को रक्षा मंत्री के निवास पर ले गए थे। टेप के अनुसार श्री सुरेन्द्र सुलेखा कहते हैं कि वह पार्टी के लिए धन लाए हैं *(व्यवधान)*

मैं तहलका, लोक लेखा समिति और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की ही बात कर रहा हूं। मैं प्रत्येक विषय नहीं बोल सकता। इस बात से किसी ने इन्कार नहीं किया है कि श्री सुलेखा रक्षा मंत्री के निवास स्थान पर आए थे। दैनिक जागरण में जो समाचार 16 जून 1998 को प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार श्रीमती जया जेटली कानपुर में उनके निवास स्थान पर गई थीं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, तहलका रिपोर्ट में 15 कांग्रेसियों के नाम हैं। यहां बैठे हुए लोगों के नाम हैं। क्या सब नाम पढ़े जाएंगे कि तहलका रिपोर्ट में क्या है *(व्यवधान)* 15 कांग्रेसियों के नाम हैं और कई दूसरी पार्टियों और अपोजीशन की लिस्ट है। क्या तहलका पर बहस होगी? कमीशन बना हुआ है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं उसी पहलू पर बात कर रहा हूं। आपने काफी लम्बे समय से तहलका पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है। इसी कारण हम यह प्रस्ताव लाए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई मंत्री कहे कि उसका रिकार्ड अद्भुत है। आपका रिकार्ड पारदर्शी होना चाहिए। यह रिकार्ड रहस्य से आच्छन्न नहीं होना चाहिए। खोखली डींगों से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता *(व्यवधान)*

मार्च 2001 में नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण में इस बारे में समाचार प्रकाशित हुए थे कि श्री जार्ज फर्नान्डीज के रक्षा मंत्री बनने के कुछ दिनों के भीतर श्री सुरेन्द्र सुलेखा को कैसे चौदह करोड़ रुपए के ठेके मिल गए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह वाणिज्यिक संयोग का उत्कृष्ट मामला हो सकता है। मुझे मालूम है कि श्री अरूण जेटली संयोग के बारे में अपने तर्क देने के लिए तैयार हो रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार श्री सुरेन्द्र सुलेखा की कंपनी को काली सूची में रखा गया। उनकी कंपनी पर तीन लाख रुपए का जुर्माना किया गया। इसके बावजूद, उस कंपनी को रक्षा आर्डर मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री बहुत पारदर्शी हैं; रक्षा मंत्री ईमानदार हैं; वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनेक वर्षों से संसद में रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। किन्तु मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

महोदय, मुझे श्री फर्नान्डीज का पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे बड़े स्नेह से "प्रिय जयपाल" से सम्बोधित करते हुए यह पत्र लिखा है। पत्र में स्नेह दिखाने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

जार्ज फर्नान्डीज द्वारा लिखित इस पत्र के साथ हमें श्री आर०वी० पंडित द्वारा लिखित पुस्तक प्रेषित की गई है। इस पुस्तक में श्री आर०वी० पंडित ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से इस्तीफे की मांग की है और रक्षा मंत्री ने हम सभी को यह पुस्तक प्रेषित की है। मैं इस पुस्तक के तथ्यों और निष्कर्षों के बारे में नहीं झगड़ रहा हूं। मैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के इस्तीफा के लिए श्री आर०वी० पंडित की मुद्रित मांग का उल्लेख कर रहा हूं।

अब, जिस तरह तहलका रहस्योद्घाटन के प्रति व्यवहार किया गया, उस पर ध्यान दीजिए। सैन्य कार्मिक जांच न्यायालय के अध्यधीन होते हैं। उनमें से कुछ को निलम्बित कर दिया गया है। जांच न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कार्य 2001 तक ही पूरा हो गया था। सैन्य न्यायालयों की प्रक्रिया आमतौर पर 2 माह से अधिक की अवधि तक नहीं चलती है। साक्ष्य रिकार्ड करने का कार्य 2001 तक ही पूरा हो गया था। अब 2003 है। ये प्रक्रियाएं बाधित हुई हैं। रक्षा मंत्रालय ने कुछ अधिकारियों को भी निलम्बित किया गया है। लेकिन किसी भी राजनेता पर आंच नहीं आई है। इस देश में विधि के शासन को क्या हो गया है? अनुभवी प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही इस सरकार की तथाकथित अखंडता को क्या हो गया है। एक भी प्राथमिकी दर्ज न हो, यह कैसे हुआ? सैन्य कार्मिक निलम्बित हुए, रक्षा अधिकारी निलम्बित हुए, परन्तु सी०बी०आई०, अथवा पुलिस, या आयकर विभाग अथवा प्रवर्तन निदेशालय ने किसी भी दलाल बिचौलिए से पूछताछ नहीं की। दोहरी नीति कैसे हो सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि बेचारे सैन्य कार्मिकों के लिए एक नीति और बिचौलियों के दूसरी निति लागू हो? सत्ताधारी पार्टी के राज नेताओं और बिचौलियों को इस सरकार द्वारा एक ही तरह की सुरक्षा दी गई। इस तरह से हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि क्या एन०डी०ए० के राजनेता बिचौलिए हैं अथवा दिल्ली में बिचौलिए एन०डी०ए० के राज नेता है।

तहलका कम्पनी के साथ जैसा बर्ताव किया गया उस पर नजर डालिए। यह तहलका कम्पनी पर एक हमला था। उसमें श्री कुमार बादल एक कर्मचारी हैं। यह सरकार के फांसी वादी चरित्र का नायाब उदाहरण है। तहलका कम्पनी के वरिष्ठ रिपोर्टर श्री बादल को सी०बी०आई० द्वारा अवैध शिकार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सी०बी०आई० ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में अवैध शिकार के मामले में कभी कोई जांच की है। सी०बी०आई० अपने सीमित साधनों से अवैध शिकार के मामलों के बारे में शिकायतों को हैंडल नहीं कर सकती है। श्री कुमार बादल छः माह तक जेल में रहे थे। श्री जार्ज फर्नान्डीज मंत्रालय को सुशोभित कर रहे हैं जबकि तहलका के वरिष्ठ रिपोर्टर श्री कुमार बादल छः माह तक जेल में बंद रहे। सी०बी०आई० ने इस आधार पर तहलका कम्पनी पर छापा मारा था कि कम्पनी ने वर्ष 2000 में पूर्वोत्तर के सम्बन्ध में रिपोर्ट के जरिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया था। उन्होंने अपनी वेब साइट पर वर्ष 2000 में पूर्वोत्तर में हुई एक आतंकवादी घटना के बारे में रिपोर्ट दी थी। परन्तु तहलका के रहस्योद्घाटन के पश्चात्, 2001 में उस कम्पनी को शासकीय गुप्त बात अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजित किया गया।

कहानी का यहीं अंत नहीं होता है। इसमें फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा नायक एक पूंजी निवेशक हैं। मैं उन्हें शुरू से नहीं जानता हूं। लेकिन फर्स्ट ग्लोबल के श्री शंकर शर्मा की कम्पनी न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत हैं, लेकिन भारत में इस कम्पनी को सूची से निकाल दिया गया है। यह लगातार असुचीबद्ध है क्योंकि – उन्होंने तहलका कम्पनी में 14 प्रतिशत पूंजीनिवेश करने का पाप किया है *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : क्या वे शंकर शर्मा और फर्स्ट ग्लोबल का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति (जे०पी०सी०) ने इन सभी बातों की जांच की थी। मैं श्री जयपाल रेड्डी से यह पूछ रहा हूं कि क्या आप फर्स्ट ग्लोबल और शंकर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : संयुक्त संसदीय समिति (जे०पी०सी०) ने कहा था कि फर्स्ट ग्लोबल के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं मिला और जांच जारी रखने को कहा था। श्री सोमैया जे०पी०सी० के सदस्य थे। उन्होंने हमें गहरा धक्का पहुंचाया है। वे फर्स्ट ग्लोबल के सम्बन्ध में जे०पी०सी० के विचारों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री किरीट सोमैया : श्री शर्मा के विरुद्ध कई वाद हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उन पर विरुद्ध कठोर अक्षेप लगाए हैं *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कहानी का यही अंत नहीं होता है। यह अंतहीन कहानी है *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : वह फिर शंकर शर्मा की बात कर रहे हैं। मुम्बई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च-न्यायालय ने शंकर शर्मा पर कुट आक्षेप लगाए थे। क्या श्री रेड्डी उनका समर्थन करते हैं। उच्च न्यायालय ने उन्हे सजा सुनाई थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री शंकर शर्मा को कई बार गिरफ्तार किया गया था। उन्हें और उनकी पत्नी देठीना मेहरा एक मास से अधिक समय तक जेल में बंद रहे थे। यह बहुत ही शर्म की बात है। यह स्वयं में एक अपराध है।

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

वेंकट स्वामी आयोग और फुरवन आयोग के समक्ष यह सरकार क्या कर रही है? सरकार का तर्क यह रहा है कि टेपों के साथ छेड़छाड की गई है। सरकार को रक्षात्मक भूमिका की बजाए सहयोग करना चाहिए था इसके अतिरिक्त – सरकार ने अभिलेखों में यह कहा है कि फर्स्ट ग्लोबल ने तहलका कम्पनी के एक भागीदार के रूप में भारत के स्टॉक मार्केट को क्षति पहुंचाई है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया एक मिनट बैठिए।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, कई सदस्यों ने एक घण्टे से भी अधिक का समय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्पष्ट करने दीजिए। यह आपको भी उपयोगी होगा।

कांग्रेस पार्टी को दो घंटे और पच्चीस मिनट का समय आबंटित किया गया है। इसमें से अब मात्र 38 मिनट बचे हैं। श्री जयपाल रेड्डी यदि आप शेष 38 मिनट बोलते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन, उसके बाद, आपकी पार्टी के अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बोलने के विरुद्ध नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : इनको बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जब दूसरे को बोलने के समय नहीं मिलेगा, तो मुझे दोष मत दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री शंकर शर्मा और उनकी पत्नी एक वर्ष से भी अधिक समय तक जेल में रहे थे। क्या हमें इसकी जानकारी है? क्या हमें यह चेतना है? क्या हम संवेदनशील हैं? इस देश में क्या घृणित कार्यवाही हो रही है। *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : न्यायालय ने उन्हें जेल भेजा है। *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अपराधियों की जांच करने की बजाय, सरकार ने न केवल तहलका कम्पनी की जांच शुरू की अपितु तहलका कम्पनी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इसने अत्यधिक कष्ट पहुंचाए। अब इस सरकार को वास्तव में बेहूदी बात करने वाली सरकार ही कहा जा सकता है।

अब मैं पी०ए०एस०/सी०पी०सी० विवाद की बात करता हूं। हमारे माननीय मंत्री ने कहा था कि नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। मेरे विचार में माननीय मंत्री के रवैए में सुधार की जरूरत है *(व्यवधान)* नियम क्या कहते हैं? ये नियम मंत्री को मात्र दस्तावेज रोकने के लिए सक्षम बनाते हैं। हमने लोक लेखा समिति में कार्य किया है। मैं अपने नम्रतापूर्वक तरीके से 35 वर्षों तक विधायक रहा हूं।

महोदय, मैं नियम 270 को पढ़ता हूं, जिसमें लिखा है :

> "परन्तु यह और भी कि सरकार किसी कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा। दस्तावेज की पेश करने से इस आधार पर इंकार कर सकेगी"।

यह पूर्णत: मंत्री के विवेकाधिकार में है। यह बाध्यकारी उपबंध नहीं है। यह सामर्थ्यकारी उपबंध है और हमारे चतुर रक्षा मंत्री एक सामर्थ्यकारी उपबंध को बाध्यकारी उपबंध के रूप में दर्शाने में सफल रहे हैं। जब उनमें कुछ छिपाने को था ही नहीं? तो आपने लोक लेखा समिति से रिपोर्टों को क्यों रोके रखा? क्या हमें इसीलिए दूसरों की ईमानदारी पर उनके स्वघोषित रिकार्ड के आधार ही विश्वास करना होगा।

मैं एक बात पूरी जवाबदेही के साथ बता रहा हूं। परसो सांविधिक प्राधिकारी की ओर से बताया गया कि केवल दो ही चीजें एक जैसी थीं :– एक तो ऑपरेशन विजय से संबंधित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पैराग्राफ और दूसरी केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई पूछताछ। मैं यह बात पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि पांच चीजें थी। मुझे उन पांच मदों को ऑन रिकार्ड कहने दें। एक क्रैसनोपोल परियोजना के बारे में है जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 4.2 में उल्लिखित है। दूसरी भारतीय सेना के लिए 200 रेडियो सेटों की खरीद है। इसे पैरा 6.2 में देखा जा सकता है। महोदय यदि मंत्री महोदय इससे इनकार करते हैं तो मैं उन्हें फाइल संख्या बता सकता हूं। मैं यह केवल सभा में ही बता सकता हूं क्योंकि बाहर बताने से ये मुझे राजकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवा सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप गिरफ्तार कराए जाने के योग्य नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, तीसरी चीज 155 एमएम बोफोर्स तोप के स्पेयर्स की खरीद हेतु दिए गए ठेके में कमीशन के भुगतान के संदर्भ में है, चौथी टी-55 और टी-72 टैंकों के स्पेयर्स की खरीद से संबंधित है। महोदय,

क्या मैं यह बता सकता हूं कि ये दोनों ही टैंक करगिल युद्ध में ऊंचाई पर काम नहीं आ सके थे; जबकि गोलाबारूद करगिल युद्ध के नाम पर किंचित परिवर्तन करके खरीदे गए थे। निश्चय ही, मंत्री महोदय कुछ भी कर सकते हैं जो यह सोचते हैं कि वे ईमानदार हैं। और, चौथी चीज एके-47 और गोलाबारूद की खरीद से संबंधित है।

तो, यही बात है जो मैं बता रहा हूं – मैं जानता हूं कि मैं अपनी पार्टी का बहुत अधिक समय ले चुका हूं, सभा में दिए गए समय से अधिक – इस प्रकार, सरकार की अनैतिकता का यह निरूपण है। मैं समझता हूं कि यह मंत्रालय अनैतिकता ढिठाई और अक्खड़पन का मिला जुला प्रतीक है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत के लोग इस सरकार के चहुंमुखी खराब प्रदर्शन से असंतुष्ट है। अब चूंकि, हम इस सरकार को उखाड़ फेंक नहीं सकते हैं; इसलिए हम आडवाणी जी से अनुरोध करते हैं वे लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराने के अपने विचार को प्रभावी करें; नवम्बर में चुनाव कराएं, जनता उन्हें हरा देगी।

अध्यक्ष महोदय : अब डा० विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने कहा था कि श्री जयपाल रेड्डी की बात खत्म होने के पश्चात् मैं इसे उठा सकता हूं। यह केवल एक स्पष्टीकरण है जो मैं मंत्री जी से चाहता हूं *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं मान रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं मान रहे हैं, तो आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बैठाइए, तब तो मैं बोलूं।

[अनुवाद]

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : महोदय, बस यह एक व्यक्तिगत स्तर का स्पष्टीकरण है जो मैं जानना चाहता हूं। श्री नारायण दत्त तिवारी के बाद मैं लोक लेखा समिति का सभापति बना था। *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, यदि आप उन्हें अनुमति देते हैं, तो लोक लेखा समिति के अन्य सदस्य भी व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण की मांग करेंगे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। मैंने डा० विजय कुमार मल्होत्रा को बोलने की अनुमति दी है। वे बोलना शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, ये रूलिंग पार्टी के मैम्बर को बोलने नहीं देते, यह कैसे चलेगा? आप संरक्षण दीजिए। हमें आपका प्रोटैक्शन चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब उनका नम्बर आएगा, तब मैं उन्हें बोलने का समय दूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, वे लोक लेखा समिति के पूर्व सभापति की हैसियत से अनुमति मांग रहे हैं, न कि एक सदस्य के रूप में *(व्यवधान)* क्या वे लोक लेखा समिति के पूर्व सभापति, के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जिम्मेवार नहीं है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का सवाल तभी उठता है जब उनके खिलाफ कोई आरोप हो।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : महोदय, आपने कहा था कि रक्षा मंत्री की बात खत्म होते ही मैं इसे उठा सकता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पार्टी के पास अब भी 33 मिनट का समय शेष है। इसलिए, मैं आपको सही समय पर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : महोदय, मैं बस एक स्पष्टीकरण चाहता हूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : सर, मेरा गला सुबह से बोल-बोलकर थक गया है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। मैंने डा० विजय कुमार मल्होत्रा को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : मल्होत्रा जी, मैंने कभी नहीं किसी को व्यवधान किया है। जब मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो आप मुझे

[श्री एन० जनार्दन रेड्डी]

व्यवधान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है *(व्यवधान)*

महोदय, श्री नारायण दत्त तिवारी के पश्चात् मैं ही लोक लेखा समिति का सभापति बना था। समिति को गुप्त दस्तावेज न दिए जाने की समस्या मुझे विरासत में मिली थी किन्तु अधिकारियों ने मुझे बताया कि इसके लिए पूर्ववर्तिता है। उन्होंने मुझे बताया कि अटल जी जब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे, तो उस समय भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस समय, उन्होंने मांग की थी कि संबंधित दस्तावेज दिया जाना चाहिए और वह उन्हें दिखाया गया। श्री बालयोगी द्वारा इसका सत्यापन किया गया जब वे अध्यक्ष थे। अब मंत्री जी बताते हैं कि दबाव के बावजूद सरकार ने लोक लेखा समिति के तत्कालीन सभापति अटल जी को दस्तावेज नहीं दिया गया। वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं उससे इस मामले पर स्पष्टीकरण चाहता हूं *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, कल श्री एन०डी० तिवारी का प्रेस से एक साक्षात्कार हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि माननीय रक्षा मंत्री उन्हें सभी दस्तावेज दिखाने पर सहमत हो गए हैं। यह आज के 'इकोनोमिक टाइम्स' में आया है।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जो अविश्वास प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी जयपाल रेड्डी जी ने जो कुछ पढ़ा था और जिस तरह तहलका के बारे में बहुत सी बातें कहीं, उसी तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख मैं भी कर सकता हूं, परन्तु मैं यह जानता हूं कि सारी आपोजिशन के जितने भी भाषण हुए, उनमें से कौन सी नयी बात थी, जो पिछले चार मास में नहीं दोहराई गई। जयपाल जी का पूरा का पूरा भाषण अखबारों में छप चुका, बाकी जगह भी आ चुका, रिपोर्ट भी किया जा चुका, उसी बात को इन्होंने दोहरा दिया। यही बात बाकी भाषणों में हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इस समय यहां अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया, यह प्रश्न सारे लोग पूछ रहे हैं, मीडिया वाले भी पूछ रहे हैं। जब इन्होंने शुरू किया, श्री जयपाल रेड्डी जी और विरोधी पक्ष की नेत्री ने भी कहा कि हम यह प्रस्ताव इसलिए लाए हैं कि यह हमारा धर्म एवं कर्तव्य है कि हम सरकार के खिलाफ बोलें, अपना गुस्सा प्रकट करें, आलोचना करें। इन्हें ये सब बातें कहने का पूरा अधिकार है, परन्तु यह अधिकार चार वर्षों के बाद लाने के बारे में मैं इनसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या इनका यह भी धर्म या फर्ज है कि इस हाउस को रेनसम पर रखें, सात-सात दिन तक प्रश्न-काल न चलने दें। हाउस को किसी दिन पूरे दिन तक फंक्शन न करने दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यहां मानसून सत्र में कितना रूपया बर्बाद हुआ। मेरे पास आंकड़े हैं – 10वीं लोक सभा में नौ प्रतिशत समय बर्बाद हुआ, 11वीं में केवल पांच प्रतिशत और जब हम आए तो पहली बार इन्होंने 11 प्रतिशत समय बर्बाद किया। 13वीं लोक सभा में 22 प्रतिशत और मानसून सत्र में 40 प्रतिशत समय इन्होंने बर्बाद किया। *(व्यवधान)* हाउस नहीं चलने दिया। हिन्दुस्तान की जनता का तकरीबन 80 करोड़ खर्च किया। क्या यह इनका धर्म एवं फर्ज है कि आप यहां सदन में प्रश्नकाल न चलने दें। हाउस में वैल में आ जाएं और जब चाहें, कहें कि हमारी शर्तें मानो, नहीं मानोगे तो हाउस नहीं चलेगा। यह कैसे जनतंत्र है?

अध्यक्ष जी, हम पहले दिन से कह रहे हैं, सुषमा जी ने कहा, उससे पहले प्रमोद जी ने कहा कि आपको जिस विषय पर बहस करनी है, करिए। एक सप्ताह में चार-चार, पांच-पांच बार बहस हुई हैं, यह सारा सदन जानता है और ये भी जानते हैं। इन्होंने कहा कि अयोध्या पर बहस करो, ठीक है करो। इन्होंने कहा कि हमें ताज कोरीडोर पर बहस करनी है, करो। फिर सी०बी०आई० का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर बहस करनी है, करो, यानी अयोध्या पर एक प्रकार से पराशायी हो गए। सी०बी०आई० वाले मामले में यहां धूल-धूसरित हो गए, पूरी तरह पराजित हो गए। जब कोई विषय नहीं बचा तो इस समय ये यहां अविश्वास प्रस्ताव को लाए हैं। मैं सचमुच में चन्द्रशेखर जी की बातों से सहमत हूं कि ये कैसा हाउस है, यहां कांस्टीटयूशनल अमेंडमेंटस बिना बहस के पास होता है। यहां जो महत्वपूर्ण बिल हैं, उन्हें ये कहते हैं कि ऐसे ही पास कर दो, परन्तु सप्ताह में पांच-पांच दिन इनके मोशन पर बहस होनी चाहिए। सरकारी बिजनेस में सारे सत्र में केवल पांच प्रतिशत टाइम लगा, जो 95 प्रतिशत टाइम बर्बाद किया गया, अपोजिशन ने हाउस को रेनसम पर रख कर, अपनी बातों को मनवाने के लिए, बहस करवाने के लिए किया। यह कौन सा तरीका है?

अध्यक्ष जी, मेरे पास यह पुस्तक है, मैं पूछना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे यह भूल गए हैं कि 'सुखराम' के दिनों में, 'बोफोर्स' के दिनों में और 'उत्तर प्रदेश' के दिनों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी हम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। वे विपक्ष

का नेतृत्व कर रहे थे *(व्यवधान)* कितने दिनों? *(व्यवधान)* डा० मल्होत्रा जी, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं *(व्यवधान)* वे उपदेश न दें। मैं इस पर सफाई नहीं दे रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है। उन्हें यह याद होना चाहिए। *(व्यवधान)* उपदेश न दें *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : सोमनाथ जी, आप जब बोल रहे थे तो मैंने आपको बीच में नहीं टोका। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

आप अभी तो टाइम बर्बाद मत करो।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, सोमनाथ जी के एक घंटे के भाषण में मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, परन्तु मैं आपसे पूछता हूं, यह टैक्स्ट ऑफ दि रेजोल्यूशन है :

[अनुवाद]

यह टैक्स्ट ऑफ द रिजॉल्यूशन 'डिसिप्लीन एण्ड डिकॉरम इन पार्लियामेंट एण्ड, लेजिस्लेचर्स एण्ड यूनियन टेरिटरीज' विषय पर पीठासीन अधिकारियों, मुख्य मंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों, पार्टी के नेताओं और सचेतकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया।

[हिन्दी]

यह रेजोल्यूशन पिछले वर्ष पास हुआ, सोनिया जी के उस पर हस्ताक्षर हैं, इनकी प्रिजेंस में पास हुआ, सारे अपोजीशन की प्रिजेंस में पास हुआ, उसमें कहा कि कोई वैल में नहीं आयेगा, उसमें कहा कि कोई क्वश्चन ऑवर नहीं रोकेगा, उसमें कहा कि यहां पर संसद के अन्दर किसी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं करेगा और इस प्रस्ताव को पास करने के बाद हर रोज वैल में, हर रोज क्वश्चन ऑवर सस्पेंड करो, हर रोज यहां पर जो चाहो, वह करो। *(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भड़ाना : आप रिकार्ड मंगवा लीजिए, जो कुछ किया है, इन्होंने किया है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता था कि अगर आपने इसे पास किया, एक वचन दिया, सारे देश को वचन दिया, इस पर कई करोड़ रुपये खर्च हुए थे, इसे लाइव दिखाया गया था और उसमें पास हुआ था कि कोई अगर वैल में आयेगा, और पूरे रूल बदल दिये गए कि वह ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जायेगा, परन्तु हर रोज वैल में, कोई एक दिन हो तो समझ में आये। हर रोज क्वश्चन ऑवर सस्पेंड करो, हर रोज एडजर्नमेंट मोशनल लाओ, यह कौन सा धर्म है, यह कौन सा इनका कर्तव्य है, यह कौन सा फर्ज है कि देश का 80 करोड़ रुपये के करीब आप बर्बाद कर दें और फिर कहें कि हम तो अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। कौन सी नई बात कही है, मैं जानना चाहता हूं?

दूसरी बात उन्होंने कही कि नहीं, हम तो अपोजीशन यूनिटी को प्रकट कर रहे हैं और अपोजीशन यूनिटी को प्रकट करने के लिए सोमनाथ बाबू जी के घर पर एक मीटिंग हुई, उसमें एक बड़ा भारी अपोजीशन यूनिटी का रूप दिखाया गया। वह तो आज दिन में ही प्रकट हो गया, अपोजीशन यूनिटी में कोई वाक आउट कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कोई यहां पर एक भाषण दे रहा है और कोई इनके खिलाफ भाषण दे रहा है। बात क्या कही गई, कहा गया कि क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों अपोजीशन यूनिटी है, क्योंकि बी०जे०पी० को हटाना है, यह यूनिटी का एकमात्र लक्ष्य है। *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, अपोजीशन यूनिटी का यह लक्ष्य नहीं है कि देश की सुरक्षा करनी है और अपोजीशन यूनिटी का लक्ष्य नहीं है कि देश में गरीबी दूर करनी है *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आप इनको थोड़ा शान्त करो तो मैं ठीक तरह से बोल पाऊं। अपोजीशन यूनिटी का मकसद बेरोजगारी दूर करना नहीं है, बी०जे०पी० को दूर करना है, यह अपोजीशन यूनिटी का लक्ष्य है। आज सुबह हमारे उप प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फीडेंस लाते हैं तो उसके साथ वोट ऑफ कॉन्फीडेंस भी लाने की कोशिश करनी चाहिए कि किसके बारे में है, कौन आपका नेता होगा, क्या होगा, यह स्थिति बतानी चाहिए। मैंने भाषण सुना है कि अपोजीशन यूनिटी सैकुलरिज्म को लाने और कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और यहां पर भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सारा अपोजीशन इकट्ठा हो रहा है।

अध्यक्ष जी, सोनिया जी के दांई ओर फोटो में बनातवाला जी खड़े हैं, ये सैकुलरिज्म के नम्बरदार हैं, हिन्दुस्तान के दो टुकड़े करने वाले, दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर चलने वाले, दो राष्ट्र बनाने की बात करने वाले, जिनके साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बना रही हो, ये कम्युनलिज्म को खत्म कर रहे हैं। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं सोमनाथ जी की तो बात नहीं करता *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, यह मानहानिकारक है *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं उनका आभारी हूं, कि उन्होंने इसक खुलासा किया है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्मम) : उस बैठक में मल्होत्रा जी ने भाग लिया है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं मुलायम सिंह जी की बात तो इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुलायम सिंह जी को तो कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि वे तो चींटी हैं तो इस चींटी का मैं क्या जिक्र करूं।

रात्रि 8.00 बजे

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी चींटी है इसलिए उस चींटी का क्या जिक्र करें। *(व्यवधान)* सोमनाथ बाबू, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं। *(व्यवधान)* आपके पिताजी के साथ मैंने काम किया है। आपके पिताजी और मैं इकट्ठे प्रीवेंटिव डिटेंशन में पकड़े गये थे। हम दोनों एक साथ जेल में रहे हैं। मैंने उसके साथ बहुत काम किया है। मेरे पहले चुनाव में वह मेरे लिए प्रचार करने भी आये थे। मैं आपका वैसे भी आदर करता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० मल्होत्रा, 8 बज रहे हैं, अब मैं सभा का समय बढ़ाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : आप कहते हैं तो मैं इसे कल कन्टीन्यू कर लूंगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कितने बजे तक मैं सभा का समय बढ़ाऊं। क्या मैं इसे, 9 बजे तक बढ़ा दूं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, कल शाम छः बजे तक वोटिंग कैसे होगी? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : हम विविध मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। समय दिया जाना चाहिए और हमारा अनुरोध है कि सभा का समय कम से कम एक घंट के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभी एक-एक घंटे बोले हैं। अभी तो कुल छः लोग ही बोले हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कल छह बजे मतदान होगा। मैं सभा की कार्यवाही आज नौ बजे तक के लिए बढ़ाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मैं सोमनाथ बाबू की देश भक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। श्रीमती सोनिया जी अपने नाम के साथ गांधी शब्द का प्रयोग करती हैं।* 9 अगस्त को *(व्यवधान)* जिनके साथ हाथ मिलाया जा रहा है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : आप अंडमान निकोबार में जाइये। *(व्यवधान)* कितने कम्युनिस्ट लोगों के नाम उधर हैं। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : जब उन्होंने भारत छोड़ो *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह जो भी कहना चाहते हैं, वह कहें परन्तु जो बात कहें, उसे कम से कम औथेंटिकेट करें। उसे किसी किताब से क्लीयर से करें या औथेंटिकेट करें। ऐसा नहीं कि वह कहा था या यह कहा था। किसी के नाम से कुछ भी हो जायेगा। फिर हम इनके बारे में तमाम कहानियां ऐसे ही बनाकर कह देंगे। यह उचित नहीं है। आप कहिये कि वे कम से कम इसे औथेंटिकेट करें। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा लगाया। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका विरोध किया। क्रांतिकारियों को पकड़वाया, उनको जेल में भिजवाया। *(व्यवधान)* उनको फांसी पर लटकवाया। *(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री रूपचन्द पाल : आर०एस०एस० ने क्या किया? *(व्यवधान)*

रात्रि 8.02 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक मजाक है और यह भाजपा के प्रवक्ता, श्री विजय कुमार मल्होत्रा के मानसिक दिवालियापन को प्रदर्शित करता है। महात्मा गांधी की हत्या किसने करवायी थी, कृपया हमें बताएं? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : आप गांधी जी का नाम ले रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। चूंकि हमने सभा की कार्यवाही का समय 9.00 बजे तक के लिए बढ़ाया है, उन्हें अपनी बात जारी रखने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांडोकर (मेरमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जिंदगी भर बोलते रहे कि यह आजादी झूठी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय नहीं है। हम इस प्रकार की निरर्थक बातों में उलझे नहीं रह सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए। जब आपके बोलने का अवसर आता है तब आप बोल सकते हैं। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जब चीन *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : ग्वालियर जेल में किसने माफी मांगी थी, यह बताएं। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : आर०एस०एस० का क्या ताल्लुक है। *(व्यवधान)* इम्पीरियलिज्म को किसने चैलेंज किया था? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : सोमनाथ दादा, इनको रोकिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैं सभा को नियंत्रित करने हेतु यहां उपस्थित हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, चीन और भारत की लड़ाई में किस पार्टी ने क्विजलिंग का पार्ट किया था, मैं उसका जिक्र नहीं करता। *(व्यवधान)* मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप नक्शा देखिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : इसे वाद-विवाद से संबंधित होना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक बात कार्यवाही-वृत्तांत में दर्ज हुई होगी तो मैं उसकी जांच करूंगा। मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : इनके चार बड़े-बड़े एक तरफ, बीच में सोनिया जी, बनातवाला जी, सोम दादा और *(व्यवधान)**

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : ये क्या बोल रहे हैं। *(व्यवधान)* ये सबूत दें। *(व्यवधान)* ये माफी मांगे। *(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, जब आपकी बारी आएगी तब मैं आपको ऐलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वह ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उनका कोई कथन आपत्तिजनक होगा तो मैं कार्यवाही-वृत्तांत की जांच करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। सोनिया जी नेता विपक्ष हैं। उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैं भी मौजूद था। आपने जो जिक्र किया है, इसके मायने जब मैं अटल जी के यहां जाता हूं तो मैं उनके सारे कामों का जिम्मेदार हूं। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : नेता, विरोधी पक्ष के घर में उनकी मीटिंग में जाना कोई अपराध नहीं है। इस तरह कोई गया तो लालू जी *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। *(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : उसका जिक्र नहीं हुआ। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : नहीं हुआ तो हम भी सुन रहे हैं। मैं बहरा तो नहीं हुआ हूं। लेकिन अगर आप एक आदमी को कहते हैं कि यह बेईमान है, चोर है, बदमाश है। मैं यह कहने वाला था। वह भी कह रहे हैं कि जयपाल रेड्डी जी ने जो कहा, मुझे डर है कि कल उन बातों का जवाब अगर जार्ज फर्नान्डीज देंगे तो इस सदन में हंगामे के अलावा और कुछ नहीं होगा। भाषा का इस्तेमाल करते समय किसी व्यक्ति को भ्रष्ट, बेईमान, चोर और बदमाश बनाने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि दूसरा भी जवाब देगा। मैं जार्ज फर्नान्डीज से निवेदन करूंगा कि वह प्रवोकिंग भाषण न करें। *(व्यवधान)* आपकी बहस है। जब उनका नाम लिया जाएगा कि वह चोर हैं तो उन्हें जवाब देने का पूरा अधिकार है। आप जब उसको कहेंगे कि चोर है तो किस पार्लियामेंट्री रूल के अंदर *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई वक्ता यहां बोलता है और यदि उनके भाषण में कोई आपत्तिजनक या असंसदीय टिप्पणी मिलती है तो अध्यक्षपीठ इसको विनियमित करेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही मैंने उन्हें कोई नाम दिया है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज को कोई नाम नहीं दिया है।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्य जी, हमारी बात सुनी जाए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, जब आपको चांस मिलेगा, तब उसी में आप क्लेरिफिकेशन भी दे सकते हैं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम सबूत लाए हैं। हम चिट्ठी ले आए हैं। *(व्यवधान)* केवल सुन ली जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोलने के लिए खड़े हैं। इसे उनके भाषण के पश्चात् सुना जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उन्हें किसी को भी अपशब्द कहने की छूट मिली हुई है?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी छूट किसी को भी नहीं मिली है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे विनियमित करने के लिए यहां उपस्थित हूं। यदि उनके द्वारा कही गयी बातें नियमों अथवा विनियमों के बाहर हैं तो मैं इसे विनियमित करूंगा। इस प्रकार की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कार्यवाही-वृत्तांत में जो कुछ भी बातें दर्ज हुई होंगी मैं उनकी जांच करूंगा। यदि कुछ भी आपत्तिजनक होगा तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। अब हमें उनकी बात सुनने दें।

श्री रूपचंद पाल : वह उस सभा के सदस्य हैं। वह उनका नाम कैसे ले सकते हैं? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, यह संगीन मामला है। अभी सुना जाए। केवल चार लाइनें पढ़ेंगे *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चार लाइनें नहीं, एक लाइन भी आप नहीं पढ़ेंगे। आपको इनके बाद चांस मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोलने के लिए खड़े हो चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री वी० धनंजय कुमार : यह कौन सा दस्तावेज है? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नियम से तो चलना है न। आप सीनियर मैम्बर्स हैं। अगर मल्होत्रा जी यील्ड करते हैं, तभी आप बोल सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोलने के लिए खड़े हो चुके हैं। जब तक वह आपको बोलने के लिए अपनी सहमति नहीं देते तब तक मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० विजय कुमार मल्होत्रा बोलने के लिए खड़े हैं। रघुवंश बाबू, आप जरा सुनिए।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : चंद्रशेखर जी ने कहा था कि चिट्ठी लाइए तो हम चिट्ठी ले आए हैं। देवरस ने सवाल उठाया था। *(व्यवधान)* इन लोगों ने माफी मांगी। इंदिरा जी के नाम पत्र लिखा, क्षमा मांगी, जेल से बाहर आ गए। *(व्यवधान)* इस पर सवाल हुआ था। उन्होंने चिट्ठी लाने के लिए कहा था तो मैं चिट्ठी ले आया हूं *(व्यवधान)* जरा चिट्ठी को सुन लिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे अभी नहीं सुना जाएगा। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा, परन्तु अभी नहीं। वह बोलने के लिए खड़े हो चुके हैं। मैं आपको अनुमति कैसे दे सकता हूं? डा० विजय कुमार मल्होत्रा बोलने के लिए खड़े हैं। आप इस मुद्दे को अभी नहीं उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, एक बार मुझे सुन लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप कोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेनिक अभी आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवाले, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। डा० रघुवंश प्रसाद सिंह पहले ही बैठ चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सिर्फ यह कह रहा था कि नो कांफीडेंस के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ कौन सी कपोल कल्पित सरकार बनेगी। उसक नक्शा मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें सोनिया जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ जी, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, क्या ये सब मिलकर सरकार बनाएंगे, क्या यही वैकल्पिक सरकार होगी, जो यहां पर आएगी। इन्होंने हमारे ऊपर चार्जेज लगाए हैं। सोमनाथ जी लगातार एक घंटे तक बोले और ऐसी गाली नहीं छोड़ी, जो इन्होंने हमें न दी हो। इसी तरह का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमें कहा गया कि इन्होंने देश की सुरक्षा खतरे में डाल दी है। देश की सुरक्षा को खतरे में डाला, जब जम्मू-कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा इन्होंने पाकिस्तान के हवाले कर दिया और 1,40,000 वर्ग किलो मीटर का क्षेत्र चीन के हवाले कर दिया। 1971 में जब 91,000 पाक कैदी हमारी जेल में थे, उस समय उनको इनको सरकार ने वापस कर दिया। हमारे सैनिकों के खून से मिली जमीन उनको वापस कर दी। अटल जी के पांच साल के शासनकाल में भारत की एक इंच जमीन पर भी पाकिस्तान कब्जा नहीं कर सका। और ये हमें कह रहे हैं कि हमने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। यहां पर भ्रष्टाचार की बात उठाई गई। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : आप वापस ले लें। उधर अमेरिका है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : ले लेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, वह वाद-विवाद में उठाए गए मुद्दों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह इतिहास की बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : आपके नेता ने सवाल उठाया है।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : जब कभी वाद-विवाद होता है तो वे इतिहास की बातें करने लग जाते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है तो हम उसका जवाब देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में कौन डाल रहा है, यह सब जानते हैं। पहली बार अमेरिका के दबाव में कश्मीर में सीज फायर हुआ, दूसरा सीज फायर अमेरिका के दबाव में चीन वाले मामले में हुआ और तीसरी बार सीज फायर का मामला ताशकंद में हुआ। हमारे समय में कारगिल युद्ध के समय अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हमने कारगिल की एक-एक इंच जमीन जब तक पाकिस्तान से वापस नहीं ले ली, सीज फायर नहीं किया। हम पर और रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया जा रहा है कि सेना की सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया गया।

यहां पर भ्रष्टाचार की बात कही गई। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के किसी भी मंत्री पर कोई सी०बी०आई०, सी०वी०सी०, सी०ए०जी० या किसी भी कोर्ट में कोई आरोप लगा हो, तो ये बता दें। एक भी आरोप किसी भी मंत्री के खिलाफ नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : तीन-तीन मंत्रियों पर चार्जशीट हैं, जो यहां बैठे हुए हैं।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : भ्रष्टाचार का अगर किसी एक आदमी पर आरोप था तो वह आज कांग्रेस में चला गया है और किस कमेटी का चेयरमैन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारी इस सरकार के किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है और ये हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि छज बोले तो बोले, छलनी भी बोलने लगी। इनके तीन-तीन भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों पर सी०बी०आई० के केस चल रहे हैं और कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। तीन-तीन प्रधानमंत्रियों के अलावा 12 मंत्री थे, जिन पर केस चले। लेकिन हमारी सरकार में एक मंत्री पर न तो सी०बी०आई०, न ही सी०वी०सी०, न ही सी०ए०जी० और न ही किसी कोर्ट में कोई भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, फिर भी हमें भ्रष्टाचार के बारे में कहा जा रहा है। इनके द्वारा डाक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सेंट-किट्स का मामला आया, फर्जी डाक्युमेंट्स बना दिये गये। दूसरा मामला कोबिनेट सैक्रेट्री का आया, एक चिट्ठी आपके सामने पेश कर दी गयी और वह भी फर्जी निकली। तीसरा, इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में बैठकर प्रेस-कांफ्रेंस की और कहा कि मेरे खिलाफ सी०बी०आई० के द्वारा ये-ये इंक्वायरी हो रही है और उसका ब्ल्यू-प्रिंट बनाकर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में बैठकर बांटा। उनसे पूछा गया तो वह भी फर्जी निकला। उसकी सी०बी०आई० इंक्वायरी कर रही है। कांग्रेस पार्टी फर्जीवाड़ा पार्टी है, यह सब डाक्युमेंट्स फर्जी तैयार करती है। इनके द्वारा फर्जी नामों से चीजें की जाती हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले पोस्टर निकाला कि 3500 करोड़ रुपये का घोटाला उनसे पहले के मुख्यमंत्री ने कर दिया। वह सात दिन में इस मामले को साफ कर देंगे और श्री बादल को जेल में डाल देंगे। आज डेढ़ साल बीत गया लेकिन एक पैसे की चीज भी नहीं निकली। माननीय भूमल साहब पर इल्जाम लगा दिया कि 850 करोड़ रुपये का उन्होंने घपला किया। उनके चार मकान दिल्ली में हैं। लेकिन उसमें से एक भी चीज सही नहीं निकली। जोगी साहब ने इल्जाम लगा दिया कि माननीय प्रधान मंत्री जी के ऑफिस से 100 करोड़ रुपये किसी ऑफिशियल ने लिये हैं। जब कहा गया कि नाम लो तो भाग गये। यह तो वही बात हुई कि थूको और भाग जाओ। चार्ज लगा दो और निकल जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि पी०ए०सी० ने ऑपरेशन विजय की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? अध्यक्ष जी, ऑपरेशन विजय का मामला जब आया था तो मैंने कहा था कि पी०ए०सी० का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का है और वह सी०ए०जी० की रिपोर्ट पर तहकीकात करे। चार्ज साहब ने स्वयं लिखा और इससे पहले किसी भी डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा लिखा हो तो बताएं। लेकिन इन्होंने लिखा कि जितने आरोप हैं सब की सी०वी०सी० जांच करे और सी०ए०जी० भी जांच करे। हमारा डिफेंस मिनिस्टर पहला मंत्री है जो स्वयं लिखा रहा है और कह रहा है कि मैं सारे कागज देने को तैयार हूं। आप बताएं कि ऐसा कहने वाला कोई डिफेंस मिनिस्टर आपका निकला हो, जिसने स्पेशल ऑडिट कराया हो, उसका नाम लीजिए। पहली बार स्पेशल ऑडिट हुआ और सी०ए०जी० की रिपोर्ट भी आ गयी। सी०ए०जी० की रिपोर्ट आने पर होना यह चाहिए था कि पी०ए०सी० का चेयरमैन उस रिपोर्ट को देखता। उस पर डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई डाक्युमेंट मांगता। लेकिन सी०ए०जी० की रिपोर्ट पर डाक्युमेंट नहीं मांगे, क्या मांगा? सी०वी०सी० की रिपोर्ट दिखाओ क्योंकि सी०वी०सी० की रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है इसलिए वह कोई रिपोर्ट नहीं देंगे। क्यों रिपोर्ट नहीं देंगे? सर, इसलिए रिपोर्ट

नहीं देंगे कि सारे चुनाव में कांग्रेस की लीडर ने, हर जगह पर, हर चुनाव में इस बात की घोषणा की कि ऑपरेशन विजय में, कारगिल में सरकार पैसा खा गयी। इस बात को वे तब तक कह सकते थे जब तक रिपोर्ट न आये। अगर रिपोर्ट आ जाती तो कोई चार्ज नहीं रह जाता और ये इल्जाम नहीं लगा सकते थे। यह साजिश की गयी है। अध्यक्ष महोदय, दोनों चेयरमैनों को रिपोर्ट दिखाई गयी, आपके चैम्बर में स्पीकर साहब को रिपोर्ट दिखाई गयी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)* कृपया नियम 376 देखिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, भाजपा के सदस्य भी लोक लेखा समिति में थे। उन्होंने सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है। *(व्यवधान)* यह सर्वसम्मत रिपोर्ट है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : सारी पार्टियों के लीडर्स की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि स्पीकर साहब कागज देखें, राज्य सभा के चेयरमैन कागज देखें और अपनी ऑब्जरवेशन दें। अध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक डाक्युमेंट्स है। स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में डिफेंस मिनिस्ट्र को भी बुलाया। सरदार बूटा सिंह जी को बुलाया। उन्होंने सारे कागज देखे और उसके बाद उनकी आब्जर्वेशन है।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं : ''मैं पाता हूं कि सी०वी०सी० को न तो यह कार्य सौंपा गया था और न ही इसने करवायी है '' *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय ने न तो अपने निर्णय के रूप में अथवा न ही किसी अन्य तरीके से इस संसद को इसकी सूचना दी है? *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, महोदय। वह इसे उद्धृत नहीं कर सकते। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं इस बात को पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सभा में कोई निर्णय अथवा टिप्पणी नहीं की है। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह विनिर्णय का प्रश्न नहीं है। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में कोई बात होती है तो माननीय सदस्य उसे यहां उद्धृत नहीं कर सकते। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी दलों के नेताओं की बैठक में की गयी टिप्पणी है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : वह इसे यहां उद्धृत कैसे कर सकते हैं? *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वह इसे यहां उद्धृत नहीं कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह एक प्रकाशित दस्तावेज है। उन्होंने इसे पढ़ा है। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं भी वर्षों तक इस समिति का सदस्य रहा हूं। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : कार्य मंत्रणा समिति से संबंधित बात नहीं है। यह टिप्पणी पार्टी नेताओं की बैठक में की गयी थी। मैं कार्य मंत्रणा समिति की बात नहीं कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में तथ्य जानने दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। *(व्यवधान)* महोदय, आप लोक सभा के रेकार्ड की जांच कर लें। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें दिया है। उन्होंने टिप्पणी की थी। उन्होंने इसे हमें दिया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस निर्णय की घोषणा यहां की गयी थी।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं, महोदय। इसकी घोषणा सभा में नहीं की गयी थी। यह निर्णय पार्टी नेताओं की बैठक में दिया गया था। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह निर्णय पार्टी नेताओं की बैठक में दिया गया था तो मैं समझता हूं कि इसे यहां उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। यह गोपनीय दस्तावेज नहीं है *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह हमें दिया जा चुका है। उन्होंने यह टिप्पणी नेताओं की बैठक में की *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में किसी विवाद के मामलों का समाधान करने अथवा मेल-मिलाप के लिए कोई कार्यवाहियां हुई तो क्या उन्हें सभा में विनिर्णय की तरह समझा जा सकता है और क्या इसे उद्धतन किया जा सकता है? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा नहीं लगता।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने मुझे यह दिया *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह दे सकते थे। मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि यह सभा में दिया गया है या नहीं। मुझे पता लगाने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : प्रेस में भी छपा है। 'पायनीर' पेपर में छपा है, मैं उसको कोट कर देता हूं।

[अनुवाद]

क्या बूटा सिंह ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नोट के बारे में पूछा? *(व्यवधान)* यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसका हल ढूंढने दीजिए। यह नेताओं की बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई टिप्पणी मात्र है। यह सभा में किया गया विनिर्णय नहीं है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह सच है। कि इसे निर्णय नहीं कह रहा हूं। मैं इसे केवल एक टिप्पणी कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ टिप्पणियां कीं। यह सही है। यह विनिर्णय नहीं है *(व्यवधान)* यह केवल एक टिप्पणी है *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जो कुछ हुआ वे उसे यहां उद्धृत कैसे कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चैम्बर में जो कुछ टिप्पणी की गई उसे यहां पर विनिर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, ऐसी प्रथा है कि चैम्बर में कही गई किसी भी बात को यहां उद्धृत नहीं किया जा सकता *(व्यवधान)* यदि अब ऐसी प्रथा है, तो अब से किसी नेता अथवा मंत्री द्वारा चैम्बर में कही गई किसी भी बात को सभा में उद्धृत किया जा सकता है *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा। यह लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर उनकी टिप्पणी है *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट की अनुमति दीजिए *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय की चैम्बर में हुई कार्यवाही को उद्धृत कैसे कर सकते हैं? *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं क्यों नहीं कर सकता? *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : यदि माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी किसी समाचार का उल्लेख कर सकते हैं, तो डा० विजय कुमार मल्होत्रा माननीय अध्यक्ष महोदय की टिप्पणियों को उद्धृत क्यों नहीं कर सकते? *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि यह इस दस्तावेज का आदान-प्रदान चैम्बर में हुआ है तो, इससे यहां पर उद्धृत नहीं किया जा सकता *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यही टिप्पणी की जा रही थी। इसे यहां पर विनिर्णय नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं इसीकी पुष्टि करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : यह 'पायनीर' पेपर में छपा है और अगले दिन छपा है। ग्रुप लीडर्स की मीटिंग में आब्जर्वेशन हुई है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, यह चैम्बर में हुई चर्चा का उल्लेख कैसे कर सकते हैं? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, मैं पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बार-बार यह क्या हो रहा है?

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, उन्होंने यह टिप्पणियां की *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसको उद्धृत मत कीजिए। इसको अनुमति नहीं है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने मुझे यह दिया। उन्होंने यह बैठक में सभी नेताओं को दिया। उन्होंने इसे वहां पर पढ़ा। यह गोपनीय कैसे हो सकता है? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह स्पीकर साहब ने कहा है, आप कहें, तो मैं उसको पढ़ देता हूं। यह 14 तारीख का पेपर है।

[अनुवाद]

यह नेताओं की बैठक में की गई एक टिप्पणी है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपकी पोल खुल रही है, तो आप घबरा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं केवल एक विनिर्णय चाहता हूं क्या माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में की गई किसी टिप्पणी को यहां सभा में उद्धतण किया जा सकता है? मैं इस विषय पर विनिर्णय चाहता हूं।

मैं एक बात जानना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री चुप क्यों बैठे हैं? क्या ऐसी प्रथा होनी चाहिए कि दलों/समूहों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय की बैठक में जो कुछ टिप्पणी की जाती है उसको यहां पर उद्धत किया जाए?

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, उन्होंने टेलीविजन पर यह बात कही।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों का निदेश 55(1) इस प्रकार है :–

"समिति की कार्यवाही गोपनीय समझी जायेगी और समिति के किसी सदस्य को या किसी को जिसकी उस कार्यवाही तक पहुंच है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी कार्यवाही और प्रतिवेदन या अन्तिम रूप से या अस्थायी रूप से निकाले गये निष्कर्षों के बारे में, प्रतिवेदन के सभा में उपस्थापन से पहले प्रेस को कोई जानकारी देने की आज्ञा नहीं होगी।"

अब नियम 55(1क) तथातः प्रासंगिक उपबंध है। यह नियम कहता है :

"खंड (1) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उन बैठकों की कार्यवाहियों के संबंध में भी लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ की जायेंगी।"

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, उन्होंने केवल कुछ टिप्पणियां की।

[हिन्दी]

मैं इसे पढ़ता नहीं हूं। जुबानी बता देता हूं।

[अनुवाद]

सभी नेताओं ने इन सभी बातों की जांच करने के लिए अध्यक्ष महोदय को सौंप दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोबारा इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? जब वह वहां इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, तो आपको यहां इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : बिल्कुल सही, महोदय।

अब, मैं कहता हूं कि राज्य सभा के सभापति ने निर्णय दिया। यह कार्यवाही वृत्तांत में है।

[हिन्दी]

अगर आप कहें तो मैं उसे पढ देता हूं। यह चेयरमैन की रूलिंग है जो उन्होंने हाउस में दी है। यह एक पब्लिक डाक्यूमैंट है जो रिकार्ड में है। आप उसे रिकॉर्ड में से निकाल कर देख लीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं नियम 354 के अंतर्गत व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं। यह कहता है :

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

"राज्य सभा में दिया गया कोई भाषण सभा में उद्धृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा दिया गया कोई नीति संबंधी निश्चित वक्तव्य न हो।

परंतु अध्यक्ष, उससे पहले से प्रार्थना किए जाने पर, किसी सदस्य को राज्य सभा में दिये गए किसी भाषण को उद्धृत करने या राज्य सभा को कार्यवाही का निर्देश करने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि अध्यक्ष यह समझे कि ऐसा करना किसी सदस्य के लिए किसी विशेषाधिकार या प्रक्रिया के प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है।"

पहले अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया था। दूसरे यह प्रक्रिया का मामला नहीं है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह एक लोक दस्तावेज है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह एक पब्लिक डाक्यूमैंट है जो रिकॉर्ड में है। *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य दासमुंशी जी ने नियम 354 पढ़कर सुनाया। मुझे इस पर दो बातें कहनी हैं – एक नियम 354 दूसरे हाउस में बोले गए भाषणों के बारे में है। जो विजय जी रैफर कर रहे हैं, वह किसी सांसद का वहां दिया गया भाषण नहीं है। वह यहां के पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई रूलिंग है जो सारे के सारे अखबारों में छपी है और जो प्रोसिडिंग्स का हिस्सा है। जो चीज अखबारों में छपी, वह यहां पढ़ कर सुनायी गई। दूसरी बात यह है कि अगर उसी रूलिंग को रैफर करके दासमुंशी जी यहां नोटिस देते हैं और उसके ऊपर यहां से स्पीकर की रूलिंग मांगते हैं तब यह नियम 354 लागू नहीं होता। अगर विजय कुमार मल्होत्रा उसे रैफर करते हैं तो नियम 354 दिखाया जाता है। वह एक ही व्यक्ति के दो-दो मापदंड एक ही नियम के बारे में कैसे हैं? मैं इसके बारे में आपकी रूलिंग चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुषमा स्वराज बहुत ठीक कह रही है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। महोदय, जब मैंने इस विषय का हवाला दिया था, तो मैंने इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को पहले ही दे दी थी और तब अध्यक्ष महोदय ने मुझे इसे पढ़ने की अनुमति दी *(व्यवधान)* बाद में इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल भी दिया गया।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह चीज प्रोसिडिंग्स में आ गई है। *(व्यवधान)* इनको घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट इसलिए हो रही है कि सी०वी०सी० के सारे कागज देखने के बाद *(व्यवधान)* वहां पर लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के साथ मीटिंग हुई, सब कुछ टी०वी० पर चला गया और टी०वी० पर जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : टी०वी० पर जाने दो, अभी रूल आया है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : डा० मल्होत्रा, क्या आप चाहते हैं कि हम उस पत्र को उद्धृत करें जो पार्टी नेताओं द्वारा अध्यक्ष को लिखे गऐ थे? इससे आपके और आपके समर्थकों के भी असलियत का पता चल जाएगा।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं अभी-अभी उसपर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, क्या सभा की प्रोसीडिंग्स जो अखबारों में छपती है, उसके बारे में कोट नहीं कर सकते हैं? श्री वाजपेयी जी का भाषण हुआ था। यदि ऐसा है तो श्री सोमनाथ चटर्जी जी श्री वाजपेयी जी के भाषण को कोट कर रहे हैं, पढ़कर सुना रहे हैं, मगर भाषण रिकॉर्ड पर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश नियम 354 मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता है।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे केवल यह कह रहा हूं कि सी०वी०सी० की 'आपरेशन विजय' पर कोई रिपोर्ट है ही नहीं, चाहे आप देख लें, श्रीमती सोनिया जी देख लें, सारे लीडर्स देख लें परन्तु यह जानबूझकर कहा गया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे इसे कैसे जानते हैं?

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : जब सी०वी०सी० की रिपोर्ट है ही नहीं, किस ने उनको रोका था?

श्री बसुदेव आचार्य : आपको कैसे मालूम हुआ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें जवाब देने दीजिए। श्री बसुदेव आचार्य जब आपकी बारी आएगी, तब आप इसका खंडन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : उन्हें कैसे इस बात का पता चला?

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलेंगे, तो उसे भी उठा सकते हैं। तभी आप इसका खंडन करेंगे।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, उन्हें कहां से इसका पता चला? मैं इसे इसलिए पूछ रहा हूं कि लोक लेखा समिति उस बात से मुकर गई कि उसे इसकी कोई जानकारी है। जबकि वे कहते हैं कि वे इस बारे में सब कुछ जानते हैं। कैसे वे जानते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : कैसे उन्हें इस गोपनीय दस्तावेज का पता चला है?

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आएगी तब तक आप इस विषय को सुरक्षित रखिए। जब आप बोलेंगे तभी आप इस विषय को उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं बता देता हूं। सारे अखबारों में छपा। श्री एन० विट्ठल, जो सी०वी०सी० के चेयरमैन हैं, उन्होंने बयान दिया कि सी०वी०सी० रिपोर्ट में कारगिल सौदे का कोई जिक्र नहीं है मगर अखबारों में छपा, सारी रिपोर्टों में छपा

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : मगर सी०वी०सी० की रिपार्ट में है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट पर सी०ए०जी० को पी०ए०सी० ने कब रोका, कि इसके ऊपर जांच नहीं कर सकते। अगर वे जांच करते, श्री तिवारी साहब उसके चेयरमैन थे, वे देख लें। जिसके पास ये सारी रिपोर्ट आती है, मैं भी एक कमेटी का चेयरमैन हूं, मेरे पास भी सी०ए०जी० की रिपोर्टस आती हैं, हम किसी भी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। किस स्टेज पर कहा गया कि कि सी०ए०जी० ताबूत वाले केस में जांच करना चाहती है, जिसके कागजात रक्षा मंत्रालय ने नहीं दिये। ये क्या मांग रहे हैं। ये लगातार रिपोर्ट मांग रहे हैं। कि सी०वी०सी० की रिपोर्ट लाओ। वे चाँद की मांग कर रहे हैं। जब वह रिपोर्ट है ही नहीं, वे कहां से दें और ये रिपोर्ट उस समय मांग रहे हैं

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द्र पाल : लोकलेखा समिति ने आम राय से इसका निराकरण कर दिया। क्या यह डा० मल्होत्रा द्वारा निर्णय किया जाएगा कि लोकलेखा समिति को कैसे काम करना चाहिए?

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि लड़कपन में, बचपन में कोई मांग ले कि मुझे चांद चाहिये और वह भी अमावस्या के दिन तो अमावस्या के दिन चांद कहां से लाकर दें? जब सी०वी०सी० की रिपोर्ट में है ही नहीं, उसे हम लोग कहां से पेश करें? यह बात भी सही है और रिकार्ड में है कि इन्होंने तिवारी साहब से कहा था कि सी०वी०सी० की रिपोर्ट देख लें। इन्होंने श्री बूटा सिंह जी से कहा। जार्ज साहब ने कहा जिसके स्पीकर साहब गवाह हैं कि वे उस रिपोर्ट को देख लें। रिपोर्ट देखी नहीं? सी०ए०जी० की रिपोर्ट पर कहां रोक है। श्री वाजपेयी जी भी इस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, बाकी लोग रहे हैं, उनको किस ने रोका था। जब सी०वी०सी० की रिपोर्ट है ही नहीं तो कहां से दें? आप आपरेशन विजय देख तो लें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम संसद की समिति के किसी भी सभापति के आचरण पर चर्चा कर रहे हैं? तब तो हमें एक ठोस प्रस्ताव लाना होगा। संसदीय समिति के आचरण पर चर्चा करने के लिए एक ठोस प्रस्ताव लाया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी कई समिति के अध्यक्ष रहे हैं।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब इसे मत करें। संसदीय समिति कैसे कार्य करती है? कोई भी खुलासा कर सकता है और सभापति की आलोचना कर सकता है।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं पूछ रहा हूं कि रोक है, मैंने कोई गलत बात नहीं कही।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे कोई ठोस प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, किसी को रिपोर्ट देने की क्या जरूरत है। मैं डिमांड करता हूं कि पी०ए०सी० एक महीने के अंदर ताबूत वाले मामले में अपनी रिपोर्ट दे दे। यहां पर पी०ए०सी० ताबूत वाले मामले में एक महीने में रिपोर्ट दे कि वहां कोई रुपया खाया गया है या नहीं खाया गया है। केवल इसलिए रिपोर्ट नहीं देनी है कि ये चारों चुनाव निकल जाएं और ये चारों चुनाव करने के लिए *(व्यवधान)* मैं हाउस से इस बात की डिमांड करता हूं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम डा० विजय कुमार मल्होत्रा की मांग को स्वीकार करते हैं पैराग्राफ की जांच के पश्चात सी०वी०सी० पी०ए०सी० को अपनी रिपोर्ट दे। हम इसे स्वीकार करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांडोकर : सी० एंड ए०जी० की रिपोर्ट में बंगाल के जितने घोटाले हैं, उन सबकी जांच की जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में जाने दीजिए कि हम उसकी मांग को स्वीकार करते हैं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, आपरेशन विजय का मामला यह क्यों जिंदा रखना चाहते हैं, क्यों उसमें रिपोर्ट नहीं आ रही है। सी०वी०सी० कहती है मैंने रिपोर्ट नहीं दी है, पी०ए०सी० अपनी रिपोर्ट नहीं देती फिर उसका फैसला कैसे हो। क्या चुनाव तक यह मामला चलता रहेगा। चुनाव तक *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत ही गंभीर बात है *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे संसदीय समिति का अपमान कर रहे हैं। क्या प्रधान मंत्री यह सुझाव देते हैं कि विपक्ष के सभी सदस्यों को सभी संसदीय समितियों से इस्तीफा दे देना चाहिए? हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं चार्ज लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक सोची-समझी साजिश के अंतर्गत कि यह रिपोर्ट वहां न आये, इसलिए इन्होंने जानबूझकर यह किया कि वह रिपोर्ट हाउस में नहीं आ पाई। मैं जानना चाहता हूं कि 51, 52, 53 और 54 चारों रिपोर्ट *(व्यवधान)* यहां पर उन चारों रिपोर्ट्स में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या सदन के नेता अपने विचारों का समर्थन करते हैं? सभा के नेता को यह निर्णय करने दें कि क्या संसदीय समितियों के कार्यकरण पर इस तरह से प्रश्न किया जा सकता है और इसके बारे में बताएं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने इस सभा में यह कभी नहीं सुना कि जब समिति के अध्यक्ष को इस तरह से गाली दिया जा रहा हो या रिपोर्ट पर चर्चा हेतु उचित संकल्प के बिना ही समिति के कार्यकरण पर इस तरह से टिप्पणी की गई हो। ऐसा कैसे किया जा सकता है? पूरी व्यवस्था का अपमान किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : आप एक बात देखें कि पी०ए०सी० की चार रिपोर्ट्स हैं – 51, 52, 53 और 54 *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमें इस चर्चा के लिए ठोस प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे मालूम है क्योंकि आप एक घंटे चार्ज लगाते रहे। 51, 52, 53 और 54 चार रिपोर्ट्स हैं। *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंड़ीगढ़) : क्या यह अध्यक्ष ही हैं जिन्होंने रिपोर्टों को नम्बर दी है? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को पढ़ूंगा। आप इस तरह से समिति के कार्यकरण का उल्लेख नहीं कर सकते। मैं रिकार्ड को देखूंगा और यह देखूंगा कि रिकार्ड ठीक हो जाए।

श्री वी० धनंजय कुमार : यह सभा की समिति है, और इसका उल्लेख करना हमारा अधिकार है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप क्या कह रहे हैं?

श्री वी० धनंजय कुमार : यह सभा की समिति है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : इन्होंने आपके सामने एक बात कही *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही-वृत्तांत को देखूंगा।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, इन्होंने एक चार्ज लगाया कि शिक्षा का भगवाकरण कर दिया, शिक्षा को बदल दिया, किताबों में परिवर्तन कर दिया और अपने *(व्यवधान)* उन्हें मालूम है, कांग्रेस पार्टी की लीडर ने अपने 15 राज्यों को लिखा कि आप सारी किताबों में भगवाकरण को निकाल दो *(व्यवधान)* 15 राज्यों में जहां पर उन किताबों में पुरानी चीजों को लाइये। मैं पूछना चाहता हूं क्या वापस लाया जाए – गुरु तेगबहादुर एक लुटेरे थे, हाफिज से मिलकर लूटमार मचाई, बलात्कारी थे, रेपाइन कर दिया, यह सब जो निकाला गया क्या उसे वापस लाया जाए। क्या यह भगवाकरण की बात है, आप इनसे पूछिये।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : आपको इन सब गलत चीजों को निकालना है। आपने गलत अफवाह फैलाकर देश के बच्चों को गुमराह किया है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उसमें जो शब्द लिखे गये हैं, क्या उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। क्या यह भगवाकरण है।

श्री किरीट सोमैया : आल्वा जी, क्या आप उनका समर्थन कर रही हैं। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : गुरु तेगबहादुर जी के बारे में इतने घिनौनी, इतने अश्लील जो आरोप किताबों में थे, अगर उन्हें निकाल दिया तो क्या गलत किया। कांग्रेस पार्टी का कोई भी मैम्बर खड़ा होकर कहे कि उन्हें वापस पढ़ाना चाहिए। एक भी मैम्बर नहीं कह सकता।

अध्यक्ष जी, उसमें लिखा है कि आर्य लोग गोमांस खाते थे और अपने यहां कोई आए, तो बछड़े का मांस परोसते थे। इनके मुख्य मंत्री कहते हैं कि गऊ हमारी माता है। यदि मुख्य मंत्री एक तरफ यह कहते हैं कि गऊ हमारी माता है, तो क्या यह पढ़ाया जाए कि आर्य गोमांस खाते थे और यदि कोई मेहमान आ जाए तो बछड़े का मांस परोसते थे? उसमें लिखा है कि महावीर जी से पहले कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : रास बिहारी बोस क्या सुभाष चन्द बोस के भाई नहीं थे? *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उस पुस्तक में लिखा था कि भगवान महावीर से पहले कोई तीर्थंकर नहीं हुए और जैनियों ने अपने तीर्थंकरों को पुरातन बनाने की दृष्टि से उनकी कल्पना कर ली। अगर हमने वे चीजें निकाली हैं, तो क्या बुरा किया है। जाट लुटेरे थे, भगवान महावीर से पहले कोई तीर्थंकर नहीं हुए और भगवान राम के बारे में जो लिखा है वह सब कपोल कल्पित है और अश्लील है, ये सब बातें यदि हमने निकाल दीं, तो हमने कौन सी गलत बात की? ये 15 राजयों में कह रहे हैं कि इन सब बातों को जो हमने निकाली हैं, उन्हें पुस्तकों में वापस लाओ। फिर श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उनके चित्र यहां पर लगाए जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इतिहास को बदला नहीं जा सकता। वे इतिहास बदल रहे हैं।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : कृपया आप मुझे सुनें। आरोप लगाया गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : केवल पश्चिम बंगाल में, इतिहास को बदला जा सकता है। *(व्यवधान)* चिल्लाइए नहीं।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार : अंडमान निकोबार में जाकर देखो, आपके साथ कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, आखिर यहां शिवाजी की प्रतिमा लगाई, तो क्या गलत किया, क्या शिवाजी की प्रतिमा लगाना पाप है, अपराध है? महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा लगाना क्या पाप है, हिन्दुस्तान में क्या केवल एक ही परिवार के लोगों के चित्र लगेंगे, क्या हिन्दुस्तान में कोई दूसरा महापुरुष पैदा नहीं हुआ है, क्या उनके नाम लिखे गए हैं और उनके चित्र टांगे गए हैं। जिनका स्वतंत्रता

[डा० विजय कुमार मल्होत्रा]

संग्राम में कहीं कोई नाम नहीं है? जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, यदि उनके चित्र लगाए जाएं, तो क्या यह ठीक नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आपको एक घंटा हो गया। आपने ठीक 7.50 पर शुरू किया था। आपको पूरा एक घंटा हो गया है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इन्होंने घुमा-फिराकर केवल एक गुजरात की बात कही। इनके दिमाग में गुजरात बैठा हुआ है। गुजरात का फोबिया है और बेकरी कांड का उल्लेख किया। बैस्ट बेकरी कांड में ममता जी ने जिक्र किया कि एक व्यक्ति गुजरात छोड़कर वैस्ट बंगाल गया। गुजरात में 70 लाख मुसलमान रहते हैं। यदि उनमें से एक मुसलमान गुजरात से बंगाल चला गया, तो क्या हो गया?

कुमारी ममता बनर्जी : चला नहीं गया, ले जाया गया।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, पांच लाख कश्मीरी माइग्रेंट पूरे हिन्दुस्तान में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी उनके बारे में एक भी बात नहीं कही। पांच लाख कश्मीरी पंडित सारे हिन्दुस्तान में घूम रहे हैं। कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनका जिक्र नहीं करता। *(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि जिस ने भी गलती की है, हत्या की है, उन्हें सजा दें। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको वह अंसारी का फोटोग्राफ याद है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : आप कहां थे जब आप ही के चुनाव क्षेत्र में 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विष्णुपद राय, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटे का टाइम बढ़ाया है और अभी तक एक स्पीकर भी खत्म नहीं हुआ।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वहां, वे लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देते *(व्यवधान)* अब, वह मुझे सभा के भीतर ही धमकी दे रहे हैं। वह मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं? *(व्यवधान)* वह धमकी नहीं दे सकते *(व्यवधान)* उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए नहीं तो हम भी सभा को नहीं चलने देंगे *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, वह मुझे बाधा क्यों डाल रहे हैं? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : इस तरह से धमकी न दें *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : वह इस तरह से कैसे धमकी दे सकते हैं? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही-वृत्तांत की जांच करूंगा और उन्हें ठीक करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ममता जी, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार : आप मेहरबानी करके ममता जी को मंत्री बना दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ममता जी,

(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रात्रि 8.53 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कुछ मिनटों के भीतर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कोई भी आदमी, जिसने हत्या की हो, उसे फांसी पर लटकाया जाए, मारने वाले को जरूर सजा मिलनी चाहिए, परन्तु दिल्ली में तीन हजार सिखों की हत्या हुई, लेनिक एक नहीं बल्कि सारे गवाह मुकर गए। हर कमीशन ने यह कहा कि उसमें कांग्रेस के लीडर्स का हाथ है, लेकिन एक भी आदमी को सजा नहीं हुई, पकड़ा नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, मराड़ में भी इसी तरह की घटना हुई, वहां कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग मिल गए। वहां मराड़ के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। उन लोगों के खिलाफ भी केरल राज्य के बाहर मुकदमा होना चाहिए और जो बिहार में हो रहा है, वहां भी कोर्ट्स कह रहे हैं कि वहां कोई लॉ एंड आर्डर नहीं है। पुलिस का तबादला वहां की कोर्ट्स कर रही हैं, उनके बारे में भी सारे मुकदमे बिहार से बाहर होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में तीन बातें कहना चाहता हूं। इन्होंने इल्जाम तो बहुत लगाए। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : हम बिहार की मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठिये।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : इन्होंने बिहार का नाम किसलिए लिया, क्या ये बिहार का अपमान करेंगे? *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : इन पांच सालों में क्या हुआ है, आज सुबह कहा गया कि किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : कभी बिहार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, अगर बिहार का अपमान करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अच्छा नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये। उनका टाइम पूरा हो रहा है, प्लीज बैठिये।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, आज से पांच साल पहले हिन्दुस्तान में सारी दुनिया से अनाज मंगाया जाता था, जबकि इन पांच सालों के अंदर 30 देशों को अनाज भेजा गया है। अध्यक्ष जी, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। ये दो मिनट दे दें तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : ये बिहार का अपमान कर सकते हैं क्या?

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइये। उन्होंने अनेक स्टेट्स के नाम लिये हैं, हर स्टेट का आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, तीन चार स्टेट के नाम हो गये, आप बैठिये।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था, आज से 50 साल पहले से हिन्दुस्तान ने 1998 तक अनाज मंगाया, बाहर से अनाज का आयात किया। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : जो टी०वी० में आया है कि दिल्ली अपराध में नम्बर वन है, यहां इतने अपराध हो रहे हैं, यहां के अपराधी प्रशासन पर भारी हैं। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : पांच सालों से हम 30 देशों को हिन्दुस्तान से अनाज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये चावल दिये जा रह हैं, यह एक चमत्कार है। यहां सारे हिन्दुस्तान पर इतना कर्ज था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अब कन्क्लूड कीजिए।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : हिन्दुस्तान में इतना कर्ज लिया गया है, उस कर्ज को हम समय से पहले अदा कर रहे हैं, ऐसा चमत्कार जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया है, उसके बारे में यह अविश्वास का प्रस्ताव लाना इस समय का सबसे बड़ा अपराध है।

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि पहले ही 9 बज चुके हैं। अब सभा कल 19 अगस्त, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 19 अगस्त, 2003/28 श्रावण 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।